दश माला, खंड 2, अंक 6

सोमवार, 12 जुलाई, 2004
21 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 5.7
Dated 10/3/05

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 12 जुलाई, 2004/21 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	**कॉलम**
थाईलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 83	4–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 100	33–123
अतारांकित प्रश्न संख्या 652 से 812	123–426
सभा पटल पर रखे गए पत्र	427–433
समिति के लिए निर्वाचन	
नारियल विकास बोर्ड	433–434
नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	434–437
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	
मंत्रियों के विरुद्ध गंभीर स्वरूप के आरोपों वाले मुद्दे उठाने की सूचनाओं के बारे में	441–444
नियम 377 के अधीन मामले	445–453
(एक) कृषि क्षेत्र में अधिक सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित किए जाने तथा इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोले जाने की आवश्यकता	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	445
(दो) उड़ीसा के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर साहु	445–446
(तीन) कश्मीरी प्रवासियों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	446

+किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) असम के करीमगंज में बी एस एन एल की मोबाइल सेवा सेल-वन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	446–447
(पांच) बिहार के बांका जिले में बार-बार आ रही बाढ़ पर नियंत्रण पाने तथा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत उपाय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार मोदी	447
(छह) होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मिट्टी में सेलेनियम मौजूद होने के कारण हो रही रहस्यमय बीमारी की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अनिवाश राय खन्ना	447–448
(सात) अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में रानीघाट, पासीघाट में सियांग नदी पर बनाये जा रहे पुल के निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता	
श्री तापिर गाव	448
(आठ) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीना नदी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	449
(नौ) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
डा. रामचन्द्र डोम	449
(दस) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांच की औद्योगिक इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें रियायती दरों पर गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	450
(ग्यारह) महाराष्ट्र के गनपुर गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता	
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	450
(बारह) उड़ीसा में हथकरघा उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एक वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रसन्न आचार्य	451
(तेरह) संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी प्रशासन को पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एम. रामदास	451–452
(चौदह) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बी. विनोद कुमार	452
(पन्द्रह) बिहार के सहरसा में रेलवे क्रासिंग पर एक उपरि-पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रंजीत रंजन	452–453

विषय	कॉलम
संकल्प	
(एक) रेल अभिसमय समिति की नियुक्ति के बारे में—*स्वीकृत*	453–454
(दो) रेल अभिसमय समिति में राज्य सभा से सदस्य सहयोजित करने के बारे में—*स्वीकृत*	454–455
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) बिहार तथा असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में	458–472
(दो) मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में दलित महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में	473–475
नियम 193 के अधीन चर्चा	
चार राज्यों के राज्यपालों को उनकी विचारधारा के आधार पर हटाया जाना	481–580
श्री वरकला राधाकृष्णन	481–483
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	483–495
श्री पवन कुमार बंसल	495–508
मोहम्मद सलीम	509–518
प्रो. राम गोपाल यादव	518–522
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	522–529
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	529–532
श्री संतोष गंगवार	532–536
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	536–541
श्री चन्द्रकांत खैरे	541–544
प्रो. एम. रामदास	544–548
श्री मोहन सिंह	548–551
श्री भर्तृहरि महताब	552–557
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	557–560
डा. एम. जगन्नाथ	560–562
श्री रामदास बंडु आठवले	562–564
श्री असादूद्दीन ओवेसी	564–565
श्री शिवराज वि. पाटील	565–580
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	581–582
अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	581–586
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	587–588
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	587–588

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री गिरिधर गमांग

श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द्र मलहोत्रा

---

*भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया:

"मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत का राष्ट्रपति।"

लोक सभा

सोमवार, 12 जुलाई, 2004/21 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिए। सभा में एक विशिष्ट शिष्टमंडल आया हुआ है।

पूर्वाह्न 11.0$^{1}/_{2}$ बजे

थाईलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से थाईलैंड से हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए, महामहिम श्री उथई पिमचाइचौन, हाउस आफ रेप्रेजेन्टेटिव के स्पीकर और नेशनल असेम्बली के प्रेसीडेंट तथा संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। वे रविवार 11 जुलाई, 2004 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद होगा। हम उनके माध्यम से थाईलैंड के महामहिम नरेश तथा नेशनल असेम्बली, सरकार और मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल स्थगित करने का नोटिस दिया है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। जान-माल की बहुत क्षति हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया प्रश्नकाल शुरू किया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यदि आप इन मुद्दों को एक-एक करके उठाएंगे तो, मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको प्रश्न-काल के बाद इन मुद्दों को उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया प्रश्न संख्या-81

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे मामले का पता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर वाद-विवाद होगा। आप इसे प्रश्न-काल के बाद उठाईए। मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवानः अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न-काल स्थगित करने का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इस अवधि के दौरान नहीं। इन मामलों को प्रश्न-काल के बाद उठाया जाना चाहिए; मैं आपको प्रश्न-काल के बाद उन मामलों को उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया एक घंटा और प्रतीक्षा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको प्रश्न-काल के बाद अनुमति दूंगा। मैंने इसे पहले ही देख लिया है, श्री सुकदेव पासवान।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन-आवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया है, तो आप उन्हें एक बार सुन लें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, आप उन्हें केवल सुन लें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मुद्दे को जानता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इन्हें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन्होंने इसे उठाया है। मैंने माननीय सदस्य से अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन-आवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया है। जब कोई मैम्बर नोटिस देता है, तो मेरा निवेदन है कि आप उसे सुन लें कि नोटिस क्यों दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रश्न-काल के निलम्बन के लिए सूचना दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप प्रश्न-काल का अतिक्रमण करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करने के लिए कहते हैं तो मैं इन्हें अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा है। लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो गया है। हमने भी नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तब तो मुझे प्रत्येक को सुनना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले बैठ जाएं। जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया बैठ जाएं।

मुझे पूरी तरह पता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय सदस्यों को इसे उठाने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपसे वायदा कर चुका हूं। बिहार के कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे पहले भी देखा है। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन कृपया इसे प्रश्न-काल के बाद उठाएं। यह केवल 55 मिनट की बात है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण

+*81. श्री अधीर चौधरी:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिलने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया को अब सरल बना दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अभी भी सरकार के पास पर्यावरण संबंधी स्वीकृति हेतु बड़ी संख्या में परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(च) यदि हां, तो पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया के सरलीकरण से लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने में कितनी मदद मिलेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) परियोजना प्रस्तावों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राय: परियोजना प्राधिकारियों से सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रदान की जाती है। तथापि अपेक्षित सूचना के प्रस्तुत न किए जाने के कारण अनेक परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब हो जाता है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एवं तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं में संशोधन करके और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों द्वारा समयबद्ध एवं पारदर्शी निर्णय लेने को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यावरणीय मंजूरी पद्धति को और सरल बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

* मूल्यांकन पूरा करने के लिए 90 दिन, निर्णय सूचित करने के लिए 30 दिन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन-सुनवाई पूरी करने के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
* नई परियोजनाओं के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपए की गई है।
* औद्योगिक क्षेत्र/इस्टेट में स्थित लघु उद्योग इकाईयों, राजमार्गों को चौड़ा करने, निकटतम वासस्थलों से 10 कि.मी. के बाद समुद्री अन्वेषण कार्यों, मुख्य खनिज पदार्थों की खनन परियोजनाओं को 20 हैक्टेयर तक के पट्टे, वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और निर्यात प्रोसैसिंग जोन (ई पी जेड) एवं विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) में इकाईयों की स्थापना किए जाने हेतु जन-सुनवाई की आवश्यकता में छूट देना।
* पाईप लाईन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता से छूट देना।
* पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन प्राप्त होने के समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र/स्थापना हेतु स्वीकृति-पत्र मांगने पर जोर नहीं दिया जाता।
* 5.00 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं की इन-हाऊस जांच की जाती है और निर्णय लिया जाता है।
* ताप विद्युत परियोजनाओं की कतिपय श्रेणियों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(ङ) और (च) विभिन्न क्षेत्रों में 30.6.2004 तक पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कुल 250 परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को पहले से ही सरल बनाए जाने के कारण पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता मिली है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में तीव्रता लाने एवं इसमें और आर्थिक सुधार लाने हेतु इसे अधिक प्रभावी, समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 की व्यापक समीक्षा की है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, पर्यावरणीय प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पूरे विश्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। लेकिन यहां इस तथ्य का कोई विरोध नहीं है कि यह मंत्रालय लंबे समय से इस बात के लिए बदनाम है कि परियोजनाओं की मंजूरी में धीमे और लम्बे पत्राचार, प्रशासनिक जटिलताओं के कारण अत्यधिक विलंब होता है। तथापि, हाल ही में मंजूरी प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए विभिन्न उपाय किए जाने हैं। लेकिन अभी मंत्रालय के विवरण के अनुसार 30.6.2004 को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विभिन्न क्षेत्रों की अभी भी 250 परियोजनाएं लंबित हैं। यह काफी तर्कसंगत है।

महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि 50 (पचास) करोड़ रुपए से अधिक की सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है क्योंकि इनसे 1000 लोग संबंधित हैं और इनसे प्रतिदिन 50,000 मिलियन लीटर सीवेज निकलता है तथा विभिन्न राज्य सरकारें पर्यावरणीय मंजूरी के विकेन्द्रीकरण के लिए हो-हल्ला मचा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त प्रश्न पूछिए। उन्हें उत्तर देने दें। फिर आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना।

श्री अधीर चौधरी: राज्य सरकारें इसी कारण पर्यावरणीय मंजूरी के विकेन्द्रीकरण के लिए हो-हल्ला मचा रही हैं क्योंकि वे मानती हैं कि इससे राज्य सरकार की संप्रभुता का अतिक्रमण होता है तो क्या मैं केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया और मत जान सकता हूं और निर्दिष्ट पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन न करने के लिए कितनी इकाइयों को दंडित किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: आपके कितने अनुपूरक प्रश्न हैं? मंत्री जी को उत्तर देने दें। इसे समुचित रूप से नियमित करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री ए. राजा: उद्योग, ताप विद्युत, खनन, नदी घाटी और अन्य अवसंरचना और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शीर्षक के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन पर्यावरणीय मंजूरी लेना आवश्यक व बाध्यकारी है। महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि मंजूरी के लिए 250 परियोजनाएं लंबित हैं। कुछ हद तक मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ विलंब हुआ है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि संपूर्ण विलंब के लिए मंत्रालय या कार्यपालिका जिम्मेदार है। किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। कई बार इस बारे में मंत्रालयों के साथ बात-चीत करना

आवश्यक होता है। जब तक अन्य मंत्रालयों से आवश्यक स्पष्टीकरण और अन्य स्पष्टीकरण का उचित समाधान नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। निःसन्देह हमें एक एकल खिड़की प्रणाली के लिए पुनः विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, सभी मंत्रालय सरकार का हिस्सा है।

श्री ए. राजा: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मामले को जल्दी निपटाना आपका कर्त्तव्य है।

श्री ए. राजा: महोदय, जैसे ही मंत्रालयों के पास कोई मामला जाता है उन्हें भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है जिसमें उन्हें भी उचित समय लग जाता है।

अध्यक्ष महोदय: उचित क्या है, लोक निश्चित करेंगे। ठीक है।

श्री अधीर चौधरी: मैं उन इकाइयों के बारे में जानना चाहता हूं जिन्हें अभी तक दंडित किया जा चुका है। उत्तर के विवरण से मुझे पता चला है कि ताप विद्युत परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

प्रस्तावित सागरदिघी ताप विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। मुझे पता चला है कि पर्यावरणीय मंजूरी मिलने से पहले ही एक ठेकेदार को उसका निर्माण कार्य दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी देने के योग्य है जैसा कि मंत्री जी पहले ही अपने वक्तव्य में कह चुके हैं?

दूसरी बात गंगा कार्य योजना का क्या होगा क्योंकि प्रतिदिन सिवरों का अशोधित एक बिलियन लीटर गंदा पानी गंगा में प्रवाहित हो रहा है और जले-अधजले शव नदी में तैर रहे हैं? गंगा कार्य योजना की अभिकल्पना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। अब, गंगा कार्य योजना का क्या होगा?

श्री ए. राजा: महोदय, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव में गंगा कार्य योजना को स्थान नहीं दिया गया है। फिर भी, स्वीकृति प्रदान करने के मद्देनजर माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावना के बारे में मैं कहूंगा कि सिर्फ पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए मंत्रालय एकल-खिड़की प्रणाली की शुरूआत पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। तब, हम यह शर्त रख सकते हैं कि जैसे ही पर्यावरण स्वीकृति दी जाएगी, अन्य स्वीकृतियां भी तुरंत प्राप्त कर ली जानी चाहिए। परियोजना शुरू करने के पूर्व, परियोजना प्रतिपादक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य स्वीकृतियां भी संलग्न हों।

महोदय, साधारण तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम सिर्फ पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ही जोड़ सकते हैं अन्य स्वीकृतियां सशर्त आदेश के रूप में स्वयं आदेश में ही समाविष्ट हैं, और हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैंने सागरदिघी ताप विद्युत परियोजना के संबंध में एक विशेष प्रश्न पूछा है।

श्री ए. राजा: महोदय, विशेष रूप से उस परियोजना के बारे में जानने के लिए वह अलग से प्रश्न पूछें।

श्री अधीर चौधरी: नहीं, महोदय, इसे पृथक प्रश्न के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह भी उनके मंत्रालय के अंतर्गत ही है।

श्री ए. राजा: ठीक है, यह भी मेरे मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में ही है, लेकिन देश में कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसलिए, आप जिस परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में अलग से प्रश्न करें।

श्री अधीर चौधरी: नहीं, महोदय, माननीय मंत्री कम-से-कम यह तो कह सकते हैं कि जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, उसकी सूचना बाद में उपलब्ध करा देंगे।

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य और माननीय मंत्री के बीच इस बातचीत को रोकें।

श्री हन्नान मोल्लाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के नाम पर कभी-कभी हम विकास को रोक देते हैं और कभी-कभी अति उत्साह में विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए, दोनों के बीच समझदारी और तर्कपूर्ण संतुलन होना चाहिए और यह कार्य करते समय कभी-कभी मंत्रालय से गलती हो जाती है और कभी-कभी आवेदक की तरफ से गलती हो जाती है।

महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का भाग (क) यही है, 250 और इसके अतिरिक्त लम्बित परियोजनाओं में से पिछले तीन साल से भी अधिक समय से कितनी परियोजनाएं लंबित हैं और कितनी परियोजनाएं 5 साल से भी अधिक समय से लंबित हैं? मेरे पूरक प्रश्न का भाग (ख) यह है-बड़ी टाउनशिप्स के लिए पर्यावरणीय

मूल्यांकन के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार और केन्द्र के बीच भ्रम और विरोधाभास की स्थिति है। क्या राज्य के अधिकार क्षेत्र पर केन्द्र द्वारा अतिक्रमण के मुद्दे की दलील पर केन्द्र और राज्य के बीच इस मुद्दे पर विवाद है? यदि ऐसा है तो सरकार इस समस्या का समाधान किस तरह से करने जा रही है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है—कभी-कभी समिति की बैठक समय पर नहीं आयोजित होती क्योंकि प्रक्रिया में कहीं-न-कहीं विलंब हो जाता है। क्या परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए बैठक आयोजित करने हेतु पूरे वर्ष के लिए समय-सारणी बनाई गई है?

श्री ए. राजा: महोदय, 100 दिनों से अधिक या कम समय तक परियोजनाओं को लंबित रखने का कोई प्रश्न नहीं है। परियोजना की प्रकृति के अनुसार प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। मान लीजिए, परियोजना उद्योग से संबंधित है, तब इसमें 100 दिन लग सकते हैं, और मान लीजिए, परियोजना खनन से जुड़ी है, तो इसमें न्यूनतम 30 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन परियोजना की स्वीकृति का मामला हमारे पास रखने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह परियोजना के स्वरूप पर निर्भर करता है और यह प्रतिपादकों द्वारा दी जा रही सूचना के स्वरूप पर निर्भर करता है। मान लीजिए प्रतिपादक द्वारा दी गई सूचना अपर्याप्त है, तो इसे फाइल को पुनः राज्य सरकार के पास या इसे जहां भी लंबित है के पास भेजने के अलावा मंत्रालय के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए, हमारे पास 100 दिनों से अधिक या कम समय तक फाइल या स्वीकृति-पत्र रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरी बात, हमने, निश्चित रूप से 7 जुलाई को नए निर्माण के लिए अद्यतन अधिसूचना जारी की है जिनका निर्माण अभी चल रहा है और 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की सहायता से सीवर के 50,000 मिलियन लीटर गंदे पानी को निकालने का काम चल रहा है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणी की गई है और सुझाव दिए गए हैं, जिसकी प्रमुख बातों को मैं संक्षेप में आपके समक्ष रख सकता हूं। कुछ राज्य सरकारें शोर मचाती हैं कि यह कानून जरूरी है और यह कि इस कानून की वास्तव में जरूरत है, क्योंकि यह तो राज्य सरकार के अधिकारों पर हमला है। महोदय, ''टाउन एंड प्लानिंग कंट्री एक्ट'' राज्य विधानसभाओं के अधिकारों के अंतर्गत ही है। लेकिन वे उनके अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको सूचना देनी है।

श्री ए. राजा: हां, महोदय, मैं वही तो कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पूछे गए प्रश्न के भाग (ग) की बात कीजिए।

श्री ए. राजा: महोदय, यह प्रश्न बहुत जरूरी है। राज्य सरकारें यह सोच रही हैं कि हम उनके अधिकार छीन रहे हैं। उनके अधिकारों को लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक इसी समय, केन्द्र सरकार समझौता नहीं कर सकती और पर्यावरण स्वीकृति के मामले में कोई कमी भी नहीं कर सकती। इसलिए, राज्य सरकार के अधिकार की तुलना में यह ज्यादा महत्व का है।

श्री विक्रम केशरी देव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम आने वाले समय में देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने जा रहे हैं जैसे- लौह अयस्क, बाक्साइट आदि जिसके लिए हम वृहत परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए, हम जानते हैं कि हम आने वाले पांच वर्षों में क्या करना चाहते हैं।

मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय उन वृहत परियोजनाओं का ''पर्यावरणीय प्रभाव सर्वेक्षण'' कराएगी जो भविष्य में शुरू की जाने वाली हैं।

फिर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पर्यावरण अधिनियम और वन अधिनियम अनावश्यक हो गए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान यदि मुझे याद है, तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने तत्कालीन माननीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री टी.आर. बालू को यह उल्लेख करते हुए पत्र लिखा था कि यह विशेष अधिनियम अब विकास की दौड़ में अनावश्यक हो गया है। क्या इस पर पुनर्विचार किया जाएगा ताकि देश के पिछड़े राज्यों जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार और देश के अन्य भागों में विकास हो सके? हमारे यहां वृहत् परियोजनाएं हैं जो अभी भी पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं, उदाहरणस्वरूप, सिंचाई, बाक्साइट, लौह-अयस्क, बिजली और खनन परियोजनाएं लंबित हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट जवाब चाहूंगा कि क्या वे पूरे प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेंगे और जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से पूछा है, प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश करें।

श्री ए. राजा: सरलीकरण की प्रक्रिया जारी है। जैसाकि मैंने सभा के समक्ष पहले ही कहा है, अन्य प्रणालियों के बजाए ''एकल-खिड़की प्रणाली'' शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। हम राज्य सरकारों को अधिक अधिकार देना चाहते हैं। हम राज्य

सरकारों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि मौजूदा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अनावश्यक हो गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यह अनावश्यक नहीं हुआ है। हम इसमें लगातार परिवर्तन करते रहे हैं ....

श्री बिक्रम केशरी देव: मैंने ऐसा नहीं कहा कि यह अनावश्यक हो गया है। मैंने कहा कि यह विकास की दौड़ में गैर-जरूरी जैसा हो गया है।

[हिन्दी]

अभी जिस हिसाब से आपका डेवलपमेंट हो रहा है,

[अनुवाद]

आप विकास करना चाहते हैं और आप 8 प्रतिशत विकास दर हासिल करना चाहते हैं। आप उन लक्ष्यों को कैसे हासिल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री को अपना जवाब देने दें।

श्री ए. राजा: इसमें दो बातें हैं। एक पर्यावरण और वन मंत्रालय उद्योग के विकास के विरुद्ध नहीं है। जी, हां, भारत सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप पर्यावरणीय मजूंरी को नदरअंदाज कर दें अथवा अपनी मनमर्जी से कुछ भी करें।

अध्यक्ष महोदय: ये वो आशंकाएं हैं जिसे सभी ओर के माननीय सदस्यों ने अभिव्यक्त किया है। कृपया ध्यान दें कि यह प्रक्रिया तीव्रता से सम्पन्न हो।

श्री ए. राजा: यह मंत्रालय भी इस बारे में चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री ताराचंद साहू: अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि पर्यावरण के नाम से बड़ी महत्ती योजनाएं लंबित पड़ी हैं सामान्यत: जहां पर्यावरण से कोई लेना-देना नहीं है। वहां फारेस्ट नहीं है मगर रिकार्ड में उसे डेड फारेस्ट दिखाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से छत्तीसगढ़ के स्पेसीफिक दो प्रौजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगा। बोधघाट बिजली परियोजना लम्बे समय से वहां लंबित पड़ी है। पर्यावरण के नाम से कोई डेमेज नहीं हो रहा है फिर भी योजना लंबित पड़ी है।

दूसरा, बस्तर जिले में रेल लाइन परियोजना लंबित पड़ी है। बस्तर जिला माइन्स और माइनिंग की दृष्टि से सबसे रिच स्टेट है। वहां रेल लाइन परियोजना पर्यावरण के नाम से आज तक लंबित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों परियोजनाओं को क्लीयरेंस देने के लिए सरकार पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, यदि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो चाहे कोई भी परियोजना हो हम उसे मंजूरी दे देंगे। तथापि, वह सटीक सूचना भेंजे कि इसका पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है। यह मानते हुए कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो भी इस मुद्दे पर निर्णय समिति द्वारा लिया जाना चाहिए। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है यह कहने के लिए न तो मैं और न ही वह सक्षम है। निश्चय ही यह मंजूर किया जायेगा बशर्ते कि समिति इसे मंजूरी प्रदान करे। माननीय सदस्य इस बारे में मुझे पत्र लिखें और मैं उन्हें सही स्थिति से अवगत करवाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। वे आपको पत्र लिखेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मथुरा लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मथुरा रिफाइनरी परियोजना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वहां स्थित है। आगरा में लगभग 50 किलोमीटर तक ताजमहल स्थित है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से वहां जो औद्योगिक विकास हो रहा था, उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने उसमें ताज ट्रेपोजियम का एरिया बनाकर वहां इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया है। इससे वहां के औद्योगिक क्षेत्र को काफी क्षति हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां आप इस तरह के उद्योगों को स्थापित करें जो प्रदूषण रहित हों तथा जिससे वहां को लोगों को उद्योग मिले क्योंकि वहां बेरोजगारी काफी बढ़ी है। जो उद्योग वहां हैं, वे बंद पड़े हैं। कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। उनमें भी उपयोगी उद्योग नहीं लग पाए हैं जिनसे वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके। मंत्री जी इस बारे में ध्यान दें ताकि वहां लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: यदि इसका बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता है, तो परियोजना को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के कारण देश में, राज्य सरकार के कई जिलों में, गांवों में कई परियोजनाएं लंबित हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि राज्य सरकार की सीमा 60 दिन की है। लेकिन कई राज्य सरकारों के पास ऐसे प्रस्ताव लंबित हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट वन क्षेत्र है जहां के रोड डैवलपमैंट और डैम के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पड़े हैं। लेकिन 60 दिन होने के बाद भी अभी तक परमीशन नहीं मिल रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 60 दिन की सीमा पूरी होने के बाद भी जिन राज्यों को मंजूरी नहीं दी गई है, क्या मंत्रालय उनको कुछ आदेश देने की कोशिश करेगा?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, इस बारे में राज्य सरकारों ने पहले ही कठोर दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ अनुसूचित क्षेत्रों विशेषतः अनुसूची पांच और अनुसूची छह के क्षेत्रों को प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने का आश्वासन चाहता हूं। जब पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जाए तो वहां रहने वाले लोगों विशेषकर आदिवासी लोगों और वनभूमि के हितों की सुरक्षा की जाए। उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि उनके हितों के सुरक्षोपाय विशेष रूप से किए जाएंगे?

श्री ए. राजा: अधिनियम में पहले ही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सिर्फ यह चाहते हैं कि इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाए।

श्री ए. राजा: इसे सही ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है और इस संबंध में हम अत्यधिक सावधानी से कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में जो परियोजनाएं उन राज्यों द्वारा स्वीकृत हैं तथा उन राज्यों द्वारा कहा गया है कि जहां पर्यावरण की आवश्यकता है, हम वन लगाकर, वृक्षारोपण करके उसकी पूर्ति करेंगे। उसके बावजूद भी अभी तक उन क्षेत्रों में परियोनजाओं की स्वीकृति वर्षों से लंबित है। इस बारे में मंत्रालय का ध्यान पहले भी आकर्षित किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी वे योजनाएं वर्षों से लंबित हैं, कहीं-कहीं 5-7 वर्ष हो गए लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ताकि जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो और क्रियान्विति हो सके?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। यदि ऐसा कोई मामला होगा तो मैं ब्यौरा दूंगा।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मंत्रालय के पास ब्यौरा पहले ही उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय: डा. पाण्डेय, कृपया उन्हें लिखित रूप में ब्यौरा दें।

श्री ए. राजा: कृपया मुझे ब्यौरा पृथक रूप से लिखित में दें और मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे, कृपया एकदम सटीक प्रश्न पूछें। यद्यपि, आप हमेशा विशिष्ट रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि सम्पूर्ण सूचना की प्राप्ति की तिथि से 120 दिनों में देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के दो ऐसे प्रोजैक्ट्स मुम्बई ट्रांस-हार्बर समुद्र सम्पर्क परियोजना और मुम्बई पोरबन्दर मार्ग रेल से जुड़ने वाले हैं। वहां रास्ते में ट्रैफिक भी ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने उसका प्रपोजल 15 जून, 2001 से भेजा है। वरली से नरीमन पाइंट तक वेस्टर्न पी लिंक तक क्लीयरैंस के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 10 मई, 2001 से प्रस्ताव भेजा है। आप 'एकल खिड़की योजना' कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण विभाग में जो अधिकारीगण बैठे हैं, उनका ऐटीट्यूड कभी भी पौजीटिव नहीं रहता, क्लीयरैंस नहीं करना है, उनका ऐसा नैगेटिव ऐटीट्यूड रहता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप मुम्बई के दो प्रोजैक्ट्स की क्लीयरैंस जल्दी से जल्दी करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रश्न है। क्या आपके पास इस विशिष्ट परियोजना पर कोई विशिष्ट सूचना है?

श्री ए. राजा: वर्तमान में, इस बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे माननीय सदस्य को अग्रेषित कर दें।

श्री ए. राजा: जी, हां।

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

*82. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं जिनके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है;

(ख) सरकार द्वारा उन कृषि उत्पादों के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में लघु और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार द्वारा 25 कृषि जिन्सों अर्थात् धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, जौ, चना, अरहर (तुअर), मूंग, उड़द, मसूर (लेंटिल), गन्ना, कपास, छिलके सहित मूंगफली, पटसन, रेपसीड/सरसों, सूर्यमुखी बीज, सोयाबीन, कुसुम, तोरिया, तम्बाकू (वी.एफ.सी.), खोपरा, तिल तथा रामतिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) देश के कृषि उत्पादन के कुल मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कवर की गई फसलों का योगदान लगभग 60% है। शेष 40% में अधिकांश योगदान बागवानी जिन्सों का है। सरकार बागवानी जिन्सों की खरीद के लिए राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश से अनुरोध प्राप्त होने पर मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) कार्यान्वित करती है, यदि वह 50% घाटा, यदि हो उसके कार्यान्वयन में वहन करने के लिए तैयार हो।

इसके अलावा राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों से प्राप्त मूल्य संबंधी आंकड़ों के आधार पर उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत मूल्य मानीटरिंग सैल (पी.एम.सी.) द्वारा आलू और प्याज सहित अनिवार्य जिन्सों के खुदरा मूल्यों की मानीटरिंग की जाती है। मूल्यों की स्थिति की मानीटरिंग उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड (एच.पी.पी.एम.बी.) द्वारा भी नियमित रूप से की जाती है। उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड के निर्देशानुसार नीतिगत निर्णयों से संबंधित प्रस्ताव समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजे जाते हैं।

(ग) छोटे और सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए चुना है:-

- ऋण के भार तथा ऊंची ब्याज दर को कम करने के लिए तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दोगुना करना।
- बारानी खेती, बागवानी उत्पादन एवं जल प्रबंधन को प्रोत्साहन देना।
- अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन।
- उचित तथा लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के उत्पादों को मण्डी सहायता।
- विभिन्न कृषि एवं बागवानी उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों को सहायता।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन को हुए नुकसान के लिए फसल बीमा।

छोटे तथा सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों को वृहद प्रबंध स्कीम के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिये सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत छोटे तथा सीमान्त किसान प्रीमियम के 50% सब्सिडी के पात्र होते हैं, जो केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 आधार पर वहन की जाती है।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है, 25 कृषि जिंसों की जो फसल है, उसका समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसमें धान, ज्वार, बाजरा तथा अन्य फसलें हैं। इन फसलों का आधार क्या है? क्या सरकार जब समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तब उसके सामने यह आधार रहता है कि किसानों की जो पुरानी फसल है और जो नयी फसल पैदा हो रही हैं, उनकी उत्पादन लागत कितनी बढ़ी है? क्या 5 रुपया, 10 रुपया बढ़ाने से किसानों की समस्या हल हो जाएगी? मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है?

श्री कांति लाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उसमें पच्चीस

कृषि जिंसों का सरकार उचित समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। उसमें सभी राज्यों में फसल का जो उत्पादन होता है, उसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। फसल की उत्पादन लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है। मैं आपको ताजे आंकड़े देना चाह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: यह सवाल थोड़े ही है। क्या जवाब दिया जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री रघुराज सिंह शाक्य: यह कोई जवाब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, आज किसान बर्बाद हो रहा है, परेशान है। ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या आधार है? पुरानी और नयी फसल जो किसान पैदा करता है, उसका क्या आधार है?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सदस्य की भावना मैं समझ रहा हूं और आप थोड़ा सुनने की कृपा करें। जो फसल जैसे 25 जिंसों का निर्धारण किया है, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, मूल्य निर्धारण का आधार फसल पर कितनी उत्पादन लागत आती है, इसे ध्यान में रखकर किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: आधार क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: आधार वही है कि जिस-जिस क्षेत्र में फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, सी.ए.सी.पी. निम्न घटकों पर विचार करता है: उत्पादन लागत, इनपुट मूल्यों में परिवर्तन, इनपुट/आउटपुट मूल्य समता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अन्तर्फसलीय मूल्य समता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति तथा कृषकों द्वारा अदा किये गए मूल्यों और प्राप्त मूल्यों के बीच समता।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: आज पूरे हिन्दुस्तान का किसान बर्बाद हो रहा है और आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): उसकी लागत के हिसाब से दाम मिलना चाहिए, क्योंकि लागत की तुलना में प्राइस नहीं मिलता।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: चाहे आलू की पैदावार करने वाला किसान हो या लहसुन या मटर पैदा करने वाला किसान हो, सबकी हालत एक जैसी है। क्या सरकार उपज दर बढ़ाने और उत्पादन मूल्य कम करने की दिशा में कोई प्रयास कर रही है? आज हमारे किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का मुकाबला करना पड़ रहा है। उससे हिन्दुस्तान के किसानों को अलग न होना पड़े, इसको भी देखना होगा। हमारे देश में डीजल और खाद के दामों में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन सरकार का किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, वह बहुत परेशान है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह क्या उपाय कर रही है, जिससे किसान बर्बाद होने से बचे और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शामिल हो सके?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सदस्य ने जिस तरह से आलू के बारे में कहा, उत्तर प्रदेश में आलू की फसल काफी होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले धैर्यपूर्वक माननीय मंत्री जी को सुनिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: आलू की फसल भी बागवानी के तहत आती है। बागवानी की फसलों में सरकार सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकती। अगर राज्य सरकार हमें कहे तो केन्द्र सरकार उसको 50 प्रतिशत के हिसाब से मदद करती है। *...(व्यवधान)* मंडी हस्तक्षेप योजना राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने एक प्रश्न पूछा है और आपके पास माननीय मंत्री जी को सुनने का धैर्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा करना चाहती है।

श्री लाल मुनी चौबे: यह सवाल का जवाब नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागत से कम दिया जाता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, वे यह जानना चाहते हैं कि आप कृषकों के हित की रक्षा किस प्रकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी भावना प्रकट की है, हम भी उससे सहमत हैं। हमारी सरकार किसानों को ऋण देने के लिए उसमें बढ़ोत्तरी कर रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य मैंने आपसे प्रश्न पूछने को नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री शाक्य, क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया श्री शाक्य को उत्तर दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं, पहले उन्हें पूर्ण करने दीजिए। आप में माननीय मंत्री जी को सुनने का धैर्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: उनकी फसल का उन्हें उचित मूल्य मिले, कम ब्याज पर कर्ज मिले, हमने इसके लिए कदम उठाए हैं और साथ ही सरकार साख सीमा बढ़ाकर उनको फसल का उचित मूल्य देने के लिए कोशिस कर रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से मैं इसे करने की अनुमति नहीं दूंगा। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। मैं अपनी टिप्पणी बाद में करूंगा।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: सरकार ने किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण को भी 30 प्रतिशत ज्यादा कर दिया है और दसवीं पंचवर्षीय योजना में दोगुना किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अति महत्वपूर्ण विषय है। कृपया बीच में व्यवधान मत डालिए। मैं बहुत से माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। कृपया सदन का समय बर्बाद न करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण को पिछले तीन वर्ष की तुलना में आगामी दो वर्षों में दोगुना किया जाएगा। उसी तरह बागवानी के लिए जल प्रबंधन को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसका उचित तथा लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के उत्पाद को मंडियों में सीधे बेचने की व्यवस्था की जाएगी और विभिन्न बागवानी उत्पादों के अंतर्गत उसकी सहायता की जाएगी।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं। कृपया सूचना जारी करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, अगर सदस्य प्रश्न करता है और मंत्री जी उसका सही उत्तर नहीं देते हैं तो आपको सदस्य को संरक्षण देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछने का कष्ट उठाया है। श्री निखिल कुमार चौधरी का नाम इसमें शामिल है। कृपया उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। उनका नाम यहां है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री निखिल कुमार चौधरी का प्रश्न कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: हम एक प्रक्रिया का अनुपालन करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने कहा कि मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार चौधरी, कृपया विषय-आधारित प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार चौधरी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर 25 जिंसों के समर्थन मूल्य की सूची दी गयी है। गेहूं और धान की खरीद की बात तो हम समझते हैं लेकिन उन जिंसों की बात बताएं जिनका समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिलता है या यहां पर सूची में तो दे दिया गया है लेकिन उन जिंसों की खरीद सरकार नहीं करती है। इनकी खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए अभिजीत सेन कमेटी बनी थी। धान और गेहूं की फसलों को छोड़कर बाकी जिंसों का समर्थन मूल्य भी मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि छोटी फसलों के लिए और खासकर सूखे और बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है जिनसे इन किसानों को राहत प्राप्त हो सके। मेरे क्षेत्र में केला और मक्का की खेती होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मक्का की कोई खरीद सरकार द्वारा नहीं हो रही है। उसी तरह से यहां जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जहां बाजरा और मूंगफली होती है वहां पर भी सरकार द्वारा खरीदारी नहीं हो रही है और किसानों को समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि हम कृषि विभाग की अनुदानों की मांगों पर पूर्ण वाद-विवाद करेंगे।

श्री शरद पवार: महोदय, 25 वस्तुओं का चयन किया गया है और सरकार द्वारा सी ए सी पी के माध्यम से मूल्यों का निर्धारण किया गया है। बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके मूल्यों का निर्धारण नहीं किया गया है। जब भी हमें संबद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होता है, तब भारत सरकार राज्य सरकार की सहायता

से खरीद के लिए संयुक्त रूप से बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेने को तैयार हैं। कई वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रतिबन्धित हैं किन्तु राज्यों में उत्पादित की जा रही हैं। कई राज्यों में गेहूं और चावल उगाए जाते हैं किन्तु कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उत्पादन कतिपय राज्यों में ही होता है। जब तक संबद्ध राज्यों से, जो लागत में भागीदारी करने को भी तैयार हों, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता भारत सरकार निर्णय नहीं लेती। किन्तु हम निर्णय लेने को तत्पर हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। इन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी क्राप्स इंश्योरेंस के बारे में बताया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्राप्स इंश्योरेंस देने के लिए प्राइमरी क्राप पर जो अभी फिक्सेशन होता है जिससे पूरे देश में किसानों को नुकसान हो रहा है। पिछले दो सालों में अकाल के कारण किसान को बहुत नुकसान हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नीति के बारे में पुनर्विचार करने के लिए सरकार के पास क्या कोई सोच है?

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और पूरे देश में जो जिन्स पैदा होते हैं, उनकी उत्पाद के लागत के आधार पर तय किया जाता है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार हेगड़े: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का यह उत्तर नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार हेगड़े, यदि आप उत्तर जानते हैं, तो आपने प्रश्न क्यों पूछा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने प्रश्न पूछा है और वह उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं *...(व्यवधान)* वैसी फसलों के लिए मूल्य समर्थन की बात होती है। अभी मंत्री जी ने कहा है कि समर्थन मूल्य तय होता है *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदय, मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: फसल बीमा की दो योजनाएं हैं। एक योजना गत वर्ष शुरू की गयी। सामान्यत: समाज के विभिन्न वर्ग की और सदन में यह प्रतिक्रिया रही है कि किसान फसल बीमा योजना से पूर्णत: प्रसन्न नहीं हैं। और इसी कारणवश पिछली सरकार ने गत वर्ष एक निर्णय लिया और एक नयी योजना शुरू की। यह नई योजना का प्रथम वर्ष है। हमने एक वर्ष प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है तब इसके ब्यौरे पर गौर करेंगे।

मैं पूर्णत: सहमत हूं कि फसल बीमा योजना में सुधार की अपार संभावनाएं हैं और हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, माननीय मंत्री ने सूची दी है, किन्तु अन्य उत्पादों की तरह उसमें सुपारी शामिल नहीं है। जहां तक केरल का प्रश्न है, सुपारी उत्पादन करने वाले किसान पर अत्यन्त गंभीर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। गत वर्ष सुपारी की कीमत 70 रु. प्रति किलो से गिर कर 54 रु. प्रति किलो हो गयी थी। इसके परिणामत: प्रतिवर्ष पांच या छह किसानों ने आत्महत्या की थी। अत: क्या सरकार सुपारी की उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाली सूची में शामिल कर पाएगी?

श्री शरद पवार: यदि किसी विशेष फसल की पैदावार केवल एक खास राज्य में ही होती है तो हम अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं या निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि संबद्ध सरकार प्रस्ताव देने को तैयार है तो बाजार में हस्तक्षेप करने की योजना शुरू की जाएगी और उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष जी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो आइटम्स प्रोक्योर की जाती है और बहुत खर्चा होता है, फिर वहां लोगों को बांटी जाती है। अध्यक्ष जी, लेह में भी सरप्लस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है। लद्दाख में एक साल में एक ही फसल ज्यादा होती है और सरकार द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाता है, उसके आधार पर सप्लाई करने में कृषकों को प्रोफिटेबल नहीं होता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इतना खर्च करके ट्रांसपोर्टेशन में वहां सामान भेजा जाता है, उसके बजाए अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वहां के कृषकों को स्वीकार हो, फिक्स करके, वहीं से प्रोक्योर कर सप्लाई किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करने का विचार रखती है?

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, क्षेत्रीय प्रकृति की कोई विशेष फसल होती है, तो उसका सपोर्ट प्राइस तय नहीं होता है। इस संबंध में अगर राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजती है, तो केन्द्र सरकार उसमें एम आई एस स्कीम के अंतर्गत मदद करती है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, आरंभ में, यह ध्यातव्य है कि संभवतः पहली बार कृषि और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण -- दो मंत्रालय इकट्ठा किए गए हैं और जिससे हम यह प्रश्न पूछ पा रहे हैं। लिखित उत्तर के भाग 'ग' के अनुसार, कृषकों के उत्पाद हेतु उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बाजार समर्थन' मुख्य बातों में से एक है जिसे इस सरकार ने उपलब्ध कराया है।

मेरा प्रश्न दो भागों में है। पहला, उड़ीसा और अन्य राज्यों में भी धान और गेहूं के लिए यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जा रहे हैं किन्तु किसानों को ये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम केवल सीमित रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। राज्य सरकारों के अनुरोध के बावजूद, भारतीय खाद्य निगम भली प्रकार कार्य नहीं कर रहा है और सीमांत तथा गरीब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहा है। अतः सरकार का खरीद सुविधा को विशेषतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा और अन्य सरकारी माध्यमों द्वारा भी बढ़ाने के बारे में क्या विचार है?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या सरकार फसल तैयार होने के कम से कम दो माह पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने पर विचार कर रही है।

श्री शरद पवार: यदि उड़ीसा सरकार चावल की खरीद के लिए प्रस्ताव भेजती है तो भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और उड़ीसा सरकार को मौका देंगे। दो माह पूर्व मूल्यों की घोषणा के संबंध में, ऐसा पहले से ही होता है और आगे हम उचित निर्णय लेंगे।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: सदन को कर्नाटक की स्थिति की जानकारी होगी जहां 400 से अधिक किसानों ने गत तीन वर्षों में आत्महत्या की है। कर्नाटक में हम गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जहां अंगूर, टमाटर, आलू इत्यादि जैसे नष्ट होने वाली खास फसलों को उगाने वाले किसान मुसीबत में फंस गए हैं। क्या उन्हें समर्थन मूल्य देकर और उन वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए कुछ देकर उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना है? मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी।

श्री शरद पवार: जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया वे उस 'वस्तु सूची' में नहीं आती जिनके लिए हम समर्थन देते हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना इन वस्तुओं पर लागू होती है। यदि सरकार प्रस्ताव देने को तैयार है तो निश्चय ही हम इसका समर्थन करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सरकार को मनाइए।

डा. एम. जगन्नाथ: माननीय मंत्री द्वारा सभापटल पर रखे गए वक्तव्य के अनुसार 25 कृषि संबंधी वस्तुएं हैं। मिर्च एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में उगायी जाती है। अलाभकारी मूल्यों के कारण किसान उन्हें लम्बे समय तक शीतगृहों में रखने के लिए बाध्य हैं और इस कारण ये वस्तुएं अपना रंग खो रही हैं और किसानों को घाटा हो रहा है। वे लाभकारी कीमतें नहीं पा रहे हैं और वे आत्महत्या करने के भी बाध्य हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार को मिर्ची को न्यूनतम समर्थन मूल्य दी जाने वाली कृषि वस्तुओं की सूची में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री राज्य सरकार से प्रस्ताव चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: यह संभव नहीं है क्योंकि ये सामान्य फसलें हैं। यदि राज्य सरकार अनुरोध करती है तो इस बारे में सोचा जा सकता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में प्रश्न करूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आज विशेष मामले के रूप में अधिक सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। हमने अब तक दूसरा प्रश्न पूरा नहीं किया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसकी अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 40 फीसदी फसल को राज्यों और बाजार के भरोसे छोड़ दिया। इनमें खासतौर से आलू, प्याज, टमाटर और केला हिन्दुस्तान के अधिकांश हिस्सों में पैदा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन चार खेतिहर

जिन्सों के भाव, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल निर्धारित करने का काम करे। ऐसा करने और न करने में भारत सरकार को परेशानी क्या है?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम पिछले 30 साल से चालू है। माननीय सदस्य ने जिन आइटम्स का उल्लेख किया, इनका इनक्लूजन इसमें नहीं हुआ। इस बारे में सोचा भी गया लेकिन उसे अमल करना आसान नहीं है क्योंकि ये पैरिशेबल आइटम्स हैं। इसलिए उनको दूर रखा गया। यदि इसमें स्टेट गवर्नमैंट सहयोग देने के लिए तैयार रहे तो आलू या केला पैदा करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए हम सहयोग देने को तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, हम अब अन्तिम पूरक प्रश्न लेंगे। श्री जनार्दन रेड्डी।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेकर आयी है जिसमें आखिरी-किन्तु महत्वपूर्ण-फसल बीमा है। माननीय मंत्री भली-भांति जानते हैं कि फसल बीमा को अभी स्वरूप लेना है। अब ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाए हैं। जब पिछली सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था तब इसने घोषणा की कि फसल नमूना लेने के लिए गांव एक इकाई होगा। इसका क्रियान्वयन वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं?

यह भी कहा गया था कि छोटे और सीमान्त किसानों का प्रीमियम 50:50 आधार पर राज्य और केन्द्र द्वारा दिया जाएगा। यह पूर्णतः व्यवहार्य नहीं है। इस पर सरकार की सोच क्या है?

अभी मंत्री महोदय ने सहृदयता से बताया कि एक नयी फसल बीमा योजना है। यह मौसम की स्थिति पर आधारित है अथवा फसल की?

श्री शरद पवार: नयी फसल बीमा योजना को पिछली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हमें इसके परिणाम देखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। हम इस वर्ष इस नयी योजना का परिणाम देखने जा रहे हैं और तब हम उचित निर्णय लेंगे।

इस प्रश्न पर कि किसान को या गांव को इकाई होना चाहिए, किसानों की सामान्यः मांग है कि गांव नहीं बल्कि किसान को इकाई माना जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। मैं आज के दिन को एक अपवाद मान रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमने पहले ही इस पर 35 मिनट बिता दिए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इस पर मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में और सीधा प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सी.सी.ए.पी. द्वारा देश के अंदर जो समर्थन मूल्य तय किया जाता है, उसके आधार पर कुछ राज्यों में समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं हो पाती है। जब कि कुछ राज्यों में, जहां मंडी है जैसे पंजाब, हरियाणा में समर्थन मूल्य मिल जाता है। क्या सरकार समर्थन मूल्य का लक्ष्य उपज को बनाये जाने पर विचार करेगी?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत ही इसका मेन क्राइटीरिया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना

+
***83. श्री प्रदीप गांधी:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करती है। वैसे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहनात्मक उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते योजना स्कीमें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं।

खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता की दर सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा सिविल कार्यों का 25% और अधिकतम 50 लाख रु. तथा दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना की लागत 33.33% और अधिकतम 75 लाख रु. है। खाद्य पार्कों संबंधी अन्य प्रमुख स्कीम में विशिष्ट सामान्य सुविधाओं के लिए क्रमशः दोनों क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और 33.33% की दर पर 4.00 करोड़ रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय सहायता निजी उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास संगठनों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को अनुदान के रूप में देय है।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी: अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सरकार ने कहा है- 'चलो गांव की ओर'। मैंने प्रश्न में कहा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के उद्योग लगाने के लिये सरकार विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत जो 25 एकड़ जमीन देगा, वह ग्रामीण क्षेत्र में फूड पार्क स्थापित कर पायेगा। मेरा प्रश्न यह है कि इस तरह के फूड पार्क बनाये जाने के लिये इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिये सरकार किस तरह का प्रोत्साहन देने के लिये तैयार है और अभी तक देश में किन-किन राज्यों में कितने फूड पार्कों को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है और उसके बाद जिस समय सीमा के अंदर यह कार्य पूर्ण होना था, क्या वह कार्य अभी तक पूर्ण हुआ या नहीं?

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाता है। मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि इस प्रकार के उद्योग मंत्रालय नहीं लगता है बल्कि वह ऐसे उद्योग लगाने में आर्थिक सहयोग देता है और लोगों को जानकारी देता है। अभी तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 45 फूड पार्क लगे हैं। इन पार्कों के लिए सरकार की ओर से 4 करोड़ रुपये की ग्रांट मिलती है। इस वर्ष के बजट में इस मंत्रालय को और खासकर इस इंडस्ट्री को जो लिफ्ट मिला है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके आधार पर व्यापक तौर पर देश में किसान की उपज के अनुरूप ऐसे उद्योग लगाए जाएं एवं इसका हिस्सा कैसे बने जिससे किसान को फायदा हो और उसकी उपज का पूरा उपयोग हो और वैलेयू एडेड होकर उसे एक नया मार्किट मिले। यह सही है कि अभी इस मामले में बहुत अधिक कुछ नहीं हुआ है लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे कामन मिनिमम प्रोग्राम और इस बजट में जो दृष्टि दिखाई है कि 'चलो गांव की ओर' तो निश्चित तौर पर उस उद्देश्य एवं की ओर लक्ष्य तक पहुंचेंगे।

श्री प्रदीप गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि जो 45 फूड पार्क स्वीकृत हुए, क्या 45 का इन्फ्रास्ट्रक्चर केवल शहरी क्षेत्रों में हुआ या वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया? यदि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गया तो इनका नारा सफल कैसे होगा? क्या वह केवल कागजों पर ही रहेगा?

श्री सुबोध कांत सहाय: जैसाकि मैंने बताया कि 45 में से सात प्राइवेट सैक्टर और एन.जी.ओ. के मार्फत से हैं। उसके बाद 33 के करीब स्टेट गवर्नमैंट से है। स्टेट गवर्नमैंट के कोलैबोरेशन में जहां लोकेशन मिलती है वहां होता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि फूड पार्क एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है, लेकिन प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज जो उस इलाके की होने वाली फसल है या फल-सब्जियां हैं, उसके आधार पर कोई करना चाहें तो उसके लिए भी इस मंत्रालय से 50 लाख रुपये या 25 प्रतिशत तक उसको यहां से ग्रांट मिलती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसका प्रपोजल लाया जाए और सरकार बजट के अनुरूप इसे पूरा कराएगी। यह काम मास स्केल पर कराया जाए। ऐसी मंशा है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रदीप गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक लाइन का सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने के लिए विशेष रूप से कुछ प्रावधान और करें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रवाह नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप उनके सुझाव की प्रशंसा करें।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय: मैं स्टेट टास्क फोर्स बना रहा हूं और ग्रामीण क्षेत्रों को दृष्टि में रखकर उस पर विशेष ध्यान दूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी के नाथन क्षेत्र के अधिकांश किसान काफी मात्रा में आम का उत्पादन करते हैं जिन्हें देश के लगभग सारे हिस्सों में भेजा जाता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार का विचार वहां पर एक वृहत जूस विनिर्माण खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने का है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री पहले ही यह कह चुके हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी नए एंटरप्रैन्योर्स आते हैं, उनका जो प्रपोजल होता है, वह स्टेट गवर्नमैंट से रेकमंड होकर आता है जो नोडल एजेन्सी है। उसके बाद इस मंत्रालय का काम है कि उनके लिए कैटेलिटिक एजेन्ट बनकर उनको मदद पहुंचाएं, चाहे वह ग्रांट के रूप में हो या और दूसरे सहयोग के तौर पर हो। हम इसको व्यापक कर रहे हैं। एक विशेष टार्गेट के तौर पर यह हमारे और मंत्रालय के दृष्टिकोण में भी यह है।

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ।

श्री अधीर चौधरी:*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, स्पष्ट रूप से सदन से माफी मांगनी चाहिए। *...(व्यवधान)* इन्होंने जो टिप्पणी की है, वे सदन से उसके लिए माफी मांगें। यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। मैंने पहले ही उस टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, कृपया आप उन्हें उस टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए कहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक्सपोज करने से क्या होता है, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, वे मेरे अच्छे मित्र हैं *...(व्यवधान)* मैंने छोटा सा मजाक किया था *...(व्यवधान)* मेरा इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है। इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस टिप्पणी को वापस ले लिया है। यह अच्छा ही हुआ है।

अब, योगी आदित्यनाथ, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय, यह उनकी गलती नहीं, उनके संस्कारों की गलती है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पर आइए। ज्यादा समय नहीं है।

योगी आदित्यनाथ: परंपरा में जो ज्ञान जैसे प्राप्त होगा उसकी अभिव्यक्ति उसी प्रकार से होगी। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, सभी सम्माननीय सदस्य* हैं। सभी सम्माननीय सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको योगी आदित्यनाथ कहकर पुकारा। आप बोलिये।

मध्याह्न 12.00 बजे

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि जिन संस्थाओं द्वारा या प्रदेश सरकारों द्वारा फूड पार्क बनाने की स्कीमें मंत्रालय के पास भेजी गई हैं, वहां भारत सरकार सहयोग कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा एक फूड पार्क का प्रस्ताव तैयार कर के भेजा गया था, उस पर मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है और कब तक उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गोरखपुर के विषय में प्रश्न पूछा है। मैं इस समय खासकर के गोरखपुर के बारे में इस समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना अवश्य बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से जितने भी प्रपोजल आए हैं उन्हें हम एक्सपीडाइट करा रहे हैं। विशेष रूप से जो पूर्वान्चल का इलाका है, वह हरा-भरा इलाका है, यह हमारी जानकारी में है। अगर किसी कारण से कोई प्रपोजल रुकता है, तो उसका मूल कारण प्रदेश सरकार से आए प्रस्ताव में कमी का होना है, अन्यथा रुकने का कोई कारण नहीं है। ऐसी सारी योजनाओं को जिनमें किसी प्रकार की कमी है, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जल की कमी

***84. श्री सुरेश चन्देल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सिंचाई हेतु जल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत अनेक वर्षों से पूरे देश में विभिन्न तालाबों, नहरों और नदियों से गाद नहीं निकाली गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई समयबद्ध योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक तैयार और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) देश में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता (सतही और पुनर्भरणीय भूजल) 1869 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) के रूप में आंकी गई है जिसमें से लगभग 1122 बीसीएम (690 बीसीएम सतही जल से और 432 भूजल से) विविध मांगों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान उपयोग 605 बीसीएम होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से लगभग 83% का उपयोग सिंचाई प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनेक परियोजनाएं निष्पादन, विकास अथवा आयोजना के अंतर्गत हैं। जहां तक ऐसे क्षेत्रों का संबंध है जहां सिंचाई परियोजनाएं हैं वहां कुल मिलाकर जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। तथापि, वर्षा में स्थानिक असमानता और अस्थाई उतार-चढ़ाव होता है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर जल की कमी की स्थिति हो जाती है। देश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता भी घट रही है। देश में बारहमासी जल की कमी वाले क्षेत्र हैं जिन्हें सूखाप्रवण क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इन सूखा प्रवण क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तालाबों, नहरों, नदियों इत्यादि की गाद हटाने सहित प्रचालन और रखरखाव भी संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

सारे देश में तालाबों और वाटर टैंकों इत्यादि के रूप में अनेक पारंपरिक जल संचयन संरचनाएं हैं जो कि मुख्यत: गाद जमा होने के कारण उपयोग में नहीं हैं। सरकार ने इन जल निकायों की गाद हटाने की आवश्यकता के महत्व को स्वीकार किया है तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी इन जल निकायों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है तथा चालू वर्ष के लिए वित्त मंत्री द्वारा एक प्रायोगिक स्कीम के रूप में इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की गई है।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग के अध्ययन के अनुसार सूखा प्रवण क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/जिले	सूखें से प्रभावित तालुकों की संख्या	सूखे से प्रभावित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1.	आंध्र प्रदेश	19	32839.51
2.	गुजरात	103	106818.40
3.	हरियाणा	8	8338.50
4.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2407.60
5.	कर्नाटक	42	57645.54
6.	मध्य प्रदेश	26	37307.93
7.	महाराष्ट्र	45	57664.70
8.	उड़ीसा	1	2002.07
9.	राजस्थान	57	194203.27
10.	तमिलनाडु	8	7451.66
11.	उत्तर प्रदेश	4	4609.40

वन्य जीवों की मौत

***85. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शेर/एशियाई शेर, बाघ, बाघिन, भालू, गैंडे, हाथी और पक्षियों जैसे वन्य जीवों के नवीनतम रिकार्ड के अनुसार राज्यवार/अभ्यारण्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनकी संख्या में कितनी वृद्धि/कमी दर्ज की गई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक बड़ी संख्या में वन्यजीव मारे गए हैं अथवा मर गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके श्रेणीवार, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान/अभ्यारण्य/रिजर्व-वार कारण क्या हैं;

(ङ) यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम हैं और सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीवों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के संदर्भ में गणना का अनुमान किया जाता है। पिछले अनुमान की तुलना में अनुमानित गणना और वृद्धि और कमी की सीमा का, राज्य-वार अद्यतन रिकार्ड संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वन्य जीवों और पक्षियों की मौत प्राकृतिक व मानव प्रेरित तत्वों के कारण होती है। प्राकृतिक कारकों जैसे वृद्धावस्था, निकट की लड़ाई, महामारी का प्रकोप इत्यादि के कारण वन्य जीवों की मौत की मानीटरी करना संभव नहीं है। मानव प्रेरित कारकों जैसे अवैध शिकार के कारण वन्य जीवों की मौत का उपलब्ध राज्य-वार आंकड़ा संलग्न विवरण-II में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान एशियाई शेरों, बाघों, भालुओं, गैंडों, हाथियों और पक्षियों की आज तक हुई मौतों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	वर्ष	बाघ	शेर	भालू	हाथी	गैंडा	पक्षी	कुल
1.	2001-02	शून्य	2	शून्य	1	2	18	23
2.	2002-03	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	9	11
3.	2003-04	शून्य	2	1	शून्य	शून्य	16	19

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में मर्त्यता का मुख्य कारण वृद्धावस्था, निकट की लड़ाई और आंत्रशोथ, फेफड़ों का संक्रमण और रेबीज है।

(ङ) और (च) अवैध शिकार के मामलों में जांच, अन्वेषण और अपराधियों पर मुकदमा चलाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, पशुओं और पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण-III में है।

विवरण I

महत्वपूर्ण वन्य जीवों की संख्या की गणना का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ		तेंदुआ		एशियाई शेर		हाथी*		गैंडा		संगई		जंगली गधा	
		1997	2001-02	1997	2001-02	1995	2001	1997	2002	1993	1998/99	1996	1997	1999	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	171	192	138	505	शून्य	शून्य	57	74	शून्य	शून्य	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	**	**	98	एनआर	शून्य	शून्य	1800	1607	शून्य	शून्य	—	—	—	—
3.	असम	458	354	246	248	शून्य	शून्य	5312	5246	1440	1684	—	—	—	—
4.	बिहार/झारखंड	103	110	203	164	शून्य	शून्य	618	772	शून्य	शून्य	—	—	—	—
5.	गोवा/दमन एवं दीव	6	5	25	41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	0	832	999	304	327	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	2839	3863
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	25	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	821	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	एनआर	7	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	शून्य	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	350	401	620	एनआर	शून्य	शून्य	6088	5838	शून्य	शून्य	—	—	—	—
11.	केरल	73	71	16	एनआर	शून्य	शून्य	3600	3850	शून्य	शून्य	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	927	937	1851	2206	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	257	238	431	513	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	एनआर	एनआर	शून्य	शून्य	30	12	शून्य	शून्य	143	147	—	—
15.	मेघालय	**	**	एनआर	एनआर	शून्य	शून्य	1840	1868	शून्य	शून्य	—	—	—	—
16.	मिजोरम	12	28	28	एनआर	शून्य	शून्य	22	33	शून्य	शून्य	—	—	—	—
17.	नागालैंड	**	**	एनआर	42	शून्य	शून्य	158	145	शून्य	शून्य	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	194	173	422	457	शून्य	शून्य	1800	1841	शून्य	शून्य	—	—	—	—
19.	राजस्थान	58	58	474	481	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
20.	सिक्किम	**	**	एनआर	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	62	60	110	41	शून्य	शून्य	2971	3052	शून्य	शून्य	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	18	एनआर	शून्य	शून्य	70	40	शून्य	शून्य	—	—	—	—
23.	उ.प्र./उत्तरांचल	475	535	1412	2168	शून्य	शून्य	1200	1867	12	13	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	पश्चिम बंगाल	361	349	108	331	शून्य	शून्य	276	328	44	120	—	—	—	—
25.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	15	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
26.	अंडमान एवं निकोबार	—	—	—	एनआर	शून्य	शून्य	35	40	शून्य	शून्य	—	—	—	—
	कुल	3508	3511	7893	8203	304	327	25877	26413	1496	1817	143	147	2839	3863

*हाथी परियोजना की विषय निर्वाचन कमेटी द्वारा दिसम्बर, 2003 को हुई इसकी बैठक में हाथी की संख्या ली गई है।

**विद्रोह आदि की वजह से सर्वेक्षण पूर्ण नहीं किया जा सकता।

एन.आर.–प्राप्त नहीं हुआ।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बाघ	शेर	हाथी	तेंदुआ	गैंडा	पीफोल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2001	1	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	1	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल	1			1		
2.	अरुणाचल प्रदेश	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल			0			
3.	असम	2001	—	—	—	—	10	—
		2002	—	—	—	—	5	—
		2003	—	—	1	—	6	—
		2004	—	—	—	—	1	—
		कुल	0		1	0	22	
4.	बिहार	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	दिल्ली	2001	—	—	—	6	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल				6		
6.	छत्तीसगढ़	2001	—	—	—	—	—	1
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल						1
7.	गोवा	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल				0		
8.	गुजरात	2001	—	2	—	—	—	6
		2002	—	—	—	—	—	5
		2003	—	1	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल		3		0		11
9.	हिमाचल प्रदेश	2001	—	—	—	7	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल				7		
10.	झारखंड	2001	—	—	2	—	—	—
		2002	—	—	1	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	कर्नाटक	2001	—	—	12	—	—	—
		2002	—	—	3	—	—	—
		2003	—	—	5	—	—	—
		2004	—	—	6	—	—	—
		कुल			26			
12.	केरल	2001	3	—	5	—	—	—
		2002	—	—	5	—	—	—
		2003	—	—	2	—	—	—
		2004	—	—	3	—	—	—
		कुल	3		15			
13.	मध्य प्रदेश	2001	4	—	—	2	—	6
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	1	—	—	—	—	—
		कुल	5			2		6
14.	महाराष्ट्र	2001	17	—	—	6	—	3
		2002	3	—	—	1	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल	20			7		3
15.	मेघालय	2001	—	—	2	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मिजोरम	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	1	—	—	—
		2003	—	—	2	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल			3			
17.	उड़ीसा	2001	—	—	7	—	—	—
		2002	—	—	2	—	—	—
		2003	—	—	6	—	—	—
		2004	—	—	7	—	—	—
		कुल	0		22			
18.	पंजाब	2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल				0		
19.	राजस्थान	2001	—	—	—	2	—	—
		2002	1	—	—	2	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल	1			4		
20.	तमिलनाडु	2001	—	—	5	26	—	3
		2002	—	—	3	1	—	—
		2003	—	—	5	—	—	—
		2004	—	—	1	—	—	—
		कुल	0		14	27		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	उत्तर प्रदेश	2001	20	—	1	28	—	2
		2002	1	—	—	—	—	1
		2003	—	—	1	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल	21	—	2	28	—	3
22.	उत्तरांचल	2001	—	—	2	6	—	—
		2002	—	—	—	4	—	—
		2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		कुल			2	10		
23.	पश्चिम बंगाल	2001	2	—	7	3	1	—
		2002	—	—	—	1	—	—
		2003	—	—	3	—	—	—
		2004	—	—	2	—	—	—
		कुल	2		12	4	1	
	समस्त योग		53	3	102	96	23	27

विवरण III

वन्यजीव की सुरक्षा व संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध वन्य जीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में वन्यजीवों की कई दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को शामिल करके, एततद्वारा सुरक्षा की उच्चतम श्रेणी प्रदान की गई है।

(3) वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है और अधिक कठोर बनाया गया है। अपराधों के मामले में दंड बढ़ाया गया है। अधिनियम में, किसी भी वन्य जीव अपराध में प्रयोग में लाये गये उपस्कर, वाहन और हथियार को कब्जे में लेने का भी प्रावधान है।

(4) वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अंतर्गत, वन्य जीव अपराधियों को पकड़ने व उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) को सशक्त बनाया गया है।

(5) भारत सरकार ने वन्य जीवों और उनसे बने उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए देश में प्रमुख निर्यात व व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षा के लिए क्षेत्रीय व उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(6) राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के तहत वन्य जीवों को

प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि कराने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(7) जनवरी 2002 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा एक राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002-16 अंगीकृत की गई थी। योजना में देश में वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्यनीति रेखांकित की गई है।

(8) भारत सरकार, वन्य वनस्पति जात और प्राणी जात के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और जैवविविधता संरक्षण से संबंधित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में हस्ताक्षरकर्त्ता है।

[अनुवाद]

रोजगार सृजन में गिरावट

***86. श्री विजय कृष्णः**
श्रीमती निवेदिता मानेः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में वर्ष 2000 से रोजगार सृजन में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा दसवीं योजना अवधि के दौरान रोजगार सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रमबल सर्वेक्षणों के माध्यम से देश में रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर देश में अनुमानित रोजगार जो कि वर्ष 1993-94 में लगभग 37.4 करोड़ था, वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 39.7 करोड़ हो गया। वर्ष 2000 से अब तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) दसवीं योजनावधि के दौरान, 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसर सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से तथा शेष 2 करोड़ कृषि, सिंचाई, कृषि-वानिकी, लघु एवं मझोले उद्यमों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा अन्य सेवाओं पर विशेष बल देने वाली विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। 10वीं योजना में अब तक की उपलब्धियों के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2004-2005 में किए जाने वाले पंचवर्षीय सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

वृक्षों की अवैध कटाई

***87. डा. रामकृष्ण कुसमरियाः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पर्यावरण दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक भागों में वृक्षों की अवैध कटाई धड़ाधड़ हो रही है जिससे न केवल पशुओं बल्कि मनुष्य के लिए भी प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई निरोधात्मक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) आमतौर पर वायु, जल और ध्वनि की पर्यावरणीय गुणवत्ता शहरी केन्द्रों या बड़ी औद्योगिक गतिविधियों वाले स्थानों पर प्रभावित हो रही है। तथापि, मानीटरिंग परिणाम दर्शाते हैं कि कई शहरों और कस्बों में परिवेशी वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों से नीचे है। कुछ शहरों/कस्बों में श्वसनीय विविक्त कण पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) मानकों से अधिक है। घरेलू मलजल के सीधे प्रवाह तथा औद्योगिक अपशिष्ट वाले स्थानों पर नदियों में जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

(ख) जी, नहीं। यद्यपि वृक्षों की अवैध कटाई की कुछ घटनाएं होती रहती हैं लेकिन हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दो वर्ष के चक्र के आधार पर प्रकाशित की गई वन स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ मिलाकर देश के वनावरण में हाल के वर्षों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने विद्यमान वन/वृक्ष आवरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए निम्नलिखित कई कदम उठाए हैं:-

1. वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित वानिकी तथा वन्यजीव स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
2. सुरक्षित क्षेत्रों अर्थात् वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, संरक्षण रिजर्वों तथा सामुदायिक रिजर्वों के नेटवर्क का सृजन।
3. संयुक्त वन प्रबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी।
4. कार्य योजना प्रणालियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, के माध्यम से वनों का प्रबंधन।
5. वन विकास एजेंसियों तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत अवक्रमित भूमियों का वनीकरण।
6. सरकारी वन भूमियों से वृक्षों की कटाई केवल राज्य वन विभागों/वन विकास निगमों की एजेन्सी के माध्यम से किया जाना।
7. अवैध कटाई करने वाले अपराधियों के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई किया जाना।

खेलों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

***88. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेलों के विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) खेलों के विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित चार योजनाएं हैं। ये योजनाएं हैं:- (1) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान, (2) खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान; (3) विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान; तथा (4) सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने हेतु अनुदान।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, खेल मैदानों, इंडोर स्टेडियम, आऊटडोर स्टेडियम, तरणताल, जलीय/शीतकालीन खेल अवस्थापना, निशानेबाजी रेंज, स्केटिंग रिंक, वैलोड्रोम, खेल छात्रवास, जिला/राज्य स्तरीय खेल परिसर, खेल उपस्करों की खरीद, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तथा सिंथेटिक हाकी सतह के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता के लिए विचार किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता। व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के आधार पर, अनुमोदित पैटर्न के अनुसार स्वीकार्य सहायता जारी की जाती है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	60.00	2	13.74	1	484.527	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	56.85	4	156.44	6	191.00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	50.00	2	73.50	3	17	2
4.	बिहार	0.00	0	0.00	0	0	0
5.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0	0
6.	गुजरात	3.89	2	0.00	0	0	0
7.	हरियाणा	37.00	2	1.20	1	40.17	2
8.	हिमाचल प्रदेश	45.05	6	6.61	3	100.213	8
9.	जम्मू व कश्मीर	0.409	1	5.02	5	26.823	18
10.	कर्नाटक	31.45	4	82.20	14	58.7	8
11.	केरल	1.66	1	0.124	1	13.018	4
12.	मध्य प्रदेश	58.83	5	62.40	4	152.27	13
13.	महाराष्ट्र	100.00	4	165.00	7	238.437	13
14.	मणिपुर	33.04	3	62.50	5	0	0
15.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	100.11	5
16.	मिजोरम	0.00	0	57.75	11	136.323	21
17.	नागालैंड	107.62	29	194.00	8	962.463	21
18.	उड़ीसा	0.00	0	15.50	2	0.05	1
19.	पंजाब	162.52	11	10.00	1	45.00	1
20.	राजस्थान	0.04	1	10.71	2	25.00	2
21.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0	0
22.	तमिलनाडु	79.05	5	97.011	8	170.369	22
23.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	32.58	2	16.29	1	46.94	3
25.	पश्चिम बंगाल	10.00	1	28.00	2	20.07	15
26.	दिल्ली	2.52	1	0.00	0	0	0
27.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	78.50	4
28.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ शासित क्षेत्र							
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0	0
2.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0	0
3.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0	0
4.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0	0
5.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0	0
6.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0	0
	कुल	872.509	86	1057.995	85	2906.983	182

खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(ग्रामीण स्कूल) (लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	1.12	1	0.375	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.79	4	0.00	0	4.35	4
3.	असम	14.00	19	8.673	14	30.884	41
4.	बिहार	0.93	1	1.716	2	3.295	3
5.	छत्तीसगढ़	2.58	3	6.398	7	1.133	2
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	गोवा	2.02	2	0.85	3	0.00	0
8.	गुजरात	1.10	1	1.549	3	2.981	4
9.	हरियाणा	42.92	50	12.64	24	43..369	59
10.	हिमाचल प्रदेश	33.25	32	9.97	12	5.725	15
11.	जम्मू व कश्मीर	0.90	2	1.00	2	3.178	3

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखण्ड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	कर्नाटक	18.57	19	25.08	29	16.754	26
14.	केरल	4.01	6	2.26	4	0.00	0
15.	मध्य प्रदेश	25.78	36	14.12	24	22.955	29
16.	महाराष्ट्र	16.00	18	35.766	46	51.639	58
17.	मणिपुर	3.21	6	6.30	6	3.262	5
18.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	1.087	1
19.	मिजोरम	0.00	0	0.75	1	0.00	0
20.	नागालैंड	3.25	5	5.125	17	0.00	0
21.	उड़ीसा	15.67	18	27.538	39	44.214	55
22.	पंजाब	8.10	10	4.785	6	2.562	3
23.	राजस्थान	17.78	20	11.71	17	25.198	29
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	तमिलनाडु	77.29	75	15.93	45	7.659	21
26.	त्रिपुरा	1.89	3	0.738	2	0.375	1
27.	उत्तर प्रदेश	14.29	22	21.05	29	39.609	47
28.	उत्तरांचल	0.00	0	8.33	8	11.049	12
29.	पश्चिम बंगाल	38.45	43	88.55	102	77.981	106
संघ शासित क्षेत्र							
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
34.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	343.87	395	310.99	443	399.634	525

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	55.06	17	58.089	16	87.824	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.70	1	0.00	0	0.00	0
3.	असम	1.71	2	3.452	2	26.816	10
4.	बिहार	7.50	1	0.26	1	20.60	4
5.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	गुजरात	2.70	1	8.00	3	18.279	10
7.	हरियाणा	15.49	9	3.02	3	10.313	9
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.167	1	5.85	3
9.	कर्नाटक	99.03	50	50.94	22	39.358	35
10.	केरल	6.77	6	8.27	5	39.80	18
11.	मध्य प्रदेश	16.66	6	1.65	3	10.80	4
12.	महाराष्ट्र	189.12	76	186.81	79	197.534	98
13.	मणिपुर	18.05	4	28.48	2	25.03	3
14.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	10.72	4
15.	नागालैंड	0.00	0	20.40	3	22.50	11
16.	उड़ीसा	40.04	20	58.98	24	83.60	40
17.	पंजाब	14.01	9	28.48	11	52.689	13
18.	राजस्थान	0.14	1	1.10	1	4.20	2
19.	तमिलनाडु	62.11	29	75.66	17	164.815	27
20.	त्रिपुरा	0.137	1	0.00	0	0.00	0
21.	उत्तर प्रदेश	46.01	22	60.24	14	101.564	41
22.	उत्तरांचल	0.00	0	0.00	0	24.60	10

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	पश्चिम बंगाल	16.69	9	44.09	19	79.865	42
24.	दिल्ली@	75.05	4	22.50	1	53.50	2
25.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.07	1	0.00	0	0.00	0
	कुल	669.047	269	660.588	227	1080.257	413

@ए.आई.यू., नई दिल्ली को जारी किया गया अनुदान

सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	100.00	1	0.00	0
2.	हरियाणा	0.00	0	0.00	0	30.00	1
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	144.955	2	0.00	0	0.00	0
7.	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	50.00	1
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	पंजाब	60.00	3	20.672	1	0.00	0
10.	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
12.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	दिल्ली	180.045	4	0.00	0	20.00	1
14.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	100.00	1
	कुल	385	9	120.672	2	200.00	4

[अनुवाद]

हिमालय के पानी का बंटवारा

*89. **श्री सुरेश कुरूपः** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमालय के पानी के बंटवारे से संबंधित अन्तर्राज्यीय समझौतों का ब्यौरा क्या है और इनके कार्यान्वयन में मुख्य बाधाएं क्या हैं;

(ख) क्या हिमालय के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की केन्द्र सरकार से कोई मांग की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) वर्ष 1955 के एक समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों के अधिशेष जल को पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा पेप्सू के बीच बांटा गया था। वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात पंजाब और पेप्सू के हिस्सों को भारत सरकार की मार्च, 1976 की एक अधिसूचना के माध्यम से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच बांटा गया था। बाद में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच दिसम्बर, 1981 में एक समझौता हुआ जिसमें रावी-व्यास के अधिशेष जल को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली के बीच पुनःआबंटित किया गया था। विद्युत मंत्रालय के तहत भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड भागीदार राज्यों के लिए 1981 के समझौते के आधार पर रावी-व्यास जल का आवधिक आबंटन करता है। ओखला तक यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच 12 मई, 1994 को एक समझौता ज्ञापन किया गया। ओखला तक यमुना नदी (जो कि गंगा नदी की एक वितरिका है) में 75 प्रतिशत विश्वसनीय सैद्धान्तिक स्व प्रवाह (डिपेन्डेबल नोशनल वर्जिन फ्लो) 11.70 बीसीएम के रूप में आंका गया है तथा माध्य वर्ष उपलब्धता 13.00 बीसीएम आंकी गई है। उपलब्ध प्रवाहों का लाभग्राही राज्यों के बीच आबंटन समझौते की समग्र सीमाओं के तहत ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र के लिए मात्र यही दो परियोजनाएं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनन्नास का उत्पादन

*90. **श्री पी.सी. थामसः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनन्नास उत्पादक अग्रणी राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल अनन्नास का कितना उत्पादन दर्ज किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा किसानों को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या अनन्नास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) देश में अनन्नास उत्पादक अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, केरल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड हैं। वर्ष 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान अनन्नास के राज्य-वार उत्पादन से संबंधित उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(उत्पादन '000' मी. टन में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
पश्चिम बंगाल	279.50	322.00	340.70
कर्नाटक	275.00	250.00	250.00
असम	216.06	220.00	222.30
केरल	84.59	83.87	73.70
मेघालय	81.70	81.70	82.40
मणिपुर	69.93	72.44	75.58
त्रिपुरा	82.20	82.16	82.60
नागालैंड	12.00	15.00	20.00
कुल	1100.98	1127.17	1147.28

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अनन्नास उत्पादक किसानों को निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सहायता दे रहा है, (1) बृहत् कृषि प्रबंधन से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्य योजना के जरिए राज्यों के प्रयासों को सहायता/समर्थन, (2) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन, (3) जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास, तथा (4) उत्पादन और कटाई-पश्चात् प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

(घ) और (ङ) अनन्नास उत्पादक अग्रणी राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर बिक्री मूल्य को लाभकारी समझा जाये।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

***91. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) पर्यटन क्षेत्र को सुधारने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या स्वास्थ्य पर्यटन विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में बढ़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए भारत में विदेशी पर्यटक आगमन और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा और प्रतिशत बदलाव के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

	2002-03	2003-04*	प्रतिशत बदलाव 2003-04/2002-03
विदेशी पर्यटक आगमन	2.47 मिलियन	2.92 मिलियन	18.2
विदेशी मुद्रा आय (अमेरिकी डालर में)	3029.0 मिलियन	3833.5 मिलियन	26.6

*अनन्तिम

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग भारत सरकार ने देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास, वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्णय जैसी नई योजनाएं शुरू की हैं। देश में वार्षिक आधार पर 6 पर्यटन परिपथों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के विकास के लिए अभिनिर्धारित किया जाता है। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के साथ गहन समन्वय और सहयोग से अंतिम रूप दिया जाता है और इनका विकास किया जाता है। पर्यटन विभाग उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

लोकप्रिय गंतव्य के रूप में भारत को मार्किट करने के उद्देश्य से विभाग ने इलेक्ट्रानिक/प्रिंट और इंटरनेट मीडिया के अवयवों को कवर करते हुए एकीकृत अभियान के माध्यम से ''इनक्रेडिबल इंडिया'' के रूप में भारत को अवस्थित तथा ब्रांड किया है। पर्यटक सूचना ब्रोशरों, पोस्टरों, नामावलियों आदि से विश्वस्तरीय प्रचार सामग्री भी तैयार की गई है।

(घ) और (ङ) निजी क्षेत्र अवसंरचना के विकास और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा की उपलब्धता के कारण, स्वास्थ्य पर्यटन ने आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में सारगर्भित प्रगति की है। केरल ने अपने कोर पर्यटन उत्पाद के रूप में आयुर्वेद का संवर्धन तथा विपणन किया है। अधिकांश निजी रिजार्टों ने एकीकृत घटक के रूप में आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापित किए हैं। कर्नाटक ने अपने अस्पतालों और विशिष्टताओं को प्रदर्शित करते हुए एक विशेष ब्रोशर प्रकाशित किया है। आंध्र प्रदेश भी स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में अपना संवर्धन कर रहा है।

गेहूं और चावल का निर्यात

***92. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में गेहूं और चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा गेहूं और चावल की कुल कितनी मात्रा का निर्यात/आयात किया गया;

(ग) देश में इनके अतिरिक्त भंडार उपलब्ध होने के बावजूद भी इनका आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में अतिरिक्त गेहूं और चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में गेहूं और चावल का उत्पादन निम्नानुसार था:-

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	जोड़
2002-03	65100	72660	137760
2003-04 (अनंतिम)	72740	86350	159090

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश से निर्यात और आयात किए गए गेहूं और चावल का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े हजार टन में)

उत्पाद	2002-03		2003-04 (फरवरी, 2004 तक)	
	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
गेहूं	-	3570.89	-	3609.36
चावल बासमती	-	594.86	-	634.50
चावल गैर-बासमती	0.87	4076.34	0.19	2424.96

अत: इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों का आयात नगण्य रहा है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में अभी निर्णय किया जाना है।

[हिन्दी]

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

*93. **श्री निहाल चन्द:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्यों की सभी चालू/लम्बित सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी राज्यों की वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं किस तिथि से लम्बित पड़ी हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं तथा प्रत्येक परियोजना में कितना अधिक समय और लागत लगेगी;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू परियोजनाओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (च) जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग समय-समय पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों की निर्माणाधीन लंबित सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हैं। केन्द्रीय जल आयोग चुनिन्दा निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की नियमित रूप से मानीटरी करता है।

केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए लंबित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रौद्योगिक अध्ययनों, सिंचाई आयोजना, प्राक्कलन और आर्थिक विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर ध्यान न देने, सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग, राज्य वित्त की सहमति, पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृति का न होना, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति आदि के अभाव के कारण आमतौर से वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब होता है। परियोजना की स्वीकृति, राज्य प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने की तत्परता पर निर्भर करती है।

बहुत सी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल करने से चिंतित होकर केन्द्रीय जल आयोग ने ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई/बहुउद्देश्यीय अनुमोदित परियोजनाओं, जिनमें पर्याप्त प्रगति हुई है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से परे हैं, के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारंभ किया है। त्वरित 'सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) जारी की जाती है और इस सीमा को योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच आयोजित वार्षिक योजना विचार-विमर्श में अंतिम रूप दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 181 वृहद/मध्यम और 3810 सतही लघु

सिंचाई स्कीमों के लिए अब तक 14,670 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

मूल्यांकनाधीन नई परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	वृहद/मध्यय	प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेत्तामपादु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	11/2000	134.30	ए
2.	कालवा कुर्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	11/2000	380.00	ए
3.	ठोतापल्ली बैराज*	आंध्र प्रदेश	वृहद	9/2001	415.87	बी
4.	पुलिनचिंताला सिंचाई परियोजना (चिनाई बांध)	आंध्र प्रदेश	वृहद	7/93	506.20	बी
5.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण-ई आर एम	आंध्र प्रदेश	वृहद	1/96	659.16	बी
6.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	1/96	744.00	बी
7.	श्रीराम सागर चरण-2	आंध्र प्रदेश	वृहद	2	697.70	बी
8.	एस आर एस पी से बाढ़ प्रवाह नहर	आंध्र प्रदेश	वृहद	12/93	1331.00	बी
9.	जुराला (चिनाई बांध)	आंध्र प्रदेश	वृहद	9/80	545.82	बी
10.	वम्सधारा परियोजना चरण-2* (नेरादी बैराज)	आंध्र प्रदेश	वृहद	5/83	275.74 (86-87 एसओआर)	बी
11.	मुसुरमिल्ली जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	मार्च, 2003	167.35	ए
12.	गोल्लावागु जलाशय*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	6/2001	39.58	ए
13.	राल्लीवागु जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	9/2001	26.75	ए
14.	निलवाई जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	9/2001	48.90	ए
15.	मथादिवागु जलाशय परियोजना का मूल्यांकन	आंध्र प्रदेश	मध्यम	05/2002	26.44	ए

1	2	3	4	5	6	
16.	झंझावती परियोजना*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	01/2002	121.0	ए
17.	पेडडागेडडा जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	01/2002	32.117	बी
18.	पेड्डरू जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	9/91	26.23	बी
19.	पालेमवागु (चिनाई बांध)*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	5/88	29.13	बी
20.	वाल्लिगल्लु जलाशय*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	02/2000	143.67	बी
21.	येर्रावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	3/99	31.28	बी
22.	सुद्दावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	3/99	56.48	बी
23.	पेद्दावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	8/99	202.60	बी
24.	सुरमपलेम जलाशय स्कीम (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	10/99	46.70	बी
25.	सुरमपलेम फेज-2*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	7/2000	49.50	बी
26.	भूपतिपलेम (बांध)*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	7/2000	47.23	बी
27.	कादवान जलाशय परियोजना	बिहार	वृहद	5/98	1111.14	ए
28.	ऊपरी महानन्दा सिंचाई स्कीम	बिहार	वृहद	5/2001	124.00	ए
29.	पुनपुन बैराज	बिहार	वृहद	5/2000	102.26	बी
30.	तिलैया धाधर	बिहार	वृहद	1/98	220.11	बी
31.	कीलो सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	वृहद	9/2003	235.00	ए
32.	मोंगरा सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	मध्यम	3/03	83.46	बी
33.	सुतियापत जलाशय परियोजना	छत्तीसगढ़	मध्यम	9/02	40.09	डी
34.	मच्चु-1 का आधुनिकीकरण-ई आर एम	गुजरात	वृहद	2/91	8.12	बी
35.	पश्चिमी यमुना संपर्क चैनल*	हरियाणा	वृहद	12/96	31.26	बी
36.	सतलज यमुना संपर्क नहर	हरियाणा	वृहद	10/93	61.76	बी
37.	खेत पुराली बांध परियोजना* (मिट्टी का बांध)	हरियाणा	मध्यम	12/95	16.92	ए
38.	रेणुका बांध (बहुउद्देश्यीय)	हिमाचल प्रदेश	वृहद	8/97	1224.64	बी

1	2	3	4	5	6	
39.	बाल्ह घाटी बांया तट सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	8/99	41.64	बी
40.	फिना सिंह	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	10/2003	63.00	बी
41.	तावी पंप हाऊस और तावी लिफ्ट नहर-ईआरएम	जम्मू और कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	वृहद	9/2001	13.563	ए
42.	नन्दी नहर का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	5/99	6.61	ए
43.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	04/2000	7.96	ए
44.	लार नहर का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	4/2000	6.63	ए
45.	मावखुल का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	12/97	7.00	ए
46.	मारतण्ड नहर का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	12/97	17.72	ए
47.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	6/99	4.77	ए
48.	कंदी नहर परियोजना	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	4/2002	37.31	ए
49.	दादी नहर का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	6/99	11.10	बी
50.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण-ईआरएम	जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	मध्यम	12/99	21.68	बी
51.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	मध्यम	9/99	15.68	बी
52.	कन्हर जलाशय परियोजना	झारखण्ड	वृहद	11/98	1015.76	ए
53.	उत्तर कोयल जलाशय	झारखण्ड	वृहद	5/99	836.11	ए
54.	ऊपरी सकरी जलाशय	झारखण्ड	वृहद	1/98	437.94	ए
55.	पुनासी जलाशय*	झारखण्ड	वृहद	7/92	221.65	बी
56.	सुवर्ण रेखा (बहुउद्देश्यीय) परियोजना*	झारखण्ड	वृहद	8/89	1428.82	बी

1	2	3	4	5	6	
57.	अजय बैराज/सिक्तिया बैराज	झारखण्ड	वृहद	3/98	248.10	बी
58.	कोनार सिंचाई	झारखण्ड	वृहद	7/99	336.69	बी
59.	सिंगतलुर (हुली गुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	वृहद	7/98	123.00	ए
60.	मारकण्डे	कर्नाटक	वृहद	5/97	209.85	बी
61.	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	कर्नाटक	वृहद	8/85	186.70	बी
62.	ऊपरी तुंगा परियोजना	कर्नाटक	वृहद	2/92	1052.33	बी
63.	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	मध्यम	11/96	9.36	ए
64.	इदमल्यार सिंचाई परियोजना (दोनों तटों पर नहर प्रणाली सहित बैराज, मिट्टी का बांध)	केरल	वृहद	2/92	107.00	बी
65.	अट्टापादी सिंचाई परियोजना- वर्टिकल लिफ्ट टाइप स्पिलवे युक्त चिनाई बांध, दोनों तटों पर नहर प्रणाली	केरल	मध्यम	3/96	110.00	ए
66.	हेलोन सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	1/2000	193.01	ए
67.	पुनासा लिफ्ट सिंचाई	मध्य प्रदेश	वृहद	3/2003	157.00	ए
68.	ऊपरी नर्मदा परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	9/96	345.77	ए
69.	लोवरगोई	मध्य प्रदेश	वृहद	07/2003	164.93	ए
70.	कोलार परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	10/91	139.14	बी
71.	थनवर टैंक (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	12/89	24.38	बी
72.	पेंच डाइवर्जन (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	8/88	184.04	बी
73.	राजघाट नहर	मध्य प्रदेश	वृहद	2/90	309.21	डी
74.	भानपुरा नहर स्कीम	मध्य प्रदेश	मध्यम	12/2002	59.49	ए
75.	हुमान नदी परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	1/2002	423.47	ए
76.	लोवर वर्धा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	11/97	61.99	ए

1	2	3	4	5	6	
77.	लेन्दी सिंचाई परियोजना-महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम (मिट्टी का बांध)*	महाराष्ट्र	वृहद	6/01	275.84	ए
78.	सिना कोलेगांव	महाराष्ट्र	वृहद	3/03	317.77	ए
79.	सुलवाडा-जम्फल-कनोली एल आई एस	महाराष्ट्र	वृहद	11/2003	788.89	ए
80.	संगोला शाखा नहर*	महाराष्ट्र	वृहद	2/86	37.01	ए
81.	तराली	महाराष्ट्र	वृहद	7/02	504.96	बी
82.	वार्ना सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	8/83	337.81	बी
83.	अरुणावती नदी परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	12/87	66.48	बी
84.	पुनाद सिंचाई (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	3/89	29.22	बी
85.	निचली वुन्ना परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	2/89	87.55	बी
86.	तालम्बा सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)*	महाराष्ट्र	वृहद	6/92	289.09	बी
87.	धोम बालकवाडी	महाराष्ट्र	वृहद	7/02	475.29	बी
88.	गुंजानवाणी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	5/98	364.63	सी
89.	भामाआस्खेद	महाराष्ट्र	वृहद	9/01	455.05	सी
90.	नीरा देवघर	महाराष्ट्र	वृहद	7/02	870.04	सी
91.	उरमोदी	महाराष्ट्र	वृहद	7/02	866.59	सी
92.	सुलवादे बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	12/97	88.25	ए
93.	शेलगांव	महाराष्ट्र	मध्यम	3/02	198.06	ए
94.	प्रकाश बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	4/99	93.60	ए
95.	जाम्बरे (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	7/99	50.70	ए
96.	आन्ध्र खोर (चिनाई बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	2/2000	44.37	ए
97.	सपन (मध्यम) (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	9/2000	36.30	ए
98.	सरंगखेदा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	10/2000	132.51	ए

1	2	3	4	5	6	
99.	हरणघाट लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	11/2000	44.11	ए
100.	गुल नदी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	11/2000	55.94	ए
101.	घट प्रभा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	1/01	34.92	ए
102.	कोरादिनल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	3/01	17.32	ए
103.	दादरा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	3/01	32.62	ए
104.	नगन (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	3/01	48.38	ए
105.	नार्थमंड (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	4/01	93.00	ए
106.	वंग (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	4/01	134.39	ए
107.	कमानी टंडा	महाराष्ट्र	मध्यम	7/01	42.22	ए
108.	पिंपलगांव	महाराष्ट्र	मध्यम	2/02	(मूल) 7.39- नवीनतम 42.78	ए
109.	अम्बियोहोल (हिरण्यकेशी)	महाराष्ट्र	मध्यम	6/02	50.65	ए
110.	चन्द्रप्रभा	महाराष्ट्र	मध्यम	7/93	35.30	ए
111.	लोअरपंजारा	महाराष्ट्र	मध्यम	3/01	45.24	ए
112.	शिवान	महाराष्ट्र	मध्यम	11/02	28.89	ए
113.	वादी-शहवादी	महाराष्ट्र	मध्यम	11/02	98.44	ए
114.	अमरावती	महाराष्ट्र	मध्यम	12/02	48.34	ए
115.	जामखेदी	महाराष्ट्र	मध्यम	11/02	31.28	ए
116.	कुदाली	महाराष्ट्र	मध्यम	12/02	262.20	ए
117.	सर्फनल्ला	महाराष्ट्र	मध्यम	12/02	46.56	ए
118.	बघोली बुटी लिफ्ट	महाराष्ट्र	मध्यम	3/03	24.98	ए
119.	पोथरानल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	5/98	63.08	बी
120.	चिल्हेवाडी	महाराष्ट्र	मध्यम	7/02	146.24	बी
121.	वकोड (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	3/2000	34.36	बी
122.	लाल नाला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	9/97	43.61	बी
123.	रायगवां (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	12/93	9.51	बी

1	2	3	4	5	6	
124.	जाम सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	5/94	42.63	बी
125.	कार (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	4/95	44.71	बी
126.	उतवाली (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	11/95	35.77	बी
127.	जनगम हट्टी लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	मध्यम	6/98	4.29	बी
128.	तिपाई मुख बांध परियोजना (बहुउद्देश्यीय) (मिट्टी एवं डाकफिल बांध)	मणिपुर	वृहद	2/95	28.99	बी
129.	जिरी सिंचाई (बैराज)	मणिपुर	मध्यम	10/97	48.68	डी
130.	दिखु बहुउद्देश्यीय परियोजना	नागालैंड	वृहद	4/02	999.7	ए
131.	डि'जुजा सिंचाई परियोजना (बैराज)	नागालैंड	मध्यम	5/98	49.0	बी
132.	तालाडंडा नहर और वितरणी संख्या 12 और इसकी प्रणाली का सुधार-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	8/99	57.06	ए
133.	महानदी डेल्टा चरण-1 और 2 के तहत जल निकास विकास फेज-1-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	2/2000	227.75	ए
134.	उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में जल निकास विकास संबंधी मास्टर योजना	उड़ीसा	वृहद	11/2003	570.77	ए
135.	अपर कोलाब विस्तार परियोजना-ईआरएम*	उड़ीसा	वृहद	9/98	71.66	बी
136.	इब सिंचाई परियोजना दायें और बायें दोनों किनारों पर कंक्रीट स्पिलवे नहरों सहित कम्पोजिट राकफिल बांध	उड़ीसा	वृहद	2/98	11.40	बी
137.	ओंग बांध परियोजना (ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें व बायें दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	वृहद	3/97	304.66	बी

1	2	3	4	5	6	
138.	बुतंग सिंचाई परियोजना (कंक्रीट स्पिलवे सहित मिट्टी का बांध, कुवांरिया जलाशय तक संपर्क नहर, कुवांरिया जलाशय के दायें तट पर मुख्य नहर)	उड़ीसा	वृहद	1/98	227.25	बी
139.	आनंदपुर बैराज परियोजना	उड़ीसा	वृहद	1/2001	482.26	बी
140.	अपर उदंती सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	मध्यम	2/2003	68.37	ए
141.	महेन्द्रतन्या सिंचाई परियोजना (बांध)	उड़ीसा	मध्यम	3/2000	100.98	बी
142.	ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मनजोर मिट्टी का बांध, दायें और बायें तट पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	8/91	37.70	बी
143.	रूकुरा (ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें, और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	5/93	15.15	बी
144.	धौरागोथ (सेन्ट्रल ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें, और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	9/96	16.80	बी
145.	ऊपरी लांथ (सेन्ट्रल ओजी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें तट पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	11/97	48.99	बी
146.	समकोई (बैराज)	उड़ीसा	मध्यम	2/99	43.85	बी
147.	हदुआ/महानदी सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	उड़ीसा	मध्यम	2/2001	61.48	बी
148.	पंजाब सिंचाई व जल निकास परियोजना (फेज-3)*	पंजाब	वृहद	5/98	1149.00	ए
149.	श्री दसमेश सिंचाई परियोजना	पंजाब	वृहद	2/2001	647	ए

1	2	3	4	5	6	
150.	भाखड़ा मुख्य नहर की रेजिंग लाइनिंग -ई आर एम	पंजाब	वृहद	3/02	26.69	ए
151.	सतलज यमुना संपर्क नहर भाग-3 का संशोधित परियोजना अनुमान*	पंजाब	वृहद	6/94	195.44	ए
152.	सतलज यमुना संपर्क मुख्य नहर भाग-1*	पंजाब	वृहद	09/94	601.25	डी
153.	सरहिंद फीडर के तटों/ रेजिंग लाइनिंग-ई आर एम	पंजाब	मध्यम	5/2001	13.7543	ए
154.	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा के चैनलों का सुधार	पंजाब	मध्यम	5/2001	46.00	ए
155.	पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को पक्का करना) रिड्फ निधि के तहत-ई आर एम	पंजाब	मध्यम	2/2000	49.02 (9/99 मूल्य स्तर)	बी
156.	पिपल्दा लिफ्ट सिंचाई	राजस्थान	वृहद	9/96	11.39	ए
157.	इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	राजस्थान	वृहद	12/2003	431.00	ए
158.	भरतपुर जिले में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	7/96	150.00	बी
159.	झुंझुनू और चुरू जिले में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	1/98	273.00	ए
160.	इन्दिरा गांधी नहर चरण-1-ई आर एम*	राजस्थान	वृहद	3/93	121.92	बी
161.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्सरचना परियोजना-ई आर एम*	राजस्थान	वृहद	1/01	745.59	बी
162.	पिपलाद सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	2/93	21.88	ए
163.	चाकन्द सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	9/92	9.55	बी
164.	गरारदा सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	7/95	39.51	बी
165.	कावेरी डेल्टा फेज-1 का आधुनिकीकरण-ई आर एम*	तमिलनाडु	वृहद	8/85	78.80	बी

1	2	3	4	5	6	
166.	इरूकन्गुड्डी जलाशय (मिट्टी का बांध)	तमिलनाडु	मध्यम	2/95	72.00	बी
167.	कन्हर सिंचाई	उत्तर प्रदेश	वृहद	6/99	341.45	ए
168.	कचनोदा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	11/2000	70.45	ए
169.	मौजूदा सारदा नहर प्रणाली पर जल प्रबंधन सुधार-ई आर एम*	उत्तर प्रदेश	वृहद	7/2001	102.41	बी
170.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	वृहद	2/2002	620.80	बी
171.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	4/2002	94.18	बी
172.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना -ईआरएम	उत्तर प्रदेश	वृहद	3/92	65.0	बी
173.	मौदाहा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	3/90	125.16	बी
174.	चित्तौड़गढ़	उत्तर प्रदेश	वृहद	10/93	36.70	बी
175.	बुन्देलखण्ड में चैनलों को पक्का करना-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	5/92	57.37	बी
176.	भूपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	8/97	60.53	बी
177.	उत्तर प्रदेश जल पुनर्सरचना परियोजना*	उत्तर प्रदेश	वृहद	4/2001	663.41 (अनन्तिम)	डी
178.	भौरात व उतराई बांध	उत्तर प्रदेश	मध्यम	9/2001	52.10	ए
179.	किसाऊ बांध (वृहद)	उत्तरांचल	वृहद	7/97	4099.00	सी
180.	कंग्सावती जलाशय का आधुनिकीकरण (फेज-1) -ई आर एम*	पश्चिम बंगाल	वृहद	10/96	471.90	ए

स्थिति:

ए - मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के तहत परियोजना।

बी - जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

सी - जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

डी - निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी गई।

विवरण II

वर्ष 1996-97 से 2003-04 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	869.331
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.500
3.	असम	120.1933
4.	बिहार	425.515
5.	छत्तीसगढ़	265.280
6.	गोवा	130.400
7.	गुजरात	3622.422
8.	हरियाणा	70.235
9.	हिमाचल प्रदेश	66.648
10.	जम्मू और कश्मीर	84.054
11.	झारखण्ड	66.248
12.	कर्नाटक	1954.218
13.	केरल	89.090
14.	मध्य प्रदेश	1505.003
15.	महाराष्ट्र	603.384
16.	मणिपुर	108.750
17.	मेघालय	15.264
18.	मिजोरम	14.916
19.	नागालैंड	23.389
20.	उड़ीसा	898.250
21.	पंजाब	415.470
22.	राजस्थान	1140.394
23.	त्रिपुरा	109.219
24.	तमिलनाडु	20.00
25.	उत्तर प्रदेश	1788.375
26.	उत्तरांचल	50.715
27.	पश्चिम बंगाल	156.710
28.	सिक्किम	5.260
	कुल	14670.233

देश में कृषि अनुसंधान संस्थान

***94. श्री रामजीलाल सुमनः**
श्री नीतीश कुमारः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि देश में कृषि अनुसंधान संस्थानों में किए गए सफल परीक्षणों का लाभ निचले स्तर पर किसानों को मिले;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन पर कितना औसत वार्षिक व्यय किया जा रहा है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों हेतु अद्यतन अनुसंधान परिणामों का उपयोग किया जा रहा है और ऐसी फसलों के राज्य-वार नाम क्या हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) प्रमुख सार्वजनिक विस्तार प्रणाली को राज्य सरकारें चलाती हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों जैसे विस्तार प्रबन्ध, प्रशिक्षण, फार्म सूचना एवं खेतिहर महिला विकास कार्यक्रमों को केन्द्र सरकार सहायता देती है।

प्रभावी अनुसंधान विस्तार सम्पर्क स्थापित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए गए कई अग्रश्रेणी के विस्तार कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

- प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा परिष्करण और किसानों व विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए देश में 411 कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना करना।
- विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय प्रणालियों में 70 केन्द्रों संस्थान-ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के माध्यम से प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण का कार्यान्वयन करना।
- किसानों को प्रौद्योगिकी उत्पाद, नैदानिक सेवाएं तथा प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक ही स्थान पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 44 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों (एटिक) की स्थापना करना।

(ख) 2003-04 के दौरान परिषद के अग्रश्रेणी विस्तार कार्यक्रमों के लिए 9196.52 लाख रु. की राशि जारी की गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन दशकों में, कृषि उत्पादन एवं संरक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित तथा विभिन्न क्षेत्रों, स्थितियों और पद्धतियों के अनुरूप

लगभग 2500 उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न राज्यों में अनाजों तथा खाद्यान्नों जैसे समूहों में प्रमुख फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ा है। प्रमुख राज्यों में इन फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य-वार कुल व्यय

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	38.74
2.	आंध्र प्रदेश	559.17
3.	असम	206.62
4.	अरुणाचल प्रदेश	24.60
5.	बिहार	500.54
6.	छत्तीसगढ़	126.58
7.	दिल्ली	7.36
8.	गोवा	36.79
9.	गुजरात	231.45
10.	हरियाणा	464.53
11.	हिमाचल प्रदेश	463.93
12.	जम्मू एवं कश्मीर	198.72
13.	झारखंड	106.71
14.	कर्नाटक	377.37
15.	केरल	308.84
16.	लक्षद्वीप	18.90
17.	मध्य प्रदेश	643.02
18.	महाराष्ट्र	803.37
19.	मणिपुर	125.00
20.	मेघालय	82.31
21.	मिजोरम	95.70
22.	नागालैंड	77.80
23.	उड़ीसा	509.43
24.	पांडिचेरी	68.13
25.	पंजाब	319.73
26.	राजस्थान	830.33
27.	सिक्किम	32.60
28.	तमिलनाडु	467.28
29.	त्रिपुरा	55.70
30.	उत्तर प्रदेश	1051.87
31.	उत्तरांचल	89.90
32.	पश्चिम बंगाल	273.50
	कुल	9196.52

विवरण II

प्रमुख राज्यों में अनाज और खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि

(उत्पादन: 000 टन)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	अनाज			खाद्यान्न		
	1971-72	2001-02	% वृद्धि	1971-72	2001-02	% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	6911	13701	198	7290	14836	204
असम	1965	3958	201	1996	4024	202

1	2	3	4	5	6	7
बिहार*	8178	13200	161	9067	13858	153
गुजरात	4061	4515	111	4222	4898	116
हरियाणा	3861	13151	340	4545	13301	293
हिमाचल प्रदेश	916	1558	170	945	1572	166
जम्मू एवं कश्मीर	930	1313	141	959	1326	138
कर्नाटक	5598	8015	143	6064	8771	145
मध्य प्रदेश*	9281	15426	166	11634	18869	162
महाराष्ट्र	4310	9307	216	4953	11187	226
पंजाब	7623	24851	326	7928	24887	314
राजस्थान	5017	12559	250	6335	13985	221
तमिलनाडु	6789	8183	121	6943	8472	122
उत्तर प्रदेश*	14778	42503	288	17698	44907	254
पश्चिम बंगाल	7539	16326	217	7856	16501	210
भारत	94074	198843	211	105168	212034	202

*उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित बिहार तथा छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के संबंध में उत्पादन आंकड़े।

[अनुवाद]

बोतलबंद पानी की आपूर्ति हेतु प्रमाणन

***95. श्री किरिप चालिहा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर असम में, कितनी कम्पनियां बोतलबंद पानी की आपूर्ति के कारोबार में लगी हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी कम्पनियां भारतीय मानक संस्थान (आई.एस.आई.) के प्रमाणन के बिना ही यह कारोबार कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जन स्वास्थ्य के मद्देनजर बोतलबंद पानी हेतु मानक में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने अब तक 1122 विनिर्माण यूनिटों को अपने मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस मंजूर किए हैं जिनमें से आठ यूनिटें असम राज्य में हैं।

(ख) से (घ) पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल और पैकबंद पेयजल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 759(अ) तथा सा.का.नि. 760(अ) के जरिए 29 मार्च, 2001 से भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन

स्कीम के तहत लाया गया था। इन अधिसूचनाओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के बिना पैकबंद खनिज जल और पेयजल के विनिर्माण, बिक्री अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अत: जिन विनिर्माताओं के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न लाइसेंस नहीं है उनके द्वारा बोतलबंद पानी की बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अवैध और अप्राधिकृत है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा ऐसे विनिर्माताओं के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन समुचित कार्यवाही करना अपेक्षित होता है।

(घ) और (च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2003 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554(अ) के द्वारा पैकबंद पेयजल में कीटनाशकों के अवशिष्टों के लिए सीमाओं को 1 जनवरी, 2004 से निम्नानुसार पहले ही संशोधित कर दिया है:-

(1)	अलग-अलग पेस्टीसाइड अवशिष्ट	प्रति लीटर 0.0001 मि.ग्राम से अधिक नहीं (विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रमाणित तरीकों से किया जाएगा जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करते हों)।
(2)	कुल पेस्टीसाइड अवशिष्ट	प्रति लीटर 0.0005 मि.ग्राम से अधिक नहीं (विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रमाणित तरीकों से किया जाएगा जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करते हों)।

गिरते जल स्तर के बारे में सर्वेक्षण

***96. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लगातार गिर रहे जल स्तर के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी: पूरे देश में लगभग 15000 राष्ट्रीय निगरानी केन्द्रों के जरिए भूजल स्तर की निगरानी करता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वर्ष 1994-2003 के दौरान किए गए भूजल स्तरों के दीर्घकालीन विश्लेषण से देश के विभिन्न राज्यों के जिलों के कुछ भागों में भूजल स्तरों में 4 मीटर से अधिक की गिरावट का पता चला है। ऐसे राज्यों/जिलों के नाम, जहां पिछले 10 वर्षों (1994-2003) के दौरान जल स्तर में गिरावट वाले स्थान हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधों के संवर्धन के लिए स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। भूजल के अतिदोहन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:-

(1) देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा-निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया गया जिसे 1992 और 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(4) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(5) भूजल प्रबन्धन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(6) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबी.नेट) की शुरूआत करना।

विवरण

मानसून पूर्व अवधि के दौरान विगत 10 वर्षों (1994-2003) में जल स्तर (आंशिक रूप में) की गिरावट को दर्शाते हुए जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य	4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्शाने वाले जिले
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, खम्मम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, नलगोंडा, नेल्लोर, प्रकाशम, रंगा रेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी
2.	असम	जोरहाट, नगांव, सोनीपुर
3.	बिहार	नालंदा, दरभंगा
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जंजगीर-चंपा, कांकेर, कावर्धा, कोड़िया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा
5.	दिल्ली	नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, डांग्स, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा, वलसाड
7.	हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, जींद, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत
8.	झारखंड	गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रांची
9.	कर्नाटक	बगलकोट, बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, चिकमंगलूर, देवनगिरी, धारवाड़, हासन, हवेरी, कोप्पल, उत्तर कन्नड़
10.	केरल	तिरूवनंतपुरम
11.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बेतुल, भिंड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, नीमार पूर्व, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सीवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, नीमार पश्चिम
12.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलदाना, चंद्रपुर, धुले, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबर, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, वर्धा, यावतमल
13.	उड़ीसा	बालेश्वर, बारगढ़, देवगढ़, गजपति, गंजम, झारसुगुदा, कंधमल, क्योंझर, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नौरंगपुर, नयागढ़, नुवापाड़ा, रायगदा, संबलपुर, सुंदरगढ़
14.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फतेहगढ़, लुधियाना, मनसा, मोगा, पटियाला, संगरूर
15.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चुरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
16.	तमिलनाडु	कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, मदुरूई, नमक्कल, पेरम्बलुर, पुदुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सलेम, शिवगंगा, तंजावूर, थेनी, तिरूवन्नामलाई, तिरूनेलवेली, तिरूवेल्लूर, त्रिची, तूतीकोरिन, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर
17.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, फतेहपुर, जालौन, झांसी, कौशाम्बी, खीरी, लखनऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव
18.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्द्धमान, बीरभूम, हावड़ा, हुगली, मालदा, मेदनीपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर-24 परगना, पुरूलिया, दक्षिण-24 परगना

[हिन्दी]

भूख से मौतें

***97. श्री रामदास बंडु आठवले:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पूरे देश में भुखमरी की वजह से हो रही मौतों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय जल ने ऐसे राज्यों का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) गत छः महीनों के दौरान किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से भूख से हुई मौत के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम व्यक्तियों के लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह दिए जाते हैं। अप्रैल, 2002 से इस योजना के तहत जारी की जाने वाली मात्रा बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दी गई है। इस योजना में आरंभ में एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को कवर किया गया था जिसका जून, 2003 में विस्तार किया गया और अब 1.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को योजना के अधीन लाया गया। इसका अब और विस्तार किया जा रहा है ताकि 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे के और परिवारों, जो भुखमरी के जोखिम पर हैं, को योजना के तहत कवर किया जा सके। अंत्योदय अन्न योजना के अलावा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अन्नपूर्णा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि जैसी अनुपूरक कल्याण योजनाएं समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

वनरोपण

***98. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वनरोपण संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर वनों की कटाई/अनाच्छादन हुआ है और वन क्षेत्र कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कुल क्षेत्र की तुलना में इस समय प्रत्येक का कितना वन क्षेत्र है;

(ङ) कम होते जा रहे वन क्षेत्र को रोकने और वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गयी है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और इसके पश्चात् इस प्रयोजनार्थ राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि का आबंटन और उपयोग किया गया;

(छ) क्या किसी राज्य ने इस धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ज) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई और कितनी विदेशी सहायता का उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार वनावरण का विस्तार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) वनों के संरक्षण और वनावरण में वृद्धि करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(1) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित वानिकी और वन्यजीव योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(2) सुरक्षित क्षेत्रों अर्थात् वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों के नेटवर्क का सृजन।

(3) संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की गई कार्य योजना प्रणाली के माध्यम से वन क्षेत्रों का प्रबंधन।

(5) वन विकास अभिकरणों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अवक्रमित भूमि का वनीकरण।

(6) राज्य वन विभागों/वन विभाग निगमों के अभिकरण के माध्यम से केवल सरकारी वन भूमि से वृक्षों की कटाई।

(7) अवैध कटाई करने वाले अपराधियों के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(च) एकीकृत वन सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जो मुख्य रूप से क्रमशः वन संरक्षण और वनावरण में वृद्धि करने से संबंधित हैं और उनके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और उसके बाद की निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IIIक और IV में दिया गया है।

(छ) एकीकृत वन सुरक्षा योजना (वन संरक्षण) और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (वनावरण में वृद्धि) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिए अधिकांश राज्यों की सामान्य मांग है। ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध बजट तथा अन्य अनिवार्य विचारणीय मुद्दों जैसे पिछले अनुदानों का उपयोग, राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा मैचिंग शेयर का प्रावधान आदि को ध्यान में रखकर उनकी मांग को यथासंभव पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ज) प्राप्त की गई विदेशी सहायता और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण-I

पौध लाखों में, क्षेत्रफल है. में

क्र.सं.	राज्यों/संघ क्षेत्र का नाम	लक्ष्य 2001-02		उपलब्धियां		लक्ष्य 2002-03		उपलब्धियां	
		सूत्र 16क निजी भूमि पर वन रोपण	सूत्र 16ख सार्वजनिक और वन भूमि का कवर किया गया क्षेत्र	पौध वितरण निजी भूमि पर रोपण के लिए	क्षेत्र वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि	सूत्र 16क निजी भूमि पर वन रोपण	सूत्र 16ख सार्वजनिक और वन भूमि का कवर किया गया क्षेत्र	पौध वितरण निजी भूमियों पर रोपण के लिए	क्षेत्र वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3200.00	180000	2640.63	209040	3000.00	170000.00	2451.71	140445
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00	10000	5.35	2343	5.00	5000.00	2.6	5726
3.	असम	25.00	7000	21.17	6939	30.00	7500.00	25.82	4227
4.	बिहार	300.00	10000	60.93	2424	100.00	5000.00	90.53	2652
5.	छत्तीसगढ़	300.00	80000	105.73	18155	200.00	25000.00	211.54	30480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	12.00	900	12.69	791	15.00	1000.00	7.31	531
7.	गुजरात	1800.00	65000	1703.2	67224	1500.00	60000.00	1597.46	56505
8.	हरियाणा	100.00	20000	156.85	12019	125.00	10000.00	280.04	20563
9.	हिमाचल प्रदेश	20.00	25000	33.81	23891	25.00	20000.00	27.37	17629
10.	जम्मू व कश्मीर	65.00	20000	45.03	20000	20.00	15000.00	37.29	7939
11	झारखंड	200.00	20000	7.91	350	150.00	50000.00	1.14	428
12.	कर्नाटक	650.00	80000	326.59	49755	500.00	60000.00	339.16	29864
13.	केरल	20.00	15000	4.43	3823	10.00	5000.00	5.67	1314
14.	मध्य प्रदेश	400.00	140000	410.34	149567	300.00	125000.00	300.25	125042
15.	महाराष्ट्र	900.00	125000	593.82	35931	800.00	60000.00	547.28	27667
16.	मणिपुर	15.00	6000	0	0	15.00	5000.00	0	1475
17.	मेघालय	50.00	3000	32.07	1039	35.00	5000.00	23.31	1630
18.	मिजोरम	22.00	8000	20	8000	22.00	7500.00	12.88	2173
19.	नागालैंड	60.00	5000	0	0	35.00	5000.00	210.6	17547
20.	उड़ीसा	450.00	100000	406.86	72149	450.00	75000.00	240.12	43476
21.	पंजाब	65.00	12000	21.15	14596	25.00	15000.00	17.56	7835
22.	राजस्थान	300.00	40000	178.96	31572	120.00	12000.00	122.13	12580
23.	सिक्किम	22.00	12000	12.42	6538	22.00	7500.00	6.7	1129
24.	तमिलनाडु	1100.00	150000	124.95	87239	120.00	100000.00	123.56	40536
25.	त्रिपुरा	45.00	10000	39.44	7146	35.00	7500.00	27.45	8971
26.	उत्तर प्रदेश	1000.00	50000	1126.09	22290	1000.00	35000.00	1238.65	23037
27.	उत्तरांचल	500.00	75000	170.91	47760	250.00	150000.00	14.72	69224
28.	पश्चिम बंगाल	500.00	25000	312	14567	250.00	25000.00	132	20719
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.00	3500	1.2	3213	1.50	3500.00	1.73	3809
30.	चंडीगढ़	1.00	150	0.3	131	0.50	150.00	0.35	152
31.	दादर व नगर हवेली	5.00	350	8.3	1025	5.00	350.00	5	516
32.	दमन व दीव	0.00	30	0	12	0.50	30.00	0.26	20
33.	दिल्ली	30.00	1500	25.46	0	30.00	750.00	6.7	0
34.	लक्षद्वीप	5.00	75	0	39	1.00	75.00	0	14
35.	पांडिचेरी	5.00	75	4.8	56	3.00	75.30	1.88	55
	योग	12176.00	1299580	8613.39	919624	9200.50	1072930.00	8200.77	725910.00

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	लक्ष्य 2003-04 सूत्र सं. 16क निजी भूमि पर वन रोपण	लक्ष्य 2003-04 सूत्र सं. 16ख सार्वजनिक और वन भूमि का कवर किया गया क्षेत्र	उपलब्धियां पौध वितरण/ (निजी भूमि पर रोपण के लिए)	उपलब्धियां क्षेत्र वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि	लक्ष्य 2004-05 सूत्र सं. 16क निजी भूमि पर वन रोपण	लक्ष्य 2004-05 सूत्र सं. 16ख सार्वजनिक और वन भूमि का कवर किया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3000.00	250000.00	2466.94	106654	4000.00	300000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	6000.00	2.37	0	65.00	7500.00
3.	असम	40.00	10000.00	24.29	1446	50.00	40000.00
4.	बिहार	150.00	10000.00	129.26	10622	300.00	40000.00
5.	छत्तीसगढ़	200.00	40000.00	226.00	45200	250.00	50000.00
6.	गोवा	10.00	1000.00	8.44	516	10.00	1200.00
7.	गुजरात	1200.00	45000.00	1203.14	52000	2000.00	85000.00
8.	हरियाणा	280.00	25000.00	317.26	18309	400.00	30000.00
9.	हिमाचल प्रदेश	15.00	15000.00	33.33	15222	20.00	20000.00
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00	20000.00	87.64	23468	30.00	30000.00
11.	झारखंड	150.00	50000.00	4.98	32157	200.00	60000.00
12.	कर्नाटक	450.00	50000.00	356.96	20238	600.00	60000.00
13.	केरल	10.00	5000.00	2.13	6304	20.00	8000.00
14.	मध्य प्रदेश	350.009	150000.00	350.00	150016	350.00	100000.00
15.	महाराष्ट्र	800.00	70000.00	328.02	26916	2000.00	100000.00
16.	मणिपुर	15.00	7000.00	0.00	0	15.00	7000.00
17.	मेघालय	35.00	5000.00	30.03	1607	35.00	5000.00
18.	मिजोरम	25.00	8000.00	43.30	13398	25.00	8000.00
19.	नागालैंड	35.00	10000.00	172.35	14358	35.00	10000.00
20.	उड़ीसा	200.00	21510.00	272.49	50986	300.00	45000.00
21.	पंजाब	25.00	15000.00	31.78	11871	40.00	25000.00
22.	राजस्थान	60.00	8500.00	99.19	21801	120.00	17000.00
23.	सिक्किम	22.00	7500.00	0.00	0	22.00	8000.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	120.00	100000.00	147.65	89275	150.00	12000.00
25.	त्रिपुरा	35.00	8000.00	36.43	7812	35.00	8000.00
26.	उत्तर प्रदेश	1000.00	35000.00	1049.74	40223	1500.00	100000.00
27.	उत्तरांचल	100.00	70000.00	142.87	77383	150.00	100000.00
28.	पश्चिम बंगाल	250.00	25000.00	23.58	5063	300.0	30000.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.00	3500.00	1.62	1128	2.00	3500.00
30.	चंडीगढ़	1.00	140.00	0.32	162	1.00	140.00
31.	दादर व नगर हवेली	5.00	350.00	7.97	219	5.00	350.00
32.	दमन व दीव	1.00	30.00	0.00	25	1.00	30.00
33.	दिल्ली	7.00	0.00	8.44	0	7.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	1.00	75.00	0.00	3	1.00	75.00
35.	पांडिचेरी	3.00	75.00	2.81	17	3.00	75.00
	योग	8622.00	1071680.00	7611.33	844399.00	12983.00	1418870.00

विवरण II

वन स्थिति 2001 के अनुसार राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार वन आवरण

(वर्ग कि.मी. क्षेत्र में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	वन आवरण	
		कुल	प्रतिशत
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	275,069	44,637	16.23
अरुणाचल प्रदेश	83,743	68,045	81.25
असम	78,438	27,714	35.33
बिहार	94,163	5,720	6.07
छत्तीसगढ़	135.191	56,448	41.75
दिल्ली	1,483	111	7.51
गोवा	3,702	2,095	56.59

1	2	3	4
गुजरात	196,022	15,152	7.73
हरियाणा	44,212	1,754	3.97
हिमाचल प्रदेश	55,673	14,360	25.79
जम्मू कश्मीर	222,236	21,327	9.56
झारखंड	79,714	22,637	28.40
कर्नाटक	191,791	36,991	19.29
केरल	38,863	15,560	40.04
मध्य प्रदेश	308,245	77,265	25.07
महाराष्ट्र	307,713	47,482	15.43
मणिपुर	22,327	16,926	75.81
मेघालय	22,429	15,584	69.48
मिजोरम	21,081	17,494	82.98
नागालैंड	16,579	13,345	80.49
उड़ीसा	155,707	48,838	31.36
पंजाब	50,362	2,432	4.83
राजस्थान	342,239	16,367	4.78
सिक्किम	7,096	3,193	45.00
तमिलनाडु	130,058	21,482	16.52
त्रिपुरा	10,486	7,065	67.38
उत्तर प्रदेश	240,928	13,746	5.71
उत्तरांचल	53,483	23,938	44.76
पश्चिम बंगाल	88,752	10,693	12.05
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8,249	6,930	84.01
चंडीगढ़	114	9	7.51
दादर एवं नगर हवेली	491	219	44.60
दमन एवं दीव	112	6	5.53
लक्षद्वीप	32	27	85.91
पांडिचेरी	480	36	7.45
कुल	3287,263	675,538	20.55

विवरण III

एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम (आई एफ पी एस) के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	आई एफ पी एस के अंतर्गत केन्द्रीय मंजूरी राशि					
		2001-02		2002-03		2003-04	
		मंजूरी	जारी	मंजूरी	जारी	मंजूरी	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्य राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	89.947	89.947	129.000	129.000	142.090	100.000
2.	बिहार	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	छत्तीसगढ़	105.000	150.00	150.00	150.000	163.050	100.000
4.	गोवा	39.270	39.270	49.420	49.420	125.348	70.000
5.	गुजरात	74.500	74.5000	75.000	75.000	58.238	50.000
6.	हरियाणा	37.910	37.910	70.000	70.000	59.220	59.220
7.	हिमाचल प्रदेश	101.300	101.300	82.000	57.400	136.470	75.000
8.	जम्मू ' कश्मीर	59.000	59.000	74.250	74.250	172.350	109.780
9.	झारखंड	65.650	65.650	81.170	81.170	178.800	130.000
10.	कर्नाटक	27.000	27.000	77.000	77.000	88.360	75.000
11.	केरल	38.600	38.600	83.500	83.500	185.290	150.000
12.	मध्य प्रदेश	155.100	155.100	158.500	158.500	179.000	140.000
13.	महाराष्ट्र	0.000	0.000	188.920	188.920	117.420	50.000
14.	उड़ीसा	49.220	49.220	100.000	100.000	140.438	100.000
15.	पंजाब	28.800	28.800	0.000	0.000	Nil	0.000
16.	राजस्थान	16.000	16.000	55.000	55.000	0.000	0.000
17.	तमिलनाडु	40.053	40.053	100.000	100.000	135.713	110.000
18.	उत्तर प्रदेश	36.500	36.500	89.000	80.000	189.563	140.000
19.	उत्तरांचल	74.500	74.500	98.070	98.070	185.700	150.000
20.	पश्चिम बंगाल	72.650	72.650	120.000	120.000	166.425	100.000
	योग	1111.000	1111.000	1780.830	1747.230	2423.473	1709.000

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वोत्तर और सिक्किम							
1.	असम	109.960	109.960	505.850	376.600	393.190	130.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	683.750	683.750	426.020	426.020	0.000	0.000
3.	मणिपुर	383.240	191.620	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	मेघालय	544.600	544.600	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	मिजोरम	531.300	531.300	574.120	574.120	357.040	267.780
6.	नागालैंड	348.280	344.480	407.470	407.470	267.830	200.000
7.	सिक्किम	431.580	431.580	358.630	358.630	306.560	102.000
8.	त्रिपुरा	614.710	614.710	692.130	692.130	0.000	0.000
	योग	3647.420	3452.000	2964.220	2834.970	1324.620	699.780
	संघ शासित प्रदेश कुल	0.000	0.000	0.000	0.000	87.000	0.000
	समग्र योग	4758.420	4563.000	4745.050	4582.200	3835.093	2408.780

विवरण IV

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(30.6.2004)

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (रुपये करोड़ में)			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.99	8.35	10.44	1.56
2.	छत्तीसगढ़	0.77	5.89	10.20	3.35
3.	गुजरात	0.85	3.87	3.20	—
4.	हरियाणा	9.23	10.58	7.76	1.67
5.	हिमाचल प्रदेश	2.2	0.6	6.95	0.74

1	2	3	4	5	6
6.	जम्मू कश्मीर	1.54	5.45	7.21	—
7.	कर्नाटक	0.43	15.7	15.54	6.22
8.	मध्य प्रदेश	13.71	13.81	10.92	2.21
9.	महाराष्ट्र	1.85	4.87	11.91	0.64
10.	उड़ीसा	0.05	13.14	5.96	0.42
11.	पंजाब	0.25	0.25	1.74	—
12.	राजस्थान	1.29	4.45	5.56	0.00
13.	तमिलनाडु	0.76	7.82	14.64	0.61
14.	उत्तर प्रदेश	7.04	20.01	21.34	1.98
15.	उत्तरांचल	0.4	2.34	5.81	0.25
16.	गोवा	0	0	0.64	—
17.	झारखंड	0	1.34	9.29	0.49
18.	बिहार	0	0	1.88	—
19.	केरल	0	1.06	3.47	0.54
20.	पश्चिम बंगाल	0	2.26	5.55	—
	कुल (अन्य राज्य)	41.36	121.79	160.01	20.68
21.	अरुणाचल प्रदेश	1.4	2.76	4.49	—
22.	असम	0	0	5.58	—
23.	मणिपुर	0	2.4	5.08	—
24.	नागालैंड	2.08	8.51	8.94	—
25.	सिक्किम	2.43	3.76	4.06	—
26.	त्रिपुरा	0.26	3.18	3.97	0.73
27.	मिजोरम	0	8.86	15.85	2.67
28.	मेघालय	0	0	0.00	2.45
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	6.17	29.47	47.97	7.24
	कुल योग	47.53	151.26	207.98	27.92

विवरण V

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत प्राप्त और मंजूर किये गए प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	30.6.2004 तक प्राप्त किये गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या	30.6.2004 तक मंजूर किये गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	हरियाणा	15	15
2.	उड़ीसा	28	28
3.	जम्मू और कश्मीर	31	31
4.	उत्तर प्रदेश	61	54
5.	हिमाचल प्रदेश	25	20
6.	उत्तरांचल	28	21
7.	पंजाब	6	4
8.	बिहार	9	5
9.	गुजरात	12	12
10.	झारखंड	26	21
11.	महाराष्ट्र	34	33
12.	राजस्थान	13	13
13.	तमिलनाडु	31	26
14.	पश्चिम बंगाल	22	13
15.	आंध्र प्रदेश	31	23
16.	छत्तीसगढ़	27	26
17.	गोवा	3	3
18.	कर्नाटक	41	35
19.	केरल	25	14
20.	मध्य प्रदेश	42	30
21.	अरुणाचल प्रदेश	15	13
22.	असम	28	17
23.	मणिपुर	12	11
24.	मेघालय	7	7
25.	मिजोरम	30	19
26.	नागालैंड	18	16
27.	सिक्किम	7	7
28.	त्रिपुरा	11	9
	कुल	638	526

एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम (आई एफ पी एस)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एकीकृत वन सुरक्षा के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशों की मांग		भारत सरकार द्वारा जारी किया गया	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
अन्य राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	357.500	467.000	100.000	—
2.	बिहार	145.321	240.500	0.000	—

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	450.950	533.000	100.000	63.050
4.	गोवा	71.050	80.700	50.000	—
5.	गुजरात	453.180	444.880	70.000	—
6.	हरियाणा	80.215	270.905	59.220	—
7.	हिमाचल प्रदेश	201.800	201.800	75.000	—
8.	जम्मू व कश्मीर	400.000	400.000	109.780	—
9.	झारखंड	246.060	500.028	130.000	37.500
10.	कर्नाटक	117.420	200.000	75.000	—
11.	केरल	1520.000	667.000	150.000	—
12.	मध्य प्रदेश	367.350	650.000	140.000	—
13.	महाराष्ट्र	181.510	198.210	50.000	—
14.	उड़ीसा	200.000	250.000	100.000	—
15.	पंजाब	104.350	235.600	0.000	—
16.	राजस्थान	203.300	167.800	0.000	—
17.	तमिलनाडु	371.500	533.000	110.000	—
18.	उत्तर प्रदेश	357.250	289.250	140.000	—
19.	उत्तरांचल	650.000	738.500	150.000	—
20.	पश्चिम बंगाल	221.900	335.310	100.000	66.430
	योग	6700.656	7403.483	1709.000	166.980
पूर्वोत्तर और सिक्किम					
1.	असम	1619.590	600.000	130.000	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	546.460	422.550	0.000	—
3.	मणिपुर	764.200	404.650	0.000	—
4.	मेघालय	424.900	372.060	0.000	—
5.	मिजोरम	972.540	429.850	267.780	—
6.	नागालैंड	1225.790	1165.350	200.000	67.8730
7.	सिक्किम	421.260	795.460	120.000	—
8.	त्रिपुरा	1170.160	1060.810	0.000	—
	योग	13845.556	12654.213	2408.780	234.810

टिप्पण: कुछ राज्यों को निधियां प्रदान नहीं की जा सकीं क्योंकि वे योजना के परिवर्तित निधिकरण पैटर्न से सहमत नहीं थे (केन्द्र और राज्यों के बीच 75 प्रतिशत, 25 प्रतिशत की लागत शेयरिंग)

विवरण VI

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई व जारी की गई बाह्य सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 राशि		2001-02 राशि		2003-04 राशि	
		जारी	उपयोग में लाई गई	जारी	उपयोग में लाई गई	जारी	उपयोग में लाई गई
1.	कर्नाटक	120.98	120.98	71.06	71.06	52.43	52.43
2.	तमिलनाडु	98.58	98.58	91.71	91.71	85.76	85.76
3.	आंध्र प्रदेश	1.23	1.23	9.43	9.43	116.60	116.60
4.	केरल	32.00	29.22	29.00	29.78	40.00	32.93
5.	पंजाब	78.89	78.89	43.12	43.12	60.80	60.80
6.	गुजरात	24.06	24.06	—	—	—	—
7.	राजस्थान	32.61	32.61	—	—	32.00	31.42
8.	हिमाचल प्रदेश	3.27	3.27	3.92	3.92	5.95	5.95
9.	उत्तर प्रदेश	27.61	27.61	18.07	18.07	0.40	0.40
10.	उत्तरांचल	33.41	33.41	22.13	22.13	5.64	5.64
	कुल	452.64	449.86	288.44	289.22	399.58	391.93

टिप्पणीः उपरोक्त धनराशि में राज्य का शेयर भी शामिल है।

[हिन्दी]

घरेलू नौकर के रूप में बच्चे

***99. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकीः क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में घरेलू नौकरों के रूप में कार्य कर रहे बच्चों की विश्वव्यापी समस्या संबंधी एक रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या देश में घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) देश में घरेलू नौकरों को मान्यता प्रदान करने और विनियमित करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) घरेलू बाल श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं की समाप्ति के लिए सुझाव दिए गए।

(ग) घरेलू बाल श्रमिकों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार, 270 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को लागू करके खतरनाक रोजगारों में लगे बाल श्रमिकों से शुरू करके बाल श्रम के सभी स्वरूपों को समाप्त करने के लिये वनचबद्ध है।

(ङ) घरेलू नौकर बड़े असंगठित क्षेत्र का ही भाग हैं। सरकार का मानना है कि मौजूदा अवस्था में घरेलू नौकरों को विनियमित

करने के लिये अलग से किसी विधान की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

***100. श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेतिहर मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सूत्र (फार्मूला) अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकारी निवेश बढ़ाने और ग्रामीण ऋण बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजागर मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 10वीं योजना का उद्देश्य कृषि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना है। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और सहकारी ऋण संस्थाएं ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने, सुरक्षा मानदण्डों के संबंध में दिशा-निर्देशों को उदार बनाने, निर्धारित न्यूनतम राशि की आवश्यकताओं को पूरा करने, किसानों को वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण शाखाओं से जोड़ने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिए छोटे और सीमान्त किसानों को और अधिक कर्ज उपलब्ध कराने, पट्टेदार काश्तकारों तथा मौखिक पट्टेदारों को ऋण उपलब्ध कराने, ऋण को पुन: व्यवस्थित करने आदि के लिए प्रयास किए गए हैं।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

652. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान चीनी के निर्यात में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा निम्नलिखित है:

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	निर्यात की गई मात्रा (लाख मी. टन में)
2000-2001	12.44*
2001-2002	10.53*
2002-2003	16.00*
2003-2004 (30.6.2004 तक)	2.94@

स्रोत: * इंडियन शुगर जनरल तथा व्यापार जगत।
@व्यापार जगत

(ग) और (घ) चीनी मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तु है और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी के निर्यात उनके पास पड़े चानी के स्टाक, देश में चीनी के उत्पादन की संभावनाओं तथा खपत के लिए चीनी की आवश्यकता, चीनी के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और अन्य संबंधित पहलुओं, जिसमें निर्यात-आयात नीति के उपबंध भी शामिल हैं, के संबंध में स्थिति का आकलन करने के बाद अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पेयजल को बोतल बंद करना

653. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फ्रांस की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को वाणिज्यिक आधार पर गंगा के पानी की बिक्री के लिए जल शोधन संयंत्र लगाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार दस वर्षों के लिए नि:शुल्क जल और जल शोधन संयंत्र उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी अन्य निबंधन और शर्तें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकबंद पेयजल अथवा पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल रूप में "गंगा" जल पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए किसी फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को कोई लाइसेंस मंजूर नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में राजसहायता

654. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार मुहैया कराता है;

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरक, बीज, डीजल और पेट्रोल जैसे कृषि आदानों पर राजसहायता घटा दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसने किसान प्रतिकूलतः प्रभावित हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को और अधिक राजसहायता मुहैया कराने का है; और

(च) यदि हां, तो कितनी राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव है और कितनी धनराशि घटायी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण के 55वें दौर (जुलाई 1999-जून 2000) के अनुसार, 1999-2000 में कृषि क्षेत्र में प्रतिदिन की वर्तमान स्थिति (करण्ट डेली स्टेटस) पर आधारित कर्मियों की अनुमानित संख्या 190.94 मिलियन रही जबकि औद्योगिक क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान यह 56.89 मिलियन थी।

(ग) से (च) उर्वरकों, बिजली, सिंचाई जैसे आदानों पर कृषि क्षेत्र को दी गई राजसहायताओं तथा सीमांत किसानों और कृषक सहकारी समितियों को बीजों, तिलहन विकास, दलहन आदि के रूप में दी गई राजसहायताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

कृषि क्षेत्र को राजसहायता

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मद	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (@)
1	2	3	4	5	6	7
1.	उर्वरक (कुल)	11596	13244	13800	12595	11009
	1.1 स्वदेशी उर्वरक	7473	8670	9480	8044	7499
	1.2 आयातित उर्वरक	333	74	1	47	10
	किसानों के छूट के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	3790	4500	4319	4504	3500
2.	विद्युत*	3819	4276	6056	9342	उ.न.
3.	सिंचाई#	11827	11487	13756	13309	12788

1	2	3	4	5	6	7
4.	सीमांत किसानों तथा कृषक सहकारी समितियों को बीजों, तिलहन विकास, दलहन आदि के रूप में दी गई अन्य राजसहायताएं	1182	1937	927	978	उ.न.
	कुल	28424	30944	34539	36224	23797

स्रोत: 1. उर्वरक: केन्द्रीय सरकार का व्यय बजट 2003-04, खण्ड-1

2. बिजली एवं सिंचाई: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

उ.न. - उपलब्ध नहीं।

*: विद्युत बोर्डों तथा निगमों को राजसहायताएं शामिल हैं, केवल कृषि क्षेत्र के लिए उत्तरदायी विद्युत राजसहायता का आकलन उपलब्ध नहीं है।

#: नीतिगत मामले के तहत किसानों को जल की आपूर्ति की दरें कम रखी जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी सिंचाई प्रणाली को हानि होती हैं। सकल राजस्व की तुलना में प्रचालन लागत अधिक है जिसे सिंचाई के लिए परिकलित राजसहायता माना जाता है।

@: त्वरित अनुमान।

गंगा नदी में बाढ़ के पानी में राजस्थान का हिस्सा

655. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने शुष्क क्षेत्रों में ले जाये जाने वाले गंगा नदी में बाढ़ के पानी में अपनी भागीदारी का दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार की इस मांग पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राजस्थान ने वर्ष 1984 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें मानसून के दौरान 100 दिनों के लिए हरिद्वार से 1133 क्यूमेक गंगा का जल तथा बिजनौर से 566 क्यूमेक गंगा के जल को डायवर्ट करने का अनुरोध किया गया था। राजस्थान में उपयोग के लिए गंगा के बाढ़ के जल को डायवर्ट करने संबंधी संभावनाओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) द्वारा आयोजित अध्ययन से पता चला है कि राजस्थान में डायवर्जन के लिए इन दोनों स्थानों के समीप एक वर्ष में 20-30 दिनों से अधिक गंगा में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसकी सूचना राजस्थान सरकार को दे दी गई थी। वर्ष 2002 में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) से (1) गंगा बेसिन के गंडक और घाघरा नदियों के अधिशेष जल को डायवर्ट करके सारदा नदी में अधिशेष जल की मात्रा को बढ़ाने, और (2) राजस्थान के लिए यमुना-राजस्थान संपर्क में भीमगोडा बांध से 45,800 मिलियन क्यूबिक मीटर (लगभग 37 एमएएफ) जल की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा यह पाया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार जल का संवर्द्धन संभव नहीं है।

तटबंध के निर्माण हेतु बिहार को निधियां

656. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर पुजापजिरवाहा खाद्य स्थित चंपारण तटबंध बाढ़ के कारण बह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गंडक नदी के तट पर बना रिंग बांध भी बह गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु इन तटबंधों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां। बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2003 की बाढ़ के दौरान गंडक नदी में 07.07.2003 को 6.49 लाख क्यूसेक्स का अभूतपूर्व जल निस्सरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप तलहटी के स्तर पर कटाव हुआ

इसलिए, चंपारण तटबंध का लगभग 710 मी. लंबा हिस्सा बह गया।

(ख) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चंपारण तटबंध और नदी के किनारे के बीच स्थित पुझा-दुमारिया (पी.डी.) रिंग बांध भी चार भिन्न-भिन्न स्थलों पर कुल 3390 मी. की लंबाई में बह गया।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) में उल्लिखित तटबंध का हिस्सा पहले से अनुमोदित स्कीम "गंडक नदी पर चंपारण तटबंध को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ करना" का भाग है जो कि केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी एस एस), "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटाव रोधी कार्य" में शामिल है 749 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत में से 561.75 लाख रुपए का पूर्ण केन्द्रीय हिस्सा (अनुमानित लागत का 75%) राज्य सरकार को जारी किया जा चुका है। बिहार सरकार ने फरवरी 2004 में 6.67 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम प्रस्तुत की जिस पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल न होने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

लंबित परियोजनाएं

657. श्री शिवाजी अधलराव पाटील:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृति/अनुमोदन हेतु सरकार के पास लंबित पड़ी विभिन्न परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये कब से लंबित पड़ी हैं और इनके लंबित रहने के परियोजना-वार कारण क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पूरी सूचना की प्राप्ति के बाद वानिकी मंजूरी के मामले में 90 दिनों के भीतर और पर्यावरणीय मंजूरी के मामले में 120 दिनों के भीतर निर्णय की सूचना भेज दी जाती है।

विवरण

(क) पर्यावरणीय मंजूरी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	विलंब के कारण
1	2	3	4
I. नदी घाटी और पनविद्युत			
बिहार			
1.	जल संसाधन विभाग द्वारा जिला जमुई में ऊपर कियूल जलाशय परियोजना	27.02.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
2.	जल संसाधन विभाग द्वारा जिला ओरंगाबाद में पुनपुन बैराज स्कीम	27.02.2004	कार्रवाई की जा रही है।
गुजरात			
3.	सिंचाई विभाग द्वारा जिला वलसाड में सिदुम्बर जलाशय परियोजना	2.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
हिमाचल प्रदेश			
4.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कं. लि. द्वारा जिला कुल्लु में पारबती पनविद्युत परियोजना चरण-3 (520 मेगावाट)	22.03.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
जम्मू एवं कश्मीर			
5.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कं. लि. द्वारा जिला बारामूला में उरी-2 पनविद्युत परियोजना (240 मेगावाट)	08.06.2004	कार्रवाई की जा रही है।
महाराष्ट्र			
6.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट द्वारा जिला सितारा में उरमोदी सिंचाई परियोजना	12.05.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
7.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जिला पुणे में तेमघर सिंचाई परियोजना	01.09.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
8.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जिला पुणे में तेमघर सिंचाई परियोजना	07.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
9.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जिला सतारा में धूम बालकवाड़ी सिंचाई परियोजना	11.12.2003	कार्रवाई की जा रही है।
10.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जिला तरीर में तराली सिंचाई परियोजना	16.12.2003	कार्रवाई की जा रही है।
11.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जिला सतारा में तेमभू लिफ्ट सिंचाई परियोजना	01.09.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
II. उद्योग			
	आंध्र प्रदेश		
12.	मैसर्स वेंसा बायोटैक लि. द्वारा गांव जी. रागमपेट जिला पूर्व गोदावरी में डिस्टीलरी यूनिट	23.07.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
13.	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर पाइप्स लि. द्वारा गुन्डला पोचमपल्ली, रंगारेड्डी जिला में एस्बेस्टो सीमेंट प्रेशर पाइप और कप्लिंग यूनिट	03.11.2003	-
14.	मैमर्स न्यूलैण्ड लेबोरेट्रीज प्रा.लि. द्वारा गांव इसनापुर, तहसील परनचीरू, जिला मेढ़क, आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग यूनिट	12.04.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
15.	मैसर्स इनाल ड्रग्स प्रा.लि. की औद्योगिक विकास क्षेत्र, जंदीमेतला, रंगारेड्डी जिले में बल्क ड्रग यूनिट	07.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
16.	मैसर्स प्रभाव आर्गेनिक (प्रा.) लि. की औद्योगिक विकास क्षेत्र, बोलाराम, मेढ़क जिला में बल्क ड्रग यूनिट	07.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
17.	मैसर्स फ्लेटिंब लेबोरेट्रीज लि. की गुम्माडीडाला, जिन्नाराम, मेढ़क जिला में बल्क ड्रग यूनिट	07.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
18.	मैसर्स एपैक्स ड्रग्स एवं इन्टरमीडिएटस लि. की औद्योगिक विकास क्षेत्र, गोडापोचरम, जिन्नाराम मंडल, मेढक जिला में बल्क ड्रग यूनिट	07.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
19.	मैसर्स कोवलेंट लेबोरेट्रीज प्रा.लि. की गुन्डलस मनचूर, मेढक जिला में बल्क ड्रग यूनिट	07.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
20.	मैसर्स आंध्र प्रदेश पेपर लि. द्वारा ईस्ट गोदावरी जिले में पल्प और पेपर मिल का आधुनिकीकरण एवं विस्तार	10.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
छत्तीसगढ़			
21.	मैसर्स जिन्दल स्टील और पावर इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा गांव पतरापाली, तहसील रायगढ़ में एकीकृत स्टील प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट का विस्तार	05.05.2004	कार्रवाई की जा रही है।
गुजरात			
22.	मैसर्स सोराष्ट्र सीमेंट लि. द्वारा पोरबंदर में सौराष्ट्र सीमेंट प्लांट का विस्तार	11.12.2002	कार्रवाई की जा रही है।
23.	मैसर्स यूनिमार्क रेमीडीज लि. द्वारा जिला वापी में जी आई डी सी औद्योगिक इस्टेट में बल्क ड्रग यूनिट	13.05.2003	अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत
24.	मैसर्स डायनमिक इंडस्ट्रीज लि. द्वारा अहमदाबाद, जिला अहमदाबाद में (1) डाइ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट	12.05.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
25.	मैसर्स मंगलत ड्रग्स एंड आर्गेनिक लि. द्वारा जी आई डी सी वापी, जिला वालासाड में बल्क ड्रग यूनिट	01.08.2003	अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत
26.	मैसर्स पंचशील इंटरमीडिएटस द्वारा जी वाई डी सी सचिव, सूरत जिला में डाइ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट	03.02.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
27.	मैसर्स भारत कैमीकल्स द्वारा जी आई डी सी पन्डेसरा जिला सूरत, गुजरात में मीटा अमोनिया फिनौल (एम ए पी) की उत्पादन यूनिट	07.04.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
28.	मैसर्स ख्याति कैमीकल्स प्रा.लि. द्वारा गांव वातावा जिला अहमदाबाद गुजरात में डाइ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार	08.04.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
29.	मैसर्स एस्सार स्टील लि. द्वारा हजीरा, जिला सूरत, गुजरात में हाट बरीक्वेरिड आयरन और हाट रोल्ड क्वायल प्लांट का विस्तार	18.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
30.	मैसर्स बेनयान कैमीकल्स लि. द्वारा गांव लूना, तड़ पादरा, जिला वडोदरा में बल्क ड्रग यूनिट	05.05.2004	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
31.	मैसर्स कृषक भारती को-आपरेटिव लि. द्वारा वर्तमान हाजिरा फर्टीलाइजर काम्पलैक्स (चरण-2) के विस्तार द्वारा 1850 एम टी पी डी अमोनिया और 3200 एमटीपीडी यूनिट यूरिया यूनिट की स्थापना	01.06.2004	कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा			
32.	मैसर्स पूजा फोर्ज लि. यूनिट-3 की मथुरा रोड, औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद में इलैक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट	01.12.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
33.	मैसर्स इंडियन आयरन कारपोरेशन लि. द्वारा पानीपत रिफाइनरी काम्पलैक्स, पानीपत में पानीपत रिफाइनरी का विस्तार और इन्डालिन यूनिट स्थापित करना	03.02.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
34.	मैसर्स धानुका लेबोरेट्रीज प्रा.लि. की बोल्ड मनेसर रोड इन्डस्ट्रीयल एरिया मोहमेदपुर, गुड़गांव में बल्क ड्रग यूनिट	15.04.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
35.	मैसर्स पोलीप्लास्टिक का औद्योगिक क्षेत्र, यमुनानगर जिला, हरियाण में इलैक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट	08.04.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
36.	मैसर्स शाहाबाद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि. की शाहाबाद, कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा की 45 केएलडी डिस्टीलरी यूनिट	20.5.2004	कार्यवाही की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश			
37.	मैसर्स हरीश सीमेंट लि. द्वारा गांव चम्बी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट (1.27 एम टी पी ए)	03.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
झारखंड			
38.	मैसर्स टाटा स्टील द्वारा जिला ईस्ट सिंहभूम में जमशेदपुर स्टील वर्कस में स्टील मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार और आधुनिकीकरण	03.11.2003	कार्रवाई की जा रही है।
कर्नाटक			
39.	मैसर्स इंडिया एल्युमीनियम कं. लि. द्वारा जिला बेलगाम, कर्नाटक में एल्युमीनियम प्लांट का 270 के टी पी ए से 587 के टी पी ए का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा 15 मेगावाट को-जेनरेशन प्लान की स्थापना	03.02.2004 पुनः खोल दिया गया	कार्रवाई की जा रही है।
40.	मैसर्स यूरो इकोन आयरन और स्टील प्रा.लि. द्वारा गांव तोरांगुल्ला, तहसील सुन्दर, जिला बल्लैरी, कर्नाटक में ब्लास्ट फरनेंस	28.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
41.	मैसर्स येरो कोक एंड एनर्जी प्रा.लि. की गांव तोरनगुल्लु, तह. सन्दूर, जिला बैलारी में 0.62 एम टी पी ए नान रिकवरी कोक ओवन	01.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
महाराष्ट्र			
42.	मैसर्स ट्रांसचेम लि. की एम आई डी सी अम्बरनाथ, जिला थाणे में बल्क ड्रग यूनिट	03.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
43.	मैसर्स लारसेन एंड टयुबरो द्वारा ती. कोरपाना जिला चन्दरपुर में सीमेंट संयंत्र का विस्तार	02.12.2003	अन्तिम आदेश हेतु प्रस्तुत
44.	मैसर्स एकको पेस्टीसाइड लि. की एम आई डी सी लोटे परशुराम जिला रतनागिरी में पेस्टीसाइड यूनिट	01.12.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
45.	मैसर्स माजलगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि. की सुन्दरनगर, बीड जिला में डिस्टीलरी यूनिट	04.12.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
46.	मैसर्स विघ्नहार एस एस के लि. द्वारा गांव निवरूतीरागर, तह. जुनार, जिला पुणे के डिस्टीलरी यूनिट (30 के एल पी डी)	03.02.2004	अन्तिम आदेश के लिए प्रस्तुत
47.	मैसर्स भूराव चव्ण सहकारी शक्कर कारखाना लि. की देवगांव येलीगांव नानदेड़ जिला की 30 के एल डी डिस्टीलरी यूनिट	06.04.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
उड़ीसा			
48.	मैसर्स स्टर्लाइट इन्डस्ट्रीज द्वारा लांजीगढ़, जिला कालाहाण्डी में एल्युमीना रिफाइनरी एवं सम्बद्ध की स्थापना	01.08.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
49.	मैसर्स टाटा स्पंज आयरन लि. द्वारा जोदा उड़ीसा में टाटा स्पंज आयरन प्लांट का विस्तार	03.02.2004	कार्रवाई की जा रही है।
50.	मैसर्स पारादीप फास्फेट लि. द्वारा पारादीप उड़ीसा में फास्फोरिक एसिड प्लांट का 750 एम टी पी डी से 1400 एम टी पी डी रोट्रोफिटिंग और 2000 एम टी पी डी सल्फरिक एसिड प्लांट की अतिरिक्त ट्रेन की स्थापना	10.02.2004	कार्रवाई की जा रही है।
पंजाब			
51.	मैसर्स रेनब्रो बारकेस इंडिया लि. द्वारा गांव आलमगीर लालरू, जिला पटियाला में ब्रेक एवं क्लच निर्माण	01.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
राजस्थान			
52.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कंपनीज लि. द्वारा गांव लखेड़ी, तह. इन्दरगढ़, जिला बूंदी, राजस्थान में 250 मेगावाट सी पी की स्थापना और सीमेंट संयंत्र का विस्तार	03.03.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत

1	2	3	4
तमिलनाडु			
53.	मैसर्स अमारून फाउन्ड्रीज द्वारा विलानकुरूची जिला कोयम्बतूर में इलैक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट	12.05.2003	कार्रवाई की जा रही है।
54.	मैसर्स विजय इलैक्ट्रोप्लेटिंग वर्कस द्वारा कुरिची, जिला कोयम्बतूर की इलैक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट	07.05.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
55.	मैसर्स लक्ष्मी प्रीसिशन टूल्स द्वारा गांव अरासुर, जिला कोयम्बतूर की इंजीनियरिंग प्रोडक्टस एंड टूल्स का आधुनिकीकरण और रिस्ट्रकचरिंग	01.08.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
56.	मैसर्स स्टरलाईट इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा गांव मीलावितान, जिला टूटीकरन में कापर स्मेलटर प्लांट का विस्तार	01.08.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
57.	मैसर्स जे.के. फर्मास्युटीकल्स लि. द्वारा एस आई पी सी ओ टी काम्प्लैक्स, चैन्नई में बल्क ड्रग यूनिट	01.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
58.	मैसर्स सोनाल व्यापार लि. द्वारा अमदारापट्टी गांव, जिला सलीन में फाउंड्री यूनिट	01.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
59.	मैसर्स रोजवार स्टील्स लि. द्वारा गांव कुप्पीपलायम, जिला कोयम्बतूर में फाउंड्री यूनिट	22.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
60.	मैसर्स एस आर ए स्टील री-रोलिंग मिल्स द्वारा गांव मासागुन्डाचेट्टोपलायम में फाउन्ड्री यूनिट	28.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
61.	मैसर्स प्रवीन कास्टिंगन द्वारा विलाकिक्कनार जिला कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	10.10.2003	कार्रवाई की जा रही है।
62.	मैसर्स जैम मेटक इंडस्ट्रीज द्वारा सोमायमपलायम कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	03.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
63.	मैसर्स महाराजा इण्डस्ट्रीज द्वारा एस आई डी सी ओ मात्लैक्स जिला सेलम में फाउंड्री यूनिट	03.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
64.	मैसर्स सनमार फाउन्ड्री लि. द्वारा वाडुगापट्टी गांव जिला पुदुकोट्टी में फाउंड्री यूनिट	03.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
65.	मैसर्स यूनाइटेड डीकास्टिंग की कोयम्बतूर जिला में फाउन्ड्री यूनिट	25.11.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
66.	मैसर्स श्री वेत्रीवेल इन्डस्ट्रीज की चिन्नावेदमपट्टी, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	02.12.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
67.	मैसर्स पोलामल फाउंड्री की पीलामदु, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	03.12.2003	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
68.	मैसर्स मोरी मैटल फिनिशर्ज की ओनालवदी, होसुर जिला में इलैक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट	04.12.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
69.	मैसर्स करमाढी स्टील एंड एलाय (प्रा.) लि. द्वारा चिकरमपलायम, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	27.01.2004	कार्रवाई की जा रही है।
70.	मैसर्स विजय एलाय कास्टिंग तमिलनाडु की मुकुन्दरायुरम, वैलूर जिला में फाउंड्री यूनिट	27.01.2004	कार्रवाई की जा रही है।
71.	मैसर्स एन एस इन्डस्ट्रीज की विलानकुरूची, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	27.01.2004	कार्रवाई की जा रही है।
72.	मैसर्स गांधीकुमार फाउंड्री की गांव विलानकुरूची, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट का विस्तार	03.02.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
73.	मैसर्स वेलमुरूगन फाउंड्री की कुन्नाथुर, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	03.02.2004	कार्रवाई की जा रही है।
74.	मैसर्स नन्दिनी कास्टिंग की कीरावथम, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	2.12.2004	कार्रवाई की जा रही है।
75.	मैसर्स पटोदिया इंजीनियरिंग प्रा.लि. की चैमीपलायम गांव, जिला कोयम्बतूर में फाउंड्री यूनिट	03.03.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
76.	मैसर्स संसर कैमीकल्स एंड ड्रग्स लि., एस आई पी सी ओ टी औद्योगिक इस्टेट फेज-2 में बल्क ड्रग यूनिट	08.04.2004	कार्रवाई की जा रही है।
77.	मैसर्स महेन्द्रा सबमर्सिबल पम्प (प्रा.) लि. की कालापट्टी, कोयम्बतूर जिला में फाउन्ड्री यूनिट	28.04.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
78.	मैसर्स सेयको मैटलस एंड एलाय स्टील प्रा.लि. की कन्याबाड़ी गांव, वैलूर जिला में फाउंड्री यूनिट	06.04.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
79.	मैसर्स आर एम एस डाइकस्टिंग द्वारा गांव कालापट्टी, तह. कोयम्बतूर नार्थ, कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	05.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
80.	मैसर्स इन्टरफिट इंडिया लि. (डिवीजन-2) द्वारा गांव थोट्नुथू, जिला डिन्डीगुल, तमिलनाडु की फाउंड्री यूनिट का विस्तार	20.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
81.	मैसर्स हरीहर एलाय कास्टिंग (प्रा.) लि. की लुतीवालम त्रिची जिला, तमिलनाडु में फाउंड्री यूनिट का विस्तार	05.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
82.	मैसर्स चैन्नई पेट्रोलियम में कारपोरेशन लि. द्वारा पानागुड्डी नागापट्टीनम जिला, तमिलनाडु की क्रूड एम टी पी ए से 1.0 एम एम टी पी ए तक विस्तार और गैस स्वीटनिंग यूनिट/एल पी जी रिकवरी यूनिट कावेरी बेसिन रिफाइनरी स्थापित करना	20.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
83.	मैसर्स विनायक मैटल इंडस्ट्रीज की सोमायपलायम कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट	24.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
84.	मैसर्स मेंलटैक कास्टाग (प्रा.)लि. की चिन्नावेदमपट्टी कोयम्बतूर जिला में फाउंड्री यूनिट का विस्तार	01.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
पश्चिम बंगाल			
85.	मैसर्स भास्कर शरची एलाय लि. अंगदपुर, वर्दमान जिला में फाउंड्री यूनिट	02.09.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
86.	मैसर्स ओ एन जी सी द्वारा ईस्ट कोस्ट आफ इंडिया (बंगाल की खाड़ी) में एन ई एल पी के अंतर्गत ड्रिलिंग आफ शोर ब्लाक	03.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
87.	मैसर्स विसाक इन्डस्ट्रीज लि. की चगयोल, भोजा, मिदनापुर जिला में एस्वेस्टी सीमेंट रूफिंग शीटो और सम्बद्ध निर्माण यूनिट का विस्तार	05.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
अन्य			
88.	मैसर्स केरीन एनर्जी इंडिया प्रा.लि. द्वारा बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश तट पर ऑफशोर ब्लाक के जी डी डब्ल्यू एन 98/2 में तेल और गैस के लिए अन्वेषण ड्रिलिंग	03.02.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
89.	मैसर्स रिलायंस इंडिया लि. द्वारा ब्लाक के के डी डब्ल्यू एन 2000/3, (के के-डी 7), जी के-ओ एस जे-3 (जी के 03), एस आर-ओ एस सन 97/1 (एसआर-02), के के-ओ एस एन-97/2 (के के-08), जी एस-ओ एस एन-2000/1 (जी एम) और एस आर-ओ एस-94/1 (एस आर-01) में तेल और गैस अन्वेषण के लिए खोज कुओं और एपरेजल कुओं की खुदाई	10.02.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
90.	मैसर्स गेल द्वारा री-गैसीफाइड लीक्वीडेटी नेचुरल गैस के परिवहन के लिए दहेज से उरन तक 504 किलोमीटर लम्बी भूमिगत क्रास-कन्ट्री पाइपलाइन बिछाना	03.03.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
91.	मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा आंध्र प्रदेश तट से पर के जी डी डब्ल्यू एन 98/3 के जी डी 6 में विकास कार्य	05.05.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
92.	मैसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस का.लि. द्वारा तेल उत्पादन के लिए महाराष्ट्र की पिश्चती पट में डी-1 साउथ मार्जिनल फील्ड का विकास	05.05.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
93.	मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लि. द्वारा आंध्र प्रदेश तट से परे बंगाल की खाड़ी में आफशोर एन ई एल पी-3 ब्लाक के के-ओ एस एन-2001/3 में हाइड्रो कार्बन की अन्वेषण खोज	05.05.2004	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
III. ताप विद्युत			
आंध्र प्रदेश			
94.	मैसर्स लानको कोन्डापल्ली पावर प्रा.लि. द्वारा कोन्डापल्ली, इब्राहीमपटनम मंडल, आंध्र प्रदेश में 850 मेगावाट पावर प्लांट का विस्तार	16.04.2004	कार्रवाई की जा रही है।
बिहार			
95.	मैसर्स नेशनल थर्मल पावर का.लि. द्वारा गांव छुदवा, जिला औरंगाबाद, बिहार के निकट कोयला आधारित 4×250 मेगावाट नबीनगर थर्मल पावर परियोजना	26.3.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
गुजरात			
96.	मैसर्स टोरेन्ट पारवर जेनरेशन लि. की गाँव अखरवोल, तालुका कामरेज, जिला सूरत, गुजरात में 1050 मेगावाट (आई एस ओ-रेटिंग) कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट	27.02.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
97.	मैसर्स गुजरात इलैक्ट्रसिटी बोर्ड, बड़ोदरा की सिक्का, जिला जामनगर में 2×250 मेगावाट आयातित कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन विस्तार यूनिट सं. 3 और 4	23.4.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
कर्नाटक			
98.	मैसर्स जिन्दल ट्रैक्टबेल वर कंपनी लि. की तोरागुलु, बल्लेरी जिला में 2×250 मेगावाट पावर प्लांट (विस्तार स्कीम) और वर्तमान 2×130 मेगावाट संयंत्र के लिए ईंधन में परिवर्तन	21.12.2001	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
उड़ीसा			
99.	मैसर्स नेशनल एल्युमिनीयम कं.लि. की अंगुल, उड़ीसा में कैप्टिव पावर प्लांट की 2 चरण विस्तार परियोजना की क्षमता को 960 मेगावाट से 1200 मेगावाट बढ़ाना	28.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
पश्चिम बंगाल			
100.	मैसर्स वेस्ट बंगाल पावर डिवलपमेंट का.लि. की संतालडील, जिला पुरूलिया में 1×250 मेगावाट थर्मल पावर संयंत्र विस्तार यूनिट 5	16.4.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
101.	मैसर्स पश्चिम बंगाल पावर डिवलपमेंट का.लि. की खीरूर गांव, जिला मुर्शीदाबाद में 2×250 मेगावाट सागरडीगीह थर्मल पावर प्लांट परियोजना चरण-1	20.4.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
102.	मैसर्स दुर्गापुर प्रोजैक्ट लि. (डी पी एल) की दुर्गापुर जिला वर्धमान में 1×250 मेगावाट दुर्गापुर प्रोजैक्ट पावर स्टेशन विस्तार यूनिट 7	1.06.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
IV. खनन			
आंध्र प्रदेश			
103.	मैसर्स के सी पी लि. की कृष्णा जिला में मुक्तयालय लाइमस्टोन खान	06.06.2002 02.12.2002) (को पुन: खोला गया	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
104.	मैसर्स डक्कन सीमेंट लि. की ओपनकास्ट भवानीपुरम चूना खान-2	28.05.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
105.	मैसर्स इंडिया सीमेंट लि. कोरोमंडल चुना खान	28.05.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
106.	मैसर्स पन्ना सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि. कुरनूल जिला में कोरूमनीपाली चूना खान (वर्तमान) का विस्तार	26.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
107.	मैसर्स पन्ना सीमेंट लि. की अनन्तपुर जिला में उरीचिन्ताला चूना खान	26.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
108.	मैसर्स पन्ना सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि. की अनन्तपुर जिला में तालारीचिरूवू चूना खान	26.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
109.	मैसर्स पन्ना सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि. की कुरनूल जिला में कोरूमनीपाली चूना खान (नई) का विस्तार	31.03.2004	कार्रवाई की जा रही है।
110.	मैसर्स सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि. की बुदावदा गांव, जगियापेटा तह., कृष्णा जिला में काकतिया चूना खान	02.12.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
111.	मैसर्स इण्डिया सीमेंट लि. की नालगौण्डा जिला में विष्णुपुरम कैप्टिव चूना खान	16.03.2004	जांच की जा रही है।
112.	मैसर्स इण्डिया सीमेंट लि. गंटूर जिला में कृष्णापुरम कैप्टिव चूना खान	22.03.2004	जांच की जा रही है।
113.	मैसर्स इण्डिया सीमेंट लि. की नालगौण्डा जिला में लक्ष्मीपुरम कैप्टिव चूना खान	19.03.2004	जांच की जा रही है।
114.	मैसर्स सागर सीमेंट लि. की नालगौण्डा जिला में सीगर सीमेंट कैप्टिव चूना खान	19.03.2004	जांच की जा रही है।
115.	मैसर्स सिंगरेनी कालरी कं. लि. अदीलाबाद जिला की खैरगुरा ओ सी पी	19.04.2004	जांच की जा रही है।

1	2	3	4
116.	मैसर्स सिंगरेनी कौलरी का.लि., खम्माम जिला मनुगुरु ओ सी पी	19.04.2004	जांच की जा रही है।
117.	मैसर्स सिंगरेनी कालरी का.लि. खम्माम जिला की साथपल्ली ओ सी पी	19.402.004	जांच की जा रही है।
118.	मैसर्स सिंगरेनी कालरी कं.लि. वारंगल जिला की ककतिया खानी 9 और 9ए यू जी कोयला परियोजना	30.6.2004	कार्रवाई की जा रही है।
119.	मैसर्स सिंगरेनी कालरी कं.लि. करीमनगर जिला की अदरियाला साफ्ट कोयला परियोजना	30.6.2004	कार्रवाई की जा रही है।
120.	मैसर्स श्रीविष्णु सीमेंट लि., नालगौण्डा जिला की सीतापुरम चूना खान	23.06.2004	कार्रवाई की जा रही है।
अरुणाचल प्रदेश			
121.	मैसर्स अरुणाचल प्रदेश मिनरल डिवलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग का लि., जिला छंगलांग की नामचिक नामफुक कोयला खान	13.03.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
छत्तीसगढ़			
122.	मैसर्स लाफर्जी इण्डिया लि. की रायपुर में सोषी चूना खान का विस्तार	29.01.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
123.	मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., कोरबा जिला में रानी अतारी भूमिगत कोयला परियोजना	13.05.2003 (पुन: खोला गया)	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
124.	मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की जिला कोरबा गांव बागदेवा में बागदेवा भूमिगत कोयला खान	12.05.2002 (पुन: खोला गया)	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
125.	मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., की करोबा जिला में दीपका ओपनकास्ट विस्तार कोयला परियोजना	17.06.2003	कार्रवाई की जा रही है।
126.	मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., की कोरबा जिला में गवेरा ओपनकास्ट कोयला खान	17.06.2003	कार्रवाई की जा रही है।
127.	मैसर्स जिन्दल पावर का.लि. की गारे 10/2 और 1/3 ओपनकास्ट कोयला खान	12.12.2002	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
128.	मैसर्स रायपुर एलाय और स्टील लि. की घरडोड़ा जिले में कारवाही ओपनकास्ट कोयला खान परियोजना	28.06.2004	जांच की जा रही है।
गुजरात			
129.	मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट लि., गुजरात की गांव अदित्याना, जिला पोरबन्दर की अदित्याना चूना और क्ले खान	03.07.2002	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत

1	2	3	4
130.	मैसर्स एल एण्ड टी लि. की कोवाया चूना खान	28.05.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
131.	मैसर्स नर्मदा सीमेंट कं. लि. की नर्मदा सीमेंट खान	28.05.2003	जांच की जा रही है।
हरियाणा			
132.	मैसर्स एस ए मिनरल्स, जिला फरीदाबाद की कोट सिलिका बालू खान	17.09.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
133.	मैसर्स एस ए मिनरल्स, जिला फरीदाबाद की कोट सिलिका बालू खान	14.01.2003	कार्रवाई की जा रही है।
134.	मैसर्स जय मिनरल्स, फरीदाबाद जिला की कोट सिलिका बालू खान	14.01.2003	कार्रवाई की जा रही है।
135.	श्री सोम प्रकाश सेठी की पाली सिलिका बालु खान	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
136.	श्री प्रदीप सेठी की पालिका बालु खान	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
137.	श्री रमन सेठी की मांगर सिलिका बालु खान	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
138.	मैसर्स लक्की मिनरल्स की पाली सिलिका बालु खान	28.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
139.	मैसर्स राजधानी मिनरल्स की अनंगपुर सिलिका बालु खान	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
140.	श्री प्रदीप कुमार सेठी की मोहबताबाद सिलिका बालु खान	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
141.	मैसर्स कैलाश चन्द्र आहूजा एण्ड कं. की मेवला महाराजपुर सिलिका बालु खान	27.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
142.	श्री सोमप्रकाश सेठी की अनंगपुर सिलिका बालु खान-1	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
143.	श्री सोमप्रकाश सेठी की अनंगपुर सिलिका बालु खान-2	28.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
144.	श्री रामचन्द्र की मोहबताबाद सिलिका बालु खान	01.05.2003	कार्रवाई की जा रही है।
145.	मैसर्स मोहनराम एण्ड कं. की अनंगपुर सिलिका बालु खान	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
146.	मैसर्स गुडविल मिनरल्स की पाली सिलिका बालु खान	26.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
147.	श्री कर्ण सिंह की नाथुपुर सिलिका बालु खान	31.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
148.	श्री रमेश चन्द्र की दाउज सिलिका बालु खान	01.05.2003	कार्रवाई की जा रही है।
149.	श्री शशिपाल सिंह की पाली सिलिका बालु 1	02.05.2003	कार्रवाई की जा रही है।
150.	श्री शशिपाल सिंह की पाली सिलिका बालु 2	05.05.2003	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
झारखण्ड			
151.	मैसर्स ए सी सी लि. की पश्चिम सिंहभूमि जिला में राजनका चूना खान एफ और एफ 2 का विस्तार	08.08.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
152.	मैसर्स पनीम कोयला माइन्स लि. की पाकुर जिला में पछवारा सेन्ट्रल ब्लाक कोयला खान	14.01.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
153.	मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लि. की गोडा जिला में राजमनहाल ओपनकास्ट कोयला खान परियोजना का विस्तार	02.06.2004	जांच की जा रही है।
154.	मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्डस लि. की जिला लतेहर में हुरीलांग भूमिगत कोयला खान परियोजना	17.05.2004	जांच की जा रही है।
कर्नाटक			
155.	मैसर्स एन एम डी सी की बलैरी जिला में कुमारास्वामी आयरन ओर परियोजना	25.06.2002	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
156.	मैसर्स होथुर ट्रेडर्स, की बलैरी जिला में मालागौला आयरन ओर परियोजना	07.11.2002	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
157.	श्री एलुम प्रसांत, की बलैरी जिला में संजीव नारायण कोटा आयरन ओर परियोजना	26.12.2002	जांच की जा रही है।
158.	मैसर्स हुटी गोल्ड माइंस कं. लि. की रायचुर जिला में ऊटी गोल्ड माइन	27.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
159.	मैसर्स हुट्टी गोल्ड माइंस कं.लि. की रायपुर जिला में ऊटी गोल्ड माइन का विस्तार	27.03.2003	कार्रवाई की जा रही है।
160.	मैसर्स लक्ष्मीनारायण माइनिंग कं.लि. जिला बलैरी की काराडीकाला आयरन ओर खान	28.05.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
161.	मैसर्स रामगढ़ मिनरल एण्ड माइनिंग प्रा.लि. जिला बलैरी (कार्योत्तर) की सच्चिदानन्द आयरन ओर खान	21.08.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
162.	मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि. की बलैरी जिला में थम्मापन्नगुडी आयरन ओर खान	26.08.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
163.	मैसर्स कारीगुनूर मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री, बलैरी जिला के कारीगुनूट आयरन ओर माइनिंग परियोजना का विस्तार	10.03.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
164.	मैसर्स एशियन मिनरल्स माइनिंग कंपनी की बलैरी जिला में मीट्री क्वार्टज माइनिंग परियोजना	06.04.2004	जांच की जा रही है।
165.	बेल्लरी जिला में मैसर्स बीरभद्र संगप्पा एवं कंपनी की धर्मापुरी लौह अयस्क खनन परियोजना	11.06.2004	जांच की जा रही है।

1	2	3	4
166.	शिमोगा जिला में मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि. की तिर्थाहल्ली चिकनी मट्टी खनन परियोजना	11.07.2002 (15.06.2004 को पुन: खोला गया)	जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश			
167.	शहडोल जिला में मैसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि. की अमादन्द ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना	13.12.2002	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
168.	शहडोल जिला में मैसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि. की दामिनी भूमिगत कोयला खनन परियोजना	13.12.2002	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
169.	शहडोल जिला में मैसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि. शीतलधारा एवं क्रुजा भूमिगत कोयला खनन परियोजना	01.05.2002	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
170.	शहडोल जिला में मैसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि. झिड़िया भूमिगत कोयला खनन परियोजना	01.05.2002	कार्रवाई की जा रही है।
171.	सिद्धि जिला में मैसर्स नादर्न कोलफील्ड की झिंगुर्दा ओ सी एम	05.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
172.	छिन्दवाड़ा जिला में मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्डस लि. की छिन्दा ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना	28.04.2004	जांच की जा रही है।
महाराष्ट्र			
173.	चन्द्रपुर जिला में मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्डस लि. की जूना कुनडा ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना	08.03.2004	जांच की जा रही है।
174.	चन्द्रपुर जिला में मैसर्स गुजरात अंबुजा सीमेंट लि. की सोनापुर-धुत्रा खनन परियोजना	12.02.2004	जांच की जा रही है।
175.	यवतमाल जिला में मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्डस लि. की घोंसा ओपनकास्ट कोयला परियोजना	25.05.2004	जांच की जा रही है।
उड़ीसा			
176.	क्योंझर जिला में मैसर्स इण्डियन मेटल एण्ड फेरो एलायज लि. की नौसाही क्रोमाइट खान	04.02.2003	आदेश के लिए प्रस्तुत
177.	क्योंझर जिला में मैसर्स एस एल सारहा और एम एल सारदा की ठाकुरानी लौह अयस्क खान	14.02.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
178.	जाजपुर जिला में मैसर्स इण्डियन चार्च क्रोम की महागिरी क्रोमाइट खान	16.06.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
179.	कोरापुर जिला में मैसर्स नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. की पंचपटमाली बौक्साइट खान का द्वितीय चरण में विस्तार	07.05.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
180.	अंगुल जिला में मैसर्स मोन्नेट इस्पात लि. की उत्कल बी2 ब्लाक कोयला खान	20.06.2003	कार्रवाई की जा रही है।
राजस्थान			
181.	मैसर्स बिरला सीमेंट वर्क की जय-सुरजाना चूना पत्थन खान	01.01.2001	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
182.	पाली जिला में श्री नरपट सिंह की बालू एवं चिनी मिट्टी खान	07.05.2003	जांच की जा रही है।
183.	पाली जिला में श्रीमती धारीवव कंवर की बालू एवं चिनी मिट्टी खान	07.05.2003	कार्रवाई की जा रही है।
184.	बारमेर जिला में मैसर्स जे.के. व्हाईट सीमेंट वर्क्स की सेलेनाइट एवं जिप्सम खान	19.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
185.	भीलवाड़ा जिला में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा अगुचा खान	11.05.2004	जांच की जा रही है।
186.	हनुमानगढ़ जिला में मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लि. की तिराना जिप्सम खान	03.03.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
187.	हनुमानगढ़ जिला में मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लि. की महिला की धानी-1 जिप्सम खान	03.03.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
188.	हनुमानगढ़ जिला में मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लि. की महिला की धानी-2 जिप्सम खान	03.03.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
189.	सिरोही एवं पाली जिले में मैसर्स बोलकेम इण्डस्ट्रीज लि. बेल का पहल कैलसाइट एवं वालस्टोनाइट खान	28.04.2004	जांच की जा रही है।
190.	सिरोही, पाली एवं हनुमानगढ़ जिले में मैसर्स वालकेम इण्डस्ट्रीज लि. की खेरतरला कैलसाइट वालस्टोनाइट खान	16.09.2003	जांच की जा रही है।
191.	बारमेर जिला में मैसर्स इन्टरनेशनल मिनरल्स की कोसारिया बेरी सेलेनाइट एवं जिप्सम खान	14.08.2000	जांच की जा रही है।
192.	उदयपुर जिला में मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स की धोल की पट्टी राक फास्फेट खनन परियोजना	26.08.2002	कार्रवाई की जा रही है।
193.	चित्तौड़गढ़ जिला में मैसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स की मालीखेरा चूना-पत्थर खान	24.12.2004	कार्रवाई की जा रही है।
194.	चित्तौड़गढ़ जिला में मैसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स की निमबहेरा अहरिपुआ चूना-पत्थर खान	24.12.2003	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
195.	चित्तौड़गढ़ जिला में मैसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स की तिलकाहेरा चूना-पत्थर खान	24.12.2003	कार्रवाई की जा रही है।
196.	चित्तौड़गढ़ जिला में मैसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स की करून्दा चूना-पत्थर खान	24.12.2003	कार्रवाई की जा रही है।
197.	उदयपुर जिला में मैसर्स जय पापलीमर कम्पनी प्रा.लि. भरकुण्डी-1 सोपस्टोन खान	14.06.2004	जांच की जा रही है।
198.	भीलवाड़ा जिला में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. की रामपुरा अगुचा खान	11.05.2004	जांच की जा रही है।
तमिलनाडु			
199.	मैसर्स मद्रास अल्युमिनियम कम्पनी लि. द्वारा शिवेरी बाक्साईट खान का विस्तार	12.12.2003 (पुनः खोला गया)	अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत
V. अवसंरचना और विविध			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			
200.	ए एल एच डब्ल्यू द्वारा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अयनार मंदिर के पास दक्षिण प्वाइन्ट पर पर्यटन घाट का निर्माण	21.4.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
201.	ननकोरी द्वीप समूह का हिटुई एवं मुनाक गांव में घाटों का निर्माण	29.8.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
आंध्र प्रदेश			
202.	मैसर्स डा. रेड्डी लेबोरटरीज लि. द्वारा राणास्थल मंडल, श्रीकाकुलम जिले के आई टी ए पाइडीभीवरम में अधिकांश दवाई इकाईयों से निकलने वाले शोधित बहिस्रावों के समुद्र में निस्तारण के लिए पाइपलाइन बिछाना	05.09.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
203.	मैसर्स त्रिमेक्स द्वारा समुद्री बालु खनन परियोजना	10.10.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
204.	विशाखापत्तनम नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विशाखापत्तनम और भिमुनिपटनम (स्वर्णधारा थीरम रोड) को जोड़ने वाले तटीय सड़क का निर्माण	27.02.2004	कार्रवाई की जा रही है।
205.	मैसर्स कैर्न एनर्जी प्रा.लि. द्वारा पूर्वी गोदावरी जिला में चिरायानम गांव, उप्पुलागुप्तम मंडल में स्थित पी के जी एम 1 ब्लाक के तटोन्मुख क्षेत्र में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग	11.6.2004	जांच की जा रही है।
गोवा			
206.	मैसर्स सोनेस्टा इन्स प्रा.लि. द्वारा कंडोलिम गांव, बारदेज तालुक की सर्वेक्षण सं. 166/5 में एक बीच रिसॉर्ट का निर्माण	03.09.2003	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
207.	मैसर्स टोनिका इस्टेट्स द्वारा कोलवा गांव, सलसेटा तालुका के सर्वेक्षण सं. 57/1 में एक प्रस्तावित होटल का निर्माण	3.3.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
208.	श्री सी आर नाई देसाई द्वारा अगोंडा गांव, कैनाकोना तालुक की सर्वेक्षण सं. 118/22 में एक प्रस्तावित्त होटल का निर्माण	29.03.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
गुजरात			
209.	मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. द्वारा सिक्का, जिला जामनगर में तटोन्मुख रसायनों के भंडारण टर्मिनल के लिए मौजूदा घाटों से 5 मि.मी. लम्बी पाइपलाइन बिछाने के लिए सी आर जेड मंजूरी	03.07.2002	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
210.	मैसर्स गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कच्छ जिला में कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन, कच्छ से कोरी क्रीक तालुका लखपट तक शोधित बहिस्राव के पहुंचने के लिए शोधित बहिस्राव निपटान पाइपलाइन के लिए सी आर जेड मंजूरी	03.07.2002	कार्रवाई की जा रही है।
211.	जी आई डी सी द्वारा विलायट एवं दहेज में जी आई डी सी औद्योगिक परिसम्पत्तियों से निकलने वाले शोधित बहिस्राव के निपटान के लिए बहिस्राव निपटान पाइपलाइन को बिछाना	2.4.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
212.	मैसर्स अदानी केमिकल्स लि. द्वारा मुंद्रा में साल्ट वर्क्स की स्थापना	25.4.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
213.	कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 10वीं कारगो बर्थ (12वीं कारगो बर्थ नया नाम) का निर्माण	26.6.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
214.	फिशरीज कमीशनरेट द्वारा ओखा में लघु मछलीगाह बंदरगाह के लिए सी आर जेड मंजूरी	27.6.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
215.	मैसर्स गुजरात हैवी केमिकल्स लि. द्वारा अहमदाबाद जिला में भानगधा, टा. धनधुका गांव में सोलर साल्ट वर्क्स की स्थापना के लिए सी आर जेड मंजूरी	8.8.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
216.	मेसर्स निरमा लि. द्वारा भावनगर जिला में सोलर साल्ट वर्क्स के विकास के लिए सी आर जेड मंजूरी	12.08.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
217.	मैसर्स परमान बिल्डर्स एवं डेवलपर्स द्वारा कलई गांव में बीच रिसोर्ट का विकास	10.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
218.	मैसर्स गुजरात अदानी पोर्ट लि. द्वारा मुंद्रा पत्तन पर एस पी एम, सी ओ टी एवं जोड़ने वाली पाइपलाइन के लिए सी आर जेड मंजूरी	30.10.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत

1	2	3	4
केरल			
219.	मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि. द्वारा जिला, अर्नाकुलम, केरल के कोचीन बंदरगाह पर सीमेंट हथालन, भंडारण एवं पैकिंग सुविधाएं	02.07.2001	जांच की जा रही है।
220.	केरल लोक कार्य विभाग द्वारा पप्पीन सेरी-पिलधारा, कन्हानगड-कसरगोड में सड़क को बढ़ाने के लिए केरल राज्य परिवहन परियोजना चरण-2	29.07.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
221.	मैसर्स कोच्ची रिफाइनरीज लि. द्वारा एस पी एम के शोर टैंक फार्म तक एकल प्वाइन्ट मूरिंग सबमराइन पाइपलाइन सहित कच्चे तेल की प्राप्ति के लिए सुविधाओं का विकास	18.12.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
222.	हार्बर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कायीलंडी में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह का निर्माण	19.02.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
223.	केरल लोक कार्य विभाग द्वारा पुनालुर पोनकुन्नम-थोडुपुझा (134 कि.मी.) में केरल राज्य परिवहन परियोजना चरण-2	6.04.2004	कार्रवाई की जा रही है।
महाराष्ट्र			
224.	मैसर्स रिलाइन्स इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा जे एन पी टी में नाफ्था (वर्ग क) उत्पादकों का हथालन	09.05.2001	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
225.	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लि. द्वारा मुम्बई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना (सेवरी से नाभा तक)	04.06.2001	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
226.	टाटा पावर कं. लि. द्वारा ट्राम्बे-मुम्बई सबरबन जिला में 5, 6 एवं 7 स्टेशनों के लिए मौजूदा शीतलन वाटर आऊट फाल का सुधार	6.3.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
227.	मैसर्स लगवन डाक यार्ड प्रा.लि. द्वारा लवगन डाकयार्ड का प्रस्ताव	26.6.2003	जांच की जा रही है।
228.	मैसर्स सुप्रीम पैट्रो कैम.लि. द्वारा जैटटी और कैमीकल टर्मिनल का निर्माण	29.10.2003	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
229.	मैसर्स इन्डो एनर्जी इन्टरनेशनल लि. द्वारा सोनेगांव तालुका रोडा में प्रस्तावित जैट्टी के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	16.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
230.	महाराष्ट्र सड़क विकास निगम लि. द्वारा मुम्बई शहर के पश्चिम समुद्र तट पर जल परिवहन सेवाओं के लिए लैंडिंग सुविधाएं	16.11.2003	कार्रवाई की जा रही है।
231.	मुम्बई रेलवे विकास का.लि. के अंतर्गत मयाण्डर वितरण अतिरिक्त लाइन जोड़ने के लिए तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना के अंतर्गत मंजूरी	16.01.2004	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
232.	मत्स्य पालन आयुक्त सारवारीनेती और हरनी बिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में मत्स्यपालन हार्बर का निर्माण	23.02.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
233.	महाराष्ट्र सरकार और नगर विमानन मंत्रालय द्वारा नागपुर में विश्व श्रेणी मल्टी माडल इन्टरनेशनल पैसेंजर और कार्गो हब हवाइअड्डे के विकास का प्रस्ताव	23.04.2004	कार्रवाई की जा रही है।
234.	मैसर्स आई एम सी लि. द्वारा जे एन पी टी पर बी पी सी एल जैट्टी के मार्फत, ए, बी और सी श्रेणी के पैट्रोलियम और पैट्रोकैमिकल्स उत्पादों के रखरखाव की अनुमति	19.5.2004	कार्रवाई की जा रही है।
235.	मैसर्स इण्डियन आयल का लि. द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट आल पर भण्डारण टर्मिनल के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	25.06.2004	जांच की जा रही है।
उड़ीसा			
236.	एन एच ए आई द्वारा पारादीप पोर्ट रोड संयोजन परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	13.08.2003	जांच की जा रही है।
237.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पारादीप पोर्ट पर प्रवेश चैनल की डीपनिंग	13.11.2003	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
पाण्डिचेरी			
238.	मछुआरा कल्याण स्थापना निदेशालय द्वारा करइकाला पर फिशिंग हार्बर की स्थापना	18.12.2003 (पुन: खोला गया)	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत
239.	मैसर्स चैमप्लास्ट लि. द्वारा भीलावंजोरी, करइकाला पर प्रस्तावित एथलीन डीक्लोराइड के एथलीन आयात के लिए मैरीन टर्मिनल सुविधा स्थापित करना।	2.4.2004	कार्रवाई की जा रही है।
तमिलनाडु			
240.	कुड्डालोर एस आई पी सी ओ टी औद्योगिक सामूहिक उपयोगिता लि. द्वारा शोधित बहिस्राव के संग्रहण और निपटान स्कीम के लिए सी आर जेड मंजूरी	29.07.2003	कार्रवाई की जा रही है।
241.	एन एच ए आई द्वारा कृष्णागिरी (0 किलोमीटर/000) से वाणी अम्बावाड़ी (किलोमीटर 49/000) कृष्णागिरी से रानीपेट एन एच 46 के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	18.08.2003	कार्रवाई की जा रही है।
242.	मैसर्स इन्डस्ट्रीयल मिनरल्स इण्डिया प्रा.लि. द्वारा विलाथीकुलम में पेरियासामीपुरम और वेम्बर गांव, तालुक थोथुकुडी जिला में दुलर्भ खनिजों के खनन के लिए सी आर जैड पर्यावरणीय मंजूरी	01.01.2004	अंतिम आदेश के लिए प्रस्तुत

1	2	3	4
243.	मैसर्स ए वर्ल्ड शक प्रा.लि. द्वारा सिरकाली थारंगमवाडी और नागापट्टीनम में हैवी खनिजों का खनन	27.02.2004	कार्रवाई की जा रही है।
244.	वैलुर इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी द्वारा वैलूर इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी में हैलीपैड का निर्माण	19.02.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
245.	मैसर्स वी वी मिनरल्स लि. द्वारा राधापुरम तालुक तिरूनवेली जिला में हैवी खनिजों के खनन के लिए सी आर जैड/पर्यावरणीय मंजूरी	04.03.2004	कार्रवाई की जा रही है।
उत्तरांचल			
246.	स्टेट अब्जरवेटरी द्वारा देवास्थल, जिला नैनीताल में टेलीस्कोप स्थापित करना	04.03.2004	-
उत्तर प्रदेश			
247.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कि.मी. 51/000 से 152/000 तक मेरठ-उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल बार्डर के मिलन पर वर्तमान दो लेन सड़क को 4/6 लेन डयूल कैरिजवें को पुनर्निर्माण और सुदृढ़ बनाना	18.11.2003	कार्रवाई की जा रही है।
248.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राप्ती बायपास सहित गोरखपुर बाइपास की 4/6 लेन का निर्माण	18.03.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
249.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन एच 28 पैकेज सी-3/3 का 9.00 कि.मी. से 135 कि.मी. (लखनऊ से अयोध्या) तक चार लाइन करना	11.03.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
अन्तरराज्यीय			
250.	ईस्ट वेस्ट कारीडोर का राजस्थान/मध्य प्रदेश बार्डर से झांसी पैकेज 4 (कि.मी. 579.00 से 610 कि.मी.) एन एच 76 पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में और 00.00 कि.मी. से 100.00 किमी एन एच 25 को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना	18.03.2004	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

(ख) वानिकी मंजूरी

क्र.सं.	वर्ष	प्रस्ताव का नाम	राज्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	2003	शौएल खाड़ी 15 से 19 में सड़क के निर्माण हेतु 5.605 हैक्टेयर वनभूमि का वनेतर प्रयोग	अंद. एवं निको. द्वीप समूह	कार्रवाई की जा रही है।
		अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	1	

1	2	3	4	5
2.	2003	एससीसीएल सातु पाली का खान पट्टा-ओपन कास्ट परियोजना	आंध्र प्रदेश	23.04.2004 से एस आई आर की प्रतीक्षा है।
3.	2003	आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लि. के पक्ष में पारि-पर्यटन परियोजना	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
4.	2003	ई ई आई एण्ड सी ए डी विभाग, श्रीकाकुलम के पक्ष में कुम्बीडीगिडा के परे जलाशय बनाना	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
5.	2003	मैसर्स स्वरूप ग्रेनाइट मेटल वर्क्स की खान और क्वेरी-पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
6.	2003	मैसर्स श्री वेनगम्बा इंजीनियरिंग कं. का खनन और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
7.	2003	श्री एस. गेदेश्वर राव का खनन और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
8.	2003	मैसर्स बाजी बाबू कंस्ट्रक्शन खनन और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
9.	2003	मैसर्स वेंकरमन ग्रेनाइट मैटल वर्क्स का खनन और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
10.	2003	श्री एस. कदरेश्वर राव का खान और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
11.	2003	मैसर्स चैतन्य मैटल वर्क्स का खान और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
12.	2003	श्री पी. करुणाकर का खान और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
13.	2003	श्री एस. रघुराम का खान और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
14.	2003	मैसर्स विजय ज्योति स्टोन क्रशर का खान और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
15.	2003	श्री वी. राममोहन राव का खान और क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
16.	2003	डा. वी. संजीव रेड्डी, नान्देयाल का स्टीएटाइट और डोलोमाइट पट्टे के लिए आवेदन	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
17.	2003	मैसर्स एसएससीएल के पक्ष में वेंकटेश खानी 7 इनकलाइन पर नालेर का टीएलाइनमेंट	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
18.	2004	मैसर्स सिंगारनी कालारी कं. लि. का दातीचेरला आरक्षित वन में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
19.	2004	एससीसीएल के पक्ष में असवापुरा रेंज के मनुगरू में कोन्डपुर एक्सटेंशन 1 में ओ सी पी 2 चरण 3 के खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
20.	2004	इन्डो-अमरीकन परियोजना और पर्यटन विभाग के पक्ष में बेपार्क पर्यटन परियोजना का निर्माण	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
21.	2004	इन्डो अमरीकन परियोजना और पर्यटन विभाग के पक्ष में बेन्याई पर्यटन परियोजना	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
22.	2004	मैसर्स जुरेसिक स्टोन्स प्रा.लि. के पक्ष में बोलापाल्ली आरक्षित वन में खनन पट्टा मंजूर करने के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
		आंध्र प्रदेश काउन्ट	21	
23.	2003	हापोली-सुरली-हुरी सड़क का निर्माण, चौड़ा करना और सुधार	अरुणाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
24.	2004	हांदोली-सुरली-हुरी सड़क के दिशापरिवर्तन क्षेत्र का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
		अरुणाचल प्रदेश काउंट	2	
25.	2003	अन्वेषक ड्रिलजी के ई ओ/जी के ईक्यू के लिए वन भूमि	असम	कार्रवाई की जा रही है।
26.	2003	जी के ए पी में अन्वेषक ड्रिलिंग	असम	कार्रवाई की जा रही है।
27.	2003	नागांव डिवीजन के अंतर्गत नए महाल खोलना	असम	कार्रवाई की जा रही है।
28.	2003	धुबरी डिविजन के अंतर्गत हिल स्टेशन महाल 1 अदद और न्यू महाल के 4 अदद की ओपनिंग	असम	कार्रवाई की जा रही है।
29.	2003	धीमाजी डिविजन के अंतर्गत बालू महाल खनन	असम	कार्रवाई की जा रही है।
30.	2003	नाकाटी हिल स्टोन क्वेरी 2 का नवीकरण	असम	कार्रवाई की जा रही है।
31.	2003	नागपंव साऊथ डिविजन के अंतर्गत स्टोन/बालू महाल खनन	असम	कार्रवाई की जा रही है।
32.	2003	आई वैली डिविजन में स्टोन क्वेरी	असम	कार्रवाई की जा रही है।
33.	2003	कामरूप पश्चिम डिविजन के अंतर्गत बालु महाल खनन	असम	कार्रवाई की जा रही है।
34.	2003	सैंड महलों का नवीकरण	असम	कार्रवाई की जा रही है।
35.	2003	सैंड एवं ग्रैवेल महलों का नवीकरण	असम	कार्रवाई की जा रही है।
36.	2003	रिवरबेंड महलों का नवीकरण	असम	कार्रवाई की जा रही है।
37.	2003	महलों का नवीकरण	असम	कार्रवाई की जा रही है।
38.	2003	मकरीझोड़ा सैंड एवं ग्रेवेल महल	असम	कार्रवाई की जा रही है।
39.	2003	सैंड महलों का नवीकरण	असम	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
40.	2003	पंजाबारी-बताहगुरी वाया पातरकुची सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 तक	असम	कार्रवाई की जा रही है।
41.	2004	ड्रिलिंग स्थान	असम	कार्रवाई की जा रही है।
42.	2004	डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वेक्षण	असम	कार्रवाई की जा रही है।
		असम काउन्ट	18	
43.	1996	डब्ल्यू आर विभाग द्वारा शिलाखंडों को जमा खनन	बिहार	कार्रवाई की जा रही है।
44.	2002	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के 4 लेन के लिए पत्थर का खनन	बिहार	कार्रवाई की जा रही है।
		बिहार काउन्ट	2	
45.	2003	जिंदल पावर लि. द्वारा 1000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र के लिए कुरकुट नदी पर बांध का निर्माण	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
46.	2003	सिलोहा सिंचाई परियोजना का निर्माण	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
47.	2003	हरदी गांव में नदी का निर्माण	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
48.	2003	बैंगो सिंचाई परियोजना का निर्माण	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
49.	2003	एसईसीएल, प. चिरमिरि के लिए ओपनकास्ट खनन	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
50.	2003	मटनार रो स्कीम (3×20 मेगावाट)	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
51.	2003	मैसर्स एस ई सी एल के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
52.	2003	जल संसाधन विभाग द्वारा बागदी नदी पर बांध का निर्माण	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
53.	2004	राजडेरा गांव के पास राजडेरा टैंक योजना	छत्तीसगढ़	कार्रवाई की जा रही है।
		छत्तीसगढ़ काउन्ट	9	
54.	2004	सर्वेक्षण सं. 17/1/1/4/1 के लिए सड़क के किनारे रास्ता का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	कार्रवाई की जा रही है।
55.	2004	नरोली गांव के सर्वेक्षण सं. 614/1 के लिए सड़क का निर्माण हेतु मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	कार्रवाई की जा रही है।
56.	2004	सर्वेक्षण सं. 7 के लिए सड़क किनारे मार्ग का निर्माण	दादर एवं नागर हवेली	कार्रवाई की जा रही है।
		दादर एवं नागर हवेली काउन्ट	3	
57.	2004	मैसर्स एम.एस. रेगी के पक्ष में कॉलम (5) सगम तालुक में डीम्ड खनन पट्टा सं. 50/58 के संबंध में वनभूमि का वनेतर उपयोग	गोवा	कार्रवाई की जा रही है।
		गोवा काउन्ट	1	

1	2	3	4	5
58.	1997	वन गावों को राजस्व गांवों में बदलना	गुजरात	30.09.2003 से एस आई आर की प्रतीक्षा है।
59.	2000	वन संरक्षण अधिनियम की धारा-4 को समाप्त करना	गुजरात	13.01.2003 से एस आई आर की प्रतीक्षा है।
60.	2002	वन संरक्षण अधिनियम की धारा-4 को समाप्त करना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है। स्थल रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
61.	2003	21 गांवों की धारा-4 को समाप्त करना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
62.	2003	गांवों के धारा 4 क्षेत्र को समाप्त करना	गुजरात	प्रस्ताव विचाराधीन है।
63.	2003	पालिटाना में शत्रुंजय पहाड़ी पर विसामा का निर्माण	गुजरात	प्रस्ताव विचाराधीन है।
64.	2003	गेल के पक्ष में भूमिगत ओ एफ सी को बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
65.	2003	बेमानपुर से साखियाली तक दो लेन को 4 लेन 8ए में परिवर्तित करना	गुजरात	प्रस्ताव विचाराधीन है।
66.	2003	दीसा से पालनपुर तक दो लेन को 4 लेन में परिवर्तित करना	गुजरात	प्रस्ताव विचाराधीन है।
67.	2003	हरिपुर से बालखेड-भित्रावद तक 1 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	गुजरात	प्रस्ताव विचाराधीन है।
68.	2003	लुनावाड़ा से संतरानपुर तक 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	गुजरात	प्रस्ताव विचाराधीन है।
69.	2003	गांधीनगर से खेरख तक पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	प्रस्ताव विचाराधीन है।
70.	2003	गांवों में धारा 4 को समाप्त कराना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
71.	2003	गेल के पक्ष में ओएफसी एवं गेस पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
72.	2003	पेयजल पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
73.	2003	रोल द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
74.	2003	बहिस्राव निपटान जल पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
75.	2003	आई ओ सी द्वारा सलाया-मथुरा कच्चा तेल पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
76.	2004	रायोली गांव से धारा 4 की समाप्ति	गुजरात	12.04.2004 से एस आई आर की प्रतीक्षा है।
77.	2004	वनकोनेडा, फतेपुरा, सुलतानपुरा, प्रातवेल भैपुरा एवं दाभा गांव, तालुक-बयाद से धारा 4 क्षेत्र की समाप्ति	गुजरात	विचाराधीन

1	2	3	4	5
78.	2004	श्रीकृष्ण एजुकेशन ट्रस्ट के पक्ष में इंजीनियरिंग कैम्पस को जोड़ने वाली सड़क	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
79.	2004	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लि. के पक्ष में मुन्द्रा से धलिंदा तक कच्चा तेल पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
80.	2004	आई ओ सी एल के पक्ष में मुन्द्र से काडला तक कच्चा तेल पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
81.	2004	आई ओ सी एल के पक्ष में मुन्द्र से काडला तक कच्चा तेल पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
82.	2004	मुन्द्रा से भटिंडा तक कच्चा तेल पाइपलाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
83.	2004	अमटा, निशान, वाडिया, दाभा एवं सकल गांवों में 11 के वी एल अ एच टी एवं टी/सी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
84.	2004	मुन्द्र से भटिंडा तक कच्चे तेल पाइपलाइन बिछाना		
85.	2004	भादर-2 जल संसाधन परियोजना का निर्माण	गुजरात	कार्रवाई की जा रही है।
		गुजरात काउन्ट	28	
86.	2003	लकड़पुर गांव की धारा 4 को पुन: अधिसूचित करना	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है। एस आई आर प्राप्त नहीं हुई है।
87.	2003	रोहतक जिला एवं डिव. में राष्ट्रीय राजमार्ग-10 किमी. 89.7 से 112.5 फीट के साथ-साथ ओ एफ सी बिछाना	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
88.	2003	हिसार जिला में डिव. में डी एच एस रोड एन एच-10 कि.मी. 157-58 एल/एस फीट पर मैसर्स डेसी मोटोर्क द्वारा पेट्रोल पम्प के लिए पहुंच सड़क का निर्माण	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
89.	2003	कुरूक्षेत्र जिला एवं डिव. में पेट्रोल पम्प से थानेसर पेहोवा रोड किमी. 14-15 आर एस फीट के पहुंच सड़क का निर्माण	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
90.	2004	वन विभाग करनाल में पेट्रोल पम्प से पानीपत असान्द रोड कि.मी. 15-16 एल एस तक पहुंच सड़क का निर्माण	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
91.	2004	वन विभाग और जिला यमुना नगर में खेरा सधौरा से 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
92.	2004	वन विभाग करनाल में लाला हरभगवान मेमोरियल एवं डा. प्रेम हास्पिटल प्रा.लि. से पहुंच सड़क का निर्माण	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
93.	2004	वन विभाग में हिसार चंडीगढ़ रोड कि.मी. 165-165 से पेट्रोल पम्प के लिए पहुंच सड़क का निर्माण	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
94.	2004	वन विभाग एवं जिला गुड़गांव में जी डी गोइनका वर्ल्ड स्कूल के लिए मार्ग का निर्माण	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
95.	2004	वन विभाग एवं जिला करनाल, हरियाणा में जी टी रोड कि.मी. 110-111 एल/एस पर फुटकर बाजार की स्थापना	हरियाणा	कार्रवाई की जा रही है।
		हरियाणा काउन्ट	10	
96.	2004	कुल्लू में सियाल-पाशा-शाइन सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
97.	2004	कुल्लू हिमाचल प्रदेश में मशी लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
98.	2004	अणी वन विभाग में 3 मेगावाट साची हेप का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
99.	2004	जब्बल-कनुटी करछाना आम्टा रोड नहान से अपर सुरिया गांव तक लिंक रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
100.	2004	पूर्व सैनिक योगदायी स्वास्थ्य योजना के लिए पोलीक्लिनिक का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
101.	2004	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पक्ष में धीरा से शिरमुला तक जीप योग्य सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
102.	2004	मनाली मक नगर पंचायत के पक्ष में पार्किंग स्थल का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
103.	2004	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
104.	2004	श्री शैलेन्द्र कुमार, मण्डी द्वारा खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
105.	2004	धर्मशाला में कथराना से काटेरी रोड पर खुदरा बिक्री दुकान का रास्ता	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
106.	2004	रोडी-गैला-गतयाना रोड पर खुदरा बिक्री दुकान का रास्ता	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
107.	2004	कनिहार सोजन में दानोघाट-शेगलोजिया कजयारा बंबीरा रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
108.	2004	कातासन से उत्तमवाला बारा बन रोड तक लिंक रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
109.	2004	अनि में खेनवी-बंशा रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
110.	2004	कुफरी-पटियालकर-सेराथाना-रोनरबार रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
111.	2004	नालागढ़ में एस के आर एन रोड पर सिरसा नदी पर 3.46 मीटर स्पान प्रीसट्रेस बाक्स गिरडर पुल का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
112.	2004	जछ-कैन-लागोर रोड, नोपुर पर खुदरा बिक्री दुकान का रास्ता	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
113.	2004	धर्मशाला में आई एंड पी एच विभाग के पक्ष में एल डब्ल्यू एस एस नैनाटिकर के पम्प हाऊस का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
114.	2004	परवत्री वन डिविजन के टास मिनी एच ई पी का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
115.	2004	हिमालय कर्मचारी दलित वर्ग, कुल्लू द्वारा डेस्टीक्यूटस के लिए स्कूल भवन का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
		हिमाचल प्रदेश काऊंट	26	
116.	2001	भंडारहिल से दुमका तक नई बी जी रेलवे लाईन	झारखंड	कार्रवाई की जा रही है।
		झारखंड काऊंट	1	
117.	2003	श्री मंगला वन्यजीव रेंज के आदिवासियों का पुनर्वास	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
118.	2003	के यु डब्ल्यू एस एंड डी के पक्ष में बोगाची से पाईप लाइन बिछाना और 11 के वी टी सी लाईन खींचना	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
119.	2003	श्री आर एन शेट्टी एंड कंपनी द्वारा एन एच कार्यों के लिए स्टोन कुयैरी की स्थापना	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
120.	2003	संत श्री बाड़ीराज स्वामी जी की याद में स्मारक मंडप का निर्माण	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
121.	2004	चौबले एंड कंपनी लि. के पक्ष में खनन पट्टा संख्या 130/1190 का नवीकरण	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
122.	2004	वर्तमान बलैरी चिड़ियाघर का बिल्लीकाल आर एफ में पुनर्स्थापना	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
123.	2004	संगमित्रा बुदभा के मूर्ति निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
124.	2004	एस जी ए आर पावर लि. हैदराबाद के पक्ष में धर्मस्थल बेलथानगाड़ी तालूक के निकट नेत्रवदी नदी पर डांडेला पुरने पर 10 मेगावाट का लघु पण योजना की स्थापना	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
125.	2004	विश्वकर्मा अलवर ढाका संघ के पक्ष धार्मिक एवं प्रयोजनों के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
126.	2004	कोडागु हैरीटेज केन्द्र की स्थापना के लिए डीम्ड वन का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	कार्रवाई की जा रही है।
		कर्नाटक काउंट	10	
127.	2004	कल्लार क्षेत्र, ठेक्कुथोडु के दायिने किनारे पर एक इन टेक व्यवस्था का निर्माण	केरल	कार्रवाई की जा रही है।
128.	2004	माने गई वन भूमि का वनेतर उपयोग	केरल	कार्रवाई की जा रही है।
129.	2004	माने गई वन भूमि का वनेतर उपयोग	केरल	कार्रवाई की जा रही है।
		केरल काउंट	3	
130.	2002	वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना	मध्य प्रदेश	27.2.2004 को एफ ए सी को प्रस्तुत किया गया। एफ ए सी ने 1995 की याचिका सं. 337 के मद्देनजर मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया। स्थल निरीक्षण किया जाना
131.	2003	112 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना	मध्य प्रदेश	27.11.2003 पंचमहल दाहोद और सूरत, नर्मदा
132	2003	प्रधानमंत्री रोड परियोजना द्वारा रोड का निर्माण	मध्य प्रदेश	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
133.	2003	कलहुट्टी से सोलोवाड़ा तक बिजली बिछाना	मध्य प्रदेश	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
134.	2003	पंचकोषी रोड का निर्माण	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
135.	2003	प्रधानमंत्री रोड स्कीम निर्माण	मध्य प्रदेश	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
136.	2003	महेशपुर तलाब में सिंचाई परियोजना का निर्माण	मध्य प्रदेश	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
137.	2003	मैसर्स त्रिशुल टाईल, बागरा के मिट्टी खनन का नवीकरण	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
138.	2003	मैंगनीज और इंडिया लि., भारवेली माइन्स का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
139.	2003	राजघाट नहर का निर्माण	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
140.	2003	गेल द्वारा दाहेज-बेगर विजयपुर एल एन जी पाईपलाइन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
141.	2003	इस्टर्न मिनरल्स, झांसी के पक्ष में डायास्कोर/ पायरोफिलाइड खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
142.	2003	अम्बा एवं गोरेदिया गांव में इंदिरा सागर मुख्य नहर	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
143.	2003	मैसर्स सिंह के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
144.	2003	कांदिया कुंदिया एम आई टैंक का निर्माण	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
145.	2003	मैसर्स खुजराहो मिनरल्स के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
146.	2003	श्री संजय शुक्ला के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
147.	2003	श्री संजय कटारे के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
148.	2003	श्री दिनेश के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
149.	2003	संजय गांधी थर्मल परियोजना की 500 मेगावाट इकाई का विस्तार, रेलवे लाईन आदि का निर्माण	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
150.	2003	बालक वाढ़ा टैंक परियोजना का निर्माण	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
151.	2004	बांधवगढ़ बांध रिजर्व से आदिवासियों का पुर्नवास	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
152.	2004	10 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
153.	2004	92 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
154.	2004	01 वन ग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
155.	2004	26 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
156.	2004	05 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
157.	2004	79 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
158.	2004	05 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
159.	2004	90 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
160.	2004	42 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
161.	2004	28 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
162.	2004	05 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
163.	2004	14 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
164.	2004	49 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
165.	2004	13 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
166.	2004	54 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	मध्य प्रदेश	कार्रवाई की जा रही है।
		मध्य प्रदेश काउंट	37	
167.	2003	श्री महाडा राम चुएडे के पक्ष में वन भूमि का आदान-प्रदान	महाराष्ट्र	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
168.	2003	जिह कथापार लिफ्ट सिंचाई स्कीम की अन्धाली टनल का निर्माण	महाराष्ट्र	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
169.	2003	बल्लहार पी टी का निर्माण	महाराष्ट्र	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
170.	2003	दाहवाणे सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
171.	2003	हरीता एम आई टैंक का निर्माण	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
172.	2003	धारा 3 के अंतर्गत अधिग्रहीत डीम्ड आरक्षित वन भूमि का वनेतर उपयोग	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
173.	2003	इंडिया एलमुनियम कम्पनी लि. के पक्ष में खनन पट्टा	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
174.	2003	मुम्बरा-कोसा बाई पास रोड के अलाईनमैन्ट में परिवर्तन	महाराष्ट्र	31.12.2003 से लंबित
175.	2003	डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरकारी संस्थान, मर्यादित के पक्ष में खनन पट्टा	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
176.	2004	तारापुर एटोमिक पावर प्लांट से संबंधित 400 के वी एवं 220 के वी की ट्रांसमिशन लाईन	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
177.	2004	वन ग्राम मान्डवा से धोक्षनार के बीच गुजरने, 2.5 कि.मी. रोड का निर्माण	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
178.	2004	डाक्टर बी आर अम्बेडकर रक्षा संस्थान के पक्ष में स्कूल भवन, खेल मैदान एवं वनस्पति उद्यान	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
179.	2004	आइडिया सैलुलर लि. के पक्ष में 22 के वी की ट्रांसमिशन लाईन बिछाना और ट्रांसफारमर की स्थापना	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
180.	2004	आईडिया सैलुलर लि. के पक्ष में भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन एवं एक ट्रांसफारमर की स्थापना	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
181.	2004	आईडिया सैलुलर लि. के पक्ष में भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन एवं एक ट्रांसफारमर की स्थापना	महाराष्ट्र	कार्रवाई की जा रही है।
		महाराष्ट्र काउंट	15	
182.	1999	मैसर्स जे एस कन्सट्रक्शन लि. द्वारा ब्लैक स्टोन क्वैरी	उड़ीसा	कार्रवाई की जा रही है।
183.	1999	ईपीकोल को कच्चा लोहा आधारित उद्योग	उड़ीसा	कार्रवाई की जा रही है।
184.	2002	टांगी चांदपुर बायपास रोड	उड़ीसा	कार्रवाई की जा रही है।
185.	2002	गंजम से सुनाखला तक राजमार्ग 5 की 04 लेनिंग	उड़ीसा	कार्रवाई की जा रही है।
186.	2004	मैसर्स लाल ट्रेडर्स एंड ऐजेंसिस प्रा.लि. का खनन पट्टा	उड़ीसा	17.3.2004 को स्थल निरीक्षण का अनुरोध किया गया
		उड़ीसा काउंट	5	

1	2	3	4	5
187.	2003	लिगारगागा-दुग्गल रोड कि.मी. 3-4 पर खुदरा बिक्री दुकान की स्थापना	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
188.	2003	मलकावा ग्राम पर खुदरा बिक्री पैट्रोल पम्प को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
189.	2003	चंडीगढ़ अम्बाला रोड पर जानेतपुर गांव में खुदरा बिक्री पैट्रोल पम्प	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
190.	2003	गोनियाणा-बदुवाना रोड, कि.मी. 8-9 आर/एस जेसा ग्राम के निकट	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
191.	2003	गांव कोटमई, वन डिविजन फरीदकोट में जिदरब कोटामाई रोड खुदरा बिक्री दुकान	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
192.	2003	पटियाला सरहिन्द रोड की चार लेनिंग, 1.2 से 8.00 कि.मी. तक	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
193.	2003	परोल गांव में वोकेशनल कोर्स के लिए शिक्षण संस्थान का निर्माण	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
194.	2003	जिडेरबाहा मालाऊठ रोड पर हसनर गांव में जी डी बी एम एल टी रोड खुदरा बिक्री दुकान	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
195.	2003	गांव नारड़ा में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए कनाछियन संस्थान का निर्माण	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
196.	2003	पटियाला मुख्य रोड से दसमोड नायूर तक मार्ग का निर्माण	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
197.	2004	पेप्पी फूड लि. द्वारा एक्सचेंज के लिए मेन रोड से नए एन्टरेंस गेट का निर्माण वन डिविजन से चन्नी से पटियाला संगरूर रोड कि.मी. 24-25 एल/एस	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
198.	2004	वन डिविजन में अबोहर ब्रांच कैनाल पर अखाड़ा लघु पण परियोजना का निर्माण	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
199.	2004	लुधियाना वन डिवीजन में पर्यटन द्वारा निर्माणाधीन होटल अमलतास के लिए वन भूमि का निर्माण	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
200.	2004	फगवाड़ा-नंपारशहर रोड कि.मी. पत्थर संख्या 11ख 10.70 आर/एस पर खुदरा बिक्री दुकान, वन डिवीजन जालंधर	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
201.	2004	बारेटा गांव में जाखल बुढलेडा मार्ग, कि.मी. 21-22 आर/एस पर पेट्रोल पम्प को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
202.	2004	राजपुर भेया पर खुदरा बिक्री दुकान की स्थापना	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
203.	2004	नांगल आनंदपुर साहिब रोड श्री 22, गांव डरबली	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
204.	2004	महिल चक गांव में लुधियाना हिसार रोड कि.मी. 92-93 आर/एस पर खुदरा बिक्री दुकान	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
205.	2004	गांव जल्दीवाला रायकोट बरनाला रोड पर खुदरा बिक्री दुकान	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
206.	2004	मालोट अबोहर रोड कि.मी. 360.213 से 313 एल/एस पर आर सी सी पाईप लाइन को बिछाना	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
207.	2004	गांव सेही पर जयंडी बेहली लाईन रोड पर सोलवेंट संयंत्र (कृषि आधारित इकाई) की स्थापना	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
208.	2004	अबोहर ब्रांच नहर पर मैसर्स त्रिवेणी इन्जविठिग लि. द्वारा एच ई पी	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
209.	2004	अबोहर नहर रोड संख्या 22-23 आर/एस पर मैसर्स त्रिवेणी इंजिनियरिंग द्वारा एक ई पी का निर्माण	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
210.	2004	फगवाड़ा पर्यटन परिसर का निर्माण	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
211.	2004	गांव जेतना नीचा पर लुधियाना चंडीगढ़ रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
212.	2004	गांव नेलपुर पर चण्डीगढ़ पटियाला रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
213.	2004	गांव गलवटी में नाभा मलिर कोटना रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
214.	2004	क्रैच क्षेत्र लांग सरहिन्द रोड में 30 आई/डीपीटी रीवरेज का बिछाना	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
215.	2004	अबलोल से डी पी सी परिसर तक 220 के वी लाईन से 11 के वल लाईन बिछाना	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
216.	2004	गांव सुलारघराट में लुधियाना हिसार रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
217.	2004	गांव मुरादपुर, पटियाला में रासपुरा पटियाला रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
218.	2004	गांव सरदानवाला में अबहोर-गंगा नगर रोड पर खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
219.	2004	जालंधर नाकालार रोड पर खुदरा बिक्री को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
220.	2004	नाभा रोहती रोड से बिजली की लाईन बिछाने की अनुमति	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5
221.	2004	गांव हण्डेसरा तहसील डेराबस्सी में खुदरा बिक्री दुकान को रास्ता	पंजाब	कार्रवाई की जा रही है।
		पंजाब काउंट	35	
222.	2003	सरिस राष्ट्रीय उद्यान के भगावी एवं कनक बाड़ी गांवों के लोगों का पुर्नवास	राजस्थान	स्थल निरीक्षण की प्रतीक्षा है। 23.12.2003 तक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
223.	2004	मंगलम सीमेंट लि. के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	कार्रवाई की जा रही है।
		राजस्थान काउंट	2	
224.	2003	आर्मी द्वारा बी फील्ड फायरिंग रेंज का पुनः अधिसूचना	सिक्किम	कार्रवाई की जा रही है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट 25.6.2004 को प्राप्त हुई।
225.	2003	टेनडोंग हिल पिलग्रिमेज सैन्टर डैवलपमेंट कमेब् को वन भूमि	सिक्किम	कार्रवाई की जा रही है।
226.	2003	ताशी वियु प्वाइंट में आबसरबेटरी का निर्माण	सिक्किम	कार्रवाई की जा रही है।
227.	2003	शोलिंग से रानीपाल तक 132 के.वी. एल आई एल ओ टी एल का निर्माण	सिक्किम	कार्रवाई की जा रही है।
228.	2003	बी आर ओ द्वारा कटाओ बम्प-4 रोड	सिक्किम	कार्रवाई की जा रही है।
229.	2004	बक्वा लाबी रोड का निर्माण	सिक्किम	कार्रवाई की जा रही है।
230.	2004	जोंगू में गोरे संगटोक रोड का निर्माण	सिक्किम	कार्रवाई की जा रही है।
		सिक्किम काउन्ट	7	
231.	2004	थिप्पाकाडु से कर्नाटक सीमा तक मुडमलाई वनयजीव अभ्यारण्य में से भूमिगत तार बिछाने के लिए बी एस एन एल को वन भूमि का वनेतर उपयोग	तमिलनाडु	कार्रवाई की जा रही है।
232.	2004	वर्ड बोर्ड को अंडीपट्टी में पाईपलाइन बिछाने के लिए डीम्ड वनों का वनेत्तर उपयोग	तमिलनाडु	कार्रवाई की जा रही है।
		तमिलनाडु काउंट	2	
233.	2003	प्रो-27 स्थल पर एक्सपलोरेटरी ड्रिलिंग आपरेशन	त्रिपुरा	कार्रवाई की जा रही है।
234.	2003	आदिवासियों के पुर्नवासों का पुनः ग्रुपिंग	त्रिपुरा	कार्रवाई की जा रही है।
235.	2003	आई टी आई जाटनबारी का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	त्रिपुरा	कार्रवाई की जा रही है।
236.	2004	31 क्लसटर गांवों में 8088 आदिवासियों के परिवारों का पुनः ग्रुपिंग	त्रिपुरा	संबंध फाइल 8-01/2004 एफ सी। 8-01/2004 एफ सी के अंतिम रूप देने के बाद ही विचार किया जाएगा।
		त्रिपुरा काउंट	4	

1	2	3	4	5
237.	2003	66 के वी डी/सी टी एल	उत्तर प्रदेश	एस ए जी बैठक में चर्चा की गई।
238.	2004	नार्दर्न कोलफील्ड लि. के पक्ष में कृष्णशिला आनकास्ट परियोजना	उत्तर प्रदेश	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है 6.7.2004
		उत्तर प्रदेश काउंट	2	
239.	2003	आर्मी प्रशिक्षण शिक्षण भण्डार, पार्किंग एवं आवास	उत्तरांचल	
240.	2004	13 टोंगा वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन	उत्तरांचल	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। 28.5.2004 मामले में हरिद्वार उधमसिंह नगर नैनीताल जिले शामिल है।
241.	2004	टिहरी बांध परियोजना एवं राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों से क्रमशः हटाए गए लोगों एवं गुज्जरों के आरक्षित गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तन	उत्तरांचल	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। 28.5.2004 मामले में हरिद्वार जिला शामिल है।
242.	2004	गुज्जर आरक्षित वन गोवांक का राजस्व गांवों में परिवर्तन	उत्तरांचल	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा 28.5.2004
243.	2004	जिला नैनीताल, उधमसिंग नगर एवं चम्पावत में 63 वन गांवों का राजस्व गांवों में परिवर्तन	उत्तरांचल	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है 2.7.2004
		उत्तरांचल काउंट	5	
244.	1990	कांगसावत्ती की मुख्य नहर से बाय-कैनाल की खुदाई	पश्चिम बंगाल	कार्रवाई की जा रही है।
245.	2004	एन एच पी सी के पक्ष में 160 मैगावाट तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट चरण-4	पश्चिम बंगाल	कार्रवाई की जा रही है।
		पश्चिम बंगाल काउंट	2	
		कुल योग	245	

[हिन्दी]

खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाना

658. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को लखनऊ में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है और ऐसे संस्थान की साध्यता की जांच करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

हाथियों का उत्पादन

659. **श्री सुनील खां:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन क्षेत्र में भोजन की अनुपलब्धता की वजह से पश्चिम बंगाल के बांकुरा और मिदनापुर जिलों तथा उड़ीसा के हाथियों के उत्पात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) हाथियों द्वारा फसलों को बर्बाद करने और लोगों को जान से मार देने की स्थिति में केन्द्र और राज्य द्वारा कितनी-कितनी भरपाई की जाती है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों और हाथियों द्वारा मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को और अधिक मुआवजा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न भागों में जंगली हाथियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या की जानकारी है। परन्तु उसे इस आशय की कोई सूचना नहीं मिली है कि इन दोनों राज्यों के वनों में भोजन उपलब्ध न होने के कारण हाथियों के आतंक में वृद्धि हो रही है।

(ख) दोनों राज्यों के वन प्राधिकारी हाथी-अभेद्य घेरों (अर्थात् खन्दकें और मजबूत बाड़) का निर्माण करके, जंगली हाथियों का पीछा करने के लिए प्रशिक्षित हाथियों (कुंकीज) और विशेष रूप से लैस दस्तों की नियुक्ति करके, ग्रामवासियों में पटाखों और सर्च लाइटों का वितरण करके तथा समस्यात्मक हाथियों को पकड़कर अथवा उनका निष्कासन करके इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाथी उत्पाद से पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रह-पूर्वक राहत भी दी जाती है। हाथी आवासों की सुरक्षा और उनमें सुधार लाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए हाथी परियोजना के अंतर्गत 106 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें उत्पात-रोधी कार्यों तथा अनुग्रह-पूर्वक राहत के लिए 47.60 लाख रुपये की राशि शामिल है। इसी प्रकार, उड़ीसा के लिए 121 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें उत्पात-रोधी उपायों तथा अनुग्रह-पूर्वक राहत के लिए 69.75 लाख रुपए की राशि शामिल है।

(ग) जंगली हाथियों द्वारा मानव-जीवन और फसलों को हुई क्षति के लिए अनुग्रह-पूर्वक राहत के लिए भुगतान किया जाने वाला केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सा इस प्रकार है:

वर्ष	पश्चिम बंगाल		उड़ीसा	
	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार
2001-02	78.072 लाख रु.	15.343 लाख रु.	0	30 लाख रु.
2002-03	64.478 लाख रु.	20.672 लाख रु.	0	45.412 लाख रु.
2003-04	60.180 लाख रु.	20 लाख रु.	0	24.52 लाख रु.

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का समय पर वितरण

660. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार गारंटी योजना मध्याह्न भोजन योजना इत्यादि के तहत खाद्यान्नों को समय से वितरित नहीं किया जा रहा है जिससे ये योजनाएं काफी हद तक प्रतिकूलतः प्रभावित हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी कोई रोजगार गारंटी योजना नहीं है, जिसके अधीन इस समय सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आबंटन अथवा वितरण किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि खाद्यान्नों का समय से वितरण नहीं किया जा रहा है और जिसके कारण योजना पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ रहा है। कभी-कभार भारतीय खाद्य निगम की ढुलाई अथवा प्रचालनात्मक संबंधी बाधाओं अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उठान में देरी के कारण स्टाक के मामले में देरी हो जाती है जिसके लिए योजना के तहत खाद्यान्नों की बेरोक-टोक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित समयावधि बढ़ा दी जाती है।

जल संसाधनों का निजीकरण

661. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पानी के सामाजिक स्वामित्व और पानी पर समान अधिकारों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो जल संसाधनों के निजीकरण और पानी पर एकाधिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पशु अनुसंधान केन्द्र

662. श्री बी. विनोद कुमारः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों की अच्छी नस्ल विकसित करने के उद्देश्य से देश में कार्यरत पशु अनुसंधान केन्द्र राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में पशु पालकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रजातियों के पशुपालकों की संख्या के मद्देनजर ये कार्यक्रम अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और मई, 2004 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत योजनाओं और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन गोपशुओं की उत्कृष्ट नस्लों का विकास करने के लिए देश में कार्यरत गोपशु अनुसंधान केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य पशुपालन विभागों, राज्य और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा गोपशु सुधार कार्यक्रमों से जुड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा गोपशु उत्पादन के प्रबन्ध संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2000-01 से राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी.) के तहत अभी तक गोपशु प्रजनकों सति 22648 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) आंध्र प्रदेश वर्ष 2000-01 से एन.पी.सी.बी.बी. में भाग ले रहा है। राज्य को 2733.5 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

विवरण

गोपशु अनुसंधान केन्द्रों के राज्य-वार स्थान

उत्तर प्रदेश:

- गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ
- भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

पंजाब:

- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

हरियाणा:

- राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

राजस्थान:

- राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

आंध्र प्रदेश:

- आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद

गुजरात:

- जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़

महाराष्ट्र:

- भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रिज फाउंडेशन, उर्लीकंचन

केरल:

- केरल कृषि विश्वविद्यालय, मनुथी

कर्नाटक:

- राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान का दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलौर

पश्चिम बंगाल:

- राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान का पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कल्याणी।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सी.एन.जी. की आपूर्ति

663. **श्री ए.के. मूर्तिः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तमिलनाडु में चेन्नई और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इन्हें सी.एन.जी. की आपूर्ति करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) प्रदान करने के लिए अवसंरचना का विकास अनिवार्य है, जो तमिलनाडु में चेन्नई और अन्य शहरों में इस समय उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा की आनंदपुर बांध परियोजना

664. **श्री अनन्त नायकः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में आनंदपुर बांध परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के पूरा होने पर कुल कितने हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाये जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी/जारी की गई और इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) 486.26 करोड़ रुपये की नवीनतम अनुमानित लागत वाली आनन्दपुर परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात् इससे 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने की योजना है जिसकी तुलना में मई, 2004 तक 6,790 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत इस परियोजना के कुछ घटकों को शामिल किया गया है और मार्च, 2004 तक केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) के रूप में 21.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस परियोजना को मार्च, 2008 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल उद्योग को बढ़ावा

665. **श्री महेश कनोडीयाः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य तेल उद्योग को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) खाद्य तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

(1) तिलहन और दाल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी योजना के तहत परियोजना आरंभ करने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।

(2) वनस्पति तेल विकास से संबंधित अनुसंधान व विकास कार्यक्रम की योजना स्कीम के तहत परियोजनाओं को धन दिया जाता है।

(3) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(4) तेल पाम, जो देश में वनस्पति तेल की सबसे अधिक उपज क्षेत्र है, को प्रारंभ करने के लिए तेल पाम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालय

666. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने कृषि विश्वद्यिालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय खोलना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। केन्द्र सरकार ने इम्फाल में केवल एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोला है। केन्द्र सरकार द्वारा अब और अधिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य-वार कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	असम	1	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
2.	आंध्र प्रदेश	1	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
3.	बिहार	1	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
4.	छत्तीसगढ़	1	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
5.	गुजरात	4	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द
			जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
			नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी
			सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाड़ा
6.	हरियाणा	1	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
7.	हिमाचल प्रदेश	2	चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
			डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू
			शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
9.	झारखण्ड	1	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
10.	कर्नाटक	2	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
			कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़

1	2	3	4
11.	केरल	1	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर
12.	मध्य प्रदेश	1	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
13.	महाराष्ट्र	5	बाला साहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली
			महाराष्ट्र पुश एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर
			मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी
			महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी
			पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला
14.	उड़ीसा	1	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
15.	पंजाब	1	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
16.	राजस्थान	2	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
			राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
17.	तमिलनाडु	2	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
			तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई
18.	उत्तर प्रदेश	4	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ
			चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
			उत्तर प्रदेश पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा
			नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
19.	उत्तरांचल	1	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
20.	पश्चिम बंगाल	3	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर
			उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूचबिहार
			पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
21.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर

[हिन्दी]

नर्मदा नदी जल वितरण अधिकरण (एन.आर.डब्ल्यू.डी.टी.) द्वारा पानी का आबंटन

667. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा नदी जल वितरण अधिकरण (एन.आर.डब्ल्यू.डी.टी.) द्वारा कुल उपलब्ध नदी जल से राज्यों को राज्य-वार कितने पानी का आबंटन किया गया/छोड़ा गया; और

(ख) गंगा बेसिन और "मलवांचल" क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कितना पानी आरक्षित किया जाता है और

इसके सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) ने सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा के जल की उपयोज्य मात्रा 28 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) के अनुसार 75 प्रतिशत विश्वसनीयता के आधार पर विचार किया और राज्यों को निम्न प्रकार आबंटित किया:-

मध्य प्रदेश	18.25 एम ए एफ
गुजरात	9.00 एम ए एफ
महाराष्ट्र	0.25 एम ए एफ
राजस्थान	0.50 एम ए एफ

(ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा गंगा बेसिन और "मलवांचल" के लिए नर्मदा जल का कोई विशिष्ट आबंटन नहीं हुआ है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बारगी डाइवर्जन परियोजना के बारगी दायें तट नहर के पूरा होने के बाद गंगा बेसिन में नर्मदा जल के उनके हिस्से में से लगभग 1.161 एम ए एफ जल को उपयोग में लाया जायेगा।

झारखंड में तिलहन की खेती

668. **श्री मनोज कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर झारखंड में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार देश में तिलहन उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से 14 मुख्य तिलहन उत्पादक राज्यों में "समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम" (आईसोपाम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को तिलहन उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पादप संरक्षण रसायनों, पादप संरक्षण उपस्करों, खरपतवार नाशकों के वितरण, रिजोबियम कल्चर, फास्फेट घुलनशील जीवाणु की आपूर्ति जिप्सम/पाईराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों में जल ले जाने वाले पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के कृषि विभाग के माध्यम से ब्लाक प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

क्योंकि झारखण्ड मुख्य तिलहन उत्पादक राज्य नहीं है इसलिए इसे आइसोपाम के अधीन शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल, राज्य से कहा गया है कि वह इस विभाग की कृषि की वृहत प्रबंध प्रणाली स्कीम के अंतर्गत तिलहन विकास कार्यक्रम चलाए।

[अनुवाद]

राहत पैकेज के लिए खाद्यान्न

669. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने सूखा और बाढ़ राहत के लिए गेहूं और चावल हेतु अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने कितने गेहूं और चावल की मांग की है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को राज्य-वार और श्रेणी-वार इनकी कितनी मात्रा मंजूर की गई;

(ग) क्या जरूरतमंद राज्यों के लिए खाद्यान्नों के वितरण हेतु मानदंड अपनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) वर्ष 2001-02 के सूखे के लिए संबंधित राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के संबंध में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था। 2002-03 के सूखे के लिए राज्यों को श्रेणी "ए" (थोड़े प्रभावित) और श्रेणी "बी" (गंभीर रूप से प्रभावित) के अधीन श्रेणीबद्ध किया गया था जबकि राजस्थान को विशेष श्रेणी के अधीन रखा गया था। श्रेणी "ए" के राज्यों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 20% परिवारों में से प्रति परिवार एक व्यक्ति को माह में दस

दिनों के लिए पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मजदूरी घटक पर रोजगार देने के प्रावधान पर आधारित था। उन्हीं शर्तों पर श्रेणी "बी" के राज्यों के कवरेज ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का 50% था। सबसे बुरी तरह प्रभावित होने के कारण राजस्थान के लिए शर्तों में और ढील दी गई थी और खाद्यान्नों का उदारता के साथ (100% ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से प्रति परिवार एक व्यक्ति और जरूरतमंद गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों से भी प्रति परिवार एक व्यक्ति का कवरेज) आवंटन किया गया था।

वर्ष 2003-04 के सूखे के लिए जनवरी, 2004 तक आवंटन उपर्युक्त मानदंडों पर आधारित थे। फरवरी से जून, 2004 की अवधि हेतु तीसरे वर्ष सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवंटनों की सीमा को बढ़ाकर ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का 75% कर दिया गया था।

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के सूखे के लिए मांगे गए और आवंटित खाद्यान्नों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

उपर्युक्त मानदंड समय-समय पर आगे और समीक्षा के अध्यधीन हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार, बाढ़ प्रभावित राज्यों को समय-समय पर राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है। बाढ़ के लिए वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आवंटित खाद्यान्नों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

2001-02 से 2003-04 के सूखे के लिए खाद्यान्नों का आवंटन

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02 का सूखा		2002-03 का सूखा		2003-04 का सूखा	
		मांग	आवंटन	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	**	31.50	25.00	17.20	15.00	7.82
2.	छत्तीसगढ़	—	—	12.00	4.74	—	—
3.	गुजरात	—	—	3.06	3.06	—	—
4.	हरियाणा	—	—	9.72	0.25	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.19	0.10	—	—
6.	झारखंड	—	—	●	0.40	—	—
7.	कर्नाटक	**	1.00	11.09	7.20	15.61	7.29
8.	केरल	—	—	1.00	0.52	2.00	0.61
9.	मध्य प्रदेश	**	0.80	8.50	7.80	—	—
10.	महाराष्ट्र	**	1.00	2.32	2.32	6.00	7.00
11.	उड़ीसा	—	—	12.19	4.22	—	—
12.	राजस्थान	—	—	56.00	32.56	0.22	0.14
13.	तमिलनाडु	—	—	9.00	5.00	10.80	3.04

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	उत्तरांचल	—	—	@	0.50	—	—
15.	उत्तर प्रदेश	—	—	20.00	2.00	—	—

**समय-समय पर राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं को हिसाब में लेकर।

@केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर।

टिप्पणी: सूखे की अवधि वर्ष के अगस्त माह से शुरू होकर आगामी वर्ष के जुलाई माह तक मानी जाती है।

विवरण II

बाढ़ के लिए 2001-02 से 2003-04 के दौरान राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	0.25
2.	असम	—	—	0.50
3.	बिहार	1.00	—	—
4.	छत्तीसगढ़	—	—	—
5.	केरल	0.05	—	—
6.	मध्य प्रदेश	—	—	0.04
7.	उड़ीसा	1.00	2.00	3.00

समग्र फसल बीमा योजना

670. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समग्र फसल बीमा योजना आरंभ करने के निवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका प्रीमियम फसल के मूल्य 2% से अधिक न हो; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ऐसे किसी अनुरोध की सूचना नहीं मिली है। खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए प्रीमियम की समान दर लागू है, जबकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50% की राजसहायता, जो कि घटते बाजार पर समाप्त की जानी है, से वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु बीमांकिक दरें लागू हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धांधली

671. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग और निजी एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों में यह पता चला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को उपलब्ध एक रुपये में से केवल 20 पैसे की पहुंच पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जिसका यह निष्कर्ष निकला हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को प्रत्येक रुपये में से केवल 20 पैसे प्राप्त होते हैं। इस मंत्रालय को भी किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा किए गए किसी ऐसे अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खतरनाक अपशिष्ट की डंपिंग

672. **डा. रामचन्द्र डोम:**
श्री विकास चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने खतरनाक अपशिष्टों की डंपिंग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में क्या कदम उठाए हैं और पोत भंजन हेतु क्या मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): सरकार द्वारा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंध पर रिट याचिका संख्या 657/95 के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:-

* न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन पर उच्चतम न्यायालय निगरानी समिति गठित की गई है।

* खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में संबंधित विभागों और एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा के लिए समिति अनेक बार बैठक बुलाती है। समिति ने गुजरात के अलंग पोत भंजन यार्ड के ग्राउंड स्तर पर कार्यान्वयन को देखने और निगरानी के लिए अनेक स्थल दौरे किए।

* इस्पात मंत्रालय ने पोत भंजन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की विशेष रूप से निगरानी के लिए संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकार विभागों के प्रतिनिधियों के साथ अन्तरमंत्रालीय समिति गठित की है।

* गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वह पत्तन पर पहुंचने से पहले प्रत्येक पोत को यह शर्त जारी करेंगे कि पोत में कोई खतरनाक अपशिष्ट अथवा रेडियोधर्मिता पदार्थ नहीं है।

* गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पोत भंजन से पूर्व पोत के दस्तावेजों को सुनिश्चित करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

* सभी पोत भंजन यूनिटों को समय-समय पर संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा मंजूर प्राधिकार के अनुसार पोत भंजन कार्यों के कारण होने वाले अपशिष्टों का निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं।

* पोत भंजन से होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से निपटान करने के लिए अलंग के निकट सामूहिक शोधन भंडार निपटान सुविधा का विकास किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न निर्यात नीति

673. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्न निर्यात नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) इस संबंध में अभी निर्णय किया जाना है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश की बीना नदी सिंचाई परियोजना

674. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की बीना नदी सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है।

मध्य प्रदेश की बीना नदी परियोजना का परियोजना प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में 1986 में प्राप्त हुआ था। इस परियोजना प्रस्ताव की जांच की गई थी और चूंकि विशाल वन भूमि जलमग्न हो रहा था अत: बांध स्थल को 1.83 कि.मी. ऊपर ले जाने और केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने के वास्ते अन्वेषण पूरा करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था। इस समय इस परियोजना का अन्वेषण किया जा रहा है और कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

युवा नीति

675. **श्री अजय माकन:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई नई युवा नीति लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) नई राष्ट्रीय युवा नीति वर्ष 2003 में घोषित की गई थी। किशोरों पर बल देने के लिए युवाओं के आयु वर्ग को पहले के 15-35 वर्ष से पुन: परिभाषित कर 13-35 वर्ष किया गया है।

इस नीति में चार मुख्य क्षेत्रों युवा अधिकारिता; लिंग न्याय; अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सूचना एवं अनुसंधान नेटवर्क को मान्यता दी गई है।

यह नीति युवाओं से संबंधित मुख्य क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान करती है:- (क) शिक्षा (ख) प्रशिक्षण और रोजगार (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (घ) पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वन्य जीव का संरक्षण (ङ) आमोद-प्रमोद एवं खेल (च) कला और संस्कृति (छ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा (ज) नागरिक शास्त्र और नागरिकता।

यह युवाओं के विशेषाधिकार और जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है।

इसमें कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए व्यवस्था है जिसके माध्यम से राज्य सरकारों और संघ के मंत्रालयों एवं विभागों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों को चलाया जाना है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

676. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन केन्द्रों को दी जा रही वित्तीय सहायता में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केन्द्रों से किसानों को कितना लाभ हो रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देशों में 411 कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) की स्वीकृति दी है। राज्य-वार कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। परिषद ने दसवीं योजना अवधि के दौरान 167 और कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलने का प्रावधान किया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) परिषद ने दसवीं योजना अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों में मृदा एवं जल परीक्षण सुविधा मुहैया कराने के लिए 38.46 करोड़ रुपए और इलैक्ट्रोनिक संबंधों के लिए 38.27 करोड़ रुपये का आबंटन किया है।

(च) वर्ष 2003-04 के दौरान किसानों को इन केन्द्रों द्वारा प्रदत्त लाभ की सीमा निम्न प्रकार से हैं:

- 5.88 लाख किसानों को लाभ देते हुए 25,953 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 11.87 लाख किसानों की प्रतिभागिता के साथ 18,355 प्रसार गतिविधियां
- समाचार पत्रों (4173), लोकप्रिय लेख (879), रेडियो और दूरदर्शन वार्ताएं (1792) और प्रसार साहित्य का प्रकाशन (1338) के माध्यम से प्रौद्योगिकी सूचना प्रदान करना
- किसानों के खेतों पर 22,196 अग्रपंक्ति प्रदर्शन
- 333 प्रौद्योगिकियों के खेत परीक्षण
- किसानों को उपलब्ध कराने के लिए बीजों का 8302 टन उत्पादन और रोपण सामग्री 20.71 लाख

विवरण I

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	14
5.	बिहार	26
6.	छत्तीसगढ़	9
7.	दादर एवं नगर हवेली	-
8.	दमन एवं दीव	-
9.	दिल्ली	1
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	13
12.	हरियाणा	18
13.	हिमाचल प्रदेश	12
14.	जम्मू एवं कश्मीर	9
15.	झारखण्ड	12
16.	कर्नाटक	23
17.	केरल	14
18.	लक्षद्वीप	1
19.	मध्य प्रदेश	32
20.	महाराष्ट्र	32
21.	मणिपुर	3
22.	मेघालय	5
23.	मिजोरम	3
24.	नागालैंड	3
25.	उड़ीसा	18
26.	पांडिचेरी	2
27.	पंजाब	10
28.	राजस्थान	31
29.	सिक्किम	2
30.	तमिलनाडु	24
31.	त्रिपुरा	2
32.	उत्तर प्रदेश	42
33.	उत्तरांचल	12
34.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	411

विवरण II

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	11
4.	असम	9
5.	बिहार	11
6.	छत्तीसगढ़	7
7.	दादर एवं नगर हवेली	1
8.	दमन एवं दीव	2
9.	दिल्ली	-
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	12
12.	हरियाणा	1
13.	हिमाचल प्रदेश	-
14.	जम्मू-कश्मीर	5
15.	झारखण्ड	6
16.	कर्नाटक	3
17.	केरल	-
18.	लक्षद्वीप	-
19.	मध्य प्रदेश	13
20.	महाराष्ट्र	1
21.	मणिपुर	6
22.	मेघालय	2
23.	मिजोरम	5
24.	नागालैंड	5
25.	उड़ीसा	12
26.	पांडिचेरी	2
27.	पंजाब	7
28.	राजस्थान	1
29.	सिक्किम	2
30.	तमिलनाडु	5
31.	त्रिपुरा	2
32.	उत्तर प्रदेश	27
33.	उत्तरांचल	2
34.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	167

दादरा नगर हवेली में जनजातियों को टीरम प्लाटों का आवंटन

677. श्री मोहन एस. डेलकर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली के "टीरम प्लाटों" में पीढ़ियों से रह रहे और खेती करने वाले हजारों भूमिहीन जनजातिय लोगों को महाराष्ट्र और गुजरात के "टीरम प्लाटों" के कब्जाधारियों की तर्ज पर स्थायी कब्जा दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति के उपचार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के 25.10.1980 को लागू होने से पहले वन भूमि पर दिए गए पट्टों के निपटान के लिए नीति मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। तदनुसार कार्रवाई करने के लिए यह मार्ग निर्देश 18.09.1990 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गए थे। इन मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें वन भूमि पर पट्टे के

उन मामलों को अभिनिर्धारित करेगी जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदान किया गया था। 25.10.1980 से पहले प्रदान किए गए पट्टों, जिन पट्टों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के कारण नवीकृत नहीं किया जा सका था, की जांच की जानी चाहिए और जहां राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें पट्टा प्रस्तावों को जारी रखने की इच्छुक है तो वे इन प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए निर्धारित पद्धति से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत करें। दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन ने उक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान

678. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री तथागत सत्पथी:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों में और उसके बाद राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के सही कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित किसानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते, क्योंकि यह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। तथापि, किसानों के कवरेज, क्षेत्र, बीमा राशि, एकत्रित प्रीमियम, कुल दावों तथा लाभान्वित किसानों की संख्या के रूप में पिछले आठ फसल मौसमों (रबी 1999-2000 से खरीफ 2003 तक) के दौरान संचयी उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नवत है:-

1.	कवर किए गए किसान	:	4.18 करोड़
2.	कवर किया गया क्षेत्र	:	6.50 करोड़ हैक्टेयर
3.	बीमित राशि	:	37241.79 करोड़
4.	एकत्रित प्रीमियम	:	1178.82 करोड़
5.	कुल दावे	:	4472.86 करोड़
6.	लाभान्वित किसान	:	1.50 करोड़

(ग) इस स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से स्कीम से

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत राज्य-वार लाभान्वित किसान

क्र.सं.	राज्य	रबी		खरीफ		रबी		खरीफ	
		1999-00	2000	2000-01	2001	2001-02	2002	2002-03	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	125516	27462	288034	15381	641727	40317	224796
2.	असम	34	52	46	97	361	367	698	319
3.	बिहार	—	15093	3641	6570	7250	23798	9500	27433
4.	छत्तीसगढ़	—	401705	0	0	702	519162	694	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गोवा	33	58	0	605	0	0	0	—
6.	गुजरात	7915	976569	7934	1670079	10512	671447	8381	—
7.	हिमाचल प्रदेश	2	0	864	0	0	63072	136	6
8.	झारखंड	—	—	17	108	214	1283	0	11662
9.	कर्नाटक	—	21734	1407	324588	63399	547559	87589	662091
10.	केरल	2726	9370	722	2117	421	931	1649	1685
11.	मध्य प्रदेश	4891	570093	176430	259170	138818	615202	281991	—
12.	महाराष्ट्र	39500	1056662	174368	550804	19973	228339	121434	844530
13.	मेघालय	—	43	150	49	257	160	420	0
14.	उड़ीसा	15	349406	25759	8854	18541	839345	16799	38188
15.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	सिक्किम	—	—	—	0	0	0	86	—
17.	तमिलनाडु	—	22	3370	5589	63564	11969	49383	2711
18.	त्रिपुरा	—	—	—	—	0	0	271	—
19.	उत्तर प्रदेश	—	108906	82911	28656	61794	140173	183861	41367
20.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	819	2577
21.	पश्चिम बंगाल	—	—	20716	423	52034	27335	121706	65407
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	23	—	33	—	0	—	—
23.	पांडिचेरी	172	0	900	0	104	1	658	0
	कुल	55288	3635252	526697	3145776	453325	4331870	926392	1922772

कोयला खान दुर्घटनाएं

679. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्यः** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश की कोयला खानों में कोयला खान-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए; और

(ग) सरकार की जानकारी में सुरक्षा के उल्लंघन के कितने मामले आए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं और मारे गए/जख्मी हुए व्यक्तियों का कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा पाये गए सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या और अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं और उसमें जख्मी हुए/मारे गए व्यक्तियों की संख्या का कंपनी-वार ब्यौरा

वर्ष	2002				2003			
कंपनी	दुर्घटनाओं की सं.		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटनाओं की सं.		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	गंभीर	मारे गए	गंभीर रूप से घायल	घातक	गंभीर रूप से घायल	मारे गए	गंभीर रूप से घायल
बीसीसीएल	10	68	11	81	12	60	13	63
सीसीएल	11	26	11	28	6	22	6	24
ईसीएल	9	191	12	192	13	170	13	178
एमसीएल	3	17	3	17	7	12	7	12
एनसीएल	1	9	1	9	2	18	2	18
एनईसी	—	—	—	—	—	—	—	—
एसईसीएल	13	111	16	119	11	90	11	94
डब्ल्यूसीएल	15	60	15	63	10	67	13	70
एससीसीएल	14	117	23	125	19	66	44	69
इस्को	—	9	—	9	—	12	—	12
टिसको	3	8	3	9	3	3	3	3
एनएलसी	1	11	1	11	1	8	2	11
अन्य	1	2	1	2	—	4	—	4
कुल	81	629	97	665	84	532	114	558

विवरण II

सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या

वर्ष	सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या
2002	63
2003	59

कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

कार्रवाई की प्रकृति	वर्ष	
	2002	2003
क. डी.जी.एम.एस. द्वारा की गई कार्रवाई		
प्रमाणपत्रों का निलंबन/निरस्त्रीकरण	0	0
जारी की गई चेतावनी	3	0
दायर किए गए अभियोजन	28	25
दुर्घटना-कोई कार्रवाई नहीं	9	10
अन्य की गई कार्रवाई	5	1
ख. प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई		
ड्यूटी से निलंबित	37	43
पदोन्नति रोका जाना	0	0
पदावनति	2	2
स्थानांतरित	0	0
वेतन वृद्धि रोका जाना	28	9
सेवाच्युत	9	7
प्रबंधन द्वारा चेतावनी प्राप्त	21	17
अनुशासनात्मक कार्रवाई	2	3
कुल	144	117

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों का विकास

680. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों/अभयारण्यों/संरक्षित वनों के राज्य-वार क्या नाम हैं;

(ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इनके विकास, रख-रखाव और व्यवस्था के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 से इन्हें शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों/संरक्षित वनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और वर्ष 2001 से आज की तारीख तक इनमें से प्रत्येक को वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत इन राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों/संरक्षित वनों का पूरी तरह से विकास नहीं किया जा सका है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) देश में केवल एक ही राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है जो कि नई दिल्ली में स्थित है तथा उसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अभयारण्यों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है। देश में कोई संरक्षित वन (फारेस्ट रिजर्व) नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के विकास, रख-रखाव और व्यवस्था को चिड़ियाघर मान्यता नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है जिन्हें राजपत्र अधिसूचना संख्या जी एस आर 711(ई) नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 1992 के द्वारा प्रकाशित किया गया है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अभयारण्यों का प्रबंधन किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार, चलाई जा रही योजना राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2001 से अब तक जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का संरक्षण और विकास एक सतत प्रक्रिया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबंधन हेतु निरंतर सहायता प्रदान की जाती रहती है और उपलब्ध संसाधनों के अंदर वह ऐसा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

विवरण I

अभ्यारण्यों की सूची

नाम
अंडमान
एरियल
बैम्बू
बैरेन
बैटीमाल्व
बैली
बेनेट
बिंघम
ब्लिटर
ब्लफ
बोंडोवाईल
ब्रश
बुशानन
चेनेल
सिंक
सिथबर्ट बे
क्लाईड
कोन
कर्ल्यू
कर्ल्यू (बी.पी)
डिफेन्स
डाट
डाटरेल
डंकान
ईस्ट
ईस्ट आफ इंगलिश
एग
ईलैट
इन्टरेन्स
गैलथी खाड़ी
गैन्डर
गूस
गुर्जन
हम्प

इन्टरव्यू	पोटान्मा
जेम्स	रेन्जर
जंगल	रीफ
वांगटुंग	रोपर
क्डि	रोज
लैंडफाल	रॉअ
लैटच्च	सीसपैन्ट
लोहाबैरंक मगरमच्छ अभ्यारण्य	शीर्म
कच्छ वनस्पति	सर ह्यूज रोज
मास्क	सिस्टर
मायो	सांप
मेगापोड	सांप
मान्टोगोमरी	सांप
नारकोन्डम	साउथ ब्रदर
नार्थ	साउथ रीफ
नार्थ ब्रदर	साउथ सेन्टीनल
नार्थ रीफ	स्पाईक
ओलीवर	स्पाईक
आर्चिड	स्टोट
आक्स	सूरत
आयस्टर	स्वैम्प
आयस्टर	टेबल (डेलग्रानों)
पगंट	टेबल (एक्सेलयिर)
पर्किन्सन	टेलाबेका
पैसेज	टेम्पल
पैट्रिक	टिलेनचोंग
मोर	ट्री
पिटमैन	ट्रिलबाय
पाइन्ट	टर्फ

कछुआ

वेस्ट

वार्फ

व्हाइट क्लिफ

आंध्र प्रदेश

कोरिन्गा

इटर्नागराम

गुंदला बाह्मश्वर्म

कौन्डिन्या

कांवल

किन्नेरसानी

कोलेरू

कृष्णा

लन्जामाडुगू

मंजीरा

नागार्जुनसागर

नेलापट्टु

पखाल

पापीकोन्डा

पोचारम

प्रानाहिता

पुलीकेट

रोलापाडू

श्री लंकामालेश्वरा

श्री पेनुसीला नरसिम्हा

श्री वेंकटेश्वरा

कम्बालाकोन्डा

अरुणाचल प्रदेश

दिबांग

ईगल नेस्ट

ईटानगर

कामलांग

केन

लाली (डे रिंग)

मेहाउ

पखुई

सेसा आर्चिड

टेल वैल्ली

योर्डी सुप्से रबसे

असम

बर्नाडी

बारोडेबम बीलमुख

बुर्चपोरी

चकाशिला

दीपार बील

गर्मपानी

गिब्बन

लओखोवा

मार्ट लंगरी

पबिटोरा

पडुमानी बर्जन बोराजन

पानीदिहिंग

सोनाई रूपा

ईस्ट कर्बी एंगलोंग

कर्बी एंगलोंग

नामबोर

बिहार

बरेईला झील पक्षी अभ्यारण्य

भीमबांध

गौतम बुद्ध

कैमूर

कम्बर झील

नागी बांध

नकटी बांध

राजगीर

उदयपुर

वाल्मीकि (टी.आर.)

विक्रमशीला गंगा डाल्फिन

चंडीगढ़

चंडीगढ़ सिटी बर्ड

सुखा

छत्तीसगढ़

अचानकमार

बादलखोल

बर्नावापरा

भैरमगढ़

गोमर्द

पामेड

सेमरसोट

सीटनाडी

तैमूल पिंगला

उदान्ती जंगली भैंसा

दमन और दीव

फुदम

दादर नगर हवेली

दादर नगर हवेली डब्ल्यू एल एस

दिल्ली

असोला भट्टी (इंदिरा प्रियदर्शनी)

गोवा

भगवान महावीर

बोंदला

चोराव (डा. सलीम अली)

कोटीगाठ

मैडी

नेत्रावेली

गुजरात

बहराम अम्बा जी

बर्दा

धमकल (स्कूलपानेश्वर)

गंगा (जी आई बी)

गिर

हिंगोलगढ़

जम्बूघोड़ा

जेसोर

कच्छ रेगिस्तान

खिजड़िया

कुच बस्टार्ड

मेरीन

मिटियाला

नल सलोबर

नारायण सरोवर

पनिया

पोरबंदर

पुर्ना

रामपुरा

रतनमहल

थोल

जंगली गधा

हरियाणा

अबुबशेर

भिण्डवास

बीर बरबान

बीर शिकारगढ़

छिलछिला

खापरवास

कलेसर

नाहर

सरस्वती

हिमाचल प्रदेश

बांदली

चैल

चुर्धर

दरलाघाट I और II

धौलाधार अभ्यारण्य

गुमगुल सिया-वेही

गोविंद सागर

कलाटाप और खज्जर

कनवर

कियास

कीबर

कुगटी

लिप्पा असरंग

मजाथल हसरंग

मनाली

नैनादेवी

नर्गु

पोंग डम लेक

रक्षम चिटकुल (सांगला)

रेणुका

रूपी भाबा

साचु तुआन नाला

सेंज

शिकारी देवी

शिल्ली

सोरवन

सिंबालबारा

शिमला वाटर कैचमेंट एरिया

तालरा

तीर्थन

टुण्डाह

जम्मू और कश्मीर

बलटल (थाजवास)

चंगथंग

गुलमर्ग

हीरापोश

होकरसर

जसरोटा

कराकोरम

थजवास

लाचीपोरा

लिम्बर

नंदनी

ओवरा

ओवरा अरू

सुरिनसर मनसर

तिरकुटा

रामनगर रखा

झारखंड

दालमा

हजारीबाग

कोडरमा

लोवालांग

महुआ डंडानर

पलाम (बेतला)

पलकोट

पारसनाथ

टापचाची

उधवा

कर्नाटक

एड़ीचुनचुगिरी

अराबी थिट्ट

अट्टीवेरा

भादरा

बिलिगिरी रंगास्वामी टेम्पिल

ब्रह्मगिरि

कावेरी

डांडेली

दोराजी बीयर अभ्यारण्य

घाटप्रभा

गुडाबी

मेलकोट टेम्पिल

मूकम्बिका

नुगु

पुशायागिरि

रेन बेन्नूर

रंगा-थिट्टू

श्रावस्थी-वैली

शेट्टी हल्ली

सोमेश्वर

तालकाबेरी

केरल

अरालम

चिम्मोनी

चिनार

इडुक्की

नेय्यर

परमबकुलम

पीची वजहानी

पेप्पारा

पेरिया (टी.आर.)

शेन डुरूनी

थाटकेड

वेया नाड

लक्षद्वीप

पिट्टु (बर्ड आइलैंड) पक्षी अभ्यारण्य

महाराष्ट्र

अम्बा बार्वा

अंधारी

आनेर डेम

भामरागढ़

भीमाशंकर

बोर

चपराला
दिउलगांव रहकारी
ध्यान गंगा
गौटाला उनौडूमघाट
ग्रेट इंडियन वस्टार्ड (नानग)
जायक बाड़ी
कलसुबै हरीशचन्द्रगढ़
करंजा सोहोल ब्लैक बक अभ्यारण्य
करनाला
कटेपूर्णा
कोयना
लोनार
मालवन (मेरीन)
मयूरेश्वर सूप
मेलघाट (टी आर)
नागजीरा
नौगांव मयूर डब्ल्यू एल एस
नंदूर मंडमेश्वर
नरनाला
पैगंगा
फनसद
राधा नागरी
सागेश्वर
तांसा
टिप्पेश्वर
वान
यावल
येदशी रामा लिंघट

बागडारा
बोरी
फेन
गांधी सागर
गंगऊ
घाटीगांव ग्रेट इंडियन बस्टार्ड
करेरा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड
केन घारियल
खमोनी
नरसिंहगढ़
नेशनल चंबल
न्योरादोही
ओरछा
पंचमढ़ी
पालपुर (कुनो)
पानपाठा
पेंच
रालामंडल
रातापानी
सैलाना
संजय डुबरी
सिंघोरी
सोन घारियल
वीरांगना

मणिपुर

बनिंग
जीरी माफरू
कैहलाम

यंगोपाक्पी लोकचाव

जेलाड

मेघालय

बाघमारा पिचर प्लान्ट

नागखेलेम

सिज्जु

मिजोरम

दम्पा टी आर

खान्गलुग

लेंगटेंग

ंगनपुई

तावी

थोरांग्टलैंग

नागालैंड

फकीम

पुलीबाडजे

रंगापाहर

उड़ीसा

बेसीपल्ली

बालुखण्ड-कोनार्क

भीतरकणिका

चांडका-डम्पारा

चिल्का

डिब्रुगढ़

गहिरमथा मेरीन

हडगढ़

करलापट

खालासूनी

कोलगढ़

कुलदीह

लेखाडी वैली

नन्दन कानन

सटाकोसिया गोर्ज

सिमलीपाल

सुनाबेडा

उषाकोठी बदरामा

पंजाब

अबोहर

बीर ऐशवान

बीर बादशान

बीर बुनेरहेड़ी

बीर दोसांझ

बीर गुडियालपुरा

बीर महेशवराला

बीर मोतीबाग

हरीक लेक

लखानी रेहामपुर

राजस्थान

बांधा बरेठा

बस्सी

भेसरोडगढ़

डारा

जैसामण्ड

जाम्वा रामगढ़

जवाहर सागर

केला देवी

केसर बाग

कुम्भालगढ़

माउण्ट आबू

नाहरगढ़

नेशनल चम्बल

फुलवार-की-नाल

रामगढ़ स्थिरी

रामसागर

सज्जनगढ़

सरिस्का टी आर

सवाई मानसिंह

शेरगढ़

सीता माता

ताल चप्पर

टोडगढ़

वन विहार

सिक्किम

बार्सी रहोडोडेण्ड्रान

फाम बंगला

क्योंगनोसला एल्पाइन

मीनम

शिंगबा रेहोडेन्ड्रान

पंगोलाखा

तमिलनाडु

अनामलाई इंदिरा गांधी

चित्रागुंडी

कलाकड टाइगर रिजर्व

कंजीरंकुलम

कन्याकुमारी डल्यू एल एस

कराईवेटरी

करींकिली

कुंथांकुलम-कंडांकुलम बर्ड

मेलासान्नुवन्नूर-किलासेलवन्नूर बर्ड

मुडुमलाई

मुण्डान्थुराई टाइगर रिजर्व

पोइण्ट कैलीमर

पुलीकट बर्ड

श्री विल्लिपुथूर ग्रिजल्ड जायन्ट स्किवरेल

उदयर्मथाण्डपुरम बर्ड डब्ल्यू एल एस

बडुवूर

वालानडु ब्लैक बक

वेदान्थागल बर्ड

बेलोड बर्ड डब्ल्यू एल एस

बेटांगुडी

त्रिपुरा

गुमटी

रोआ

सेपाहिजाला

तृष्णा

उत्तर प्रदेश

बखीरा

चन्द्रप्रभा

हस्तिनापुर

कैमूर

कटेरनियांघाट

किशनपुर

लाख बहोसी

महावीर स्वामी

नेशनल चंबल

नवाबगंज

ओखला	मसूरी
परवातिआरगा	सोना नदी
पटना	**पश्चिम बंगाल**
रानीपुर	बल्लवपुर
समन	बेथुआडाहरी
समासपुर	बक्सा टाइगर रिजर्व
सांडी	चापरामारी
सोहागिबार्वा	हालीडे
सोहेलवा	जलडापारा
सूराहतल	जोर पोखरी
सूर सरोवर	लोथियन आइलैण्ड
टर्टल	महानन्दा
विजय सागर	नरेन्द्रपुर
उत्तरांचल	बिभूतिभूषण परमदान
अस्कोट	रायगंज
बिनसार	रामनबागन
गोविन्द पशु विहार	सजनाखली
केदारनाथ	सेंचल

विवरण II

राज्यों को वर्ष 2001-2002 से 2004-2005 तक "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास" स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा

(30.06.2004 को स्थिति)

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम/संघ शासित क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	25.59	20.75	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	88.595	82.725	89.30856	13.40
3.	अरुणाचल प्रदेश	160.465	105.035	151.046	—
4.	असम	70.55	162.135	93.68	—

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	4.52	00	24.65	—
6.	चंडीगढ़	18.40	14.00	—	—
7.	छत्तीसगढ़	36.94	92.025	295.93469	—
8.	दादर एवं नगर हवेली	6.01	15.25	—	—
9.	गोवा	89.98	शून्य	36.45607	—
10.	गुजरात	127.20	90.365	52.14	—
11.	हरियाणा	15.64	18.75	24.84	3.80
12.	हिमाचल प्रदेश	111.235	93.853	168.9605	127.19
13.	जम्मू एवं कश्मीर	26.00	99.90	138.82492	—
14.	झारखंड	शून्य	29.89	54.6228	—
15.	कर्नाटक	388.26	599.017	693.9609	278.01
16.	केरल	81.50	198.978	188.371	—
17.	मध्य प्रदेश	99.38	196.332	344.35594	—
18.	महाराष्ट्र	153.368	168.20	165.24596	—
19.	मणिपुर	26.81	64.50	57.80	—
20.	मेघालय	27.95	40.25	93.07	—
21.	मिजोरम	128.55	235.60	231.836	159.39
22.	नागालैंड	43.13	107.84	42.70	—
23.	उड़ीसा	70.265	82.57	187.25	—
24.	पंजाब	29.60	Nil	—	1.65
25.	राजस्थान	73.00	366.273	214.819	—
26.	सिक्किम	30.45	13.276	108.92	—
27.	तमिलनाडु	75.23	136.11	139.76	—
28.	त्रिपुरा	46.41	101.88	245.26484	—
29.	उत्तर प्रदेश	79.815	137.36	164.37	7.15
30.	उत्तरांचल	38.13	77.985	96.39	—
31.	पश्चिम बंगाल	180.945	223.67	214.165	—
	कुल	2353.918	3694.00	4318.74218	590.59

2001-02 से 2003-04 तक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को जारी निधियां दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	योजना (राजस्व) सी एस जारी की गई धनराशि	गैर योजना जारी की गई धनराशि
2001-02	80.00	289.18
2002-03	98.00	305.25
2003-04	215.00	353.42

[अनुवाद]

गेहूं की आपूर्ति में अनियमितताएं

681. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1.5 लाख टन गेहूं पशुचारे के रूप में बाजार में पहुंचाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किए गए उक्त गेहूं को 5500 रुपये प्रति टन मूल्य पर बेचा गया जबकि भारतीय खाद्य निगम ने इसे 3500 रुपये प्रति टन मूल्य पर बेचा था;

(ङ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार को 23 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जिम्मेदारी निश्चित की है; और

(छ) यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, 18 जून, 2004 को इकानामिक टाइम्स में इस बाबत एक समाचार प्रकाशित हुआ था। इस मामले की भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा जांच की गई थी और आरोपों को निराधार पाया गया था।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्टेडियम का निर्माण

682. **श्री मुनव्वर हसन:**
मोहम्मद शाहिद:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ अथवा पड़ोसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में इस प्रकार के एक स्टेडियम का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसका कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत, व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर राज्यों को लागत वहन करने के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मेरठ में स्टेडियम के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। स्टेडियमों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कुछेक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें कमियां पाई गई थीं तथा आवश्यक संशोधन के लिए उन्हें राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सहायता से निर्माण के लिए अनुमोदित स्टेडियमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमोदित स्टेडियमों की परियोजना के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना के ब्यौरे	तारीख/अनुमोदित केन्द्रीय सहायता
1.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1, इलाहाबाद	26.6.2001 को 60.00 लाख रु.
2.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, सेरसेना गांव, जिला-मऊ	11.10.2001 को 11.82 लाख रु.
3.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, दुजाना, गौतमबुद्ध नगर	14.12.2002 को 14.06 लाख रु.
4.	आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, कानपुर	8.1.2002 को 18.00 लाख रु.
5.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गांव निहास्था, जिला रायबरेली	22.3.2002 को 11.56 लाख रु.
6.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, पहाड़गांव, जिला जालौन	11.2.2003 को 15.57 लाख रु.
7.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गुढा गांव, जिला ललितपुर	11.2.2003 को 14.415 लाख रु.
8.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गांव पीखोखेरा, जिला मुजफ्फरपुर	31.3.2003 को 19.50 लाख रु.
9.	आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, कालहट, जिला मिर्जापुर	30.9.2003 को 15.215 लाख रु.
10.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1, सैफई, जिला-इटावा	17.12.2003 को 60.00 लाख रु.
11.	आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1, सैफई, जिला-इटावा	17.12.2003 को 18.00 लाख रु.
12.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3, गांव चिल्लुपुर, जिला-आजमगढ़	24.12.2003 को 20.00 लाख रु.
13.	इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1, गाजियाबाद	20.2.2004 को 60.00 लाख रु.

[अनुवाद]

परती भूमि का विकास

683. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की परती भूमि के विकास और प्रबंधन के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं के जरिए कृषि के लिए विकसित की गई परती भूमि की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास परती भूमि के विकास के लिए कोई समयबद्ध योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार झूम खेती वाले क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम अर्थात्, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) एवं समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.आर.ए.), वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदी (आर.वी.पी. व एफ.पी.आर.) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.) और झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है ताकि वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास/बंजर भूमि सहित समस्याग्रस्त भूमि का उपचार किया जा सके।

(ग) राज्य-वार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित पनधारा विकास, वर्षा सिंचित खेती तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंध संबंधी कार्य दल में 20 वर्षों में बंजर भूमि सहित वर्षासिंचित क्षेत्रों/अवक्रमित भूमि के विकास के लिए पनधारा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 88.50 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र के विकास हेतु एक संदर्शी योजना का सुझाव दिया है।

विवरण

शुरूआत से 2003-04 तक डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी., आई.डब्ल्यू.डी.पी., एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए., आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर., आर.ए.एस. तथा डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए. के अधीन कार्यक्रमों की उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी.पी.ए.पी. वास्त. (परियोजनाओं की सं.	डी.डी.पी. वास्त. (परियोजनाओं की सं.	आई.डब्ल्यू.डी.पी. वास्त. (क्षेत्र-हैक्टे. में)	एन.डब्ल्यूडी.पी.आर.ए. वास्त. (क्षेत्र-हैक्टे. में)	आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. वास्त. (क्षेत्र-हैक्टे. में)	आर.ए.एस. वास्त. (क्षेत्र-हैक्टे. में)	डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए. वास्त. (क्षेत्र-हैक्टे. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3253	662	427912	306291	290120	—	—
2.	बिहार	295	—	54000	34094	163550	—	—
3.	छत्तीसगढ़	769	—	139106	65816	13490	—	—
4.	गुजरात	1609	1974	320669	567916	139200	12560	—
5.	गोवा	—	—	10000	6890	—	—	—
6.	हरियाणा	—	772	72962	45505	73900	188620	—
7.	हिमाचल प्रदेश	278	420	287857	57896	303330	—	—
8.	झारखंड	1019	—	57679	14150	0	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	304	577	62447	18088	76930	—	—
10.	कर्नाटक	1613	998	278682	786397	675690	1740	—
11.	केरल	—	—	44551	158754	34700	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2355	—	407810	1050301	1105190	90	—
13.	महाराष्ट्र	2507	—	258143	1185165	265740	—	—
14.	उड़ीसा	830	—	251481	402538	251560	—	—
15.	पंजाब	—	—	14731	23622	34040	276540	—
16.	राजस्थान	776	4473	276739	1155293	721930	14170	—
17.	तमिलनाडु	1064	—	227237	464486	140630	930	—
18.	उत्तर प्रदेश	1226	—	475506	579305	688000	129770	—
19.	उत्तरांचल	542	—	129346	51519	178020	—	—
20.	पश्चिम बंगाल	327	—	15460	144125	138990	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	अंड. एवं नि. द्वीप समूह	—	—	—	5749	—	—	—
22.	दा. और न. हवेली	—	—	—	84	—	—	—
23.	अन्य	—	—	—	—	514910	—	—
	कुल	18803	9876	3812318	7123984	5809920	624420	
	उत्तर पूर्वी							
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	95971	7643	—	—	20709
2.	असम	—	—	373688	93953	21090	—	22167
3.	मणिपुर	—	—	148968	28042	—	—	44925
4.	मेघालय	—	—	62725	31388	—	—	22303
5.	मिजोरम	—	—	193803	72755	2470	—	69775
6.	नागालैंड	—	—	275930	62452	—	—	61372
7.	सिक्किम	—	—	96006	30146	24760	—	—
8.	त्रिपुरा	—	—	19423	44203	10960	—	22906
	कुलः उत्तर पूर्वी	0	0	1266514	370582	59280	—	264157
	कुल योग	18803	9876	5078832	7494566	5869200	624420	264157

डी.पी.ए.पी. - सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973-74)

डी.डी.पी. - मरूस्थल विकास कार्यक्रम (1977-78)

आई.डब्ल्यू.डी.पी. - समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (1988-89)

एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. - वर्षा सिंचित क्षेत्रों का राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम (1990-91)

आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. - नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियां (1961-62 एवं 1981-82)

आर.ए.एस. - क्षारीय मृदा का सुधार (1985-86)

डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए. - झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजनाएं (1974-75)

दिल्ली में प्रदूषण

684. श्री के.एस. रावः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बोस्टन स्थित हैल्थ इफैक्ट्स इंस्टिट्यूट द्वारा हाल ही में कराए गए अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी अब भी एशिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपराचात्मक कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) हैल्थ इफैक्ट्स इंस्टीच्यूट, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा, 2004 के दौरान हैल्थ इफैक्ट्स आफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इन डिवेल्पिंग कंट्रीज आफ एशिया शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट का संकलन किया गया है। यह रिपोर्ट वायु प्रदूषण में अल्पावधि अनावरण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर

पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव और बाह्य वायु प्रदूषण के जानपादिक-रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों के साहित्य-सर्वेक्षण पर आधारित है। इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2000-2001 के दौरान एकत्रित आंकड़ा के आधार पर दिल्ली को एशिया के उन प्रमुख नगरों में एक ऐसे नगर के रूप में अभिलिखित किया गया है जो निलम्बित विविक्त पदार्थ के उच्च स्तरों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सहयोग से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हाल के अध्ययन से यह पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए विभिन्न उपायों के कारण सल्फर डाई-आक्साइड (एसओ2) और सीसा (पीबी) के स्तरों में गिरावट आ रही है परन्तु विविक्त पदार्थों के स्तर अभी भी निर्धारिक मानकों से अधिक हैं।

(ग) विभिन्न स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए है। इनमें शामिल हैं:-

- उद्योगों की 17 श्रेणियों के संबंध में पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए चार्टर आन कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी का कार्यान्वयन।
- निर्माण प्रावस्था में ही नए वाहनों के लिए आटो-एग्जास्ट उत्सर्जन मानकों का प्रवर्तन।
- उन्नत ईंधन गुणवत्ता।
- ताप विद्युत केन्द्रों में लाभकारी कोयले का उपयोग।
- जेनरेटर सैटों, पटाखों और अन्य उद्योगों के लिए स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानक अधिसूचित करना।

आगरा बांध परियोजना

685. श्री राज बब्बर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा में जल संसाधन के विकास के लिए आगरा बांध परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) आगरा शहर में जल आपूर्ति में सुधार के लिए आगरा बैराज के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी जांच के लिए अप्रैल, 1996 में केन्द्रीय आयोग (सी डब्ल्यू सी) को प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य को सूचित किया कि यह परियोजना 134.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तकनीकी रूप से व्यवहार्य है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सितम्बर, 1999 में इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की थी जिसे ताज में जल की उपलब्धता के मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर होने के पश्चात् अगस्त, 2001 में समाप्त कर दिया गया था। इसके पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ताज में जल की उपलब्धता के मुद्दे की पुनः जांच करने के लिए इस परियोजना को जनवरी, 2002 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 23 मई, 2003 को पर्यावरणीय स्वीकृति पुनः बहाल कर दी।

(ग) सिंचाई/जल आपूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, कार्यान्वयन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

सिंधु नदी बेसिन की पूर्वी नदियों के जल का आबंटन

686. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से सिंधु नदी बेसिन की पूर्वी नदियों के जल के आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्र सरकार को विगत में गुजरात सरकार से पूर्वी नदियों (रावी, व्यास और सतलज) का जल गुजरात को आबंटित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनका यह बताते हुए उत्तर दे दिया गया है कि मौजूदा जल बंटवारे संबंधी समझौतों के अंतर्गत भी कम आपूर्ति, संबंधित हिस्से, सतलज-यमुना संपर्क नहर का पूरा न होना इत्यादि संबंधी अनेक विवाद मौजूदा लाभग्राही राज्यों के बीच चल रहे हैं। इसलिए, मौजूदा तटवर्ती राज्यों के बीच विद्यमान जल बंटवारा समझौतों को पुनः लागू करना उचित न होगा।

[हिन्दी]

जैन तीर्थस्थल का विकास

687. श्री बाबूलाल मरांडी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंतव्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जैन तीर्थस्थल पारसनाथ के विकास की कोई योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग उनके साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, झारखण्ड में मधुबन और पारसनाथ (जिला गिरिडीह) के एकीकृत विकास के लिए परियोजना हेतु 393.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्य प्रगति पर है।

खाद्य विभाग में धांधली

688. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिकार्डों के अभावों के कारण खाद्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब में लापता 50 लाख टन खाद्यान्न के मामले की जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम, पंजाब के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक ने 1 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार पंजाब में राज्य एजेंसियों के पास भंडारित गेहूं के स्टाक में लगभग 50 लाख टन की विसंगति का पता लगाया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की एक समिति ने पंजाब का दौरा किया था और उनकी जांच से पता चला कि विसंगतियां स्टाक रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियों के कारण हुई थीं। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं कि स्टाक रिपोर्टिंग प्रणाली को सुचारू बनाया जाए।

श्रम कानून

689. **श्री राम कृपाल यादव:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ते हुए औद्योगिक विवादों तथा औद्योगिक विकास को देखते हुए श्रम कानूनों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समीक्षा कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) देश में, औद्योगिक विवादों की घटनाएं (हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या) वास्तव में वर्ष 2002 में 579 से घटकर वर्ष 2003 में 489 (अनंतिम) रह गई है। वर्ष 2003-2004 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ने 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है जैसा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आने वाले परिवर्तनों से देखा जा सकता है। सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के हितों को सद्भावपूर्ण बनाने की दृष्टि से सामाजिक भागीदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद श्रम कानूनों की समीक्षा की जा रही है। श्रम कानूनों की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

गोदामों का निरीक्षण

690. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान क्या अनियमितताएं/कमियां पाई गईं;

(ग) इन कमियों/अनियमितताओं के लिए किन-किन व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया; और

(घ) उत्तरदायी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितताएं/खामियां नहीं पाई गई थीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करना

691. **श्री गिरिधारी यादव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने उद्योगों को यमुना को प्रदूषित करने का दोषी पाया गया, जिसके कारण सरकार ने उन्हें बंद कर दिया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.), दिल्ली सरकार ने आवासीय तथा नान कम्फार्मिंग क्षेत्रों में प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने के लिए मास्टर प्लान दिल्ली-2001 के अनुसार एफ 27 तथा एफ-33 श्रेणी के तहत इकाइयों की पहचान की है।

(ग) आवासीय/नान-कन्फार्मिंग क्षेत्रों में वायु/जल प्रदूषण फैलाने वाली कुल 5747 औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न चरणों में बंद किया जा चुका है। कन्फार्मिंग क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाए हैं। तथापि, पाई गई जल प्रदूषण फैलाने वाले इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

692. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बीमा कंपनियों को किसानों की लागत पर और अधिक लाभ दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार योजना को स्वैच्छिक बनाने तथा यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि जिला बैंकों द्वारा इसे जबरदस्ती लागू न किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ऐसी कोई शिकायत ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम जो वर्तमान में परिचालनाधीन है, में गैर ऋणी किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी तथा ऋणी किसानों की अनिवार्य भागीदारी का प्रावधान है। स्कीम में किसानों की समुचित सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इसे ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। वर्तमान में ऋणी किसानों के लिए स्कीम को स्वैच्छिक बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गन्ने का बकाया

693. **मोहम्मद शाहिद:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों की चीनी मिलों में पेराई के लिए प्रयोग किए गए गन्ने की मात्रा और लागत कितनी थी; और

(ख) किन राज्यों पर गन्ना उत्पादकों का सबसे अधिक बकाया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) चीनी उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए मध्य-मौसम के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान चीनी मौसम 2003-2004 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 1418.96 लाख टन गन्ने की पेराई किए जाने की संभावना है। चीनी मौसम 2003-2004 के संबंध में खरीदे गए गन्ने के लिए गन्ने के मूल्य की देय धनराशि, गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि तथा गन्ने के मूल्य की शेष देय धनराशि की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2003-04 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने के संबंध में गन्ने के देय मूल्य, अदा किए गए मूल्य और बकाया धनराशि की राज्यवार स्थिति

(आंकड़ें करोड़ रुपए में)

राज्य/जोन	2003-04 के दौरान खरीदे गए गन्ने का कुल देय मूल्य	गन्ने का अदा किया गया कुल मूल्य	गन्ने के मूल्य की देय शेष धनराशि	निम्न तारीख के अनुसार स्थिति
पंजाब	404.49	329.77	74.72	15.5.2004
हरियाणा	556.10	479.61	76.49	15.5.2004
राजस्थान	10.98	8.47	2.51	15.5.2004
उत्तर प्रदेश	4079.46	3840.02	239.44	30.6.2004
उत्तरांचल	350.24	323.73	26.51	15.6.2004
मध्य प्रदेश	73.26	66.73	6.53	15.5.2004
गुजरात	769.81	736.99	32.82	31.5.2004
महाराष्ट्र	2258.28	1390.49	867.79	15.5.2004
बिहार	174.20	110.77	63.43	15.5.2004
असम	—	—	—	उपलब्ध नहीं
आंध्र प्रदेश	763.88	699.18	64.70	31.5.2004
कर्नाटक	756.74	656.04	100.70	15.5.2004
तमिलनाडु	639.34	593.52	45.82	15.5.2004
केरल	—	—	—	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	25.56	22.93	2.63	15.5.2004
पश्चिम बंगाल	—	—	—	उपलब्ध नहीं
पांडिचेरी	17.13	11.18	5.95	15.5.2004
गोवा	6.77	6.77	0	15.5.2004

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में बीज अधिनियम

694. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार लम्बे समय से राज्य में अलग बीज अधिनियम की मंजूरी का आग्रह कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2000 में राज्य में अलग बीज अधिनियम लागू करने हेतु संघ सरकार का अनुमोदन मांगा है। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा भारत सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया क्योंकि केन्द्र सरकार का केन्द्रीय बीज अधिनियम, 1966 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सरकार को गृह मंत्रालय के दिनांक 13 मई, 2003 के पत्र के तहत भारत सरकार के निर्णय से अवगत करवा दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार के पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें प्रस्तावित केन्द्रीय अधिनियम, में सम्मिलित किए जाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे। प्रस्तावित केन्द्रीय बीज अधिनियम का मसौदा तैयार करते समय सुझावों पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं

695. **श्री काशीराम राणा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के दक्षिणी भागों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय दो प्रमुख पनधारा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है, नामतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना तथा कृषि के वृहद प्रबंधन के जरिए नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अपरदित भूमि का उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, शुरूआत से नौंवी पंचवर्षीय योजना तक गुजरात राज्य सहित दक्षिण हिस्सों में 161.20 करोड़ रुपए के व्यय के साथ मृदा अपरदन तथा भूमि अपरदन को रोकने के लिए मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा 6.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया गया है। ये कार्यक्रम दसवीं योजना में भी चल रहे हैं।

इन सब के अतिरिक्त, मृदा संरक्षण संबंधी चालू राज्य योजना स्कीमों को गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों अर्थात 1999-2000 से 2003-04 के दौरान 33.459 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 0.399 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है। जिलावार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

जिले का नाम	वास्तविक (क्षेत्र हैक्ट. में)	व्यय (रु. लाख में)
नर्मदा	9184.99	791.49
भरूच	10273.46	516.93
सूरत	10048.00	917.18
नवसारी	3940.00	401.82
वलसाद	5341.00	565.51
डांग	1128.00	153.01
कुल	39915.45	3345.93

खाद्यान्न का निर्यात

696. **श्री परसुराम माझी:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए खाद्यान्न की मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन देशों को खाद्यान्न निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान देश से निर्यात किए गए खाद्यान्न का विवरण नीचे दिया गया है:

(टन में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04*
चावल गैर बासमती	1541489	4076347	2424963
चावल बासमती	667072	594867	634501
गेहूं	2649380	3570890	3609362
जोड़	4857941	8242104	6668826

*फरवरी, 2004 तक

(ख) अधिकांश खाद्यान्नों का निर्यात बंगलादेश इंडोनेशिया, फिलीपाइन्स, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, समाजवादी गणराज्य वियतनाम तथा कोरिया गणराज्य को किया गया है।

(ग) और (घ) प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए समय-समय पर प्रोत्साहन संबंधी उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

राजस्थान को गेहूं का आबंटन

697. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान को दिए जाने वाले गेहूं का कोटा बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो कोटा कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल, राजस्थान सहित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को गेहूं के कोटे/आवंटन में वृद्धि करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राशन कार्डों को जारी करना

698. श्री मोहन सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) ऐसे राशन कार्डों के माध्यम से कुल कितने लोग अपना राशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) उन्हें प्रतिमाह कितना राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और किन दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है;

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के चयन का क्या मानदंड निर्धारित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार राजसहायता प्राप्त दरों पर राशन प्राप्त करने के लिए लगभग 8.16 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (अंत्योदय अन्न योजना सहित) परिवारों को इस प्रकार के राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

(ग) इस समय निर्गम का पैमाना गेहूं के लिए 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं और चावल) प्रति परिवार प्रतिमाह है। खुदरा निर्गम मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य के साथ-साथ खुदरा निर्गम मूल्य गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम हैं।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की

संख्या का निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के निर्धनतम अनुमानों के आधार पर लगाया गया है जिसके लिए 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर ''गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान पर विशेषज्ञ दल'' की पद्धति को अपनाया गया है। दिशा निर्देशों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे किसानों, कुम्हारों, टेपर्स, बुनकरों, लोहार, बढ़ई, जैसे ग्रामीण दस्तकारों आदि तथा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले तथा कुली, रिक्शाचालक और हथठेलाचालक, फुटपाथ पर फल और फूल बेचने वाले आदि जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर अपनी जीविका अर्जित करने वाले व्यक्तियों जैसे वास्तविक गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखने वालों को ही प्रणाली में शामिल किया जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया गया है कि वे पात्र परिवारों की पहचान करने के कार्य में ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें।

अगवानपुर कृषि अनुसंधान संस्थान

699. श्रीमती रंजीत रंजनः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के सहरसा जिले में अगवानपुर कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए सौ एकड़ से अधिक भूमि बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां इस समय कोई भी अनुसंधान गतिविधि नहीं चल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) अगवानपुर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र है जो बिहार सरकार के अधीन है। यह क्षेत्रीय केन्द्र इस समय अनुसंधान परीक्षणों, किसान प्रशिक्षण तथा क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलों के बीज उत्पादन कार्य में लगा है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

समेकित चीनी परिसर

700. योगी आदित्यनाथः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में समेकित चीनी परिसर स्थापित करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण में दिल्ली की असफलता

701. श्री प्रभुनाथ सिंहः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण ने दिल्ली राज्य सरकार का ध्यान दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने में उसकी असफलता की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरणीय प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ई.पी.सी.ए.) ने हाल ही में दिल्ली की मुख्य पर्यावरणीय चुनौतियों की पुनरीक्षा की है तथा निम्नलिखित मुद्दों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार के ध्यान में लाया गया है:

(1) ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण:

(2) दिल्ली के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट स्थल; और

(3) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की स्थिति।

(ग) दिल्ली सरकार इन मुद्दों का निराकरण कर रही है।

[अनुवाद]

श्रमिकों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन

702. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास के साथ, बेहतर रोजगार की तलाश, शिक्षा, विवाह, व्यापार आदि जैसे अनेक कारणों से देश के विभिन्न भागों से सभी श्रेणियों के व्यक्तियों का उत्प्रवास हुआ है। वर्ष 1991 की जनगणना (केवल इसके ही आंकड़े उपलब्ध हैं) के अनुसार, रोजगार के कारणों के चलते 17.3 मिलियन व्यक्तियों ने देश के भीतर ही अपने निवास स्थान बदले हैं।

(ग) सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए 'स्वर्णजयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना', 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना', 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना', इंदिरा आवास योजना जैसी अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाएं तथा जनश्री बीमा योजना जैसी समूह बीमा योजनाएं लागू कर रही है। बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए उत्प्रवास किसी विकासशील अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। मुख्य आवश्यकता है प्रवासी कामगारों के हितों को संरक्षण प्रदान करना और उनके लिए सुरक्षा उपाय करना। इन कामगारों पर लागू अनेक अधिनियमों के अलावा, सरकार ने अलग से अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान है।

जम्मू और कश्मीर में संकर बीज और कीटनाशक

703. चौधरी लाल सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में विशेषत: उधमपुर में कृषिकों को अच्छी किस्म के संकर बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर राज्य को उक्त बीज उपलब्ध करवाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संकर बीज, कीटनाशक एवं उर्वरकों का खपत स्तर तथा उधमपुर, डोडा एवं कठुआ जिलों में धान, मक्का और गेहूं के उत्पादन स्तर का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) उधमपुर क्षेत्र सहित जम्मू-कश्मीर के किसानों को अच्छी क्वालिटी के संकर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार के बिक्री केन्द्रों द्वारा किसानों को कोई कीटनाशी नहीं दिए जाते। निजी लाइसेन्सधारियों के माध्यम से ही कीटनाशी दिए जा रहे हैं। राज्य के विभाग द्वारा संबंधित अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत प्रवर्तन विंग के माध्यम से ही बाजार में गुणवत्ता युक्त कीटनाशियों की आवक सुनिश्चित की जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज पहले ही दिए जा रहे हैं। खरीफ 2004 के लिए 8768 क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में 8847 क्विंटल प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि कीटनाशी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित 627 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ङ) संकर बीजों, कीटनाशियों, उर्वरकों की खपत एवं धान मक्का तथा गेहूं के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

जम्मू कश्मीर के उधमपुर, कठुआ तथा डोडा जिले में वितरित संकर बीजों की मात्रा एवं कीटनाशियों एवं रासायनिक उर्वरकों की खपत

क्र.सं.	वस्तु	2001-02				2002-03				2003-04				2004-05			
		उधमपुर	कठुआ	डोडा	कुल	उधमपुर	कठुआ	डोडा	कुल	उधमपुर	कठुआ	डोडा	कुल	उधमपुर	कठुआ	डोडा	कुल
1.	संकर बीजों का वितरण (क्विंटल में)																
	मक्का	230.30	109.15	112.20	451.65	184.26	74.00	85.41	343.67	382.29	287.76	198.65	869.70	456.90	265.28	288.21	1010.39
	धान	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.60	0.09	0.99	9.00	3.46	—	12.46
	मक्की	0.44	0.46	0.35	1.25	0.95	1.43	0.69	3.07	0.18	1.65	0.11	1.94	1.70	0.70	1.10	3.50
	कुल	230.74	109.61	112.55	452.90	185.21	75.43	86.10	346.74	382.77	290.01	198.85	872.63	467.60	269.44	289.31	1026.35
2.	कीटनाशियों की खपत (तकनीकी ग्रेड) (क्विंटल में)	62.098	26.13	1.97	90.198	9.80	31.50	40.61	81.81	122.11	2.00	11.35	135.46	15.78	—	0.076	15.855
3.	रासायनिक उर्वरकों की खपत (मी. टन में)																
	यूरिया	5861	4837	2025	—	3608	2521	2061	—	5165	3261	4303	—	—	—	—	—
	डी ए पी	1308	459	592	—	1209	427	1218	—	1480	931	1393	—	—	—	—	—
	एम ओ पी	77	57	42	—	20	13	24	—	210	68	98	—	—	—	—	—
	मिश्रण 12:32:16	—	—	—	—	—	—	39	—	12	1	22	—	—	—	—	—

जम्मू कश्मीर के उधमपुर, कठुआ तथा डोडा जिले में वर्ष 2000-01 के दौरान चावल, मक्का तथा गेहूं का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र.सं.	वस्तु	उधमपुर			कठुआ			डोडा		
		क्षेत्र है. में	उत्पादन (क्विंटल में)	औसत उपज (क्विंटल/है. में)	क्षेत्र है. में	उत्पादन (क्विंटल में)	औसत उपज (क्विंटल/है. में)	क्षेत्र है. में	उत्पादन (क्विंटल में)	औसत उपज (क्विंटल/है. में)
1.	चावल	984	146832	14.98	34303	573981	16.73	3503	34038	9.72
2.	मक्का	57705	1007600	17.46	16233	402400	24.79	51730	618200	11.95
3.	गेहूं	41552	62500	1.50	53097	334400	6.30	11086	49400	4.46

जल संसाधनों का प्रबन्धन

704. श्री सुरेश कलमाडी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जल संसाधनों के वैकल्पिक एवं सतत् विकास तथा प्रबन्धन हेतु तैयार की गई क्रियान्वयन कार्य योजना का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई समीक्षा की गई है जैसा कि राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में परिकल्पना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय जलनीति-2002 को 1 अप्रैल, 2002 को अपनाया गया और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भेज दिया गया। इस नीति के अंतिम पैरे में बल दिया गया है कि राष्ट्रीय जल नीति की सफलता राष्ट्रीय सामंजस्य का विकास करने एवं बनाए रखने और इसमें निहित सिद्धांतों तथा उद्देश्यों की वचनबद्धता पर पूरी तरह निर्भर करेगी तथा अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रचालनात्मक कार्य योजना से अनुसमर्थित राज्य जल नीति को समयबद्ध तरीके से अर्थात दो वर्षों से तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रचालनात्मक कार्य योजना से अनुसमर्थित राज्य जल नीति तैयार करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं जैसा कि राष्ट्रीय जल नीति-2002 में परिकल्पित है। अत: इस अवस्था में कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए समीक्षा को पर्याप्त नहीं समझा जाता है।

जहरीले रसायनों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कंवेंशन

705. श्रीमती मेनका गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत बारह जहरीले रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कंवेंशन में शरीक नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में पी.सी.बी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कोई उपाय किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) भारत ने स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टोकहोम कन्वेंशन पर 14 मई 2002 को हस्ताक्षर किए थे। तथापि भारत ने कन्वेंशन का अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है क्योंकि कन्वेंशन का पक्षकार बनने के भावी प्रभावों पर पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया।

(ग) पी सी बी का भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है और इसके आयात निर्यात की अब कोई अनुमति नहीं है। फिर भी अपशिष्टों, पेपर, प्लास्टिक और रंग-रोगन के जलने पर पी सी बी वायुमंडल में रिलीज हो जाती है।

(घ) पी सी बी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास एवं कानूनी उपाय किए गए हैं:

* पी ओ पी रसायनों पर एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना के विकास हेतु आवश्यकताओं को अभिनिर्धारित करने के लिए इनैबलिंग एक्टिविटीज पर एक परियोजना आरम्भ की गई है।
* पोली क्लोरिनेटिड, बायफिनायल निहित, इससे बने हुए या इससे प्रदूषित अपशिष्ट, पदार्थ एवं वस्तुओं का आयात निर्यात परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधन नियमावली, 2003 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
* क्लोरिनेटिड विसंक्रमण पदार्थों से शोधित प्लास्टिक एवं अपशिष्टों के भस्मीकरण की जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 के अंतर्गत अनुमति नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र का विकास

706. श्री अर्जुन सेठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में कृषि क्षेत्र के साथ हुई प्रधानमंत्री जी की बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने का है जिससे कि कृषक सीधे बाजार में प्रवेश कर सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम अथवा प्रस्तावित कदम क्या है;

(ङ) क्या कुछ भारतीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कृषि क्षेत्र के विकास में रुचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इच्छुक दलों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों और कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 28 जून, 2004 को एक बैठक आयोजित की। कुछ मुद्दों/सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें अन्य के साथ-साथ ग्रामीण ऋण, कृषि आदानों की उपलब्धता, कृषि विपणन, कृषि बीज, विशिष्ट फसल संबंधित मुद्दे आदि शामिल थे।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना में वृद्धित निवेश, ग्रामीण ऋण का वृद्धित प्रवाह, सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, कृषि क्षेत्र के लिए बीमा कवर, उचित मूल्यों पर आदानों की उपलब्धता, अनुसंधान व विकास का प्रोत्साहित करना और फ्रंटियर प्रौद्योगिकी को लागू करना, कृषि उत्पाद मण्डियों में सुधार लाना, कृषि प्रसंस्करण का विविधीकरण तथा विकास आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) प्रथम दृष्टया कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं, तथापि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों में सिंथेटिक पट्टी

707. **श्री अलीमाऊ चर्चील:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में सिंथेटिक पट्टी बिछा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपनाए गए मानदण्ड क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार उन केन्द्रों की संख्या कितनी है, जहां सिंथेटिक पट्टी बिछा दी गई है;

(घ) उपरोक्त सुविधा से गोवा के प्रशिक्षण केन्द्र को हटाए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र छात्रावास में 75 खिलाड़ियों को ठहराता है;

(च) यदि हां, तो क्या गोवा स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों में खिलाड़ियों की संख्या कम है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और उन पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) ने अपने क्षेत्रीय केन्द्रों, उप केन्द्रों और नई दिल्ली के अपने स्टेडियमों में सिंथेटिक सतह बिछाई है। भारतीय खेल प्राधिकरण के इन केन्द्रों को सिंथेटिक सतह उस क्षेत्र में उपलब्ध खेल प्रतिभा के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जिन केन्द्रों में सिंथेटिक सतह बिछाई गई है, वे निम्नलिखित है:

		हाकी	एथलेटिक्स
1.	भा.खे.प्रा., दक्षिण केन्द्र, बंगलौर	1	1
2.	भा.खे.प्रा., पश्चिम केन्द्र, गांधीनगर	1	1
3.	भा.खे.प्रा., पूर्वी केन्द्र, कोलकाता	1	-
4.	भा.खे.प्रा., एन.एस.एन.आई.एस., पटियाला	1	1
5.	भा.खे.प्रा., उप केन्द्र, लखनऊ	1	-
6.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	-	1*
7.	मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली	2	-

*जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में मानक एथलेटिक्स ट्रैक के अलावा एक वार्म-अप एथलेटिक ट्रैक भी है।

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण ने केवल अपने क्षेत्रीय/उप-केन्द्रों और दिल्ली के अपने स्टेडियमों में सिथेटिक सतह बिछाई है। फिलहाल गोवा के केन्द्र सहित किसी भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र में सिंथेटिक सतह का प्रावधान नहीं है।

(ङ) से (छ) छात्रावास में जगह और उपलब्ध खेलने की सुविधाओं के आधार पर छात्रावास निवासियों की संख्या 50 से 100 के बीच होती है। 31.3.2004 तक एस.टी.सी., गोवा में

181 प्रशिक्षणार्थी थे जिनमें से 85 निवासी थे। चालू वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

एन.वाई.के. के माध्यम से युवकों हेतु कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

708. **श्री मधुसूदन रेड्डी:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में नेहरु युवक केन्द्र के माध्यम से युवकों हेतु कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं एवं सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में कहां-कहां नेहरु युवक केन्द्र खोले जाने पर विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) नेहरु युवा केन्द्र गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को किसी तरह की कोई सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान नहीं करता है तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान युवा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तेलंगाना आधारित निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों को मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता जारी की गई है:

(रुपयों में)

वर्ष	गैर सरकारी संस्था का नाम	जारी की गई राशि
2001-02	पीपुल्स एजुकेशनल सोसाइटी, करीमनगर	1,04,297
	स्वर्ण ग्रामीण विकास सेवा समिति, नालगोन्डा	48,600
	हेल्प मार्फत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, महबूबनगर	51,750
2002-03	श्री राम कृष्ण ग्रामीण विकास समिति, खम्माम	90,000
	जागृत, खम्माम	1,25,156
2003-04	चन्द्र शेखर शैक्षिक समिति, महबूबनगर	73,912
	श्री विजय महिला कल्याण विकास समिति, वारंगल	79,987

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में नेहरु युवा केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गंगा प्रदूषित करने वाले चर्म शोधक कारखाने

709. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश विशेषत: उन्नाव जिले में कार्यरत बहुत से चर्म शोधक कारखाने अपना अपशिष्ट प्रवाहित करके गंगा नदी और भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कामन ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जायगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) उन्नाव जिला में चल रही 18 चर्म शोधनशालाओं में से 13 लघु उद्योग यूनिटों का संयुक्त बहिस्राव उन्नाव के सामूहिक शोधन संयंत्र में पहुंच रहा है। शोधित बहिस्राव को म्युनिसीपल (लोनी) नाले में निस्तारित किया जाता है जो 20 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद साई नदी में मिलता है, जो आगे गोमती नदी में मिलती है और अंत में वाराणसी में गंगा नदी के अधोप्रवाह में मिलती है। शेष 5 अलग-अलग स्थित मध्यम से बड़े आकार की चर्मशोधन शाला यूनिटों ने अपने बहिस्राव के लिए एकीकृत शोधन सुविधाएं तैयार कर ली हैं। शोधित बहिस्राव को म्युनिसीपल (जेल) नाले में निस्तारित किया जाता है जो लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद कानपुर में गंगा नदी के अधोप्रवाह में मिलता है। कानपुर में 354 शोधनशालाओं ने अपनी यूनिटों में बहिस्राव के लिए पूर्व शोधन सुविधाएं स्थापित कर ली हैं और पूर्व शोधन के बाद उनका बहिस्राव जाजमऊ, कानपुर में स्थित सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र में पहुंचता है और शोधित बहिस्राव का शुष्क मौसम के दौरान कृषि सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहकारी ऋण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

710. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए कोई योजना तैयार की है और सहकारी ऋण तंत्र के सुदृढ़ीकरण को भी प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में कृषकों के लिए दुर्घटना बीमा नीति का आरंभ किया जाना भी सम्मिलित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए सरकार ने बहुत से कार्यक्रम तैयार किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि की ओर ऋण प्रवाह को दोगुना करना, शुष्क भूमि कृषि संबंधी स्कीम, राष्ट्रव्यापी बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन, सूक्ष्म/स्प्रिंकलर सिंचाई संबंधी स्कीम, कृषि विपणन के लिए कृषि अवसंरचना स्कीम तथा कृषि विस्तार हेतु हस्तक्षेप। सरकार ने उपयुक्त नियामक व्यवस्था सहित सहकारी बैंकिंग में अपेक्षित सुधारों की जांच करने के लिए एक कृतक बल नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नदियों को जोड़ने सम्बन्धी परियोजना

711. **डा. अरूण कुमार शर्मा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों को जोड़ने वाली परियोजना में बाढ़ और नदियों का जलभराव क्षेत्र से ही अपरदन को नियंत्रित करना परिकल्पित है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रावधान इस परियोजना का हिस्सा बना हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तुत विशिष्ट योजना क्या है; और

(घ) नदियों को जोड़ने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का पैटर्न क्या है तता चरण-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1980 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन पी पी) के तहत नदियों को परस्पर जोड़कर भंडारण बांधों के निर्माण की योजना है। सामान्यतः भंडारण बांधों की क्षमता के कारण और संपर्क नहरों के माध्यम से बाढ़ के जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित करके बाढ़ की गंभीरता और इससे होने वाली क्षतियों को कम करने में सहायता मिलती है।

(घ) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना के लिए इस स्तर पर वित्तपोषण और चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत देश की नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी व्यवहार्यता का एक व्यापक आकलन करने की योजना बनाई है।

कृषक आय बीमा योजना

712. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री मिलिंद देवरा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषक आय बीमा योजना को क्रियान्वित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) यह पूर्व राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से किस प्रकार पृथक होगी; और

(घ) घाटों के त्वरित आकलन के लिए और दावों के एकमुश्त त्वरित निपटान के लिए कौन सी विधियां अपनायी गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषक आय बीमा स्कीम (एफ आई आई एस) से संबंधित एक पाइलट परियोजना का कार्यान्वयन 12 राज्यों के 19 जिलों में रबी 2003-04 मौसम के दौरान किया गया है, जिसमें दो फसलों अर्थात गेहूं और चावल को कवर किया गया है। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

* यदि किसान की वास्तविक आय किसानों की गारंटीशुदा आय से कम होती है, तो वे इंडेम्निटी की सीमा तक प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

* बीमित फसल की वास्तविक उपज तथा मूल्य निर्धारण में क्षेत्र दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है।

* यह स्कीम सभी राज्यों के लिए उपलब्ध है और फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है।

* कृषक आय बीमा स्कीम के अंतर्गत कवर फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन ए आई एस) में कवर नहीं किया जाता, परंतु अन्य फसलों को कवर किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम तथा कृषक आय बीमा स्कीम के अंतर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनुमत्य दावों का ब्यौरा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा राज्यों से उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त होने के तुरंत बाद तैयार किया जाता है। राज्यों हेतु उपज संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी जाती है, ताकि भुगतान योग्य दावों का ब्यौरा तैयार करके यथासमय निपटान किया जा सके।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन ए आई एस) तथा कृषक आय बीमा स्कीम (एफ आई आई एस) के बीच अंतर

विशेषताएं	एन ए आई एस	एफ आई आई एस
कवरेज का स्वरूप	उपज जोखिम	आय जोखिम (उपज अथवा मूल्य अथवा दोनों)
फसलें	सभी खाद्यान्न फसलें तथा तिलहन एवं वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसले।	इस समय केवल गेहूं और चावल को कवर किया गया है।
प्रीमियम दर	खाद्यान्न तथा तिलहन फसलों के मामले में एक समान प्रीमियम दर तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकिक दर।	सभी फसलों के लिए बीमांकिक प्रीमियम
सब्सिडी	छोटे तथा सीमांत किसानों को 50% प्रीमियम सब्सिडी, जिसे 5 वर्ष की अवधि में क्रमशः समाप्त कर दिया जाएगा। सब्सिडी केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी।	छोटे तथा सीमांत किसानों को 75% की दर से तथा अन्य किसानों को 50% प्रीमियम सब्सिडी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

खतरनाक गतिविधियों में कार्यरत बच्चे

713. **डा. एम. जगन्नाथः**
श्री कैलाश मेघवालः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने बाल-श्रमिक हैं;

(ख) क्या संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत खतरनाक गतिविधियों में बच्चों को रोजगार प्रदान करना निषिद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे रोजगार प्रदाताओं को सजा देने के कोई प्रावधान किये हैं जो अपनी फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों को लगाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में कामकाजी

बच्चों की संख्या 1.128 करोड़ है। जनगणना के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि "14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खान या किसी जोखिमकारी रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा।"

(घ) जी, हां।

(ङ) बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 में यह व्यवस्था है कि "कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी बच्चे को नियोजित करता है उसे सजा के रूप में न्यूनतम 3 माह की कैद, जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकता है, या न्यूनतम 10,000/- रुपये जुर्माना जिसे बढ़ाकर 20,000/- रुपये तक किया जा सकता है, या दोनों हो सकते हैं।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1991 कुल श्रमिक
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,661,940
2.	असम	327,598
3.	बिहार	942,245
4.	गुजरात	523,585
5.	हरियाणा	109,691
6.	हिमाचल प्रदेश	56,438
7.	जम्मू और कश्मीर	**
8.	कर्नाटक	976,247
9.	केरल	34,800
10.	मध्य प्रदेश	1,352,563
11.	महाराष्ट्र	1,068,418
12.	मणिपुर	16,493
13.	मेघालय	34,633
14.	नागालैण्ड	16,476
15.	उड़ीसा	452,394
16.	पंजाब	142,868
17.	राजस्थान	774,199
18.	सिक्किम	5,598
19.	तमिलनाडु	578,889
20.	त्रिपुरा	16,478
21.	उत्तर प्रदेश	1,410,086
22.	पश्चिम बंगाल	711,691
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1,265
24.	अरुणाचल प्रदेश	12,395
25.	चण्डीगढ़	1,870
26.	दादरा और नगर हवेली	4,416
27.	दिल्ली	27,351
28.	दमन और दीव	941
29.	गोवा	4,656
30.	लक्षद्वीप	34
31.	मिजोरम	16,411
32.	पांडिचेरी	2,680
	कुल	11,285,349

*मिजो जिले से संबंधित आंकड़े भी सम्मिलित हैं जो उस समय असम का एक भाग था।

**जनगणना नहीं करवाई जा सकी।

टिप्पणी: 1991 के आंकड़े 5-14 वर्ष की आयु के श्रमिकों से संबंधित है।

इन्दिरा नहर से भूमि अपदस्थों का पुनर्वास

714., श्री दुष्यन्त सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में इन्दिरा नहर से भूमि अपदस्थों का पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राजस्थान सरकार के अनुसार इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से कोई विस्थापित नहीं हुआ है। तथापि, पोंग बांध (इंदिरा गांधी नहर का जल स्रोत) के निर्माण से लोग विस्थापित हुए हैं। आगे यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा 10,629 विस्थापितों में से 10,519 विस्थापितों को भूमि आबंटित की गई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि जिन विस्थापितों को भूमि आबंटित की गई, उन्हें कालोनी क्षेत्र के चक आबादी में मुफ्त आवासीय प्लाट दिए गए हैं। परियोजना का कमान क्षेत्र विकास विभाग पेयजल प्रयोजन के लिए जल डिगीज (वाटर डिगीज) का निर्माण करता है और राज्य सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश की वानिकी परियोजना

715. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता प्राप्त वानिकी योजना के अंतर्गत धनराशि की दूसरी किश्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में जारी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) 19.3.1998 से 31.7.2003 तक की अवधि तक राज्य में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कार्यान्वित की जा ही थी। परियोजना अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत आगे और कोई किस्त जारी नहीं की जाएगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कल्याण कोष से सहायता

716. श्री वाई.जी. महाजन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त कोष से कितने खिलाड़ियों ने वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है और उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अंतर्गत उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों जो कि द्ररिद्र अवस्था में रह रहे हैं अर्थात जिनकी मासिक आय सभी स्रोतों से 3000/- रुपये से कम है, को 2500/- रुपये तक की मासिक पेंशन और चिकित्सा उपचार के लिए 40,000/- रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन खिलाड़ियों को जिन्हें प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के दौरान घातक चोट लग जाती है, को एक लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, अध्यक्ष किसी सुपात्र मामले में अधिक सहायता अनुमोदित कर सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पेंशन तथा एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	पेंशन प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या	एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या
2001-02	50	00
2002-03	48	06
2003-04	49	05

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान (आज तक), मंत्रालय में खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एकमुश्त वित्तीय सहायता एक मामले में प्रदान की गई है। बाकि चार मामलों में संबंधित खेल परिसंघों और जिला क्लेक्टरों से आवेदक की खेल उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति के संबंध में सत्यापन रिपोर्टें मंगवाई गई हैं, ये अभी प्राप्त होनी हैं।

दालों और तिलहनों का उत्पादन

717. श्री सुरेश चंदेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष दालों और तिलहनों की अनुमानित मांग और वास्तविक उत्पादन क्या है और तत्संबंधी आयात कितना है;

(ख) देश में अगले तीन वर्षों में दालों और तिलहनों के उत्पादन की अनुमानित मात्रा और मांग क्या है;

(ग) घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तिलहनों और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित नई योजनाओं/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन एवं तिलहन की अनुमानित मांग, वास्तविक उत्पादन तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित मात्रा व आगामी तीन वर्षों में इनके अनुमानित उत्पादन तथा मांग का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा देश के 28 राज्यों में तिलहन व दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ पी पी) तथा राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एन पी डी पी) का कार्यान्वयन किया गया। इन स्कीमों की समीक्षा एवं पुनःरचना के उपरांत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनका विलय केन्द्रीय प्रायोजित "तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का से संबंधित समेकित स्कीम" में कर दिया गया है, ताकि राज्यों के लिए इसका कार्यान्वयन सुविधाजनक हो सके और देश में तिलहन एवं दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रूप से भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम का कार्यान्वयन देश में तिलहन की खेती करने वाले 14 प्रमुख राज्यों में वर्ष 2004-05 से किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को दलहन व तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों के वितरण, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशियों, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट की आपूर्ति, छिड़काव यंत्रों के वितरण, पानी का पाइप लाइनों, प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है।

किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों की जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रखण्ड प्रदर्शन एवं समेकित कीट प्रबंध (आई पी एम) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के माध्यम से फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(घ) इस समय कोई नई स्कीम लागू किए जाने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन एवं तिलहन की अनुमानित मांग, वास्तविक उत्पादन तथा आयातित मात्रा

दलहन (मात्रा मिलियन मी. टन)

वर्ष	अनुमानित मांग	वास्तविक उत्पादन	आयात
2001-02	14.12	13.2	2.22
2002-03	16.43	10.14	1.88
2003-04	16.74	14.89 (तीसरे अग्रिम अनुमान)	1.57 (फरवरी, 2004 तक)

तिलहन (मात्रा मिलियन मी. टन)

वर्ष	अनुमानित मांग	वास्तविक उत्पादन	आयात
2001-02	30.06	20.8	0.029
2002-03	31.87	15.1	0.044
2003-04	33.78	25.00 (तीसरे अग्रिम अनुमान)	0.015 (जनवरी, 2004 तक)

(ख) देश में आगामी तीन वर्षों के दौरान दलहन एवं तिलहन का अनुमानित उत्पादन एवं मांग

(मिलियन मी. टन)

वर्ष	दलहन		तिलहन**	
	उत्पादन लक्ष्य	मांग*	उत्पादन लक्ष्य	मांग*
2004-05	15.3	17.06	26.2	35.81
2005-06	15.7	17.38	27.8	37.96
2006-07	16.2	17.71	29.4	40.23

* खेती बाड़ी, मांग एवं आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि आदानों से संबंधित कार्य दल द्वारा नियामक दृष्टिकोण के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु यथा प्रक्षेपित।

** तिलहन/खाद्य तेलों की मांग प्रेक्षपण संबंधी कार्यदल द्वारा नियामक दृष्टिकोण के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु यथा प्रक्षेपित।

मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत योजना

718. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछुआरों के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित बचत-सह-राहत योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सकार के हिस्से की की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव प्राप्त होने पर राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के बचत-सह-राहत घटक का कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस घटक के अन्तर्गत, 2003-04 में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 816.41 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। 2004-05 में कल्याण योजना के बचत-व-राहत घटक का कार्यान्वयन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर 30 जून, 2004 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कुल 285.78 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

चीनी का निर्यात

719. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाओं को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाएं हैं और उक्त योजनाओं को कब तक बंद किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन योजनाओं को बंद करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों के पास रखे चीनी स्टाक, देश में चीनी उत्पादन की संभावनाओं तथा उपभोग के लिए चीनी की आवश्यकता, चीनी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और अन्य संगत पहलुओं के संबध में स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय किया है कि 20.6.2004 के बाद निर्यात लदानों के संबंध में आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभार, महासागरीय भाड़ा हानि के निष्प्रभावीकरण और विपणन तथा हैंडलिंग प्रभार पर खर्च की अदायगी को जारी न रखा जाए।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में युवक छात्रावास स्थापित करना

720. **श्री ए.के. मूर्ति:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में चेंगलपेट और कांचीपुरम में एक-एक युवक छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छात्रावासों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी नहीं। संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर युवा छात्रावास की स्थापना पर विचार किया जाता है। तमिलनाडु सरकार से चेंगलपेट और कांचीपुरम में युवा छात्रावासों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन सर्किटों का विकास

721. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में पर्यटन सर्किटों का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का हैदराबाद को प्रस्तावित पर्यटन सर्किटों के अंतर्गत सम्मिलित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) एकीकृत पर्यटक सर्किटों और गंतव्यों का अभिनिर्धारण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से किया जाता है और परियोजनाएं धन की उपलब्धता की शर्त पर गुण-दोषों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे विचार के लिए विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव भेज दें।

केरल में मत्स्यन का विकास

722. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में मत्स्यन के विकास और मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार केरल सरकार से अपेक्षित ब्यौरों के साथ 2004-05 के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने का प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है। तथापि, 9वीं योजना (1997-2002) और 10वीं योजना के प्रथम दो वर्षों (2002-2004) के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए केरल सरकार को क्रमशः 3142.10 लाख रुपए और 837.99 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

मूंगफली और अरहर के बीजों की कमी

723. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कतिपय राज्यों ने मूंगफली और अरहर के बीजों की कमी की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश में बीजों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सरकार द्वारा खरीफ-2004 के दौरान प्रमाणित तथा गुणवत्ता बीजों की निम्नलिखित स्थिति दर्शाई गई है:

(मात्रा क्विंटल में)

फसल	आवश्यकता	उपलब्धता
आंध्र प्रदेश		
मूंगफली	300000	302552
अरहर	10500	10724
कर्नाटक		
अरहर	18130	18130
मूंगफली	156520	106470

(ग) सभी प्रमुख फसलों के बीजों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का जायजा लेने हेतु राज्य सरकारों एवं सभी बीज निगमों के साथ वर्ष के दौरान रबी तथा खरीफ फसलों के लिए अलग-अलग दो क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और बीजों की अधिकता वाले राज्यों/क्षेत्रों की "टाई अप" व्यवस्था बीजों की कमी वाले राज्यों/क्षेत्रों के साथ की जाती है। खरीफ तथा रबी से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन में इस विषय पर पुनः विचार विमर्श दिया जाता है। जैसा कि राज्य सरकारों ने प्रक्षेपित किया है, खरीफ 2004 मौसम के दौरान बीजों की 49.98 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में बीजों की आवश्यकता 55.89 लाख क्विंटल है। नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि. भारतीय राज्य फार्म निगम लि. तथा राज्य बीज निगम विभिन्न राज्यों की बीजों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्रिय हैं।

जैसा कि उत्तर के भाग (क) एवं (ख) में स्पष्ट किया गया है, आंध्र प्रदेश में मंगूफली तथा अरहर के बीजों की स्थिति आवश्यकतानुरूप है। जहां तक कर्नाटक में मूंगफली के बीजों की कमी की पूर्ति का प्रश्न है, राज्य सरकार ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ के सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से अलमाटी बांध क्षेत्र में 6000 क्विंटल बीजों के अतिरिक्त उत्पादन, कर्नाटक तिलहन उत्पादक संघ द्वारा 15000 क्विंटल के उत्पादन तथा बीजों की शेष मात्रा की खरीद उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद अभिज्ञात किसानों (जिन्हें पिछले मौसम में प्रमाणित बीज प्रदान किए गए थे) से करने की योजना बनाई है।

समुद्र को प्रदूषित करने वाले उद्योग

724. **श्री अधीर चौधरी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में समुद्र तटीय क्षेत्र के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग समुद्र में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ रहे हैं जिसने मत्स्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) देश में तटीय क्षेत्र के नजदीक 308 के लगभग बड़े और मध्यम उद्योग स्थित है जो शोधित अथवा आंशिक रूप से शोधित बहिस्राव समुद्र में छोड़ रहे हैं। इन उद्योगों से छोड़े गए बहिस्राव के असर से मत्स्य उत्पादन के प्रभावित होने की कोई अधिप्रमाणित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए तटीय उद्योगों को निर्देश दे दिए हैं।

नदी बेसिनों को आपस में जोड़ना

725. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और पारिस्थितिकीय और पुनर्वास के आधार पर नदी बेसिनों को आपस में जोड़ने के प्रस्तावों की जांच करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाएगी; और

(ग) यदि हां, तो पूर्वोक्त परियोजना की समीक्षा कब तक किए जाने और उस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में पूर्णरूपेण परामर्श करके देश की नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता का आकलन और बिहार जैसे राज्यों में नदियों के उप-बेसिन/बेसिनों की व्यवहार्यता का पता लगाने की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय-तालिका तैयार नहीं की गई है।

[हिन्दी]

शीशम के वृक्ष

726. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के विभिन्न भागों में सरकारी और निजी भूमि पर उगाए गए शीशम के वृक्षों में अज्ञात रोग हो गया है जिसके परिणामस्वरूप उक्त वृक्ष सूख जाने से राजस्व घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शीशम के वृक्षों का संरक्षण करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाया गया है/बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का शीशम के वृक्ष सूखने के परिणामस्वरूप घाटा उठाने वाले किसानों को विशेष सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) आई.सी.एफ.आर.ई, मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी वानिकी अनसंधान तथा शिक्षा संस्थान, पहले ही शीशम के पेड़ों के सूखने पर अनुसंधान अध्ययन शुरू कर चुका है।

(ग) शुरुआती अनुसंधान अध्ययन निम्नानुसार किए गए है:

(1) विभिन्न स्थानों से रोगजनक को सफलतापूर्वक अलग किया गया है तथा आकृति मूलक विभिन्नताओं को नोट किया गया है तथा इनकी रोगजनक क्षमता का परीक्षण किया गया हैं।

(2) एक प्रतिरोधी बैक्टीरियम सूडोमोनस फ्लूरसैन्स तथा इसके पृथक किए गए पदार्थ की विधिवत मूल्यांकन के पश्चात रोगजनक के संभव जैविक नियन्त्रण हेतु पहचान की गई है।

(3) विभिन्न राज्यों से बुरी तरह रोग-प्रभावित स्थानों से स्वस्थ वृक्षों के बीजों को उनकी रोग प्रतिरोधता जांचने के लिए एकत्र किए गए हैं।

(घ) वर्तमान में सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना

727. श्री सुनील खां: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साधन विहीन खिलाड़ियों को भविष्य के ओलंपियन बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अब तक क्या सफलता प्राप्त की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में सरकार प्रशिक्षण और ओलम्पिक सहित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की सहभागिता के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं को कार्यान्वित कर ही है।

(1) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता: इस योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, उपस्कर सहायता का प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में एथलीटों की सहभागिता और प्रमुख खिलाड़ियों के लिए विदेशी प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को लगाने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत खर्च की गई कुल राशि 93.53 करोड़ रुपये है।

(2) प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना: इस योजना के अन्तर्गत, उदीयमान खिलाड़ियों जो विद्यमान राष्ट्रीय रिकार्ड के समकक्ष अथवा उत्कृष्ट हो अथवा पिछले राष्ट्रीय चैम्पियनशीप के स्वर्ण पदकधारी हों अथवा विभिन्न खेल विधाओं में एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों/एफ्रो-एशियाई खेलों/ओलम्पिक खेलों/विश्व चैम्पियनशिप में पदकधारी हो, को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने, खेल उपस्कर की खरीद, वैज्ञानिक सहायता प्राप्त करने और देश तथा विदेश में टूर्नामेन्टों में भाग लेने और प्रशिक्षण के लिए 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान, योजना के अन्तर्गत, खर्च की गई कुल राशि 2.47 करोड़ रुपये हैं।

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन ने साधारण पृष्ठभूमि वाले अनेक खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित ओलम्पिक में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया है और देश को गौरव प्रदान किया है।

ई.पी.एफ. के कर्मचारियों के लिए वेतन समानता

728. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5डी (7) में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान संवर्ग की तरह ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए समान वेतन का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान माने जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास काफी समय से लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उक्त अधिनियम में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए अपने भर्ती नियमों में परिवर्तन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के सहायकों और अधिक्षकों/अनुभाग अधिकारियों का वेतन केन्द्र सरकार में अपने समकक्ष कर्मचारियों के समान है;

(च) यदि नहीं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उसी संवर्ग में समान व्यवहार न किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या प्रस्ताव का कोई वित्तीय प्रभाव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5घ (7)(क) के अनुसार अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त व अन्य अधिकारी तथा केन्द्रीय बोर्ड के कर्मचारियों की भर्ती पद्धति, वेतन तथा भत्ते, अनुशासन तथा अन्य सेवा-शर्तें वही होंगी जैसाकि केन्द्रीय सरकार के समान श्रेणी की अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू वेतनमान तथा निगम व आदेश के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उत्तर (ग) के सन्दर्भ में यह लागू नहीं होता।

(ङ) जी, हां।

(च) उत्तर (ग) के सन्दर्भ में यह लागू नहीं होता।

(छ) और (ज) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अम्पायर अकादमी

729. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विधाओं के लिए राष्ट्रीय अम्पायर अकादमी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अकादमी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) देश में अम्पायरिंग का स्तर सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ अपनी चैंपियनशिपों के लिए अंपायरों का चयन उनकी संबंधित खेल विधाओं में, उनके व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों के संबंध में, कुछ मूलभूत पैरामीटर के आधार पर स्वयं करते हैं। वे चैंपियनशिप से कुछ दिन पहले सेमिनार आयोजित करते हैं जिसमें अद्यतन नियमों और उनकी व्याख्या को स्पष्ट किया जाता है। तब उन्हें मैचों की अंपायरिंग का कार्य सौंपा जाता है। देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां अंपायरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता हो। उच्चतर योग्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ टेस्ट आयोजित करते हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर अंपायरों/रेफरियों/जजों को श्रेणी देते हैं। तथापि, प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार केवल देश के अंपायरों/रेफरियों को ऐसे टेस्ट/परीक्षाओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पर्यटक स्थलों में सौर रिक्शा

730. **श्री प्रदीप गांधी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख पर्यटक स्थलों में सौर रिक्शा के सेवा में लाने पर जोर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर सौर रिक्शा चलाने के लिए पर्यटक मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त जल की समीक्षा हेतु समिति

731. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कृष्णा और गोदावरी बेसिनों की विभिन्न घटियों में अतिरिक्त जल की समीक्षा हेतु समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रायद्वीपीय नदियों के जल का व्यापक अध्ययन शुरू कराने का है;

(घ) यदि हां तो क्या राज्य सरकारों द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना में प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने की अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन पी पी) के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 137 बेसिनों/उप बेसिनों का जल संतुलन अध्ययन और 52 डाइवर्जन बिन्दुओं पर, 58 जलाशय स्थलों पर टोपोशीट और भण्डारण क्षमता अध्ययन, 18 संपर्कों का टोपोशीट अध्ययन और 17 संपर्कों की पूर्व व्यवहार्यता और पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कराई हैं जिसके आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए 16 संपर्कों की पहचान की गई है। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में पूरी तरह परामर्शी रूप में दक्षिण की नदियों से शुरू करते हुए तथा बिहार जैसे राज्यों में नदियों के उप बेसिनों को जोड़ने की व्यवहार्यता का पता लगाकर भी देश की नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता का एक व्यापक आकलन करने की योजना है।

श्रम सुधार हेतु रणनीति

732. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में श्रम सुधारों के संबंध में कोई रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए सुधारों को कब तक लागू किया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) श्रम सुधार का मूलतः यह अर्थ है कि श्रमिकों के समग्र हितों का संरक्षण करते हुए उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कदम उठाना। इसमें कौशल विकास, पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्नियोजन तथा श्रमिक-शिक्षकों आदि के ज्ञान को अद्यतन रखना शामिल है। इसके लिए कानूनों में कुछेक परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए सामाजिक भागीदारों के साथ विस्तृत रूप से परामर्श करना होगा ताकि सभी पणधारियों के हितों का ध्यान रखा जा सके। श्रम सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदूषणकारी खानें

733. **श्री अनन्त नायक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खानों के नाम और उनकी संख्या कितनी है जो उड़ीसा में चल रही और विशेषकर क्योंझर जिले और सुकींड घाटी में जल और वायु प्रदूषण फैला रही हैं;

(ख) राज्य और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन प्रदूषणकारी खानों में विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) उड़ीसा में चल रही कुल खानों में से क्योंझर जिले में 48 और सुकींडा घाटी में 13 खानें प्रचालित हैं। क्योंझर जिले में इन 48 खानों में 10 खानों को उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु और जल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के कारण प्रचालन हेतु सहमति देने से इंकार किया था। चूककर्ता खानों को उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने और अनुपालन रिपोर्ट उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजने के लिए निदेश दिए गए हैं। सुकींडा घाटी में सभी प्रचालित खानों में खान निकासी स्राव (ड्रेनेज डिस्चार्ज) के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए हैं। क्योंझर जिले और सुकींडा घाटी में इन प्रचालित खानों की सूची संलग्न **विवरण** में दी गई है।

विवरण

उड़ीसा के क्योंझर जिले और सुकींडा घाटी में प्रचालित खानों की सूची

क्योंझर जिला:

1. बेलकुंडी आयरन ओर (ओ एम डी सी)
2. भद्रसाही माइन (ओ एम डी सी)
3. ठकुरानी माइन (ओ एम डी सी), बर्बिल
4. जोडा ईस्ट आयरन ओर (टिस्को)

5. कटामटी आयरन ओर (टिस्को)
6. मुरगाबेडा आयरन ओर
7. गन्धमर्दन आयरन ओर
8. बोलानी आयरन ओर (सेल)
9. एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज (जिलिंग लंगोलाटा आयरन ओर)
10. बी पी जे आयरन ओर (ओ एम सी)
11. कसिया आयरन एण्ड डोलामाईट ओर (एस्सेल माइनिंग इण्ड लि.), बर्बिल
12. बालापाडा कसिया आयरन ओर, बर्बिल
13. जोरुडी आयरन ओर, पैसर्स तरिनी मिनरल, जोडा
14. देओझर आयरन ओर, पैसर्स तरिनी मिनरल एण्ड प्राइवेट लि.
15. गोनुआ आयरन ओर, मैसर्स के जे ए एस आहलूवालिया
16. नारायणी सन्स (सुरगुडरिआ आयरन ओर), बर्बिल
17. ठकुरानी आयरन ओर माइन्स, के प्रैस एन्टरप्राइसेज, बर्बिल
18. बालडा ब्लाक आयरन ओर, मैसर्स सिराज-उद्दीन एण्ड क.
19. नौगांव आयरन ओर, के जे एस अहलूवालिया
20. ठकुरानी आयरन ब्लाक "बी", एस एल एण्ड मिल, सारदा
21. सैन-इन्दुपर आयरन एण्ड बाक्साईट माइन, रुगटा सन्स (प्रा.) लि.
22. रोयेडा आयरन माईन-II, खटाऊ नरबेहरम
23. जोरुरी आयरन ओर माईन, मैसर्स गीता रानी मोहन्ती
24. सुकरादीही आयरन ओर माईन, मै. ओ एम सी लि.
25. जरीबहल आयरन ओर माईन,
26. कोल्हा रोईडा आयरन ओर माईन
27. बालीटा आयरन ओर माईन्स, बर्बिल
28. गुआली आयरन ओर माईन्स, गुआली
29. बमेबारी एम एन माईन (टिस्को)
30. दुबाना एम एन माईन, ओ एम सी
31. माल्दा एम एन, माईन (टिस्को)
32. मनमोरा एम एन माईन (टिस्को)
33. सेरेन्डा भद्रसाही एम एन माईन, बर्बिल
34. टाईरिंग पहार एम एन माईन, (टिस्को)
35. जोडा वेस्ट एम एन माईन, (टिस्को), टिस्को
36. सिलीजोरा कलमटी एम एन माईन, (मैं. मंगीला रुंगटा प्राइवेट लि.)
37. पटामुंडा एम एन, माईन, बर्बिल, मैसर्स सन एलोए एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लि.
38. कटासाही एम एन माईन, रुंगटा सन्स प्राइवेट लि.
39. डल्की एम एन माईन (ओ एम डी सी)
40. खंडाबंधा आयरन एम एन माईन (टिस्को), जोडा
41. जजंगा आयरन एम एन ओर माईन, रुंग्टा माईन प्रा. लि.
42. एस जी बी के माईन (ओ एम सी), जोडा
43. रोईडा "सी" आयरन एण्ड एम एन माईन, कालिंगा आयरन वर्क्स, बर्बिल
44. नदीदीह आयरन एण्ड एम एन माईन, बर्बिल, मैं. बोनई इंडस्ट्रियल क.
45. जजंगा आयरन एण्ड एम एन माईन, मैसर्स एच जी पांड्या
46. तेहराई सोनुआ, आयरन एण्ड एम एन माईन, एम एस तरिनी मिनरल, सोनुआ
47. जलहुरी आयरन एण्ड एम एन माईन, मैं. के पी इंटरप्राइसेज,
48. बगियाबुरु आयरन एण्ड एम एन माईन

सुकींडा घाटी

1. कलिआपानी क्रो. माइन (ओ एम सी) जाजपुर
2. साऊथ कलिआपानी क्रो. माईन, जाजपुर
3. कामारदा क्रो. माईन (बी सी मोहन्दी) जाजपुर
4. ओस्टापाल क्रो. माईन (एफ ए सी ओ आर) जाजपुर

5. तेलांगी क्रो. माईन (आई डी सी) जाजपुर
6. सरुआबिल क्रो. माईन, जाजपुर
7. सुकारंगी क्रो. माईन, (ओ एम सी) जाजपुर
8. कथपल क्रो. माईन, (एफ ए सी ओर आर) जाजपुर
9. सुकींडा क्रोमाईट माईन, टिस्को
10. सुकींडा क्रोमाईट माईन, टिस्को
11. चिनगुडीपल क्रोमाईट माईन, आई एम एफ ए
12. जिंदल क्रोमाईट माईन, जिंदल स्ट्रिप्स लि. कलिआपानी
13. सुकींडा क्रोमाईट माईन, इस्पात एलोए लि.।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

734. श्री निखिल कुमार चौधरी
श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में केला, लीची और मक्का के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। यह मंत्रालय एक योजना स्कीम चला रहा है जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और उनके आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निजी उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को तकनीकी रूप से साध्य और वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कच्ची सामग्री के रूप में केला, लीची और मक्का का प्रयोग करने वाले खाद्य प्रसंस्करण यूनिट भी उक्त सहायता के पात्र हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में गोदाम

735. श्री किरिप चालिहा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों की संख्या कितनी है और उनकी भंडारण क्षमता राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या ये सभी गोदाम कुतरने वाले जानवरों और सीलन से मुक्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन गोदामों की संख्या कितनी है जिन्हें कुतरने वाले जानवरों और सीलन से मुक्त बनाया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले सभी गोदाम वैज्ञानिक रूप से निर्मित हैं और वे कृंतक-मुक्त और नमी रोधी हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या के साथ उनकी राज्यवार भंडारण क्षमता

(31.3.2004 की स्थिति के अनुसार)

(क्षमता लाख टन में)

राज्य	गोदामों की संख्या	भंडारण क्षमता
असम	18	1.99
अरुणाचल प्रदेश	04	0.18
मेघालय	03	0.14
मिजोरम	04	0.17
त्रिपुरा	03	0.19
मणिपुर	02	0.18
नागालैण्ड	04	0.17
जोड़	38	3.02

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

736. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, खाद्यान्न, मिट्टी तेल और साफ्ट कोक की आपूर्ति हेतु अब तक प्राप्त मांगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रति माह किए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मांग पूरी की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मद की उठाई गई मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों, चीनी और मिट्टी के तेल का आवंटन मांग-आधारित नहीं होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन साफ्ट कोक का आवंटन नहीं किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मासिक लेवी चीनी कोटे का निर्धारण 1.3.2002 की स्थिति के अनुसार कुल प्रक्षेपित आबादी के आधार पर किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी के तेल का आवंटन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है। इस तिमाही आवंटन के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मासिक आवंटन के बारे में निर्णय करते है; जो अधिकांशतः एक समान होता है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान अब तक किए गए प्रति माह आवंटन के राज्य-वार ब्यौरे चावल और गेहूं के लिए विवरण-I तथा II चीनी के लिए विवरण III और मिट्टी के तेल के लिए विवरण IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटन मांग-आधारित नहीं होते हैं।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मई, 04 तक उठान के राज्यवार ब्यौरे चावल के लिए संलग्न विवरण-V, गेहूं के लिए विवरण-VI और मिट्टी के तेल के लिए संलग्न विवरण-VII में दिए गए हैं। चीनी का उठान/वितरण राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/ भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी है। चालू वित्तीय वर्ष में मई, 2004 तक भारतीय खाद्य निगम के जरिए लेवी चीनी का राज्यवार विवरण-VIII में दिया गया है।

विवरण I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं का मासिक आवंटन

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल				गेहूं				जोड़
		अ.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	अ.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	32.708	109.490	176.089	318.287	0.000	0.000	12.806	12.806	331.093
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.529	2.614	4.360	7.503	0.000	0.315	2.030	2.345	9.848
3.	असम	9.853	56.857	39.595	106.305	0.000	0.000	30.000	30.000	136.305
4.	बिहार	14.000	73.976	76.381	164.357	21.000	110.956	114.579	246.535	410.892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	15.096	41.040	51.725	107.861	0.000	9.500	35.425	44.925	152.786
6.	दिल्ली	0.320	3.770	23.535	27.625	0.800	9.425	59.508	69.733	97.358
7.	गोवा	0.256	0.654	6.498	7.408	0.000	0.420	3.360	3.780	11.188
8.	गुजरात	2.275	16.433	88.079	106.787	9.100	46.396	144.218	199.714	306.501
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	4.001	23.380	84.517	111.898	111.898
10.	हिमाचल प्रदेश	1.574	7.294	18.050	26.918	1.181	4.862	11.025	17.068	43.986
11.	जम्मू व कश्मीर	3.006	16.583	23.490	43.079	0.946	5.222	13.820	19.988	63.067
12.	झारखंड	7.100	42.578	10.693	60.371	5.728	28.385	7.332	41.445	101.816
13.	कर्नाटक	20.152	67.466	138.040	225.658	5.038	16.867	34.510	56.415	282.073
14.	केरल	12.510	31.406	113.420	157.336	0.000	10.468	37.325	47.793	205.129
15.	मध्य प्रदेश	4.981	16.675	31.692	53.348	28.226	94.491	179.589	302.306	355.654
16.	महाराष्ट्र	17.587	62.752	137.488	217.827	32.663	115.690	254.252	402.605	620.432
17.	मणिपुर	0.893	3.657	2.475	7.025	0.000	0.000	1.480	1.480	8.505
18.	मेघालय	0.984	5.421	3.104	9.509	0.000	0.000	0.648	0.648	10.157
19.	मिजोरम	0.547	1.843	6.810	9.200	0.000	0.000	1.010	1.010	10.210
20.	नागालैंड	0.800	2.686	3.670	7.156	0.198	0.656	6.500	7.354	14.510
21.	उड़ीसा	17.693	123.698	66.297	207.688	0.000	0.000	30.000	30.000	237.688
22.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000	2.510	13.868	122.770	139.148	139.148
23.	राजस्थान	0.223	0.698	5.615	6.536	19.158	59.966	224.698	303.822	310.358
24.	सिक्किम	0.347	1.173	0.951	2.471	0.000	0.000	1.200	1.200	3.671
25.	तमिलनाडु	25.002	145.196	305.665	475.863	0.000	0.000	10.000	10.000	485.863
26.	त्रिपुरा	1.583	8.742	10.941	21.266	0.000	0.000	3.995	3.995	25.261
27.	उत्तरांचल	1.873	9.460	9.326	20.659	0.798	5.300	18.470	24.568	45.227
28.	उत्तर प्रदेश	29.473	98.673	181.635	309.781	56.491	189.128	359.570	605.189	914.970
29.	पश्चिम बंगाल	12.824	70.948	48.555	132.327	12.825	70.948	292.210	375.983	508.310
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.108	0.417	2.350	2.875	0.042	0.203	0.680	0.925	3.800
31.	चंडीगढ़	0.074	0.265	0.979	1.318	0.000	0.464	5.314	5.778	7.096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	दादर व नगर हवेली	0.070	0.369	0.466	0.905	0.028	0.093	0.129	0.250	1.155
33.	दमन और दीव	0.014	0.079	0.698	0.791	0.007	0.040	0.087	0.134	0.925
34.	लक्षद्वीप	0.014	0.031	0.267	0.312	0.000	0.000	0.042	0.042	0.354
35.	पांडिचेरी	0.438	2.488	1.000	3.926	0.000	0.000	0.100	0.100	4.026
	जोड़	234.907	1025.432	1589.939	2850.278	200.740	817.043	2103.199	3120.982	5971.260
के.रि.पु./सी.सु.ब./भा.ति.सी.पु.		0.000	0.000	1.667	1.667	0.000	0.000	2.886	2.886	4.553
रक्षा@		0.000	0.000	12.085	12.085	0.000	0.000	11.337	11.337	23.422
भूटान*		0.000	0.000	0.413	0.413	0.000	0.000	1.250	1.250	1.663
	सकल जोड़	234.907	1025.432	1604.104	2864.443	200.740	817.043	2118.672	3136.455	6000.898

@रक्षा सेवाओं को 2004-05 के लिए वार्षिक कोटे का आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

*भूटान के लिए वार्षिक आवंटन अवधि पंचांग वर्ष (जनवरी, 2004-दिसम्बर, 2004) है।

राज्यों को आवंटन 1.3.2000 के आबादी अनुमानों और राशन कार्डों/पहचान किए गए परिवारों की संख्या के अनुसार सीमित किया गया है।

विवरण II

जून, 2004 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं का मासिक आवंटन

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल				गेहूं				जोड़
		अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	, 11
1.	आंध्र प्रदेश	32.708	109.490	176.089	318.287	0.000	0.000	12.806	12.806	331.093
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.799	2.344	4.360	7.503	0.000	0.315	2.030	2.345	9.848
3.	असम	9.853	56.857	39.595	106.305	0.000	0.000	30.000	30.000	136.305
4.	बिहार	14.000	73.976	76.381	164.357	21.000	110.956	114.579	246.535	410.892
5.	छत्तीसगढ़	15.096	41.040	51.725	107.861	0.000	9.500	35.425	44.925	152.786
6.	दिल्ली	0.320	3.770	23.535	27.625	0.800	9.425	59.508	69.733	97.358
7.	गोवा	0.256	0.654	6.498	7.408	0.000	0.420	3.360	3.780	11.188
8.	गुजरात	2.275	16.433	88.079	106.787	9.100	46.396	144.218	199.714	306.501
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	6.353	21.028	84.517	111.898	111.898
10.	हिमाचल प्रदेश	1.574	7.294	18.050	26.918	1.181	4.862	11.025	17.068	43.986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	जम्मू व कश्मीर	3.677	15.898	23.490	43.065	1.161	5.021	13.820	20.002	63.067
12.	झारखंड	7.100	42.578	10.693	60.371	5.728	28.385	7.332	41.445	101.816
13.	कर्नाटक	20.152	67.466	138.040	225.658	5.038	16.867	34.510	56.415	282.073
14.	केरल	12.510	31.406	113.420	157.336	0.000	10.468	37.325	47.793	205.129
15.	मध्य प्रदेश	4.981	16.675	31.692	53.348	28.226	94.491	179.589	302.306	355.654
16.	महाराष्ट्र	18.410	61.632	137.488	217.530	34.190	114.460	254.252	402.902	620.432
17.	मणिपुर	0.893	3.657	2.475	7.025	0.000	0.000	1.480	1.480	8.505
18.	मेघालय	1.474	4.931	3.104	9.509	0.000	0.000	0.648	0.648	10.157
19.	मिजोरम	0.547	1.843	6.810	9.200	0.000	0.000	1.010	1.010	10.210
20.	नागालैंड	0.800	2.686	3.670	7.156	0.198	0.656	6.500	7.354	14.510
21.	उड़ीसा	17.693	123.698	66.297	207.688	0.000	0.000	30.000	30.000	237.688
22.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000	2.510	13.868	122.770	139.148	139.148
23.	राजस्थान	0.223	0.698	5.615	6.536	19.158	59.966	224.698	303.822	310.358
24.	सिक्किम	0.347	1.173	0.951	2.471	0.000	0.000	1.200	1.200	3.671
25.	तमिलनाडु	25.002	145.196	305.665	475.863	0.000	0.000	10.000	10.000	485.863
26.	त्रिपुरा	1.583	8.742	10.941	21.266	0.000	0.000	3.995	3.995	25.261
27.	उत्तरांचल	1.873	9.460	9.326	20.659	0.798	5.300	18.470	24.568	45.227
28.	उत्तर प्रदेश	29.473	98.673	181.635	309.781	56.491	189.128	359.570	605.189	914.970
29.	पश्चिम बंगाल	12.824	70.948	48.555	132.327	12.825	70.948	292.210	375.983	508.310
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.108	0.417	2.350	2.875	0.042	0.203	0.680	0.925	3.800
31.	चंडीगढ़	0.074	0.265	0.979	1.318	0.000	0.464	5.314	5.778	7.096
32.	दादर व नगर हवेली	0.070	0.369	0.466	0.905	0.028	0.093	0.129	0.250	1.155
33.	दमन और दीव	0.014	0.079	0.698	0.791	0.007	0.040	0.087	0.134	0.925
34.	लक्षद्वीप	0.014	0.031	0.267	0.312	0.000	0.000	0.042	0.042	0.354
35.	पांडिचेरी	0.438	2.488	1.000	3.926	0.000	0.000	0.100	0.100	4.026
	जोड़	237.161	1022.867	1589.939	2849.967	204.834	813.260	2103.199	3121.293	5971.260
के.रि.पु./सी.सु.ब./भा.ति.सी.पु.		0.000	0.000	1.667	1.667	0.000	0.000	2.886	2.886	4.553
रक्षा@		0.000	0.000	12.085	12.085	0.000	0.000	11.337	11.337	23.422
भूटान*		0.000	0.000	0.413	0.413	0.000	0.000	1.250	1.250	1.663
	सकल जोड़	237.161	1022.867	1604.104	2864.132	204.834	813.260	2118.672	3136.766	6000.898

@रक्षा सेवाओं को 2004-05 के लिए वार्षिक कोटे का आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

*भूटान के लिए वार्षिक आवंटन अवधि पंचांग वर्ष (जनवरी, 2004-दिसम्बर, 2004) है।

राज्यों को आवंटन 1.3.2000 के आबादी अनुमानों और राशन कार्डों/पहचान किए गए परिवारों की संख्या के अनुसार सीमित किया गया है।

विवरण III

विशेष श्रेणी के राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीपीय क्षेत्रों से इतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मासिक लेवी चीनी कोटा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक लेवी आवश्यकता (टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	9690
2.	बिहार	20516
3.	झारखंड	6948
4.	चंडीगढ़	62
5.	दादर व नगर हवेली	48
6.	दिल्ली	2610
7.	गोवा	120
8.	गुजरात	5841
9.	हरियाणा	2485
10:	कर्नाटक	8636
11.	केरल	4103
12.	मध्य प्रदेश	12441
13.	छत्तीसगढ़	4512
14.	महाराष्ट्र	16792
15.	उड़ीसा	8707
16.	पंजाब	1385
17.	राजस्थान	7342
18.	तमिलनाडु	10820
19.	उत्तर प्रदेश	33013
20.	पश्चिम बंगाल	14087
21.	दमन व दीव	11
22.	पांडिचेरी	243
	जोड़	170412

राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीपीय क्षेत्रों के लिए मासिक लेवी चीनी कोटा

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक लेवी आवश्यकता (टन में)
1.	असम	18337
2.	अरुणाचल प्रदेश	834
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	389
4.	हिमाचल प्रदेश	4698
5.	जम्मू व कश्मीर	6962
6.	लक्षद्वीप	115
7.	मणिपुर	1763
8.	मेघालय	1704
9.	मिजोरम	666
10.	नागालैंड	1179
11.	सिक्किम	391
12.	त्रिपुरा	2647
13.	उत्तरांचल	6033
	जोड़	45718

विवरण IV

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सुपीरियर मिट्टी के तेल का आवंटन

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रथम तिमाही के लिए आवंटन (अप्रैल-जून, 2004)	प्रतिमाह यथानुपात आवंटन
1	2	3
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1431	477
आंध्र प्रदेश	122406	40802
अरुणाचल प्रदेश	2314	771
असम	62928	20976
बिहार	157909	52636
चंडीगढ़	3266	1089

1	2	3
छत्तीसगढ़	35838	11946
दादर व नगर हवेली	695	232
दमन और दीव	529	176
दिल्ली	42121	14040
गोवा	4803	1601
गुजरात	185939	61980
हरियाणा	35517	11839
हिमाचल प्रदेश	12634	4211
जम्मू व कश्मीर*	14378	4793
झारखंड	52793	17598
कर्नाटक	115369	38456
केरल	52758	17586
लक्षद्वीप**	397	66
मध्य प्रदेश	119172	39724
महाराष्ट्र	313381	104460
मणिपुर	4976	1659
मेघालय	5100	1700
मिजोरम	1554	518
नागालैंड	3178	1059
उड़ीसा	76823	25608
पांडिचेरी	3014	1005
पंजाब	58203	19401
राजस्थान	99125	33042
सिक्किम	1320	440
तमिलनाडु	136324	45441
त्रिपुरा	7523	2508
उत्तर प्रदेश	302871	100957
उत्तरांचल	21489	7163
पश्चिम बंगाल	187057	62352

*लद्दाख क्षेत्र के लिए 3600 टन के आवंटन, जिसका मई-अक्तूबर के दौरान उठान किया जाना है, को शामिल नहीं किया गया है।

**छः माह के लिए आवंटन।

विवरण V

अप्रैल, 2004 से मई, 2004 तक उठान को दर्शाने वाला विवरण
(चावल-2004-2005)

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उठान			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	231.538	218.015	68.983	518.536
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.001	10.940	0.803	15.744
3.	असम	104.014	15.581	17.411	137.006

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	15.852	0.195	20.692	36.739
5.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000
6.	दिल्ली	6.158	22.191	0.483	28.832
7.	गोवा	0.000	0.000	5.040	5.040
8.	गुजरात	25.379	1.288	3.305	29.972
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	12.606	7.923	3.147	23.676
11.	जम्मू व कश्मीर	32.271	7.183	6.016	45.470
12.	झारखंड	18.189	0.102	13.091	31.382
13.	कर्नाटक	132.209	149.050	38.328	319.587
14.	केरल	63.351	2.917	25.070	91.338
15.	मध्य प्रदेश	32.634	0.187	5.011	37.832
16.	महाराष्ट्र	71.474	0.791	27.643	99.908
17.	मणिपुर	6.184	0.000	1.792	7.976
18.	मेघालय	11.190	2.045	2.005	15.240
19.	मिजोरम	3.693	9.271	1.094	14.058
20.	नागालैंड	5.386	1.368	1.597	8.351
21.	उड़ीसा	114.680	0.004	32.575	147.259
22.	पंजाब	0.025	0.000	0.357	0.382
23.	राजस्थान	0.000	0.000	0.052	0.052
24.	सिक्किम	2.343	1.887	0.687	4.917
25.	तमिलनाडु	278.467	0.000	47.326	325.793
26.	त्रिपुरा	18.435	3.140	3.163	24.738
27.	उत्तर प्रदेश	0.000	0.000	0.278	0.278
28.	उत्तरांचल	0.000	0.232	0.000	0.232
29.	पश्चिम बंगाल	54.538	4.446	18.155	77.139
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	0.050	0.000	0.080	0.130
32.	दादर व नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	दमन और दीव	0.000	0.000	0.000	0.000
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	0.000	0.000	0.000
	जोड़	1244.667	458.756	344.184	2047.607
के.रि.पु./सी.सु.ब.		0.000	0.360	0.000	0.360
रक्षा		0.000	20.550	0.000	20.550
भूटान		0.000	0.310	0.000	0.310
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	1244.667	479.976	344.184	2068.827

विवरण VI

अप्रैल, 2004 से मई, 2004 तक उठान को दर्शाने वाला विवरण
(गेहूं-2004-2005)

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उठान			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.493	2.524	0.300	3.317
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.476	2.845	0.000	3.321
3.	असम	0.000	76.449	0.000	76.449
4.	बिहार	68.227	0.121	35.958	104.306
5.	छत्तीसगढ़	11.707	0.100	0.000	11.807
6.	दिल्ली	15.914	50.888	1.319	68.121
7.	गोवा	0.000	0.000	0.000	0.000
8.	गुजरात	63.144	4.994	11.577	79.715

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	34.753	0.113	7.387	42.253
10	हिमाचल प्रदेश	8.262	10.234	2.363	20.859
11.	जम्मू व कश्मीर	10.442	18.661	1.886	30.989
12.	झारखंड	37.505	1.387	10.230	49.122
13.	कर्नाटक	30.344	23.786	8.935	63.065
14.	केरल	19.780	15.236	0.000	35.016
15.	मध्य प्रदेश	101.775	0.020	37.515	139.310
16.	महाराष्ट्र	181.469	7.126	62.243	250.838
17.	मणिपुर	0.000	2.960	0.000	2.960
18.	मेघालय	0.000	1.884	0.000	1.884
19.	मिजोरम	0.000	2.413	0.000	2.413
20	नागालैंड	1.402	17.237	0.395	19.034
21.	उड़ीसा	0.000	20.002	0.000	20.002
22.	पंजाब	18.747	0.190	3.494	22.431
23.	राजस्थान	103.862	12.020	35.746	151.628
24.	सिक्किम	0.000	0.400	0.000	0.400
25.	तमिलनाडु	0.000	11.424	0.000	11.424
26.	त्रिपुरा	0.000	3.336	0.000	3.336
27.	उत्तर प्रदेश	91.204	0.050	45.879	137.133
28.	उत्तरांचल	5.316	0.885	0.802	7.003
29.	पश्चिम बंगाल	116.019	90.448	19.568	226.035
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	0.000	0.000
31.	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादर व नागर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	दमन और दीव	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	0.000	0.000	0.000
	जोड़	920.841	377.733	285.597	1584.171
के.रि.पु./सी.सु.ब.		0.000	0.516	0.000	0.516
रक्षा		0.000	19.615	0.000	19.615
भूटान		0.000	3.107	0.000	3.107
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	920.841	400.971	285.597	1607.409

विवरण VII

अप्रैल-मई, 2004 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सुपीरियर मिट्टी के तेल का आवंटन

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उठान
1	2
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1000
आंध्र प्रदेश	87669
अरुणाचल प्रदेश	1530
असम	42373
बिहार	106089
चंडीगढ़	2089
छत्तीसगढ़	24093
दादर व नगर हवेली	499
दमन और दीव	280
दिल्ली	29592
गोवा	3406
गुजरात	126787
हरियाणा	24457
हिमाचल प्रदेश	8008
जम्मू व कश्मीर	9995
झारखंड	35543
कर्नाटक	80048
केरल	36989
लक्षद्वीप	298
मध्य प्रदेश	81478
महाराष्ट्र	216971
मणिपुर	3387
मेघालय	3426
मिजोरम	1055
नागालैंड	2148
उड़ीसा	50834
पांडिचेरी	2049
पंजाब	41232
राजस्थान	67042

1	2
सिक्किम	981
तमिलनाडु	93521
त्रिपुरा	4743
उत्तर प्रदेश	204416
उत्तरांचल	14784
पश्चिम बंगाल	126995
अखिल भारत	1535807

विवरण VIII

अप्रैल, 2004 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के जरिये लेवी चीनी का राज्यवार उठान

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल-मई, 2004 के दौरान लेवी चीनी का उठान
1.	असम	7143
2.	अरुणाचल प्रदेश	248
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	607
4.	जम्मू व कश्मीर	4675
5.	लक्षद्वीप	350
6.	मणिपुर	251
7.	मेघालय	39
8.	मिजोरम	1138
9.	नागालैंड	1722
10.	सिक्किम	180
11.	त्रिपुरा	2210

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण हेतु उड़ीसा को सहायता

737. श्री भर्तृहरि महताब: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा में नदियों के कारण आने वाली भीषण बाढ़ से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पिछले चार वर्षों के दौरान ऐसी स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां। उड़ीसा देश के बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। बाढ़ की समस्या मुख्यत: महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुबर्नरेखा नदियों के निचले डेल्टा क्षेत्रों में केन्द्रित है।

(ख) और (ग) नदी कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबन्धन स्कीमों की जांच, आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता देती है। उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में जल निकास विकास के लिए एक मास्टर योजना सहित 267.72 करोड़ रुपए की लागत वाली बाढ़ सुरक्षा/बाढ़ रोधन स्कीमें तथा 608.01 करोड़ रुपए की लागत वाली जल निकास स्कीमें प्रस्तुत की हैं।

(घ) योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान नदी कटाव रोधी और समुद्री कटाव रोधी परियोजनाओं के लिए 2.00 करोड़ रुपए की एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा मधुसूदन-गोहारी जल निकास प्रणाली के लिए 0.38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय ने "देश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल निकास का सुधार" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत फरवरी, 2004 में 14.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "उड़ीसा के बालासौर जिले के भोगराई और जलेस्वर ब्लाकों में जल निकास प्रणाली का सुधार और उड़ीसा तट नहर (रेंज-III) का सुधार" नामक एक जल निकास स्कीम अनुमोदित की है जिसमें केन्द्र के हिस्से के रूप में 13.13 करोड़ रुपए शामिल हैं।

शुष्क कृषि

738. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शुष्क कृषि को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इस संबंध में कितने कार्य शुरू किए गए और क्या उपलब्धि हासिल की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता और सुविधाएं प्रदान किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) शुष्क कृषि शब्द सामान्यत: निम्न (750 मि.मी. तक) तथा मध्यम (750-1150 मि.मी.) वार्षिक वर्षा स्थितियों पर लागू होता है। सरकार ने देश भर में सतत रूप से कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास प्रबंध तथा उपयोग करने के लिए वर्ष 1990-91 से वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) शुरू की है। यह परियोजना 10वीं योजना के दौरान देश के 28 राज्यों तथा दो संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। 9वीं योजना तक 1878 करोड़ रुपए का व्यय करके सात मिलियन हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त शुष्क कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 से 103 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 103 उप परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन उप परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य किसानों के खेतों पर उपलब्ध वर्षा सिंचित कृषि प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना तथा किसानों के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करके इनको लोकप्रिय बनाना है।

(ग) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 से वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास पयोजना लागू की गई है। 9वीं योजना तक 178.14 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 5.45 लाख हैक्टेयर का एक क्षेत्र विकसित किया गया था। यह परियोजना 10वीं योजना के दौरान राज्य के 32 जिलों में आने वाली 400 पनधाराओं में जारी है। 10वीं योजना के प्रथम दो वर्षों हेतु वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां क्रमश: 36695 हैक्टेयर तथा 20.7 करोड़ रुपए हैं।

10वीं योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शुष्क भूमि कृषि हेतु अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में तीन अनुसंधान केन्द्रों के लिए 5.26 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की है।

(घ) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता दी जा रही है:

1. मृदा और जल संरक्षण उपाय/संरचना।
2. नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और प्रदर्शन।
3. प्रयोक्ता समूहों को सिद्ध प्रौद्योगिकियों के लिए चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड)।
4. स्वावलंबी समूहों के लिए जीविका संबंधी सहायता हेतु चक्रीय निधि।

[हिन्दी]

जैव कृषि हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना

739. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद और नागपुर में जैव कृषि को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों केन्द्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रत्येक केन्द्र को इनकी शुरूआत से ही कितनी राशि प्रदान की गई और जैव उर्वरक की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(घ) योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जैव उर्वरक के विकास तथा प्रयोग से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत केन्द्रों (आर.बी.डी.सी.), जिसमें से एक नागपुर में है, की स्थापना की गई है। सभी 7 केन्द्र जैत्र उर्वरकों को बढ़ावा देने तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता के आ जाने से अगस्त, 2000 से जैव उर्वरकों का उत्पादन, जो कि पहले इसके कार्यों में से एक था, को रोक दिया गया है।

तथापि, 10वीं योजना की शेष अवधि के दौरान देश में जैव उत्पाद के उत्पादन, संवर्धन और मण्डी विकास हेतु यह प्लान स्कीम जैविक कृषि से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना में मिला दी गई है।

(ग) इसके एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम होने के कारण विभिन्न योजना अवधियों के दौरान कुल व्यय निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

योजना	धनराशि
VI योजना	0.16
VII योजना	3.95
VIII योजना	11.38
IX योजना	21.24
X योजना (2003-04 तक)	4.34

इसके शुरू होने से अब तक एन.बी.डी.सी., गाजियाबाद ने 574.61 टन तथा आर.बी.डी.सी., नागपुर ने 389.78 टन विभिन्न जैव-उर्वरकों का उत्पादन किया है।

(घ) और (ङ) एन.बी.डी.सी., गाजियाबाद तथा आर.बी.डी.सी., नागपुर सहित इसके सभी क्षेत्रीय केन्द्र प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

बाल श्रम

740. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या देश में प्रायः सभी उद्योगों में दिन-प्रतिदिन बंधुआ बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जोखिमकारी व्यवसायों में काम से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास सहित बाल श्रमिकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू किए जाने पर निगरानी रख रहा है।

(ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बाल और वयस्क बंधुआ श्रमिक में कोई अंतर नहीं किया गया है। इस अधिनियम, में बंधुआ श्रमिकों में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भी कोई भेद नहीं किया गया है। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा बंधुआ बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं दिये गए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेल की बढ़ती कीमत

741. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या और अधिक खाद्य तेल के आयात का कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले एक माह में प्रमुख खाद्य तेलों के मूल्यों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमति दी जाती है।

खेल परिसर

742. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय विद्यमान खेल परिसरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इन खेल परिसरों के विकास हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक खेल परिसरों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 1991-92 से 2003-04 तक राज्य और जिला दोनों स्तरों पर अनुमोदित खेल परिसंघों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) खेल परिसरों को गत तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, खेल परिसरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य-वार आबंटन नहीं है।

विवरण I

1991-92 से 2003-04 तक अनुमोदित खेल परिसरों की संख्या को दर्शाने वाली राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	1991-92 से 2003-04 तक अनुमोदित खेल परिसरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	9
3.	असम	4
4.	बिहार	1
5.	छतीसगढ़	3
6.	दिल्ली	0
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	0
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	3
11.	जम्मू व कश्मीर	0
12.	झारखंड	1
13.	कर्नाटक	1
14.	केरल	1
15.	मध्य प्रदेश	7
16.	महाराष्ट्र	5
17.	मणिपुर	2
18.	मेघालय	6
19.	मिजोरम	7
20.	नागालैंड	5
21.	उड़ीसा	5
22.	पंजाब	0
23.	राजस्थान	3
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	8
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	1
28.	उत्तरांचल	2
29.	पश्चिम बंगाल	1
30.	संघ शासित प्रदेश-अंडमान व निकोबार द्वीप समहू	0
31.	चंडीगढ़	0
32.	दादर व नगर हवेली	0
33.	लक्षद्वीप	0
34.	दमन व दीव	0
35.	पांडिचेरी	0
	कुल	90

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान खेल परिसरों के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	खेल परिसर के ब्यौरे	जारी किया गया अनुदान (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
	2001-2002		
1.	अरुणाचल प्रदेश	एस.पी.डी.ए. केन्द्र, जेंगिन्ग	5.65
2.	हरियाणा	फरीदाबाद में राज्य खेल परिसर	15.00
3.	पंजाब	खेल परिसर, लुधियाना	55.00
4.	तमिलनाडु	जिला खेल परिसर, डिंडिगुल	25.00
	2002-2003		
1.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य खेल परिसर, चिंपु	91.79
2.		जिला खेल परिसर, रोविंग	28.95
3.		जिला खेल परिसर, जिरो	28.95
4.	कर्नाटक	जिला खेल परिसर, देवनगरे	30.00
5.	महाराष्ट्र	जिला खेल परिसर, लातूर	50.00
6.	नागालैंड	जिला खेल परिसर, मकोकचुंग	50.00
7.		जिला खेल परिसर, दीमापुर	50.00
8.	पंजाब	खेल परिसर, जालंधर	10.00
	2003-2004		
1.	आंध्र प्रदेश	जिला खेल परिसर, अदिलाबाद	20.00
2.	हिमाचल प्रदेश	जिला खेल परिसर, ऊना	35.00
3.		खेल परिसर, कुल्लु	17.00
4.	मध्य प्रदेश	जिला खेल परिसर, देवास	50.00
5.		जिला खेल परिसर, शिवपुरी	35.00
6.		जिला खेल परिसर, उज्जैन	10.00
7.	महाराष्ट्र	जिला खेल परिसर, अकोला	30.00
		जिला खेल परिसर, सांगली	45.00
		जिला खेल परिसर, शोलापुर	30.00

1	2	3	4
10.	मेघालय	जिला खेल परिसर, दक्षिणी गारो हिल्स	50.00
11.	नागालैंड	जिला खेल परिसर, कोहिमा	900.00
12.	तमिलनाडु	जिला खेल परिसर, नागपट्टिनम	26.00

[हिन्दी]

खेल अकादमी

743. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत प्रतिवर्ष खेल पर भारी खर्च करने के बावजूद इस क्षेत्र में काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खेल पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में खेल को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर सरकार के पास प्रत्येक राज्य में एक खेल अकादमी खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रमंडल खेल, 2002 से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय है। भारत ने (पिछले खेलों में 25 पदकों के मुकाबले) राष्ट्रमंडल खेल 2002 में रिकार्ड 69 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बुसान एशियाई खेल 2002 में भारत ने 36 पदक जीते। 2003 में हैदराबाद में आयोजित प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल और 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित पिछले सैफ खेलों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष खेलों पर मंत्रालय का व्यय निम्नानुसार है:

2001-2002	200.34 करोड़ रु.
2002-2003	183.74 करोड़ रु.
2003-2004	285.67 करोड़ रु.

(ग) भारत सरकार ने खेल अवस्थापना प्रदान करने के अतिरिक्त खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, खेल वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए लंबी अवधि की विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- खिलाड़ियों के लिए उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।
- प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय व विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।
- अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता।
- टीमों को विदेश में गहन प्रशिक्षण दिया जाना।
- प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना और राष्ट्रीय खेल विकास निधि की योजनाओं के अंतर्गत उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा देश और विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सहायता।

(घ) और (ङ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, कार्यान्वयन के लिए राज्य खेल अकादमी की नई योजना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य

10 से 13 वर्ष के आयु समूह में खेलों में सर्वोत्तम प्रतिभा, साथ ही साथ 10-18 वर्ष के आयु समूह में राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्च प्रदर्शन करने वालों का चयन करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने के लिए उन्हें आने वाले वर्षों में तैयार करना है।

योजना केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन और प्रायोजक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होगी और यह एक तरह से सहभागिता उद्यम होगा। पूंजी, आवर्ती और अनावर्ती लागतों के संबंध में अकादमी को वित्तीय सहायता 51:25:24 के अनुपात में प्रायोजक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन किया जायेगा।

पर्यावरण अदालतों में लंबित मामले

744. श्री काशीराम राणा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण अदालतों में कई मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः गत पांच, चार और तीन वर्षों से लंबित ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लंबित होने के कारण क्या हैं;

(घ) इन मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को किस सीमा तक सफलता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) आज की तारीख तक इस मंत्रालय द्वारा कोई पर्यावरण न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुष्प कृषि को प्रोत्साहन

745. श्री परसुराम माझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पुष्प कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में पुष्प कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई हैं; और

(घ) दसवीं योजना में पुष्प कृषि को प्रोत्साहन के द्वारा प्रत्येक राज्य में रोजगार सृजन के संभावित अवसरों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां। सरकार ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2004-05 के लिए राज्यों से प्राप्त कार्य योजनाओं की समीक्षा की है।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नियत राज्यवार परिव्यय **विवरण** के रूप में संलग्न है।

(घ) वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना एक श्रम गहन कार्यकलाप है जिसमें नर्सरी विकास, पादप रोपण एवं कटाई पश्चात प्रबंध शामिल है। रोजगार अवसरों का सृजन ली गई फसलों और अपनाई गई पद्धतियों पर निर्भर करता है।

विवरण

2004-05 के दौरान बृहत् प्रबंधन के अंतर्गत फूलों की खेती का परिव्यय

(लाख रुपये में)

राज्य	पुष्प कृषि
1	2
आंध्र प्रदेश	204.30
बिहार	81.00
छत्तीसगढ़	33.99
गोवा	6.07
गुजरात	18.00
हरियाणा	44.10

1	2
कर्नाटक	145.80
केरल	254.52
मध्य प्रदेश	112.50
महाराष्ट्र	90.00
उड़ीसा	120.60
पंजाब	13.50
राजस्थान	45.00
तमिलनाडु	102.60
उत्तर प्रदेश	109.80
पश्चिम बंगाल	58.32
दादर व नगर हवेली	0.34
असम	65.00
अरुणाचल प्रदेश	6.50
जम्मू एवं कश्मीर	91.00
मणिपुर	3.25
मेघालय	19.50
मिजोरम	169.00
नागालैण्ड	65.00
सिक्किम	81.25
त्रिपुरा	32.50
उत्तरांचल	32.50
दिल्ली	9.00
कुल	2014.94

[हिन्दी]

श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए परामर्शदात्री बोर्ड

746. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई परामर्शदात्री बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख)

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड।

(2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड।

(3) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड।

(4) बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (गैर-सांविधिक)।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योग

747. **योगी आदित्यनाथ:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न नदियों में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक उत्सर्जन तथा महानगरों की सीवर लाइनों से जल मल व्ययन के बहाव से जल प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। दिल्ली में वजीराबाद से ओखला तक के यमुना नदी के क्षेत्र को प्रदूषित नदी क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यमुना (एक अदद), हिन्डन (एक अदद), पश्चिम काली (एक अदद), बूढ़ी यमुना

(एक अदद), काली नदी पश्चिमी (एक अदद), गोमती (एक अदद) और गंगा (2 अदद) नामक आठ नदियों के क्षेत्रों को प्रदूषित नहीं क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) सरकार इन नदियों के प्रदूषण निवारण के कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम को सीवेज के अवरोधन, दिशा परिवर्तन और शोधन, दिशापरिवर्तित सीवेज के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्र, नदी किनारों पर खुले में शौच को रोकने के लिए अल्प लागत सफाई कार्य और काष्ठ के प्रयोग को कम करने के लिए विद्युत शवदाहगृह एवं काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृह के निर्माण के लिए शुरू किया गया। औद्योगिक बहिस्रावों के संबंध में सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) यमुना कार्य योजना, जोकि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का एक भाग है, के अंतर्गत दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में प्रदूषण निवारण के कार्य शुरू किए गए हैं। दिल्ली में सीवेज शोधन के लिए प्रतिदिन 30 एम एल डी शोधन क्षमता तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी 512 एम एल डी सीवेज शोधन के लिए 17 स्थानों पर सीवेज शोधन संयंत्रों के निर्माण के कार्य शुरू किए हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन के लिए कुल 15 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्वीकृत किए गए है जिसमें से 3 पूरे हो चुके हैं और शेष 12 संयंत्र कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और गोमती कार्य योजना के अंतर्गत 818 एम एल डी सीवेज शोधन क्षमता तैयार की गई है। जाजमऊ, कानपुर में सीवेज में मिश्रित चर्म शोधनशाला के अपशिष्ट के शोधन के लिए सामूहिक शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। उन्नाव में चर्मशोधनशाला के अपशिष्ट के शोधन के लिए एक सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र और मथुरा में कपड़ा रंगाई बहिस्राव के शोधन के लिए एक सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया है। जाजमऊ, कानपुर में लघु चर्मशोधनशालाओं के लिए सामूहिक क्रोम प्राप्ति संयंत्र निर्माण के लिए एक स्कीम अनुमोदित की गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 388 औद्योगिक यूनिटों पर अभिनिर्धारण किया गया है जो अपने बहिस्राव को नदियों और सम्बद्ध जल निकायों में निस्तारित कर रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषणकारी उद्योगों को बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने और उनका प्रचालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप 307 यूनिटों में बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए हैं और शेष 81 यूनिट या तो बन्द हो गई हैं अथवा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

गिद्धों की संख्या में कमी

748. श्री सुरेश कुरूप: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गिद्धों की कम हो रही संख्या पर कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दस वर्षों के दौरान देश में गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में प्रायोजित एक विशेष परियोजना के अंतर्गत बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि देश के अनेक भागों में गिद्धों की तीन प्रजातियों जैसे-व्हाइट बैक्ड, लांग बिल्ड और स्लेण्डर बिल्ड की जनसंख्या में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। तत्पश्चात, पोस्ट मार्टम और डायग्नोस्टिक परीक्षणों से पता चला कि यह भयानक कमी गिद्धों द्वारा पशु डिक्लोफेनक के उपभोग से हुई थी जो पशुधन के अस्थिपंजरों को खाते हैं। वेटेरनिटी डिक्लोफेनक की वजह से वाइसीरल अंगों में मूत्राम्ल इकट्ठा होने की वजह से अचानक मौत हुई। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-IV से अनुसूची I में लाकर व्हाइट बैक्ड, लांग बिल्ड और स्लेण्डर बिल्ड गिद्धों के सुरक्षा स्तर के स्तर को उन्नत बनाया गया है।

(2) गिद्धों के संरक्षण के लिए व्यापक रणनीति बनाने के लिए सितम्बर, 2000 और अप्रैल, 2004 में, नई दिल्ली में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

(3) गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए व्यापक योजना बनाने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है।

(4) बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने हरियाणा राज्य वन विभाग की सहायता से गिद्धों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। पंचकुला में एक वल्चर कैप्टिव केयर फेसिलिटी की स्थापना की गई है।

(5) स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग डिक्लोफेनक के स्थान पर उचित वैकल्पिक ड्रग्स का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में यूथ होस्टल

749. **श्रीमती रंजीत रंजन:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में इस समय विद्यमान यूथ होस्टलों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में और यूथ होस्टल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) बिहार में इस समय केवल एक युवा छात्रावास पटना में 1995-96 से कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) नए युवा छात्रावास की स्थापना पर विचार राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है। किशनगंज में एक युवा छात्रावास की स्थापना के लिए बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया और वर्ष 1991 में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया था। बिहार सरकार ने अभी तक भूमि अधिकार हस्तांतरित नहीं किए हैं। प्रारंभिक लागत अनुमान और निर्माण नक्शे आदि अभी प्राप्त होने हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर पर एक्सटेंडिड वारंटी चार्ज

750. **श्री विजय कृष्णा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "एक्सटेंडिड वारंटी चार्ज" के रूप में लाखों रुपए का भुगतान कर एनसीसीएफ ने हजारों कम्प्यूटरों की खरीद की है जिनके बीजक में एक्सटेंडिड वारंटी चार्ज का कहीं कोई उल्लेख नहीं था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह एक सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया है जिसमें बीजक में एक्सटेंडिड वारंटी चार्ज को नहीं दिखाया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो बीजक में इसका उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने बिना उल्लेख किए कोई अतिरिक्त राशि नहीं वसूली है। सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अनुसार मूल विनिर्माता एक साल की वारंटी देते हैं और उसको निर्गम मूल्य में शामिल किया जाता है। वारंटी की अवधि बढ़ाए जाने पर उनके द्वारा अतिरिक्त लागत वसूली की जाती है जिसका उल्लेख राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अपने बीजक में करता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार

751. **चौधरी लाल सिंह:**
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उपयोग का गुणवत्ता सुधार क्रेडिट पैकेज और करों में छूट देने के साथ-साथ इसे किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाएगा; और

(घ) अधिक से अधिक लाभार्जन के लिए इस क्षेत्र के उत्पादों में प्रतिस्पर्द्धा और उनके विपणन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) 1. प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जा चुकी है।

संसद में 8 जुलाई, 2004 को पेश किए गए संघीय बजट 2004-05 में उभरती हुई कृषि प्रसंस्करण यूनिटों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई है।

(1) फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित होने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को आयकर अधिनियम, के तहत 5 साल के लिए लाभ का 100% और अगले 5 सालों के लिए लाभ का 25% छूट।

(2) डेरी प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर इस समय लग रहे 16% उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

(3) मांस, पाल्ट्री और मछली पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटा कर 8% कर दिया गया है।

(4) खाद्य तेल में इस्तेमाल होने वाले फूड ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से घटा कर 16% कर दिया गया है।

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहनात्मक उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता उन्नयन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते योजना स्कीमें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की साध्यता को बेहतर बनाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं। जम्मू और कश्मीर को पहले से ही दुर्गम क्षेत्र समझा जा रहा है और सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 लाख रुपए की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को परियोजना लागत 33.33 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर तथा अधिकतम 75 लाख रुपए की परियोजना आधारित सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। बागवानी मिशन के तहत मिनी मिशन 4 स्कीम के अंतर्गत परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 4 करोड़ रुपए का अनुदान जम्मू कश्मीर को भी उपलब्ध है।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र को सहायता

752. **श्री सुरेश कलमाडी:**
श्री मोहन रावले:
प्रो. महादेवराव शिवमकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र को कितनी सहायता दी गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिवर्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र, राज्य सरकारों के शेयरों को प्रदान करने संबंधी प्रमाण-पत्र तथा खाता विवरण जमा किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई पत्र लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के सूखों के लिए महाराष्ट्र को उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्योरे नीचे दर्शाए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

	सूखा		
	2001-02	2002-03	2003-04
सी.आर.एफ. का केन्द्रीय हिस्सा	123.80	129.99	208.14
एन.सी.सी.एफ. से सहायता	-	20.00	242.79
खाद्यान्न (लाख मी. टन)	1.00	2.32	7.00

सी.आर.एफ.-आपदा राहत कोष
एन.सी.सी.एफ.-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष

(ख) से (ङ) आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) स्कीम के अनुसार राज्य सरकार अद्यतन व्यय और सी.आर.एफ. में उपलब्ध बकाया को दर्शाने वाला एक विवरण, जिसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र के रूप में माना जाता है, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2002-03 तक ऐसे विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को अनुरोध किया गया है कि 2003-04 के संबंध में विवरण शीघ्र भेजे।

(च) और (छ) सूखा राहत के लिए सहायता देना एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2003-04 के सूखे के लिए 242.79 करोड़ रुपए की सहायता में जून, 2004 में निर्मुक्त 165.33 करोड़ रुपए शामिल है।

एफ.सी.आई. में विजन डाक्युमेंट 2020

753. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने विजन 2020 डाक्युमेंट तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) विजन डाक्यूमेंट 2020 भारतीय खाद्य निगम में तैयार किया जा रहा है।

पम्पा-अचन कोविल-वाइपर नदी लिंक परियोजना

754. श्री पी.सी. थामस: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पम्पा-अचन कोविल-वाइपर नदी लिंक परियोजना के अनुमोदन के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोवा में फुटबाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए सहायता

755. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा के कैम्पबेल, पणजी में फुटबाल स्टेडियम के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त स्टेडियम के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा सरकार ने उक्त स्टेडियम को बिना अनुमति के तोड़ डाला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) कैम्पबेल, पणजी में फुटबाल स्टेडियम का निर्माण गोवा सरकार द्वारा किया गया था। सरकार ने फरवरी, 2000 के दौरान इस स्टेडियम के पुनर्निर्माण/नवीकरण के लिए 1.50 करोड़ रु. की सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। चूंकि हमारी योजना में नवीकरण के लिए सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए 21.03.2000 को राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह खिलाड़ियों के लिए केवल सामान्य सुविधाओं जैसे चैंज रूम, प्राथमिक सहायता कक्ष, वार्म-अप क्षेत्र, के संदर्भ में अनुमान, नक्शे आदि भेजे जिन पर सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है। गोवा सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

गोदरेज द्वारा धोखाधड़ी

756. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदरेज बोयसी कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में गोदरेज ब्रांड रेफरीजेरेटरों के रखरखाव के लिए आर.के. पुरम, नई दिल्ली के निवासियों से पैसे इकट्ठा किए किन्तु उन्हें वादा की गई सेवाएं उपलब्ध कराने में विफल रहते हुए धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच करने और इस कंपनी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) सरकार को इस मामले की जानकारी नहीं है। तथापि, पीड़ित उपभोक्ता विनिर्माताओं, व्यापारियों/सेवा प्रदाताओं

द्वारा सेवा प्रदान करने में किसी प्रकार की अनुचित व्यापार पद्धति/त्रुटि के लिए देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे उपभोक्ता मंचों सहित उपयुक्त उपभोक्ता न्यायालयों में प्रतितोष की मांग कर सकते हैं।

बाजार हस्तक्षेप योजना

757. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के लिए प्रस्तावों तथा जिन वस्तुओं के लिए एम.आई.एस. की मांग की गई, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार, वर्षवार कितनी योजनाएं अनुमोदित की गई और कितनी धनराशि निर्गत की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मिले परिणामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य-वार, जिंस-वार निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा विवरण-I और II में संलग्न है।

(ग) मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत विभिन्न जिंसों की अधिप्राप्ति को राज्य-वार और वर्ष-वार दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है। मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन से मण्डी के रुख को सुधारने और किसानों को अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक विभिन्न जिंसों के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव

वर्ष	क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिंस	अनुमोदित/गैर अनुमोदित प्रस्ताव की स्थिति
1	2	3	4	5
2001-02	1.	कर्नाटक	आयल पाम	अनुमोदित
	2.	गोवा	सुपारी	अनुमोदित
	3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	आयल पाम	गैर अनुमोदित
	4.	हिमाचल प्रदेश	सेब	गैर अनुमोदित
	5.	गोवा	आयल पाम	गैर अनुमोदित
	6.	मिजोरम	अदरक	गैर अनुमोदित
	7.	आंध्र प्रदेश	मिर्च	गैर अनुमोदित
	8.	हिमाचल प्रदेश	कीनू/माल्टा संतरा	गैर अनुमोदित
2002-03	9.	कर्नाटक	सुपारी	अनुमोदित
	10.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सुपारी	अनुमोदित
	11.	उत्तर प्रदेश	आलू	अनुमोदित

1	2	3	4	5
	12.	आंध्र प्रदेश	हल्दी	गैर-अनुमोदित
	13.	जम्मू और कश्मीर	सेब	गैर अनुमोदित
	14.	केरल	सुपारी	गैर अनुमोदित
	15.	हिमाचल प्रदेश	कीनू/माल्टा संतरा/गलगल	गैर अनुमोदित
2003-04	16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सुपारी	गैर अनुमोदित
	17.	मिजोरम	अदरक	अनुमोदित
	18.	पश्चिम बंगाल	आलू	अनुमोदित
	19.	हिमाचल प्रदेश	सेब	गैर अनुमोदित
	20.	हिमाचल प्रदेश	आम	गैर अनुमोदित
	21.	मिजोरम	हटकोरा	गैर अनुमोदित
	22.	उत्तर प्रदेश	आलू	अनुमोदित
	23.	राजस्थान	संतरा	अनुमोदित
	24.	आंध्र प्रदेश	मिर्च	अनुमोदित
	25.	राजस्थान	धनिया के बीज	अनुमोदित
	26.	राजस्थान	जीरा के बीज	अनुमोदित

विवरण II

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक क्रियान्वित की गई मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के अंतर्गत लेखों के निपटान हेतु निर्मुक्त राज्य-वार, वर्ष-वार निधियां

(लाख रु. में)

वर्ष	राज्य का नाम	जिंस का नाम	निर्मुक्त की गई निधियां
2001-02	महाराष्ट्र	प्याज	487.50
	आंध्र प्रदेश	आयल पाम	152.89
	हिमाचल प्रदेश	सेब	339.45
2002-03	हिमाचल प्रदेश	सेब	152.00
2003-04	गोवा	सुपारी	16.93
	कर्नाटक	प्याज	0.41
	कर्नाटक	आयल पाम	6.22
	कर्नाटक	आलू	40.36

विवरण III

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के अंतर्गत विभिन्न जिन्सों की अधिप्राप्ति का ब्यौरा

वर्ष	क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिंस	अधिप्राप्त की गई मात्रा (मी. टन में)	अधिप्राप्त की गई मात्रा का मूल्य (लाख रु. में)
2001-02	1.	कर्नाटक	आयल पाम	2489	69.69
	2.	गोवा	सुपारी	171	137.43
2002-03	3.	कर्नाटक	सुपारी	3097	2044.02
	4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सुपारी	756	425.85
	5.	उत्तर प्रदेश	आलू	885	19.47
2003-04	6.	मिजोरम	अदरक	15000	600.00
	7.	पश्चिम बंगाल	आलू	8594	189.06
	8.	आंध्र प्रदेश	मिर्च	19691	5218.11
	9.	उत्तर प्रदेश	आलू	शून्य	शून्य
	10.	राजस्थान	संतरा	शून्य	शून्य
	11.	राजस्थान	धनिया के बीज	591	85.69
	12.	राजस्थान	जीरा के बीज	शून्य	शून्य

पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण हुई मौतें

758. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रमुख शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से हो रही अत्यधिक मौतों को सहसम्बद्ध करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पर्यावरणीय प्रदूषण में शहरवार कुल कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ग) पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है; और

(घ) उपरोक्त रणनीति को कार्यान्वित करने हेतु उठाए गए कदमों और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्योरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (घ) पर्यावरणीय स्वास्थ्य अध्ययनों से कुछ प्रमुख नगरों में रुग्णता के मामलों का पता चला है। तथापि विभिन्न बीमारियों के प्रकट होने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के बीच कारण-प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली को छोड़कर महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में नाइट्रोजन-आक्साईड की दृष्टि से वायु प्रदूषण में वृद्धि की कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं देखी गई। पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु अंगीकृत योजनाओं और किए गए उपायों में शामिल हैं-प्रदूषण उपशमन हेतु व्यापक नीति, सी एन जी सहित उन्नत आटो-ईंधन की आपूर्ति, वाहन जनित और औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को कड़ा बनाने, विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय अनुमोदन, नागर और जैव-

चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, वायु और जल गुणता मानीटरी केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना, प्रदूषण भार का मूल्यांकन और स्रोत संविभाजन अध्ययन, प्रमुख नगरों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना तथा उनका कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

कोयला और सोन नदियों के कारण भूमि अपरदन

759. **श्री मनोज कुमार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोयला और सोन नदियों की बाढ़ से होने वाले भूमि अपरदन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन नदियों के तटबंध को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त कार्य को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु उक्त कार्य को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण भूमि अपरदन सहित बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी स्कीमों की आयोजना वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बिहार सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार में सोन नदी में बाढ़ से होने वाले भूमि अपरदन गंभीर नहीं होने की रिपोर्ट है जबकि झारखण्ड सरकार ने अपने राज्य में सोन नदी के साथ-साथ उत्तरी कोयल में बाढ़ के कारण कुछ भूमि कटाव की रिपोर्ट की है।

(ख) बिहार सरकार से सोन नदी के दाएं तट पर स्थित पटना के निकट सैदाबाद-मनेर तटबन्ध और कोइलवर के निकट सोन नदी के बाएं तट पर स्थित नामसागर-कोइलवर-सोन तटबंध की मरम्मत समय-समय पर उसकी आवश्यकतानुसार किए जाने की सूचना है। झारखंड के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि इस क्षेत्र में कोई बाढ़ तटबन्ध विद्यमान नहीं है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इस समय सोन तटबन्ध को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, झारखण्ड सरकार ने सूचित किया है कि सुण्डीपुर गांव की सुरक्षा के लिए पलामू जिले के हुसैनाबाद ब्लाक में डंगवार, बुधवा गांवों और सोन नदी के मुहाने के ठीक प्रतिप्रवाह पर उत्तरी कोइल नदी के बायें तट पर संरक्षण संबंधी कार्य राज्य सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राजस्थान में दलहन का उत्पादन

760. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में दलहन की किस्मों को उन्नत बनाने हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कितना धन आबंटित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अखिल भारतीय समन्वित दलहन अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान में दालें उगाने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के सुधार के लिए कदम उठाये हैं। इस परियोजना के तहत राजस्थान में दाल की फसलें उगाने के लिए स्थान/स्थिति विशिष्ट किस्मों के सुधार एवं विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान की जाती हैं। राजस्थान में खेती के लिए पिछले तीन वर्षों में उन्नत किस्में जैसे चने में आर एस जी-888, जे के जी-1, चमत्कार; मूग में आर एम ओ-435, आर एम ओ-225, आर एम ओ-257, काजरी मोठ-1, काजरी मोठ-2; लोबिया में आर सी-19 तथा आर सी-101 विकसित की गई हैं।

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान 187.02 लाख रुपये, 2002-03 के दौरान 144.39 लाख रुपये तथा 2003-04 के दौरान 141.51 लाख रुपये की राशि अखिल भारतीय समन्वित दलहन अनुसंधान परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान को आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की बीहड़ सुधार योजना

761. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से 12.11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली बीहड़ सुधार योजना नाम की कोई परियोजना/प्रस्ताव मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है और इस हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

762. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय सरकार उत्पादन लागत, आदान के मूल्यों, आदान/उत्पादन मूल्यों में समानता, मण्डी मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और पूर्ति स्थिति, अंत: फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर, निर्वाह लागत, अंतरराष्ट्रीय मण्डी मूल्य की स्थिति आदि पर विचार करती है।

(ख) और (ग) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकार, केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा अन्य संगत कारकों पर ध्यान देते हुए वार्षिक आधार पर कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की पुनरीक्षा करती है। वर्ष 2003-04 मौसम के लिए एफ.-414/एच-777/जे.-34 और एच.-4 कपास किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 1725/- रुपए और 1925/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

झीलों का संरक्षण

763. श्री ए.के. मूर्ति: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में झीलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(च) वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान उन झीलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है/किया जाएगा तथा झील-वार कितना आवंटन किया गया है/किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) भारत सरकार झीलों एवं तालाबों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का कार्यान्वयन कर रही है। ये झीलें प्रदूषण, झील के सिकुड़ने, गाद जमने, पारिस्थितिकीय असंतुलन और सौन्दर्य महत्व आदि की दृष्टि से अवक्रमित हो गई हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जून 2001 में आरम्भ की गई थी। वर्ष 2002-03 तक 72.61 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से 20 झीलों के संरक्षण की परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित झीलों में कर्नाटक में वैंगाहकेरे, कमाक्षीप्लया, नागावारा, जरगनहाली, बेलन्दुर एवं कोटेकेरे, महाराष्ट्र के ठाणे में पवई एवं 9 झीलें, राजस्थान में मनसागर, तमिलनाडु में ऊटी एवं कोडईकनाल और पश्चिम बंगाल में रविन्द्र सरोवर शामिल हैं। पवई झील, वैंगाहकेरे एवं नागावारा का कार्य समाप्त हो चुका है और अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कमाक्षीप्लया परियोजना राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है।

(च) वर्ष 2003-04 के दौरान संरक्षण हेतु अनुमोदित झीलों में कर्नाटक की भीष्मा (2.50 करोड़ रुपए) एवं लाल बाग झील (1.66 करोड़ रुपए) सहित उत्तरांचल में नैनीताल जिले की नैनीताल झील (47.97 करोड़ रुपए) और उत्तरांचल के नैनीताल जिले की चार झीलें नामत: भीमताल, नौकुचियाताल, सतताल एवं खुरपताल (16.85 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

वर्ष 2004-2005 के दौरान अब तक राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई नए प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत झीलों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश केरल आदि से परियोजनाएं विचारार्थ प्राप्त हुई हैं।

वन क्षेत्रों को आरक्षित और अनारक्षित करने के दुष्प्रभाव

764. **श्री अधीर चौधरी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय-समय पर वन क्षेत्रों को आरक्षित और अनारक्षित करने हेतु सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को जन-संचार प्रचार के माध्यम से आम जनता के ध्यान में नहीं लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगरों में उक्त घोषणा से प्रभावित हुए लोगों और उद्योगों के पुनर्वास हेतु सरकार के क्या कार्यक्रम हैं;

(घ) क्या सरकार उन क्षेत्रों में रियायत देने पर विचार कर रही है जहां वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के पूर्व और पश्चात् उद्योग कार्य कर रहे थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार जिस भूमि को आरक्षित करना प्रस्तावित है, उस भूमि के स्थल का विशेष रूप से उल्लेख, परिणामों का ब्यौरा और किसी अधिकार का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना दावा तीन माह की अवधि के भीतर भेजना अपेक्षित है, के संबंध में भूमि के आस-पास के प्रत्येक शहर एवं गांव में घोषणापत्र को स्थानीय भाषा में प्रकाशित करवाना वन बन्दोबस्त अधिकारी का कर्तव्य है। अधिकारों के निपटान के बाद अन्तिम अधिसूचना के समय भी वन के आस-पास प्रत्येक शहर एवं गांव में आरक्षण अधिसूचना का अनुवाद स्थानीय भाषा में कराना वन अधिकारी के लिए आवश्यक है। अनारक्षण के मामले में अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करना राज्य सरकार के लिए अपेक्षित है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में राजपत्र अधिसूचना एवं घोषणा पत्र का प्रकाशन माध्यम से प्रचार किया जाता है। इसके अलावा, मीडिया प्रचार (समाचार-पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन) स्वरूप अथवा किसी उपबंध के अन्य प्रकार के लिए कोई विशिष्ट आवश्यक प्रावधान नहीं है। इससे संबंधित कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर की जाती है।

(ग) से (ङ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत आरक्षण की प्रक्रिया में ऐसी घोषणा से प्रभावित उद्योग सहित सभी द्वारा प्रस्तुत दावों का वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निपटान किया जाता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वनभूमि के आरक्षण पर विचार नहीं करता है और इसलिए अधिनियम के अन्तर्गत किसी छूट का प्रश्न ही नहीं उठता।

पानी की कमी

765. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन केमिकल मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन की सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट एक्सपर्ट कमेटी ने यह भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2005 तक भारत को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उनकी सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति से उबरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। इंडियन केमिकल मैन्यूफक्चरर्स एसोसिएशन की सेफ्टी हेल्थ इन्वायरनमेंट एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इराक में भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार

766. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इराक में ठेकेदारों के लिए काम करने वाले भारतीयों की दुर्दशा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है जिससे कि भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार न हो?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय कामगारों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सहित अनेक उपाय किए हैं:

(1) इराक एवं इसके पड़ोसी देशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों को इराक में भारतीय नागरिकों से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और भारतीयों की सुरक्षा एवं खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, भारतीयों के नियोजकों और अमेरिकी मिशनों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं। जो भारतीय स्वदेश लौटना चाहते थे उन्हें हमारे मिशनों ने यथासंभव सहायता प्रदान की है।

(2) सरकार ने 15 अप्रैल, 2004 से इराक जाने वाले भारतीयों के लिए उत्प्रवास अनुमति स्थगित कर दी है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, भारत के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती और उनकी उत्प्रवास अनुमति जार्डन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के लिए 7 मई, 2004 से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है।

(3) बगदाद में हमारा मिशन भारतीयों की सुरक्षा एवं खुशहाली को सुनिश्चित करने, भारत वापस लौटने के इच्छुक लोगों की सुविधाजनक वापसी के लिए कोलीजन प्रोवीजनल अथारिटी, शासी परिषद और इराकी विदेश मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए है।

(4) जार्डन और कुवैत में स्थित हमारे मिशनों ने उन स्थानीय कम्पनियों के साथ सम्पर्क किया है जिन्होंने इराक में भारतीयों की अपने कार्य-स्थलों पर तैनाती की है ताकि भारतीय कामगारों की खुशहाली तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में जांच-पड़ताल की जा सके।

(5) बगदाद स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उन कुछ कैम्पों का दौरा किया है जहां भारतीय कामगार रह रहे हैं।

रोजगार चाहने वालों के लिए आव्रजन नियमों में छूट

767. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री निखिल कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार चाहने वालों के लिए आव्रजन नियमों में छूट की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में रोजगार चाहने वालों को आव्रजन कार्यालय में मंजूरी प्राप्त करने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी हां। समीक्षा करने के पश्चात, सरकार ने विदेशों में रोजगार चाहने वालों के लिए उत्प्रवास नियमों में निम्नलिखित छूट दी है:

(1) उन पचास देशों के अलावा, जिनके लिए उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं है, चार अन्य देशों अर्थात, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर तथा थाईलैण्ड में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को भी उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने से छूट प्रदान की गयी है।

(2) घरों में काम करने वाली जो महिलाएं/घरेलू कामगार छुट्टी पर भारत आते हैं और उसी विदेशी नियोक्ता के पास काम करने के लिए वापस जाना चाहते हैं उन्हें वापस जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, बशर्ते कि विदेशी नियोक्ता पूर्व अनुमोदन श्रेणी (पी ए सी) अर्थात काली सूची में दर्ज न हो।

(3) दिनांक 25.12.2003 से शुरू की गयी अनिवार्य बीमा योजना के संभावित उत्प्रावासियों द्वारा एक ओर से वापसी किफायती हवाई किराए को जमा कराने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय समुद्र तटों पर प्रदूषण

768. श्री सुरेश चन्देल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय समुद्र तटों पर बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम करने के तरीकों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य राष्ट्रों द्वारा भारतीय समुद्र तटों के निकट औद्योगिक अपशिष्ट का पाटन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वे राष्ट्र कौन से हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसा किया है और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) महासागर विकास विभाग के तटीय महासागर मानीटरी एवं पूर्वानुमान प्रणाली (कोमैप्स) कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा तलछटों और समुद्री अवयवों में पीएच, द्रवीभूत आक्सीजन, बीओडी, अमोनिया, रोगजनक बेक्टीरिया, भारी धातु आदि जैसे विभिन्न प्रदूषकों की मानीटरी की जाती है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनसार भारतीय समुद्री तटों के निकट समुद्र में विदेशी मुल्कों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट गिराने के बारे में सरकार को अब तक कोई विशेष सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मंत्रालय ने तटवर्ती पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 जारी की है जिसमें तटीय विनियमन जोन क्षेत्र के भीतर ठोस अपशिष्ट गिराने तथा अशोधित बहिस्रावों को प्रवाहित करने पर रोक लगाई गई है।

मध्य प्रदेश में स्टेडियमों का निर्माण

769. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार मध्य प्रदेश में निर्मित स्टेडियमों की स्थानवार संख्या कितनी है और ऐसे स्टेडियमों की संख्या कितनी है जो निर्माणाधीन हैं;

(ख) अब तक उक्त प्रयोजन हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) निर्माणाधीन स्टेडियमों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्टेडियमों के निर्माण के लिए मध्यम प्रदेश सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा, 1999-2000 से 2004-2005 तक (5.7.2004 के अनुसार) तथा प्रत्येक परियोजना की स्थिति के साथ बकाया देय वित्तीय सहायता को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी प्रत्येक परियोजना को दो वर्ष की अवधि के अंदर पूरा किया जाना होता है, बशर्ते कि उसकी अवधि बढ़ायी न जाए।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई राशि	बकाया देय अनुदान	अभ्युक्ति
		लाख रु. में		
1	2	3	4	5
1.	भोपाल में राज्य स्तरीय खेल परिसर	15.00	10.00	उपयोगिता प्रमाण पत्र/समापन प्रमाण पत्र (सीसी) राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।
2.	बेहरामपुर में इंडोर स्टेडियम	17.77	2.005	-वही-
3.	सिवनी में इंडोर स्टेडियम	2.50	शून्य	परियोजना पूरी हो गई है।
4.	मोरेना में आऊटडोर स्टेडियम	6.50	3.00	उपयोगिता प्रमाण पत्र/समापन प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है।
5.	मांडला में इंडोर स्टेडियम	27.00	3.00	-वही-

1	2	3	4	5
6.	जबलपुर में इंडोर स्टेडियम	36.50	4.06	उपयोगिता प्रमाण पत्र/समापन प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है।
7.	टीकमगढ़ में इंडोर स्टेडियम	10.00	8.215	-वही-
8.	बरवानी में इंडोर स्टेडियम	12.078	3.35	-वही-
9.	लेहर, भिंड में आऊटडोर स्टेडियम	8.00	7.00	-वही-
10.	मंदसौर में इंडोर स्टेडियम	34.00	11.00	-वही-
11.	देवास में जिला स्तरीय खेल परिसर	50.00	100.00	-वही-
12.	खेतिया में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3	2.25	2.25	-वही-
13.	शिवपुरी में जिला स्तरीय खेल परिसर	35.00	60.67	-वही-
14.	राजपुर जिला बरवानी में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3	13.00	1.50	-वही-
15.	उज्जैन में जिला स्तरीय खेल परिसर	10.00	45.44	-वही-
16.	शहडोल में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3	10.00	14.937	-वही-

[अनुवाद]

खरीद पर हुआ व्यय

770. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की खरीद, भंडारण और वितरण पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाने वाले व्यय में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर प्रति क्विंटल खर्च की गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या उक्त व्यय का अलग से वर्गीकरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) गेहूं और चावल की वसूली, भंडारण और वितरण पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए गए खर्च में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसरण में 50 किलोग्राम की पैकिंग को पूर्ण रूप से अपनाने, राज्य एजेंसियों से अधिक स्टाक में अधिग्रहण, मुद्रास्फीति संबंधी कारकों, मजदूरी संशोधन, किराये पर ली गई भंडारण क्षमता में वृद्धि, निम्नतर औसत भंडारण क्षमता उपयोग और खाद्यान्नों के अधिक उठान के कारण संचलन लागत में वृद्धि के कारण हुई थी।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति क्विंटल व्यय का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। वसूली लागत, भंडारण लागत और वितरण लागत को अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है और हिसाब किया जाता है।

(घ) विगत तीन वर्षों हेतु गेहूं और चावल के लिए प्रति क्विंटल वसूली, भंडारण और वितरण लागत का विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की वसूली, भंडारण और वितरण पर वहन किया गया व्यय (प्रति क्विंटल)

(रुपये/क्विंटल में)

कुल व्यय

जिंस	2001-02	2002-03 (अनंतिम)	2003-04 (संशोधित अनुमान)
गेहूं	859.94	923.68	955.93
चावल	1128.53	1228.59	1274.26

मदवार व्यय

जिंस	व्यय की मद	2001-02	2002-03 (अनंतिम)	2003-04 (संशोधित अनुमान)
गेहूं	वसूली लागत	733.29	763.52	781.46
	भंडारण लागत	12.86	17.12	20.60
	वितरण लागत	113.79	143.04	153.87
चावल	वसूली लागत	1008.91	1060.10	1066.80
	भंडारण लागत	12.86	17.12	25.92
	वितरण लागत	106.76	151.37	181.54

मक्का की खेती

771. **श्री अनन्त नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मक्का उत्पादक विभिन्न राज्यों में मक्का की खेती के अंतर्गत कितना क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और इसका राज्यवार उत्पादन कितनी है;

(ख) क्या सरकार को उन राज्यों के मक्का उत्पादकों की दुर्दशा की जानकारी है कि क्यों उन्हें उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मक्का की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मुख्य मक्का उत्पादक राज्यों, जो कुल मक्का उत्पादन के लगभग 95% का उत्पादन करते हैं, के पिछले तीन वर्षों के क्षेत्र और उत्पादन आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मक्का उत्पादक अपने उत्पादक के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करें, सरकार मक्का सहित मुख्य खरीफ और रबी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। वर्ष 2003-04 के लिए मक्का का मूल्य 505 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। सरकार भारतीय खाद्य निगम जैसी सार्वजनिक और सहकारी एजेन्सियों के जरिए मक्का सहित अनाजों के संबंध में खरीद कार्य का भी आयोजन करती है। विपणन मौसम 2003-04 में सरकार ने 7 जुलाई, 2004 तक 3.57 लाख मी. टन मक्का की खरीद की है।

(ग) मक्का के महत्व और इसकी अधिक उपज क्षमता को ध्यान में रखते देश में इसके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मई, 1995 में मक्का को तिहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल कर दिया गया। उसके बाद से 26 राज्यों में मिशन मोड एपरोज से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा था। तथापि 1 अप्रैल, 2004 से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम को "तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम" (आईसोपाम) में मिला दिया गया है जिसे 10वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रजनक और आधारी बीजों के उत्पादन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उत्पादित प्रजनक बीजों की खरीद, बीज ग्राम स्कीम के जरिए प्रमाणित बीजों के उत्पादन, गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों के वितरण, मिनिकिटों के वितरण आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

कृषि-जलवायुवीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्य अभिवृद्धि क्षेत्रों की पहचान की गई है। अभिवृद्धि क्षेत्रों में बिहार में रबी मक्का की सफलता की अन्य राज्यों में पुनरावृत्ति, सार्वजनिक और निजी दोनों बीज कम्पनियों को शामिल करना, अंत: फसलन पद्धतियां आदि शामिल हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)			उत्पादन (000 टन)		
	2000-01	2001-02	2002-03 (अंतिम)	2000-01	2001-02	2002-03 (अंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	528.0	428.0	526.0	1581.0	1457.0	1486.0
बिहार	620.5	594.3	264.7	1497.2	1488.3	445.3
गुजरात	382.9	443.5	464.5	288.5	884.6	792.6
हिमाचल प्रदेश	298.1	301.3	297.0	683.6	768.2	479.2
जम्मू व कश्मीर	330.2	326.5	329.5	525.8	538.1	465.1
कर्नाटक	668.9	580.1	650.0	2135.7	1451.7	1384.0
मध्य प्रदेश	840.2	854.0	850.1	1217.8	1680.5	1500.7
महाराष्ट्र	329.5	325.5	371.2	303.0	587.1	743.7
पंजाब	165.0	165.0	152.0	461.0	449.0	310.0
राजस्थान	970.6	1018.4	983.3	1015.8	1480.9	869.9
तमिलनाडु	81.5	73.0	117.2	139.9	118.0	196.6
उत्तर प्रदेश	907.9	931.0	762.0	1473.0	1516.0	839.1
अखिल भारत	6611.3	6581.5	6290.0	12043.2	13160.2	10302.8

[हिन्दी]

बागवानी फसलों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

772. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में, विशेषकर बिहार में बागवानी फसलों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में बागवानी फसलों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार कृषि बृहत् प्रबंध कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पहले से ही क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत बिहार सहित राज्य सरकारों को बागवानी के विकास से संबंधित विभिन्न स्कीम घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है।

खाद्यान्न कोटा में कटौती

773. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों के खाद्यान्न कोटा में कटौती हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्न कोटा में कटौती नहीं करने के लिए **अनुरोध** प्राप्त किए हैं;

(घ) **यदि** हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी का सृजन जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत के साथ किया गया था। गरीबी रेखा से ऊपर के लिए आबंटन पिछले दस वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हुए औसत वार्षिक उठान में से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को किए गए गरीबी रेखा से नीचे के आबंटन को घटाकर शेष खाद्यान्नों के आधार पर किया गया था। मार्च, 2002 में मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का कोटा 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर निर्धारित किया जाए। तदनुसार गरीबी रेखा से ऊपर का कोटा 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की अनुमानित संख्या अथवा प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वास्तव में जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो के आधार पर 1 जुलाई, 2002 से 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का गरीबी रेखा से ऊपर का कोटा बढ़ गया। तथापि, 7 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम के लिए यह कोटा संलग्न **विवरण** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार घट गया था।

(ग) और (घ) केवल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड और मेघालय राज्यों से गरीबी रेखा से ऊपर के कोटे को बहाल करने के अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ङ) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैण्ड के लिए खाद्यान्नों का गरीबी रेखा से ऊपर का कोटा अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार पहली जनवरी, 2004 से बहाल कर दिया गया है। चूंकि मेघालय में अपेक्षित संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड जारी नहीं किए थे इसलिए उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था।

विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य	मंत्रिमंडल के मार्च, 2002 के निर्णय के पूर्व का आबंटन			जुलाई, 2002 से संशोधित आबंटन			1.1.2004 से वर्तमान आबंटन		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
अरुणाचल प्रदेश	5.86	0.53	6.39	4.50	0.51	5.01	4.36	2.03	6.39
केरल	114.62	37.72	152.34	113.42	37.33	150.75	113.42	37.33	150.75
मणिपुर	2.86	1.71	4.57	2.48	1.48	3.96	2.48	1.48	3.96
मेघालय	9.53	1.00	10.53	3.10	0.65	3.75	3.10	0.65	3.75
मिजोरम	6.81	1.01	7.82	2.45	1.01	3.46	6.81	1.01	7.82
नागालैंड	8.63	1.54	1.17	4.24	2.00	6.24	3.67	6.50	10.17
सिक्किम	2.97	0.10	3.07	2.13	0.02	2.15	0.95	1.20	2.15

[अनुवाद]

ताजे जल में मत्स्यन

774. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ताजे मीठे जल में मत्स्यन को विकसित करने के लिए कोई समग्र योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार अन्तर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। देश में 429 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से ताजा जल जलकृषि विकास संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। निर्यात को बढ़ाने के लिए ताजा जल जलकृषि के क्षेत्र में देश की व्यापक क्षमता को देखते हुए, सरकार ताजा जल प्रान (स्कैम्पी) पालन तथा सजावटी मछलियों को बढ़ावा दे रही है। विगत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लगभग 8.74 करोड़ मूल्य की अनुमानत: 1300 मीट्रिक टन औसत फिन फिश का निर्यात किया गया है। देश में 2003-04 के दौरान लगभग 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 36,000 मीट्रिक टन स्कैम्पी का उत्पादन हुआ। 2002-03 तथा 2003-04 में 584.60 करोड़ रुपए तथा 524 करोड़ रुपए की स्कैम्पी का निर्यात किया गया। इसके अतिरिक्त, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान क्रमश: 2.55 करोड़ रुपए तथा 3.02 करोड़ रुपए की सजावटी मछली का निर्यात किया गया था। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान मुख्यत: फिन फिश के विकास के लिए जारी 18.66 करोड़ रुपए की राशि को केन्द्रीय सहायता के अलावा, एक दूसरी योजना के अन्तर्गत उसी अवधि के दौरान स्कैम्पी को बढ़ावा देने के लिए फार्मों/हैचरियों के विकास के उद्देश्य से 783.48 लाख रुपए की राशि जारी की गयी थी।

दिल्ली दुग्ध योजना

775. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कितनी मात्रा में दुग्ध की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या डी.एम.एस. द्वारा आपूर्ति की मात्रा दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने तथा संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन लगभग 3.50 लाख लीटर दूध की सप्लाई कर रही है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी तथा कुछ अन्य प्राइवेट डेयरियों द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूध की मात्रा दिल्ली की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है।

(ग) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए, दुग्ध भंडारण टैंकों के लिए स्वचालित "क्लिनिंग इन प्लेस" प्रणाली की स्थापना, इलैक्ट्रिक पैनलों को बदलना, दुग्ध पास्चुराइजर की स्थापना, रेफ्रीजरेशन सेक्शन के पुराने आइस बैंक, टैंक क्वाइल को बदलना तथा पैकिंग मशीनों को बदलने जैसे उपाय शुरू किए गए हैं।

(घ) इस प्रयोजन के लिए 3.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अतिक्रमित वन भूमि का पट्टा

776. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में गांवों में रह रहे मजदूरों और किसानों ने केन्द्र सरकार से उस वन भूमि के पट्टे के लिए अनुरोध किया है जिसका अतिक्रमण उन्होंने किया है और वहां गत 15 से 20 वर्षों से रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में केवल उन प्रस्तावों पर विचार करती है जिनकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सिफारिश की गई हो। प्रयोक्ता एजेंसियों/श्रमिकों और किसानों सहित अन्य से सीधे प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) 25.10.1980 के बाद किए गए अवैध कब्जे, जबकि अधिनियम लागू हो गया था, नियमितीकरण अथवा पट्टे के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25.10.1980 से पूर्व पात्र श्रेणी के अवैध कब्जों पर दिनांक 23.11.2001 के अपने आदेश के तहत रोक लगा दी है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार

777. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली जैसे महानगरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनरुद्धार के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नयी योजना में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो पुनरुद्धार योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश में चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली समूची आबादी की खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी करती है। समूची आबादी को तीन श्रेणियों अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना में बांटा गया है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों सहित सभी को प्रति परिवार प्रति महीना 35 किलोग्राम के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध किए जाते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पामोलिन का वितरण

778. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आरबीडी पामोलिन का वितरण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पर अधिक आयात शुल्क के कारण गुजरात राज्य द्वारा आरबीडी पामोलिन के आयात में भारी गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत 45 प्रतिशत शुल्क सहित राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 18,000 टन कच्चे पामोलिन के आयात हेतु गुजरात सरकार को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक अनुमति दी जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) खुले बाजार में खाद्य तेलों की आसान उपलब्धता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए खाद्य तेलों का आयात नहीं किया जाए।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का अन्तरराज्यीय व्यापार

779. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना खाद्यान्नों के अन्तरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारयों को भंडार सीमा में छूट देने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये उपाय सूखे के प्रभाव को कम करने में कितने सहायक होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने 15.2.2002 को एक अधिसूचना तथा दिनांक 16.6.2003 को संशोधन जारी कर खाद्यान्नों पर से सभी नियंत्रण अर्थात् लाइसेंसिंग, स्टाक सीमा और अंतर-राज्यीय संचलन पर प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके अनुसार कोई भी डीलर स्वतंत्र रूप से गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, दाल, गुड़, गेहूं उत्पाद तथा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल अथवा वनस्पति घी की किसी भी मात्रा की खरीद, स्टाक, बिक्री, ढुलाई, वितरण, निपटान, प्राप्ति, उपयोग अथवा उपभोग कर सकता है और उसे इसके लिए किसी भी लाइसेंस अथवा परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) इस अधिसूचना के जारी होने के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का मुक्त व्यापार और संचलन होता है और किसान अपने उत्पादों के लिए सर्वोत्तम मूल्यों के प्रति आश्वस्त होते हैं तथा कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

[अनुवाद]

पर्यटकों का आगमन

780. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में चारमीनार तथा गोलकुण्डा किला जैसे पर्यटक स्थलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं देने के लिए उन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

आठवीं योजना और नौंवी योजना के दौरान पर्यटन विभाग ने आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए 1599.74 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिनमें गोलकुण्डा के लिए 59.88 लाख रुपए तथा चारमीनार के लिए 63.78 लाख रुपए की मंजूरी राशि शामिल है।

10वीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए, वर्ष 2002-03 में 507.50 लाख रुपए और वर्ष 2003-04 के दौरान 946.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालय

781. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषत: राजस्थान में श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय संचालित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) राजस्थान सहित देशभर में श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल चलाए जाने से संबंधित सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत सरकार, राजस्थान सहित देशभर में जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम चला रही है जिसके अन्तर्गत जोखिमकारी व्यवसायों से हटाये गए बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बन्द होना

782. योगी आदित्यनाथ: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराजगंज जिले के आनंदनगर स्थित चीनी मिल सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बंद हो गयी हैं या रुग्ण हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों का पुनरुद्धार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के किसानों, श्रमिकों तथा अर्थव्यवस्था पर इस बंदी के दुष्प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आनन्द नगर शुगर मिल सहित 11 चीनी मिलें बन्द हैं और 8 चीनी मिलें रुग्ण हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन्द चीनी मिलों और रुग्ण चीनी मिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी और गन्ना विकास निगम की चीनी मिलों के संबंध में स्थिति का आकलन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन चीनी मिलों (कानूनी कार्रवाई लम्बित होने के कारण नन्दगंज, नवाबगंज तथा मुंडेरवा स्थित मिलों को छोड़कर) को पट्टे पर देने का निर्णय किया है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने पट्टा देने पर रोक लगा दी है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) में अपील की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, आनन्द नगर शुगर मिल का समापन किया जा रहा है। कानपुर शुगर वर्क्स अर्थात् पडरौना, कठकुंइया और गौरी बाजार का मामला पुनर्स्थापन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में लम्बित है। खलीलाबाद शुगर मिल भी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत है और इस मामले की जांच की जा रही है।

विवरण

बन्द चीनी मिलों की सूची

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी और गन्ना विकास निगम लिमिटेड

1. बाराबंकी
2. नवाबगंज
3. मुंडेरवा
4. घुगली
5. छितौनी

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

1. नन्दगंज

अन्य

1. आनन्दनगर
2. पडरौना
3. कठकुंइया
4. गौरीबाजार
5. खलीलाबाद

रूग्ण चीनी मिलों की सूची

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

1. बेतालपुर
2. भटनी
3. बुढ़वाल
4. देवरिया
5. लक्ष्मीगंज
6. पिपराइच
7. रामकोला
8. शाहगंज

[अनुवाद]

पानी की कमी

783. श्री सुरेश कलमाडी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ ए ओ (संयुक्त राष्ट्र) ने हाल के अध्ययन में विकासशील देशों में पानी की गंभीर कमी की भविष्यवाणी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में से हर पांचवां देश गंभीर जल संकट का सामना करेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने मार्च 2003 के दौरान क्योटो में आयोजित वर्ल्ड वाटर फोरम सम्मेलन में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) एफ ए ओ (संयुक्त राष्ट्र) द्वारा किए गए "अनला किंग द वाटर पोटेंशियल आफ एग्रीकल्चर" नामक अध्ययन जिसे क्योटो में तीसरे विश्व जल मंच की पूर्व संध्या पर प्रकाशित किया गया, में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि विकासशील देशों में किसानों को दुर्लभ स्वच्छ जल संसाधनों के लिए उद्योग और घरेलू प्रयोक्ताओं से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि यद्यपि अभी कोई वैश्विक जल संकट नहीं है फिर भी कुछ विकासशील देशों और क्षेत्रों में गंभीर जल और खाद्य सुरक्षा समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। मार्च, 2003 में ओसाका, शिगा और क्योटो, जापान में आयोजित तीसरे विश्व जल मंच में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री अर्जुन चरण सेठी के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।

(घ) विश्व जल मंच की तीसरी बैठक 16-23 मार्च, 2003 को क्योटो, ओसाका और शिगा, जापान में हुई। इस अवसर पर, दो मंत्रालयीय बैठकें अर्थात "जल खाद्य और कृषि" पर सिंचाई मंत्रियों की बैठक और मुख्य मंत्रालयीय सम्मेलन क्रमशः 21 मार्च और 22-23 मार्च, 2003 को आयोजित किए गए।

"जल खाद्य और कृषि" पर मंत्रालयीय बैठक के दौरान देश में कृषि जल मामलों का समाधान करने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई सहित कृषि, जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए सचिव (जल संसाधन) द्वारा एक प्रस्तुतीकरण किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लंबे विचार-विमर्श के बाद पहले की बातचीत पर मंत्रालयीय घोषणा को 21 मार्च, 2003 को अपनाया गया था। इसमें कृषि संबंधी जल उपयोग को आधुनिक करने और सुधार लाने, जल उत्पादकता बढ़ाने, बेहतर शासन को प्रोत्साहन देने, पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार करने, अनुसंधान और विकास शुरू करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई के लिए एक योजना की रूपरेखा दी गई है।

23 मार्च, को अंतिम पूर्ण सत्र में अपनाई गई मुख्य मंत्रालयीय घोषणा में सामान्य नीति, जल संसाधन प्रबंधन और लाभ भागीदारी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, खाद्य और ग्रामीण विकास के लिए जल, जल प्रदूषण रोकथाम और पारिस्थितिकी संरक्षण तथा आपदा उपशमन और जोखिम प्रबंधन संबंधी घोषणा की गई थी।

मंत्रालयी सम्मेलन के पांच उप-दल सत्रों में से एक ही अध्यक्षता तत्कालीन जल संसाधन मंत्री द्वारा की गई थी जिसमें "जल संसाधन प्रबंधन और लाभ भागीदारी" मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था। इस सत्र में मंत्रियों/62 देशों के प्रतिनिधियों और आठ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।

इस उपदल की बैठक में, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर उचित ध्यान देते हुए सिंचाई, भंडारण, बाढ़ नियंत्रण और जल-विद्युत ऊर्जा के लिए बांधों के विकास की आवश्यकता के साथ-साथ ठोस पुनर्स्थापना योजनाओं को भी उठाया गया। इसमें क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। इसमें अच्छे शासन की आवश्यकता तथा विश्वास बढ़ाने वाले उपायों और नवीन और

उपयुक्त प्रौद्योगिकियों जैसे अलवणीकरण तथा उपचारित जल के पुन: उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

घोषणा के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक तथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जिसमें घोषणाओं को स्वीकार किया गया, के अतिरिक्त अनेक बैठकें हुई जिनमें से कुछ इन्हीं के समानान्तर क्योटो, शिगा और ओसाका में आयोजित की गई।

जलाशयों के जलस्तर का आकलन

784. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जलाशयों में जलस्तर का आकलन करने हेतु भेजे गए दल ने अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को सौंप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) इस दल ने अपनी रिपोर्ट में जलाशयों की वास्तविक स्थिति, फसल और कावेरी बेसिन में वर्षा की स्थिति के बारे में बताया है। राजनीतिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति को 17.6.2004 को इस वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

राज्यों में पर्यावरण अनुकूल वातावरण

785. श्री किरिप चालिहा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य पर्यावरण अनुकूल वातावरण हेतु कचरा रहित आवासीय कालोनी विकसित करने की प्रक्रिया में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी योजना लागू करने वाले राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सीमा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से म्युनिसीपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य अपशिष्ट शून्य/कूड़ा रहित शहरों का विकास करने के प्रयास कर रहे हैं। समाचार पत्रों में भी खबर है कि कतिपय क्षेत्रों जैसे दिल्ली में आवासीय कालोनी सरिता विहार, तमिलनाडु में वायु सेना स्टेशन ताम्ब्रम और केरल में कोवलम में शून्य अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ग) और (घ) संघ सरकार द्वारा ऐसी स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को वित्तीय सहायता देने की कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की गई है।

कृषि के आधुनिकीकरण हेतु सहायता

786. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषत: महाराष्ट्र से कृषि प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) विभाग ने 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को मिलाकर बृहत कृषि प्रबंधन की एक व्यापक स्कीम शुरू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गेहूं, चावल, मोटे अनाजों, बागवानी, गन्ना, पटसन का उत्पादन कार्यक्रम कृषि यंत्रीकरण, पनधारा विकास कार्यक्रम आदि को शामिल किया गया है। राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य योजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए लचीलापन दिया गया है। इसके अलावा, राज्य अपना आवंटन के 10% तक नई स्कीम और नया घटक शुरू कर सकते हैं।

महाराष्ट्र सहित सभी राज्य सरकारों ने अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं। अपनी कार्य योजना में महाराष्ट्र ने अन्य बातों के साथ-साथ कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण आदि शामिल किए हैं। इस विभाग ने वर्ष 2004-05 हेतु राज्यों को प्रथम किस्त पहले ही निर्मुक्त कर दी है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने "तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का की समेकित स्कीम" (आईसोपाम) नामक स्कीम के अंतर्गत तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं। विभाग ने कार्य योजनाएं अनुमोदित कर दी हैं तथा तदनुसार पहली किस्त की निमुक्ति कर दी। वर्ष 2004-05 के दौरान निधियों की निर्मुक्ति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

कृषि का बृहत प्रबंधन

वर्ष 2004-05 हेतु आवंटन तथा प्रथम किस्म की निमुक्ति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन (केन्द्र का हिस्सा)	निमुक्ति की गई केन्द्रीय सहायता की धनराशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.00	18.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	2.50
3.	असम	8.00	4.00
4.	बिहार	18.00	7.20
5.	छत्तीसगढ़	18.00	9.00
6.	गोवा	2.00	1.00
7.	गुजरात	23.00	11.50
8.	हरियाणा	16.00	8.00
9.	हिमाचल प्रदेश	16.00	8.00
10.	जम्मू और कश्मीर	16.00	8.00
11.	झारखण्ड	14.00	7.00
12.	कर्नाटक	57.00	28.50
13.	केरल	29.00	14.50
14.	मध्य प्रदेश	45.00	22.50
15.	महाराष्ट्र	82.00	41.00
16.	मणिपुर	7.00	3.50
17.	मिजोरम	9.00	4.50
18.	मेघालय	7.00	3.50
19.	नागालैण्ड	9.00	4.50
20.	उड़ीसा	23.00	11.50
21.	पंजाब	15.00	—
22.	राजस्थान	68.00	31.25
23.	सिक्किम	6.00	3.00
24.	तमिलनाडु	43.00	20.05
25.	त्रिपुरा	8.00	4.00
26.	उत्तर प्रदेश	70.00	32.05
27.	उत्तरांचल	16.00	7.19
28.	पश्चिम बंगाल	24.00	12.00
29.	दिल्ली	1.00	—
30.	पांडिचेरी	1.00	0.50
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	0.50
32.	चण्डीगढ़	0.25	—
33.	दादर और नगर हवेली	0.50	—
34.	दमन और दीव	0.25	—
35.	लक्षद्वीप	1.00	
	कुल	695.00	328.74

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान आईसोपाम के राज्यवार आवंटन तथा निर्मुक्तियां

राज्य	तिलहन का आवंटन	तिलहन की निर्मुक्ति	दलहन का आवंटन	दलहन की निर्मुक्ति	आयलपाम का आवंटन	आयल पाम की निर्मुक्ति	मक्का का आवंटन	मक्का का निर्मुक्ति	अन्य आवंटन	अन्य निर्मुक्ति	कुल आवंटन	कुल निर्मुक्ति	शेष आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	950.00	475.00	63.00	31.50	600.00	300.00	30.00	15.00	0.00	0.00	1,643.00	821.50	821.50
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	4.00
बिहार	100.00	50.00	150.00	75.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	290.00	145.00	145.00
छत्तीसगढ़	110.00	55.00	100.00	50.00	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	225.00	112.50	112.50
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00
गुजरात	950.00	475.00	63.00	31.50	60.00	30.00	10.00	5.00	0.00	0.00	1,083.00	541.50	541.50
हरियाणा	125.00	62.50	59.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	92.00	92.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	20.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	85.00	0.00	0.00	170.00	85.00	85.00
कर्नाटक	690.00	345.00	150.00	75.00	200.00	100.00	40.00	20.00	0.00	0.00	1,080.00	540.00	540.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00
मध्य प्रदेश	1,050.00	525.00	350.00	175.00	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	1,425.00	712.50	712.50
महाराष्ट्र	800.00	400.00	200.00	100.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	1040.00	520.00	520.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.50	3.50
उड़ीसा	200.00	100.00	80.00	40.00	5.00	2.50	20.00	10.00	0.00	0.00	305.00	152.50	152.50
पंजाब	65.00	32.50	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	105.00	52.50	52.50
राजस्थान	1,000.00	500.00	350.00	175.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	1,400.00	700.00	700.00
तमिलनाडु	460.00	230.00	100.00	50.00	160.00	80.00	20.00	10.00	0.00	0.00	740.00	370.00	370.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00
उत्तर प्रदेश	350.00	175.00	225.00	112.50	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	635.00	317.50	317.50
पश्चिम बंगाल	150.00	75.00	90.00	45.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	260.00	130.00	130.00
विदेश यात्रा व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भा.कृ.अ.प.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई.	2,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
कुल	9500.00	3500.00	3700.00	1000.00	1100.00	540.00	900.00	300.00	75.00	0.00	15275.00	5340.00	9935.00

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना

787. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में "डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काफी संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रयासों के अलावा, कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग देश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

(1) गैर आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना-राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(2) भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच 50: 50 के आधार पर रुग्ण दुग्ध संघों के पुनर्वास के लिए सहकारिताओं को सहायता।

(3) गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना-किसान सदस्यों के प्रशिक्षण, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों, रसायनों तथा डिटर्जेण्ट की आपूर्ति और 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ शीत श्रृंखला सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्थान में लगभग 37,900 गांवों में से लगभग 15,800 गांव सोलह दुग्ध संघों के तहत डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कवर किए गए हैं। सहकारी समितियों/संघों ने विभिन्न राज्यों में एनडीडीबी की सहायता से प्रसंस्करण तथा विनिर्माण सुविधाओं, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादकता संवर्धन, संस्थागत भवन और समिति संगठन, राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क एवं मार्केट विकास में क्रियाकलापों को शामिल करते हुए परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनायी हैं।

राजस्थान में सोलह दुग्ध संघों में से एनडीडीबी द्वारा 8 संघों के लिए 8805.97 लाख रुपए के कुल परिव्यय से परिप्रेक्ष्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान 3143.84 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। प्रमुख मानकों के संबंध में की गयी प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

इसके अलावा, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने तथा डेयरी किसानों/उद्योग की सहायता के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत परियोजनाएं, जिला गरीबी उन्मूलन पहल परियोजनाएं (डीपीआईपी), महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सरस सुरक्षा कवच (बीमा कवर) के तहत महिला डेयरी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख मानकों के संबंध में की गयी प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

प्रमुख मानक	2001-02	2002-03	2003-04*
डीसीएस संगठित	7690	8364	9643
कृषक सदस्य (000)	465	505	534
महिला सदस्य (000)	81	90	111
दुग्ध अधिप्राप्ति (लाख किलोग्राम प्रतिदिन)	11.03	12.51	10.36**
दुग्ध विपणन (लाख लीटर प्रतिदिन)	6.15	7.17	8.55

*अनन्तिम

**सूखा/अकाल के कारण कमी

जंगल की आग का प्रभाव

788. श्री अधीर चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साल (शोरा रोबस्टा) के पुनजीवन सहित प्राकृतिक वनों की जवजीवन क्षमता पर जंगल की आग के हानिकारक प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या हमारे देश में मुख्यतया साल के वन जंगल में बार-बार आग लगने और पत्तों को इकट्ठा करने आदि के कारण धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जंगल में आग लगने को रोकने हेतु कोई प्रौद्योगिकी मिशन गठित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पुनरावृत अथवा अनियंत्रित दावानल साल वनों सहित बीजों की जीवन क्षमता और विकास को प्रभावित करते हुए छोटे पौधे और बड़े पौधों को विनाशकों और रोगों के संभाव्य बनाकर मृदा विशेषताओं आदि को बदलते हुए प्राकृतिक वनों की प्राकृतिक पुनर्जनन क्षमता को प्रभावित करती हैं।

(ख) और (ग) जी हां। पश्चिमी घाटों, हिमालयी क्षेत्र और पूर्वी घाटों में कुछ अध्ययन किए गए हैं जिन्होंने दावानल के कारण कुछ निश्चित प्रजातियों के पुनर्जनन स्तर पर प्रकाश डाला है। यह सूचना प्राप्त हुई है कि पश्चिमी घाटों में दावालन की पुनरावृत्ति के कारण अनेक स्थानिक प्रजातियां अपने प्राकृतिक स्थान से गायब हो रही हैं। पूर्वी घाटों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि दावानलों के कारण अपने प्राकृतिक स्थानों में चन्दन के वृक्षों की पुर्नजनन और शोला जंगल में अनेक प्रजातियों की पुनर्जनन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(घ) दावानल की पुनरावृत्ति, साल पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए साल पेड़ों की भारी कटाई और साल बीजों को इकट्ठा करने के लिए भूमि पर आग लगाना इत्यादि ने प्राकृतिक साल वनों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

(ङ) और (च) दावानल के लिए ऐसा कोई औपचारिक प्रौद्योगिकी मिशन नहीं है परन्तु अनियमित दावानल का नियंत्रण और सुरक्षा, मंत्रालय का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अनियंत्रित दावानलों से वनों की क्षति की समस्याओं का पता लगाने के लिए 1985-1990 के दौरान दो राज्यों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। आठवीं योजना के दौरान 11 राज्यों में पायलट परियोजना की सफलता पर आधारित फारेस्ट फायर कण्ट्रोल मेथड्स शीर्षक से योजना शुरू की गई थी और बाद में योजना के कार्य क्षेत्र का सभी राज्यों में विस्तार कर दिया गया था। दसवीं योजना के दौरान एकीकृत वन सुरक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें दावानल नियंत्रण और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। दसवीं योजना के लिए कुल परिव्यय 445 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

789. श्री सुरेश चन्देल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीठासीन अधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर कितने मामले निपटाए गए;

(घ) क्या सरकार ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार ने केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) विद्यमान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों का कार्यभार कम करने के लिए पांच नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिससे अधिकरणों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गयी है;

(2) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों द्वारा विवादों के समाधान हेतु एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में लोक अदालतों का भी आयोजन किया जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों का नाम	राज्यवार क्षेत्राधिकार	31.03.2004 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों की संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या	पिछले वर्षों के दौरान निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6
1.	मुंबई सं. 1$	महाराष्ट्र (आंशिक गोवा (आंशिक) संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव (आंशिक)	453	373	472
2.	मुंबई सं. 2	महाराष्ट्र (आंशिक) गोवा (आंशिक) संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव (आंशिक)	685	931	1179
3.	नागपुर	महाराष्ट्र (आंशिक) गोवा (आंशिक) संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव (आंशिक)	467	600	201
4.	धनबाद सं. 1	बिहार (आंशिक) झारखंड (आंशिक)	2191	513	117
5.	धनबाद सं. 2	बिहार (आंशिक) झारखंड (आंशिक)	1143	504	181
6.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	2155	727	449
7.	कानपुर	उत्तर प्रदेश (आंशिक)	1068	469	399
8.	नई दिल्ली सं. 1	केवल दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	621	1432	187
9.	नई दिल्ली सं. 2	हरियाणा (आंशिक), उत्तर प्रदेश (आंशिक)	757	39	26
10.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल (आंशिक) बिहार (आंशिक)	533	166	113
11.	कोलकाता$	पश्चिम बंगाल	345	158	141
12.	चंडीगढ़ सं. 1	चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	2080	1093	1110
13.	चंडीगढ़ सं. 2	जम्मू और कश्मीर हरियाणा (आंशिक)	*	*	*

1	2	3	4	5	6
14.	जयपुर	राजस्थान	206	289	357
15.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश (आंशिक) उत्तरांचल	436	485	474
16.	बंगलौर	कर्नाटक	529	312	140
17.	एर्नाकुलम	केरल लक्षद्वीप	*	*	*
18.	चेन्नई	तमिलनाडु पांडिचेरी	588	1013	690
19.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1597	1963	216
20.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	471	759	334
21.	गुवाहाटी	पूर्वोत्तर राज्य	*	*	*
22.	अहमदाबाद	गुजरात	*	*	*

$इन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को राष्ट्रीय अधिकरण भी कहा जाता है।

*ये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय हाल ही में स्थापित किए गए हैं। इन्हें अपना न्यायिक कार्य अभी आरंभ करना है।

कृषि हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

790. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कृषि विकास हेतु लागू की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और प्रस्तावित ऐसी नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं के अंतर्गत अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं:

* बृहत प्रबन्धन स्कीम
* कपास प्रौद्योगिकी मिशन
* तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
* राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
* त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
* समयबद्ध रिपोर्टिंग स्कीम
* फसल सांख्यिकी का सुधार
* कृषि संगणना

बृहत प्रबन्धन स्कीम में 27 स्कीमें शामिल हैं। सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के तहत कोष की उपयोगिता का ब्यौरा संलग्न विवरण II और III में दिया गया है।

विवरण I

बृहत प्रबंधन स्कीम के तहत आने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
2. महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
5. अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लिए विशेष योजना
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास
11. उर्वरकों का सन्तुलित एवं समेकित उपयोग
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
13. समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास
14. सब्जी बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
16. औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास
17. मूल एवं कन्द फसलों का विकास
18. कोको तथा काजू का विकास
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम
20. खुम्बी का विकास
21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
22. मधुमक्खीपालन
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम
24. सब्जी फसलों के आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन संबंधी स्कीमें
25. नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
26. क्षारीय मृदा का सुधार एवं विकास
27. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड

विवरण II

राज्य का नामः मध्य प्रदेश

विगत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वहन किये गये खर्च का ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	व्यय 2001-2002	व्यय 2002-03	व्यय 2003-04
1	2	3	4	5
1.	बृहत प्रबन्धन स्कीम	3674.88	5686.09	2458.87
2.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	69.00	145.01	138.64
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	1207.00	675.00	1060.00
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	275.84	132.50	336.00
5.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	0.00	3.00	20.28

1	2	3	4	5
6.	समयबद्ध रिपोर्टिंग स्कीम	40.72	22.22	23.28
7.	फसल सांख्यिकी का सुधार	46.46	26.41	20.65
8.	कृषि संगणना	6.14	32.22	8.83
	कुल	5320.04	7622.45	4066.89

विवरण III

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़

विगत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वहन किये गये खर्च का ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	व्यय 2001-2002	व्यय 2002-03	व्यय 2003-04
1.	बृहत प्रबन्धन स्कीम	1483.00	1483.90	1600.00
2.	फार्म पर जल प्रबंधन	0.00	0.00	23.65
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	157.00	70.00	46.00
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	85.00	45.00	42.00
5.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	29.03	6.36	10.07
6.	समयबद्ध रिपोर्टिंग स्कीम	0.00	9.53	10.22
7.	फसल सांख्यिकी का सुधार	0.00	16.35	10.57
8.	कृषि संगणना	0.00	9.14	4.83
	कुल	1754.03	1640.28	1747.34

[अनुवाद]

धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

791. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर राज्य से टिप्पणियां मांगकर वर्ष 2004-05 के लिए धान हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का काम कर रही है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2004-05 मौसम की खरीफ फसलों, धान सहित, के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये गये हैं।

(ख) से (घ) कुछ प्रमुख राज्यों के विचारों की अभी भी प्रतीक्षा है। उनको यथाशीघ्र अपने विचार/टिप्पणियां सम्प्रेषित करने के लिए स्मरण पत्र भेजा गया है। उनके विचार/टिप्पणियों के आधार पर सरकार द्वारा विचारार्थ तथा निर्णय लिये जाने के लिए यथाशीघ्र आगे की कार्यवाही की जायेगी।

पर्यटक केन्द्रों पर अवसंरचना का विकास

792. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों को धनराशि देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन का विकास मुख्तया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि पर्यटन विभाग उनसे परामर्श करके अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए सहायता मुहैया करता है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 2004-05 के दौरान विचारार्थ विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव भेजें।

(ग) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:

1. गहन विपणन अभियान के माध्यम से प्रमुख मार्किटों में प्रवेश करना।
2. प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में बेहतर अनुभव और अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना।
3. भारत के लिए बेहतर एयर कनेक्टीविटी सुनिश्चित करना।

मुर्गीपालन केन्द्रों के संवर्धन हेतु सहायता

793. **श्री अनन्त नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार और विशेषकर उड़ीसा में इस समय कितने मर्गीपालन केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को मर्गीपालन केन्द्रों के संवर्धन हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी सहायता के माध्यम से राज्यवार कितने मर्गीपालन केन्द्रों को धनराशि प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उड़ीसा सहित देश में सरकारी कुक्कुट फार्मों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी विभाग "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। सहायता की प्रणाली सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच 80:20 के आधार पर है।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान इस योजना के तहत उपलब्ध कराई गई राज्यवार सहायता तथा सहायता किए गए कुक्कुट फार्मों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी कुक्कुट फार्मों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	23
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	4
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	12
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	14
10.	जम्मू व कश्मीर	6

1	2	3
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	26
13.	केरल	13
14.	मध्य प्रदेश	10
15.	महाराष्ट्र	6
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	10
18.	मिजोरम	8
19.	नागालैंड	7
20.	उड़ीसा	9
21.	पंजाब	4
22.	राजस्थान	1
23.	सिक्किम	8
24.	तमिलनाडु	25
25.	त्रिपुरा	6
26.	उत्तर प्रदेश	6
27.	उत्तरांचल	3
28.	पश्चिम बंगाल	22
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6
30.	चण्डीगढ़	शून्य
31.	दादर एवं नगर हवेली	1
32.	दमन एवं दीव	शून्य
33.	दिल्ली	1
34.	लक्षद्वीप	9
35.	पांडिचेरी	शून्य

विवरण II

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2001-2002		2002-2003		2003-04	
		सहायता किए गए फार्मों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	सहायता किए गए फार्मों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	सहायता किए गए फार्मों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिक्किम	—	—	—	—	एक	42.50
2.	मेघालय	—	—	एक	85.00	—	—
3.	मिजोरम	एक	45.00	एक	70.00	एक	57.00
4.	नागालैंड	एक	45.00	—	—	एक	42.50

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	त्रिपुरा	एक	41.00	एक	85.00	दो	82.50
6.	अरुणाचल प्रदेश	एक	45.00	—	—	दो	74.50
7.	असम	—	—	दो	170.00	—	—
8.	छत्तीसगढ़	एक	36.00	एक	68.00	—	—
9.	उत्तरांचल	एक	36.00	एक	68.00	—	—
10.	उत्तर प्रदेश	एक	36.00	एक	68.00	एक	17.09
11.	पश्चिम बंगाल	दो	64.17	एक	68.00	एक	33.20
12.	केरल	एक	36.00	एक	85.00	—	—
13.	झारखंड	एक	35.78	एक	25.48	—	—
14.	हिमाचल प्रदेश	एक	21.05	एक	59.87	एक	27.40
15.	बिहार	एक	31.20	—	—	—	—
16.	मध्य प्रदेश	एक	32.80	एक	68.00	दो	48.93
17.	राजस्थान	—	—	एक	77.79	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	एक	68.00	एक	15.00
19.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	दो	85.00
20.	गुजरात	—	—	—	—	एक	22.38

"टूरिज्म एस्टेट जोन" का सृजन

794. **डा. एम. जगन्नाथः क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (सीसीआई) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पर्यटन के विकास हेतु इण्डोनेशिया में मौजूद टूरिज्म एस्टेट जोन की तर्ज पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के नजदीक एक टूरिज्म एस्टेट जोन सृजित करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव के गुण-दोष का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोई भी अध्ययन चलाने के लिए निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि, अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

पशुओं के लिए चारा उपलब्ध न होना

795. **श्री रामदास बंडु आठवलेः क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूखे के संबंध में कृतिक बल द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2002 के सूखे से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए 30 जुलाई, 2002 को गठित सूखा संबंधी कार्य-बल को 30 जून, 2003 को समाप्त कर दिया गया था। इसके दिशानिर्देशों के तहत अत्यन्त गंभीर सूखे की स्थिति से 13,002 करोड़ रुपए की केन्द्रीय राहत सहायता, जिसमें प्रभावित राज्यों को दी गई 4215 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तथा 8787 करोड़ रुपए की खाद्यान्न सहायता शामिल है, से सफलतापूर्वक निपटा गया था।

(ख) से (घ) दसवीं योजना को तैयार करने के लिए पशुपालन संबंधी कार्यकारी दल द्वारा प्रक्षेपित अनुमानों के अनुसार, 1594 मिलियन टन के चारे की आवश्यकता की तुलना में लगभग 833 मिलियन टन चारा उपलब्ध है। 761 मिलियन टन की कमी में 635 मिलियन टन हरा चारा तथा 126 मिलियन टन सूखा चारा शामिल है। गोपशु संख्या में बढ़ोत्तरी, तीव्र शहरीकरण, खाद्यान्नों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से सूखे चारे की कम उत्पादकता तथा बार-बार की प्राकृतिक आपदाएं आदि जैसे कारकों ने इस कमी में योगदान दिया है। जबकि चारा आपूर्ति को बढ़ाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्यों का है, केन्द्र सरकार ने अनुमानित कमी को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये इस प्रकार हैं:

(1) संबंधित विस्तार क्रियाकलापों सहित चारा उत्पादन बढ़ाने में राज्यों की सहायता के लिए चारा बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों के उत्पादन के लिए सात क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्रों को शामिल करते हुए केन्द्रीय चारा विकास संगठन तथा एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म की स्थापना।

(2) राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को चारा मिनिकिटों की निशुल्क वार्षिक आपूर्ति।

[अनुवाद]

पशु पालन विकास

796. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में पशुपालन विकास की योजनाओं पर किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र में पशुपालन से संबंधित बहुत-सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण तथा विगत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र को जारी धनराशि का **विवरण** संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	हिमाचल प्रदेश			महाराष्ट्र		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना	0.00	220.00	100.00	0.00	0.00	860.00
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	भारवाही पशुओं का विकास एवं संरक्षण	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	8.44
5.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	21.05	59.87	27.40	0.00	0.00	0.00
6.	समेकित नमूना सर्वेक्षण	14.00	15.70	17.85	12.00	10.40	25.00
7.	बूचड़खानों/पशुधन उपयोगिता केन्द्रों का आधुनिकीकरण/सुधार	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	0.00
8.	पशुधन संगणना$	0.00	1.91	32.00	0.00	29.64	285.00
9.	पशुरोग नियंत्रण	38.50	24.50	67.16	77.00	50.78	91.20
10.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	25.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00
11.	व्यावसायिक दक्षता विकास	0.25	5.25	3.20	0.00	0.00	28.84
12.	मुहंपका तथा खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
	कुल	121.30	348.23	269.61	169.00	190.82	1445.48

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की उमान परियोजना

797. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनराशि न मिलने के कारण महाराष्ट्र में उमान परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य महाराष्ट्र की हुमान परियोजना की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की हुमान परियोजना अनुमोदित परियोजना नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि परियोजना प्रस्ताव के तहत डाइवर्टिड वन क्षेत्र के वर्तमान निवल मूल्य के मुद्दे का समाधान न होने के कारण हुमान परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार ऐसी निर्माणाधीन अनुमोदित वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत निधि मुहैया करा रही है जो पूरा होने की अन्तिम अवस्था में हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

798. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषरूप से विभिन्न राज्यों में पानी की कमी वाले जिलों में लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और इसके पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। विभिन्न

राज्यों में विशेषकर जल की कमी वाले जिलों के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि केन्द्र सरकार निर्माणाधीन पूरा होने की अन्तिम अवस्था वाली अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, और विशेष श्रेणी के राज्यों तथा उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) उपलब्ध करा रही है। मार्च, 2004 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 14,670 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

जल संरक्षण तकनीक

799. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को ड्रिप सिंचाई जैसी जल संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्य योजनाओं द्वारा राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण (बृहत प्रबंधन) क्रियान्वित कर रहा है जिसमें "कृषि में प्लास्टिक के उपयोग का विकास" इसके घटकों में से एक है। उपर्युक्त घटक के अंतर्गत देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में सत्रह सुव्यवस्थित कृषि विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में किसानों को ड्रिप सिंचाई जैसी उन्नत सिंचाई तकनीकें अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

कृषि निवेश का अनुपात

800. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि निवेश के अनुपात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में दूसरी पीढ़ी के सुधार पर जोर देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में निवेश अनुपात में वृद्धि की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, (सी.एस.ओ.) के आकलन के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में सम्बद्ध क्षेत्रों को छोड़ते हुये कृषि में कुल पूंजी निर्माण (निवेश) का अनुपात 1990-91 में 1.9% से घटाकर 1998-99 में 1.3 हो गया। यद्यपि यह 1999-2000 में बढ़कर 1.4% हो गया, फिर भी यह 2000-01 में घटकर 1.3% हो गया और 2001-02 तथा 2002-03 में इसी स्तर पर बना रहा।

(ग) से (च) कृषि में विकास तथा निवेश में वृद्धि करने के लिये सरकार ने प्रमुखता तथा प्राथमिकता के साथ ध्यान दिये जाने के लिए अभिवृद्धि क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दोगुना करना, उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये किसानों को मण्डी/मूल्य सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली उत्पादन में हानि के लिये फसलों का बीमा, अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन तथा बागवानी सहित विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों के तहत किसानों को सहायता और मण्डी सुधार शामिल हैं। प्रत्यक्ष विपणन और संविदा फार्मिंग के प्रोत्साहन और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में प्रतियोगी कृषि मण्डियों के विकास की पहचान इस क्षेत्र में सुधार के लिये प्रमुख क्षेत्र के रूप में की गई है जिसके लिये अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राज्य अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है।

मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा

801. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने लोगों ने वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए;

(ख) क्या सरकार ने मृतकों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खेल अवसंरचना पर खर्च की गई राशि

802. श्री सुरेश कलमाडी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान खेल अवसंरचना, कोचिंग कैंपों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त राशि में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल अवस्थापना, प्रशिक्षण शिविरों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर पर खर्च की गई धनराशि क्रमशः 90.07 करोड़ रु., 11.50 करोड़ रु. तथा 34.23 करोड़ रु. थी।

(ख) विशेष वर्ष के दौरान योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षाओं की समीक्षा अगले वर्ष की वार्षिक योजना को तैयार करते समय की जाती है तथा तदनुसार आवंटन मांगा जाता है। खेल अवस्थापना से संबंधित योजनाओं के लिए दसवां योजनागत आवंटन 312.61 करोड़ रु. है। प्रशिक्षण शिविर तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता से संबंधित योजना के दो घटक हैं तथा इस योजना के लिए दसवां योजनागत आवंटन 106.50 करोड़ रु. है।

बाढ़ प्रभावित राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीवों की सुरक्षा

803. श्री किरिप चालिहा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों में दुर्लभ वन्य जीवों के जीवन की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) वर्ष के दौरान, राज्य से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोनों में, अभी तक बाढ़ का प्रकोप अधिक नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए अन्य गतिविधियों के साथ-साथ, प्रभावी संचार हेतु नौका उपलब्ध कराने के लिए, बाढ़ के दौरान वन्य जीवों को आश्रय देने के लिए उच्च भूमियों का रख-रखाव और उद्यानों में संकटापन्न वन्यजीवों के बचाव के लिए भी निधियों का उपयोग किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घायल वन्य जीवों को तत्काल चिकित्सीय उपचार करने के लिए एक वन्यजीव बचाव केन्द्र स्थापित है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे जीवों की सुरक्षा के लिए भी नजदीकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की गति पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

कार्बनिक कृषि उत्पादों का निर्यात

804. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 300 करोड़ रुपए के कार्बनिक कृषि उत्पादों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की रासायनिक प्रदूषण से सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार के पास समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की एक स्कीम है जिसमें कार्बनिक खादों और जैव उर्वरकों के संयोजन से रासायनिक उर्वरकों का मृदा परीक्षण आधारित युक्तिसंगत उपयोग शामिल है। फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद, वर्मिनकम्पोस्ट और जैव उर्वरकों जैसे पोषक तत्वों के कार्बनिक स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया गया है।

कृषि उत्पादों के रासायनिक प्रदूषण को न्यूनतम बनाने के लिए समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) पादप संरक्षण कार्यनीति का मुख्य आधार-स्तंभ है। समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) के अंतर्गत मुख्य कार्यकलापों में पूर्व चेतावनी हेतु नाशक जीव मानीटरन, किसानों के खेतों में प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण तथा जैव नियंत्रक एजेन्टों का उत्पादन और उन को खेतों में छोड़ा जाना और पारिस्थितिकी अनुकूल जैव कीटनाशकों का उत्पादन शामिल है।

दिल्ली में वाहनीय प्रदूषण

805. श्री अधीर चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी एन जी लागू करने के बावजूद भी दिल्ली में वाहनीय प्रदूषण बेरोकटोक बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान दिल्ली में वाहनीय प्रदूषण 64 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने 2004-05 में दिल्ली में वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की संभावना को ध्यान में रखते हुए वाहनीय प्रदूषण को रोकने हेतु अब तक कोई निरोधात्मक उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) अनुमान है कि दिल्ली में उत्पन्न कुल वायु प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का 64-72 प्रतिशत योगदान है। तथापि, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सी एन जी की शुरुआत समेत किए गए विभिन्न उपायों के कारण दिल्ली की परिवेशी वायु गुणता में सुधार हुआ है। दिल्ली के सभी स्थानों पर सल्फर डाई-आक्साईड (18%), श्वसनीय निलम्बित विविक्त पदार्थ (14%) और कार्बन मोनोक्साईड (13%) की दृष्टि से वायु प्रदूषण के स्तरों में कमी देखी गई है।

(ग) दिल्ली में वाहनजनित प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

* 2.10.1998 से दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लागू मास रेपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम को चरणों में शुरू करना।
* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सी एन जी से चलने वाली बसों को छोड़कर 8 वर्ष पुरानी स्टेज कैरेज बसों और कान्ट्रेक्ट कैरेज बसों को चलाने पर प्रतिबंध।
* नए वाहनों के लिए निर्माण प्रावस्था में ही आटो एग्जास्ट उत्सर्जन मानकों का प्रवर्तन।
* दिल्ली के सभी पेट्रोल पम्पों पर दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए केवल पूर्व-मिश्रित तेल (पेट्रोल और 2-टी-आयल) की आपूर्ति।
* 1..4.2000 से केवल उन निजी गैर-व्यापारिक वाहनों (कारें) का पंजीकरण जो यूरो-2/भारत स्टेज-2 उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं।
* दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा गश्ती (मोबाइल) प्रवर्तन दल के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की नियमित जांच करना।
* यातायात को निर्बाध रूप से चलाने के लिए भीड़ वाली सड़कों पर फ्लाई ओवर बनाना।

चीनी उद्योग में सुधार

806. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चीनी उद्योग में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुधारों के परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए चीनी उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र में लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त सुधार कब तक लागू कर दिए जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को सितम्बर, 2005 तक जारी रखने तथा फरवरी, 2005 में स्थिति की समीक्षा करने का निर्णय किया है।

(ग) से (च) इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

एशियाई शेरों की संख्या में कमी

807. डा. एम. जगन्नाथ: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गिर वन के एशियाई शेरों की संख्या में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रजातियों के संरक्षण तथा उनकी संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई/की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। इसके विपरीत एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जो 1995 में 304 थी तथा 2001 में बढ़कर 327 हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार शेरों के वास-स्थलों की सुरक्षा तथा संरक्षण और उनकी आबादी में बढ़ोत्तरी के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चूंकि शेर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में आता है, इस प्रकार इसे विद्यमान कानूनों के तहत सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न और मिट्टी के तेल के वितरण हेतु मोबाइल वैन

808. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों, मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु कितनी मोबाइल वैन उपलब्ध हैं और इस समय कितनी कार्य कर रही हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ और कितनी मोबाइल वैनों की आवश्यकता है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(घ) क्या उक्त वाहनों के रखरखाव तथा परिचालन हेतु भी वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस कारण से राज्य सरकार को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु भी अनुदान दिया जाएगा;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1985-86 से 2001-2002 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना "मोबाइल वैनों/ट्रकों की खरीद" के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1569 मोबाइल वैनों/ट्रकों की मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र में दरवाजे पर सुपुर्दगी योजना, अर्थात् सरकारी वाहनों द्वारा उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की आपूर्ति के अधीन फिलहाल सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समन्वित आदिम विकास कार्यक्रम क्षेत्र में क्रमश: 90 और 115 वाहन चल रहे हैं। तथापि, इन वाहनों के जरिए मिट्टी के तेल की सुपुर्दगी नहीं की जाती है। इनमें से समन्वित आदिम विकास कार्यक्रम क्षेत्र से 39 वाहन काम नहीं कर रहे हैं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्हें इस उद्देश्य के लिए और 76 वाहनों की आवश्यकता है।

(ग) से (छ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना, "मोबाइल वैनों/ट्रकों की खरीद" को दसवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात अप्रैल, 2002 से बंद कर दिया गया है। अत: फिलहाल केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है।

खाद्यान्नों का भंडार

809. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं तथा चावल की कुल कितनी मांग और कुल भंडार कितना था;

(ख) खाद्यान्नों का वर्तमान भंडार कितना है और 2004-05 के दौरान भंडार में कितनी वृद्धि/गिरावट की संभावना है;

(ग) क्या लाखों लोग भारी भंडारों के बावजूद भी भूख से मर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश

प्रसाद सिंह): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन आबंटन अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। विगत दो वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का दिया गया कुल आबंटन निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़
2002-03	452.69	444.31	897.00
2003-04	445.23	428.83	874.06

31.3.2003 और 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की स्टाक स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	चावल	गेहूं	जोड़
31.3.2003	171.57	156.45	328.02
31.3.2004	132.77	68.93	201.70

(ख) 31.05.2004 की स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल की वर्तमान स्टाक स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	चावल	गेहूं	जोड़
31.5.2004	122.51	193.90	316.41

2004-05 का प्रत्याशित स्टाक निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	चावल	गेहूं	जोड़
1.7.2004	113.00	198.00	311.00
1.10.2004	70.00	151.00	221.00
1.1.2005	135.00	109.00	244.00

वास्तविक स्टाक स्थिति वास्तविक वसूली और विभिन्न राज्यों द्वारा उठान पर निर्भर करेगी।

(ग) किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भुखमरी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पशुधन का अवैध निर्यात

810. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्राजील में पाला जा रहा 80 प्रतिशत पशुधन भारतीय नस्ल का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्राजील को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के पशुधन वीर्य की अवैध तस्करी की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जाएगी तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि की वृद्धि दर में कमी

811. श्री निखिल कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि की वृद्धि दर में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि की वृद्धि दर में अत्यधिक कमी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(घ) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार कृषि में वृद्धि दर 2001-02 में 6.8% तक बढ़ गई है। यद्यपि कृषि वृद्धि 2002-03 में 5.2% तक घट गई, फिर भी इसके 2003-04 में बढ़कर 9.1% तक होने का अनुमान है।

(ग) 2002-03 के दौरान कृषि वृद्धि में 5.2% तक की तीव्र गिरावट का कारण गम्भीर सूखे की स्थिति थी जिसने देश के विभिन्न भागों को प्रभावित किया, जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून से अपर्याप्त और अल्प वर्षा हुई थी। परिणामतः क्षेत्र और पैदावार में गिरावट से देश में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(घ) और (ङ) कृषि वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी करने के लिये सरकार ने प्रमुखता तथा प्राथमिकता के साथ ध्यान दिये जाने के लिये अभिवृद्धि क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दोगुना करना, उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये किसानों को मण्डी/मूल्य सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली उत्पादन में हानि के लिए फसलों का बीमा, अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन तथा बागवानी सहित विभिन्न कृषि फसल उत्पादन कार्यक्रमों के तहत किसानों को सहायता और मण्डी विकास शामिल है।

ई.पी.एफ. से गैर-भुगतान राशि

812. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाभार्थियों के पूर्ण पते की अनुपस्थिति अथवा आवेदन की गैर-प्राप्ति के फलस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि के पास गैर-भुगतान की धनराशि काफी मात्रा में पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक कल गैर-भुगतान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों के पते की सूची नहीं रखता है। इस योजना के तहत, जब भी कोई सदस्य दावे के निपटान के लिए आवेदन करता है तब उसके दावे का निपटान कर दिया जाता है। दिनांक 31.03.2004 तक बेदावा जमा खाते में 942.95 करोड़ रुपए की राशि (अपरीक्षित) है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों के दावों का निपटान निरन्तर कर रहा है।

विवरण

बेदावा जमा खाता

क्र.सं.	क्षेत्र	अपरीक्षित शेष 31.03.2004 तक
1.	आंध्र प्रदेश	2,732,330,363.84
2.	बिहार	640,455.03
3.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं
4.	दिल्ली	66,808,740.59
5.	गोवा	39,594,861.85
6.	गुजरात	145,408,403.31
7.	हरियाणा	61,630,571.60
8.	हिमाचल प्रदेश	136,194,000.00
9.	झारखंड	503,214.65
10.	कर्नाटक	187,803,321.00
11.	केरल	1,742,889.70
12.	मध्य प्रदेश	3,029,590.24
13.	महाराष्ट्र	655,406,384.35
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,281,910.58
15.	उड़ीसा	1,142,242.08
16.	पंजाब	136,218,885.37
17.	राजस्थान	11,676,844.14
18.	तमिलनाडु	388,485,085.12
19.	उत्तरांचल	26,790,140.43
20.	उत्तर प्रदेश	107,160,561.73
21.	पश्चिम बंगाल	4,722,863,195.32
	कुल	9,429,511,660.93

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री शीश राम ओला): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 31 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/4/2003-पीएण्डडी: में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 792 जो 27 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं के लिए ''मुद्रण प्रौद्योगिकी'' तथा तकनीकी शिक्षुओं के लिए ''पैकेजिंग प्रौद्योगिकी'' विषय क्षेत्रों को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 112/04]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 113/04]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हाइड्रोलाजी, रुड़की के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हाइड्रोलाजी, रुड़की के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 114/04]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2001-2002 को कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 115/04]

(ख) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 116/04]

(ग) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 117/04]

(घ) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 118/04]

(ङ) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 119/04]

(च) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 120/04]

(3) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 121/04]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 122/04]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 123/04]

(4) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 124/04]

(6) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 125/04]

(8) (एक) आल इंडिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 126/04]

(10) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43(अ) जो 14 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 23 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 127/04]

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन इन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कोसी-कतरमाल, अल्मोड़ा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन इन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कोसी-कतरमाल, अल्मोड़ा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 128/04]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून, के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून, के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 129/04]

(5) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर, के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर, के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 130/04]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय भण्डागार निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वि रण मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 131/04]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2004 जो 24 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 132/04]

अपराह्न 12.03 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

नारियल विकास बोर्ड

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम, 4(1) (एक) तथा (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4)(ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम, के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम, 4(1) (एक) तथा (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4)(ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम, के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 357 के अंतर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

6 जुलाई, 2004 को इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया था कि स्टाम्प पेपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त, अब्दुल करीम तेलगी और अनिल गोटे के साथ मेरे 'सम्बन्ध' हैं। इस आरोप की पुष्टि के लिए एक फोटो भी दिखाया गया था।

महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। चूंकि यह आरोप धुले, महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक समारोह के अवसर पर लिए गए फोटो के आधार पर लगाया गया है इसलिए मैं आपके तथा सभा के सामने तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

जून, 1999 में एक दिन मुझे परमवीर चक्र विजेता श्री अब्दुल हमीद का स्मारक बनाने हेतु गठित संयोजक समिति की

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

ओर से महाराष्ट्र के विधायक श्री अनिल गोटे से सन 1965 में पाकिस्तान से लड़ते हुए अपनी जान-न्यौछावर कर देने वाले भारतीय सेना के इस महान योद्धा की प्रतिभा का अनावरण करने हेतु एक निमंत्रण मिला था। यह निमंत्रण उस समय मिला जब कारगिल युद्ध चल रहा था। मैंने वह निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि जब कारगिल की लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो मैं इस समारोह में आऊंगा।

जून के अंत में मेरे कैबिनेट सहयोगी श्री राम जेठमलानी ने मुझसे संपर्क साधा और यह आग्रह किया कि मैं जुलाई के शुरू में कुछ समय निकालूं। मुझे यह भी बताया गया कि इस समारोह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण राणे और उप-मुख्यमंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे भी शामिल होंगे।

मैं 2 जुलाई, 1999 को सात बजे दिल्ली से चला और इंडियन एयरलाइंस की उड़ान से रात्रि 8.55 बजे मुंबई पहुंचा तथा रात्रि में एयरपोर्ट के विश्रामगृह में ठहरा। 3 जुलाई को मैं श्री नारायण राणे, श्री गोपीनाथ मुंडे और श्री राम जेठमलानी के साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार के विमान में प्रातः 9.00 बजे सवार हुआ और 11.00 बजे धुले पहुंचा। परमवीर चक्र विजेता, अब्दुल हमीद के स्मारक का उद्‌घाटन समारोह धुले में पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक चला। समारोह समाप्त होने के बाद हम—मैं, श्री नारायण राणे, श्री गोपीनाथ मुंडे और श्री राम जेठमलानी—धुले से महाराष्ट्र राज्य सरकार के विमान में अपराह्न 3.30 बजे सवार हुए और अपराह्न 5.30 बजे मुंबई पहुंचे। मैं उसी दिन रात्रि 8.00 बजे इंडियन एयरलाइंस की उड़ान में दिल्ली के लिए सवार हुआ।

मुझे श्री और श्रीमती गोटे को छोड़कर समारोह मंच पर उपस्थित लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यदि किसी फोटो में अब्दुल करीम तेलगी को मंच पर दिखाया गया है जिससे मैं अपने जीवन में कभी नहीं मिला तो इसे 'सम्बन्ध' कहना कम से कम अनुचित ही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक माननीय सदस्य के बारे में सभा में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। वह वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का हकदार है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया आप बोलते रहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। मैंने उन्हें अनुमति दी है। आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं श्री गोटे को तब से जानता हूं जब उन्होंने श्री शरद जोशी के साथ मिलकर "शेतकारी संगठन" बनाया था जिसने देश के किसानों के अधिकारों के लिए असंख्य लड़ाइयां लड़ीं, जिसके लिए उन्हें पीटा गया और कई बार जेल भेजा गया। एक मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में मैं प्रायः उनके आंदोलन में भाग लेता था। *...(व्यवधान)* जब 'शेतकारी संगठन' समाप्त हो गया तो मेरा उन दोनों से सम्बन्ध टूट गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अक्तूबर, 2002 में एक दिन महाराष्ट्र के तत्कालीन विधायक श्री अनिल गोटे ने श्री नीतीश कुमार और श्री राम जेठमलानी के साथ मुझे कारगिल युद्ध के शहीद धुले निवासी श्री पाण्डुरंग सूर्यवंशी और डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का अनावरण करने तथा एक जनसभा में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया। 26 अक्तूबर, 2002 को श्री नीतीश कुमार और मैं दिल्ली से जेट एयरवेज की उड़ान में अपराह्न 2.00 बजे सवार हुए और अपराह्न 3.55 बजे मुंबई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहुंचे। श्री राम जेठमलानी, जिन्हें इस समारोह हेतु आमंत्रित किया गया था, हमें मुंबई में मिले और हम तीनों अपराह्न 4.05 बजे मुंबई से आई.ए.एफ के हेलिकाप्टर में सवार होकर अपराह्न 5.40 बजे धुले पहुंचे। तत्पश्चात् प्रतिमाओं के अनावरण का समारोह और जनसभा का कार्यक्रम सायं 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक हुआ। ये कार्य सम्पन्न होने के तत्काल बाद श्री नीतीश कुमार उसी रात अपने अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु रेलगाड़ी से अहमदाबाद चले गए। श्री राम जेठमलानी पुणे चले गए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही यह कहा है कि माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं उसी रात नासिक चला गया जहां अगले दिन रविवार को मैंने नासिक में प्रात: 10.30 बजे भोंसाला मिलीट्री कालेज में 14वीं राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन कांग्रेस को संबोधित किया और तत्पश्चात अपराह्न 2.00 बजे माधवराव लिमये स्मारक व्याख्यान दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मामले पर अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभार व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं कहना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इनको माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने इस तरह से एलीगेशन लगाए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन सबको क्षमा मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अब मामले पर अपना निर्णय दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप बाधा न पहुंचाए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर विनिर्णय दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप माननीय अध्यक्ष को बात कहने में बाधा नहीं पहुंचा सकते। मैं एक महत्वपूर्ण मामले पर विनिर्णय दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले नियम 357 के तहत मैंने यह सवाल उठाया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, आप अध्यक्ष को अपनी बात कहने में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर विनिर्णय दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, मैं उन्हें बैठने के लिए कह रहा हूं। आप इसे मुश्किल क्यों बना रहे हैं? मैं आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे मुश्किल कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक महत्वपूर्ण मामले पर विनिर्णय देने जा रहा हूं। श्री यादव, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया अध्यक्षपीठ को बात कहने में बाधा न पहुचाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमें भी निवेदन करना है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपको निवेदन करने से कौन मना कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने की परमीशन दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर अपना निर्णय दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह साफ है कि आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप सबको बैठ जाना चाहिए। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी दिखाया नहीं जा सकता। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये। मैं बोलने के लिए हूं। मुझे अप्रिय कार्यवाही करने के लिए बाध्य न करें। ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री फर्नान्डीज, मैं सभा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक विनिर्णय देना चाहता हूं। कृपया मुझे अप्रिय कार्यवाही करने के लिए बाध्य न करें। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। आप अध्यक्षपीठ को अपना विनिर्णय देने में बाधा पहुंचा रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब कोई कार्य नहीं है। कृपया बैठ जाइये। मैं किसी व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): यह क्या तरीका है? ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, ये पोस्टर नहीं दिखा सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये न।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आप वह पोस्टर यहां नहीं दिखा सकते। आपको यह पता होना चाहिए। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठिये। आप अध्यक्ष नहीं हैं। मैं सभा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं और मामले को पेचीदा न बनाएं। मैं एक विनिर्णय देने जा रहा हूं। आपमें अध्यक्ष का विनिर्णय सुनने का धैर्य नहीं है। क्या सभा चलाने का यही तरीका है? हमारे बारे में प्रत्येक व्यक्ति क्या कह रहा है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: फिर हम अपनी बात कब कह सकते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब आपको अध्यक्षपीठ द्वारा अनुमति दी जाए तो आप उचित समय पर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब आपको अध्यक्षपीठ द्वारा अनुमति दी जाए तो आप बोल सकते हैं। इसे यहां समझा जाना चाहिए।

अपराह्न 12.13 बजे

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

मंत्रियों के विरुद्ध गंभीर स्वरूप के आरोपों वाले मुद्दे उठाने की सूचनाओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, 9 जुलाई, 2004 को मुझे सर्वश्री अनंत कुमार और डी.वी. सदानंद गौड़ा से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक सरकार के अन्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध गंभीर स्वरूप के आरोपों वाले मुद्दे उठाने की मंशा व्यक्त की है। जहां श्री सदानंद गौड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री दोनों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं वहीं श्री अनंत कुमार ने अपनी सूचना में आरोपों को केवल पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के एक मंत्री तक सीमित रखा है। ये आरोप, जैसाकि सूचनाओं से पता चलता है, ''स्टाम्प पेपर घोटाला मामले'' के संबंध में बंगलोर में अतिरिक्त चीफ पेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए अर्थपूर्ण अभिसाक्ष्य पर आधारित प्रतीत होते हैं। मामले की वर्तमान स्थिति से इस बात का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है अथवा नहीं।

मैंने 9 जुलाई, 2004 के अपने विनिर्णय में इन दोनों सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया था और 9 जुलाई, 2004 को सभा में इस विषय पर दी गई अपनी टिप्पणी में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के बारे में इस संबंध में निर्धारित नियमों और प्रथाओं का पालन किए जाने की आवश्यकता है।

अब मैं उन कारणों को बताना चाहता हूं जिनकी वजह से मैंने इन सूचनाओं को अस्वीकृत किया। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 353 एक विशिष्ट नियम है, जो इस प्रकार है:

> ''किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके:
>
> परंतु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।''

यह नियम है। माननीय सदस्यों द्वारा दी गई दोनों सूचनाएं नियम 353 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। चूंकि लोक सभा अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी अत: मैंने माननीय सदस्यों को इन मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि ये आरोप मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप के थे।

कौल एण्ड शकधर की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया नामक पुस्तक (पांचवां संस्करण) में नियम समिति, जिसने इस नियम का प्रस्ताव किया है, की टिप्पणियां दी गई हैं और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए पृष्ठ 927 और 928 से संबंधित अंशों को उद्धृत करता हूं:

> ''किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक वक्तव्य देना या अपराधात्मक स्वरूप का आरोप लगाना संसदीय वाद-विवाद संबंधी नियमों तथा शिष्टाचार के विरुद्ध है और स्थिति उस समय और खराब हो जाती है यदि ऐसे आरोप उन व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये जायें जो सदन में अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं हैं। सदन को एक ऐसा मंच भी नहीं बनाया जाना चाहिए जहां पर व्यक्तियों के आचरण तथा चरित्र पर विवाद खड़ा किया जाए क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, उसके पास विशेषाधिकार प्राप्त सदन में दिए गए भाषण के विरुद्ध कोई उपचार नहीं है। लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए आमतौर पर यह अनिवार्य है कि सदस्य स्वेच्छा से संयम बरतें और ऐसे नितांत आवश्यक मामलों में ही आरोप लगायें जहां पर जनहित की बात निहित हो। ऐसे मामलों में भी यह आवश्यक है कि संबंधित मंत्री को मामले की जांच करने और संबंधित व्यक्ति की ओर से आवश्यक हो तो बचाव करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
>
> सदस्यों द्वारा ऐसे आरोप लगाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना भी उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना जिम्मेदार सदस्यों के रूप में अपने दायित्वों का निवर्हन करने के उनके मार्ग में बाधक होगा। जहां, किसी सदस्य को इस बात पर पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह किसी भी ऐसे मामले की ओर सदन का ध्यान दिला सके, जिसे उचित जांच के बाद वह समझता है कि उठाया जाना चाहिए, चाहे उसमें किसी व्यक्ति के चरित्र या प्रतिष्ठा का प्रश्न निहित हो, वहीं उसे सार्वजनिक नैतिकता तथा उच्च संसदीय शिष्टाचार के हित

[अध्यक्ष महोदय]

में ऐसा करने के अपने आशय के बारे में अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना देनी चाहिए। इससे मंत्री को मामले की पहले से जांच करने और उत्तर देने के लिए तैयार होकर आने का भी अवसर मिलेगा। इसके साथ ही अध्यक्ष को भी इस बारे में अपना समाधान करने का अवसर मिलेगा कि सदस्य ने समुचित जांच कर ली है और उसके पास अपने आरोपों के समर्थन में प्रथम दृष्टया प्रमाण है।''

कौल एण्ड शकधर की पुस्तक संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के पृष्ठ 928 में और आगे यह कहा गया है,-

''जब तक अध्यक्ष तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना नहीं दी जाती, तब तक किसी सदस्य को सदन में आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। जब इस अपेक्षा को पूरा किए बिना आरोप लगाये जाएं तो सभा में उस पर किसी भी सदस्य द्वारा आपत्ति उठायी जा सकती है और ऐसे मामले में पीठासीन अधिकारी उस आपत्ति को स्वीकार कर सकता है और सदस्य को उस विषय पर आगे बोलने से मना कर सकता है। जब आरोप निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना लगाये जाएं तो पीठासीन अधिकारी स्वतः उन आरोपों पर आपत्ति कर सकता है। समुचित मामले में सदस्य से आरोप वापस लेने के लिए कहा जा सकता है अथवा पीठासीन अधिकारी कार्यवाही से उन आरोपों को हटाने के लिए भी आदेश दे सकता है, यद्यपि ऐसा केवल विशेष मामलों में ही किया जाता है।''

कौल एंड शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 931 पर बाहर के व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जैसा कि अध्यक्षपीठ के द्वारा 17 दिसम्बर, 1970 को निर्धारित की गयी थी, दी गयी है जो इस प्रकार है:

''1. किसी सदस्य को बाहर के व्यक्ति के विरुद्ध तब तक आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को उसकी पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति न ले ली हो। ऐसी सूचना में संबंधित व्यक्ति का नाम और उसके विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोप का स्वरूप बताया जायेगा तब यह दिखाने के लिए कुछ साक्ष्य दिया जाएगा कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

2. जब कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर के किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाता है तो उसे सभा के कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।''

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गए आरोपों के मामले में यह संबंधित मंत्री पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो सभा में वक्तव्य दे।

जब बाहर का कोई व्यक्ति अपने अभ्यावेदन में आरोप के विरुद्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो अध्यक्ष अपने विवेक से मामले को सरकार को अथवा याचिका समिति को जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए भेज सकता है।''

इन परिस्थितियों में, मैं श्री अनन्त कुमार का मामला उठाने के लिए अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं था क्योंकि जिस मामले की उन्होंने सूचना दी थी उसे उठाना उनके लिए अनुज्ञेय नहीं था।

जहां तक श्री सदानंद गौड़ा की सूचना का संबंध है जिसमें अन्य बातों के साथ केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाने का प्रस्ताव है, मैं सभा का ध्यान कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 931 की ओर पुनः दिलाना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि सभा में आरोप लगाने से पहले किसी सदस्य के लिए अध्यक्ष को केवल सामान्य रूप में सूचना देना ही काफी नहीं है। इसके लिए यह आवश्यक है कि:

(एक) सदस्य अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पर्याप्त समय पहले सूचना दे,

(दो) जो आरोप लगाये जाने हैं उनका स्पष्ट विवरण दिया जाए और उनके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी साथ लगाए जाएं जिन्हें सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जाएं,

(तीन) सदस्य सभा में आरोप लगाने से पहले जांच करने के बाद स्वयं यह समाधान करें कि आरोपों को लगाने का कोई आधार है,

(चार) सदस्य आरोपों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और

(पांच) सदस्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए तैयार है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मंत्रियों सहित कुछ पदाधिकारियों के आचरण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत रूप में तैयार किए गए समुचित प्रस्तावों के माध्यम से की जा सकती है। चूंकि नियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने श्री सदानंद गौड़ा की सूचना को अस्वीकृत कर दिया है। तथापि, यदि कोई नई सूचना दी जाती है जिसमें नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है, तो मैं उस मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर पुनर्विचार कर सकता हूं।

चूंकि मामला महत्वपूर्ण है और कई अवसरों पर आरोप लगाए जाते हैं, अतः मैंने महसूस किया कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

अपराह्न 12.25 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जहां तक आज की सूची के लिए नियम 377 के अधीन मामलों का संबंध है उन्हें सभा पटल पर रखा माना जायेगा।

(एक) कृषि क्षेत्र में अधिक सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित किए जाने तथा इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): गत एक दशक के दौरान घटते सरकारी निवेश के कारण कृषि को हानि हुई है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता और उपज में बहुत कमी आयी है। घटिया गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक, दोषपूर्ण विद्युत आपूर्ति और संस्थागत जमाराशि में कमी और सिंचाई अवसंरचना के विकास में गिरावट की वजह से ग्रामीण रोजगार के अवसरं बहुत कम हुए हैं जो घटकर 1.7% वार्षिक से 0.5% वार्षिक रह गए हैं। इन सभी कारणों से अंततः किसान समुदाय बुरी तरह प्रभावित होता है और प्रायः आत्महत्या करने के गंभीर कदम उठा लेता है।

इसलिए, मैं सरकार से कृषि में और अधिक सरकारी निवेश सुनिश्चित करने, जैव कृषि पर बल देने, भंडारण और परिवहन सुविधाओं को सुधारने और सिंचाई क्षमताओं का पुनरुद्धार करने जैसी कुछ प्राथमिकताओं के लिए आग्रह करता हूं जिन पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। यदि आवश्यकता हो, सरकार को कृषि क्षेत्र, ग्रामीण जीवन को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल देना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों पर शीघ्र विचार और कार्यान्वयन से देश में ग्रामीण विकास को सामान्यतः प्रोत्साहन मिलेगा विशेषकर आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास का कार्य हो सकेगा।

(दो) उड़ीसा के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में देश के कोने-कोने में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का वादा किया है। यह बात माननीय वित्त मंत्री द्वारा 8 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किये गये बजट में भी परिलक्षित होती है। मेरे बरहामपुर (उड़ीसा) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं हैं, सात एन.ए.सी. और सोलह ब्लाक हैं। गत 25 वर्षों से यह सारा निर्वाचन क्षेत्र पेयजल की भारी कमी का सामना कर रहा है। राज्य सरकारें पहले भी वायदे करती रही हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को इस समस्या विशेषकर बरहामपुर शहर, जो दक्षिणी उड़ीसा का केन्द्र है और जहां तीन लाख लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं, को सुलझाने के लिए प्रस्ताव भेजने का निदेश दें।

(तीन) कश्मीरी प्रवासियों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड (मुंबई उत्तर-मध्य): मैं सरकार का ध्यान कश्मीरी पंडितों सहित उन विस्थापित कश्मीरियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करता हूं जिन्हें घाटी में अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है तथा अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह मजबूर हैं। धनी परिवारों से संबंध रखने के बावजूद कश्मीरी युवक देश के अनेक भागों में गरीबी का जीवन जी रहे हैं।

बांद्रा और खरबाड़ी की मलिन बस्तियां गरीबी में दो जून की रोटी जुटाने का प्रयास कर रहे कश्मीर प्रवासियों के दुखी जीवन की कहानी बताती हैं। रोजी-रोटी का काम न मिलने के कारण कश्मीरी महिलाएं और बच्चे दर-दर भीख मांगते फिरते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही राज्य शैक्षिणिक संस्थाओं में कश्मीरी प्रवासियों के लिए कोटा आरक्षित कर रखा है। मेरा सुझाव है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य और संघ राज्य सरकारें अलग-अलग शैक्षणिक संस्थाओं और राज्य सरकार की सेवाओं में विशेष कोटा आरक्षित करें।

(चार) असम के करीमगंज में बी एस एन एल की मोबाइल सेवा सेल-वन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बार-बार की अपील और अभ्यावेदन के बावजूद, बी एस एन एल प्राधिकरण ने करीमगंज में सेलवन मोबाइल सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई पहल नहीं की है। दक्षिण असम (करीमगंज, हैलकांडी और कछार जिले) में मोबाइल सेवा के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, करीमगंज के प्रस्तावित उपभोक्ताओं ने जमानत राशि जमा करके मोबाइल सेवा के लिए आवेदन किया। करीमगंज को छोड़कर सभी जिलों के उपभोक्ताओं को दिनांक 24 मार्च 2004 को उक्त सेवा उपलब्ध करा दी गई। बीएसएनएल सीमावर्ती शहरों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराए जाने के संबंध

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री ललितमोहन शुक्लवैद्य]

में, गृह और रक्षा मंत्रियों की प्रतिबंधात्मक नीति का हवाला देकर इस भेदभाव को उचित ठहराना चाहता है। लेकिन इसके विपरीत, उक्त सेवा जम्मू और कश्मीर, पश्चिम त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा और मेघालय के गारो हिल्स जैसे अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है।

मैं केन्द्र सरकार से सेलवन मोबाइल सेवा करीमगंज, असम में उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार के बांका जिले में बार-बार आ रही बाढ़ पर नियंत्रण पाने तथा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत उपाय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): महोदय, 21 जून, 2004 को बिहार के बांका जिलान्तर्गत लक्ष्मीपुर डैम में अचानक 14 फीट पानी बढ़ जाने से आयी बाढ़ के कारण सात लोग डूब कर मर गए तथा हजारों एकड़ भूमि में लगी फसल बर्बाद हो गयी। इस बाढ़ से भागलपुर एवं बांका जिले के किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी। 1972 में चानन नदी पर पूरी की गयी इस डैम में लोहे का फाटक नहीं लगाया गया एवं 'स्लीप वे' पद्धति से अतिरिक्त पानी बहाने की व्यवस्था की गई। भारी वर्षा की स्थिति में यहां भयानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। 1995 के बाढ़ से अभी तक 5 बार भागलपुर को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा है। लक्ष्मीपुर डैम पर बिजली, जनरेटर, मोबाईल फोन, वायरलेस की कोई व्यवस्था नहीं है। ताकि रात्रि के समय अचानक पानी बढ़ने पर कोई तात्कालिक उपाय किया जा सके। अत: यह आवश्यक है कि लक्ष्मीपुर डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाये। डैम में लोहे का फाटक लगाया जाये ताकि आवश्यकतानुसार जल प्रवाहित हो। बाढ़ में टूटे चानन नदी एवं अन्य तटबंधों, सड़कों एवं मकानों की मरम्मत करायी जाये। बर्बाद हुई फसल, मारे गए लोगों के लिए मुआवजा दिया जाये। राहत कार्य चलाये जायें तथा लक्ष्मीपुर डैम पर बिजली एवं संचार सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

(छह) होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मिट्टी में सेलेनियम मौजूद होने के कारण हो रही रहस्यमय बीमारी की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदय, पंजाब प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर में जमीन के नीचे सेलेनियम नामक रसायन के कारण उक्त जिले के हजारों लोग रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गये हैं। जिससे उनके बाल झड़ने, नाखून खराब होने तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारी हो गयी हैं। यहां तक कि मवेशियों के सींग और खुर भी समय से पहले झड़ने लगे हैं। प्रदेश सरकार को बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा कोई कारगर कदम आज तक नहीं उठाया गया है। जिस कारण लोगों में भयंकर रोष व्याप्त है। कृषि विभाग ने जमीन को सिलेनियम के जहरीलेपन से मुक्त करने हेतु जमीन में जिप्सम नामक रसायन डालने का सुझाव दिया है, जिसके लिए किसानों को 25 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही गयी थी, किंतु उस पर भी प्रदेश सरकार द्वारा कोई अमल नहीं किया गया।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उक्त जिले में फैली बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार को इसकी रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने के लिए तुरन्त आदेशित करें ताकि लोगों को इस भयंकर रहस्यमय बीमारी से बचाया जा सके। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक धन राज्य सरकार को उपलब्ध करायें।

[अनुवाद]

(सात) अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में रानीघाट, पासीघाट में सियांग नदी पर बनाये जा रहे पुल के निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले में रानीघाट में सियांग नदी पर पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस संबंध में, मेरा कहना है कि दिनांक 19 अप्रैल, 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-52 पर रानीघाट में ब्रहमपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदी सियांग पर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। निर्माण कार्य मैसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड को दिया गया है और इसे पूर्वोक्त पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1992 में पूरा करना था। लेकिन, यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि गेमन इंडिया लिमिटेड ने 12 वर्षों के बाद भी नाममात्र के लिए केवल एक स्तंभ स्थापित करने के अतिरिक्त निर्माण कार्य को कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस मामले में आज तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं की है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पुल के पूर्वोक्त निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा कराने के लिए संबद्ध प्राधिकारी को समुचित निदेश दे।

[हिन्दी]

(आठ) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीना नदी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश सिंचाई की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है जबकि यहां का किसान काफी मेहनती है तथा खुरई एवं बीना का गेहूं काफी उत्कृष्ट श्रेणी में माना जाता है। लगभग 10-12 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश शासन द्वारा बीना नदी परियोजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा था, जो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। यदि यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो इससे सागर एवं विदिशा जिले के सैंकड़ों किसान लाभान्वित होंगे तथा हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सागर जिले की बीना नदी परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दिलाने का सहयोग करें, जिससे कि सागर एवं विदिशा जिले का किसान आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सके तथा सिंचाई एवं पेयजल की समस्याओं का निदान हो सके।

[अनुवाद]

(नौ) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): सामान्यत: ग्रामीण दूरसंचार सेवा की प्रगति, विशेषकर मेरे जिले, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बिलकुल भी संतोषजनक नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने नए दूरभाष केंद्र खोलने और केबल डालने के काम को रोक दिया है जिसके कारण हजारों वे ग्रामीण उपभोक्ता वंचित हो गये हैं जो वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार का वैकल्पिक तरीका डब्ल्यू एल एल सेवा है, लेकिन उसकी संख्या भी मौजूदा मांग की तुलना में काफी अपर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता भी बहुत ही घटिया है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से ग्रामीण उपभोक्ताओं को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने और साथ ही दूरसंचार सेवाओं में उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप सुधार करने हेतु समुचित नीतिगत निर्णय लेने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांच की औद्योगिक इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें रियायती दरों पर गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, फिरोजाबाद, उ.प्र. का कांच उद्योग विश्व विख्यात है। कभी यह उद्योग कोयला आधारित था लेकिन ताजमहल की सुरक्षा के नाम पर ये कोयला आधारित उद्योग बंद कर दिए गए तथा मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश से गैस की आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित हुआ। लेकिन इस कुटीर और लघु उद्योग को संचालित करने के लिए जितनी गैस की आपूर्ति की आवश्यकता है उससे कम गैस इन इकाइयों को मिल रही है। विकल्प के तौर पर जो गैस उपभोक्ताओं को देने की बात गैस आथरिटी आफ इंडिया द्वारा की जा रही है, वह अत्यधिक महंगी है, जिसे ये लघु और कुटीर उद्योग वहन करने की स्थिति में नहीं हैं और उनका उत्पाद बाजार से बाहर हो जायेगा। आवश्यक है इन इकाइयों को सस्ता और सुलभ ईंधन उपलब्ध कराया जाये ताकि ये इकाइयां लाभकारी बने और इनका विकास एवं विस्तार हो। यह सर्वमान्य है कि आज देश की जो बेरोजगारी की समस्या है वह इन्हें कुटीर और लघु उद्योगों के विस्तार से दूर की जा सकती है। फिरोजाबाद पिछड़ा क्षेत्र है, इन उद्योगों में लाखों लोग काम करते हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार गैल को निर्देशित करे कि वह भरपूर गैस की आपूर्ति फिरोजाबाद में स्थित औद्योगिक इकाइयों को करे, जिससे इस कांच उद्योग को संरक्षण मिले और लाखों लोगों को रोजगार से वंचित न होना पड़े।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के गनपुर गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि काचीगुडा से मनमाड रेलवे खंड में पूर्णा जंक्शन से दस किलोमीटर पर गनपुर गांव के पास रेलवे स्टेशन बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस गनपुर गांव के पास पच्चीस से तीस गांव जुड़े हुए हैं, जो कृषि उत्पादित माल को अन्य शहरों में पहुंचाने का काम करते हैं, परंतु यातायात के अभाव में यहां के लोगों को अपने कृषि उत्पादित माल को बेचने में काफी दिक्कत होती है और वे लोग अन्य यातायात का प्रयोग करते हैं, अगर इस गनपुर गांव में एक रेलवे स्टेशन बना दिया जाये तो इस गांव को पच्चीस से तीस गांव के किसानों को फायदा तो होगा ही और रेलवे को राजस्व भी मिलेगा। इस गनपुर गांव में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग पच्चीस सालों से की जा रही है, परन्तु अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गनपुर गांव के पास एक रेलवे स्टेशन शीघ्र बनाये जाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(बारह) उड़ीसा में हथकरघा उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एक वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (समबलपुर): उड़ीसा अपने हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में बुनकर अपना जीविकोपार्जन बुनाई से करते हैं जो कि रोजगार के मामले में कृषि के बाद दूसरे नंबर पर है। इस राज्य में अधिकांश बुनकर भूलिया, कोस्था और गुंडा समुदाय से संबंध रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हैं। वर्तमान में, प्रतिकूल बाजार स्थिति और अन्य संबंधित कारणों से बुनकर समुदाय की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। पश्चिम उड़ीसा में हथकरघा क्षेत्र जो कि अपनी टाई एंड डाई तकनीक के लिए प्रसिद्ध है उसे मिल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादित एक्यूलेटिड डिजाइन के अंतर्वाह के कारण नुकसान हो रहा है। भारत सरकार की बाजार विकास सहायता योजना (एम डी ए एस) में कमियों ने बुनकर सहकारी समितियों आदि पर भी बुरा प्रभाव डाला है। सम्बलपुरी वस्त्रालय हथकरघा सहकारी समिति पूरे देश में अपने प्रकार की सबसे बड़ी सहकारी समिति है। धुरंधर गांधीवादी स्वर्गीय श्री पद्मश्री कृतार्थ आचार्य द्वारा संस्थापित संगठन बड़ी संख्या में उड़ीसा के पददलित बुनकरों के आर्थिक आधार के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन अब यह संगठन गंभीर वित्तीय समस्याओं के कारण बंद होने के कगार पर है।

मैं भारत सरकार से राज्य के तथा उसके प्रतिनिधि संगठन अर्थात द सम्बलपुरी वस्त्रालय के लाखों बुनकरों की अनिश्चित स्थिति को गंभीरता से लेने और बुनकरों के हितों की रक्षा करने और सम्बलपुरी वस्त्रालय को पुन: चालू करने के लिए पैकेज की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।

(तेरह) संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी प्रशासन को पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार पंचायत चुनाव नियमित रूप से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात कराये जाने चाहिए, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में चुनाव पिछले 34 सालों से नहीं कराए गए हैं जिसके कारण स्थानीय व्यक्ति लोकतंत्र और विकास के लाभों से वंचित हो गये हैं। यह कहा गया है कि पांडिचेरी पंचायत अधिनियम में पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण से सम्बन्धित उपबंध की वैधानिकता से संबंधित मामला न्यायाधीन है। तमिलनाडु से संबंधित ऐसे ही मुद्दे पर चेन्नई स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए थे जिससे तमिलनाडु सरकार चुनाव करा पायी, तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को यथाशीघ्र पंचायत चुनाव कराने की सलाह दी है। लेकिन आज तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं और भारत सरकार इस संघ राज्य क्षेत्र को शीघ्र चुनाव करवाने हेतु राजी करे।

(चौदह) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार: आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। इसमें संदेह नहीं कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रति वर्ष अपने बजट में वृद्धि कर रही है। लेकिन यह गरीब पिछड़े वर्ग तथा राज्य में खासकर तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र के लिए, ग्रामीण लोगों की बढ़ती हुई वास्तविक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह जरूरत की पूर्ति के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए और उनके पिछड़े वर्गों और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत इन वर्गों के कल्याण के लिए भी निधियां उपलब्ध कराए।

आंध्र प्रदेश सरकार को जूनियर कालेजों में छात्रों को छात्रवृत्ति, निजी आई.टी.आई. में वृतिकाओं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क, नए पिछड़ा वर्ग होस्टलों का निर्माण, आवासीय विद्यालयों और होस्टल भवनों आदि के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध करायी जाएं। निसंदेह रूप से बिना केन्द्रीय सहायता के आंध्र प्रदेश में पिछड़े लोगों की बड़ी जनसंख्या तथा ग्रामीण वर्गों की दशा में अपने बल पर सुधार लाना आंध्र प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) बिहार के सहरसा में रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा, बिहार मुख्यालय में मुख्य बाजार होकर रेल लाइन गुजरी है, जो एक मुख्य सड़क को क्रास करती है। ये सड़क मुख्य बाजार से बस स्टैंड की ओर जाती है। इस क्रासिंग की आबादी घनत्व काफी है। आबादी घनत्व को देखते हुए इस रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण करने की सख्त आवश्यकता है। ट्रेन के आवागमन के कारण घंटों जाम हो जाता है, जिससे आम जन-मानस को काफी परेशानी के साथ-साथ वातावरण को भी बेवजह

दूषित करती है। अतः सहरसा मुख्यालय के उक्त रेलवे क्रासिंग में शीघ्र ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाये, जो जनहित में अति-महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे अवसर दीजिए, मैं इसकी छानबीन करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो हम आज मध्याह्न भोजनावकाश पर नहीं जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे बजट दस्तावेज में दर्शाए गए सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कथित तौर पर किए गए भ्रामक आंकड़ों के लिए वित्त मंत्री के विरुद्ध आपका दिनांक 12 जुलाई, 2004 का विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने उस पर माननीय मंत्री की टिप्पणी भी मांगी है। मामला मेरे विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: महोदय, विशेषाधिकार की एक और सूचना भी है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.21½ बजे

[हिन्दी]

संकल्प

(एक) रेल अभिसमय समिति की नियुक्ति के बारे में—*स्वीकृत*

अध्यक्ष महोदय: श्री लालू प्रसाद।

अपराह्न 12.22 बजे

[तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।]

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को इस समय देय लाभांश की दर और साथ ही रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के संबंध में अन्य अनुषंगी विषयों की पुनरीक्षा करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक ससंदीय समिति, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के बारह सदस्यों से मिलकर बनेगी, नियुक्त की जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को इस समय देय लाभांश की दर और साथ ही रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के संबंध में अन्य अनुषंगी विषयों की पुनरीक्षा करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक संसदीय समिति, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के बारह सदस्यों से मिलकर बनेगी, नियुक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.22½ बजे

(दो) रेल अभिसमय समिति में राज्य सभा से सदस्य सहयोजित करने के बारे में—*स्वीकृत*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को इस समय देय लाभांश की दर और साथ ही रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के संबंध में अन्य अनुषंगी विषयों की पुनरीक्षा करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक ससंदीय समिति के साथ राज्य सभा के छह सदस्य सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को इस समय देय लाभांश

[अध्यक्ष महोदय]

की दर और साथ ही रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के संबंध में अन्य अनुषंगी विषयों की पुनरीक्षा करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक ससंदीय समिति के साथ राज्य सभा के छह सदस्य सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यही समस्या है मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं सबको समय दूंगा। मैं मामले की गंभीरता को समझता हूं। यही कारण है कि मैं मध्याह्न भोजनावकाश में भी बैठने के लिए तैयार हूं। यदि आप लोग सहयोग करें जिससे कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर प्राप्त हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जहां तक श्री थामस के विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना का सम्बंध है मैं एक विनिर्णय दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु मैं एक विनिर्णय दे रहा हूं।

मुझे किसानों द्वारा आत्महत्या के संबंध में 5 जुलाई, 2004 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 3 के उत्तर में कथित तौर पर सदन को गुमराह करने वाली जानकारी देने के लिए कृषि मंत्री के विरुद्ध श्री पी.सी. थामस का विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना 7 जुलाई, 2004 को प्राप्त हुई थी। मैंने 8 जुलाई को इस मामले पर कृषि मंत्री की टिप्पणी मांगी है। टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही मैं इस मामले में कोई निर्णय लूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु मैं आपको मौका दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय: हर विषय महत्वपूर्ण है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, आंध्र प्रदेश में बहुत ही गंभीर स्थिति है। नागार्जुन सागर तथा कृष्णा जलाशय में पानी नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने तथा कर्नाटक सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध करूंगा कि वह नारायणपुर स्थित अलमाती बांध से आंध्र प्रदेश को 30 टी.एम.सी. पानी छोड़े। अध्यक्ष महोदय आंध्र प्रदेश में स्थिति भयावह है। यह आंध्र प्रदेश के किसानों से सम्बंधित है। *...(व्यवधान)*। अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जल संसाधन मंत्री, श्री प्रियरंजनदास मुंशी यहां उपस्थित हैं। कर्नाटक के किसानों की जरूरत की पूर्ति के लिए कर्नाटक के जलाशय में काफी पानी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उनसे अलमाती बांध से 30 टी.एम.सी. पानी छोड़ने का अनुरोध किया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं वादा करता हूं कि मैं हर व्यक्ति को मौका दूंगा। यदि आप व्यवधान डालेंगे तो, किसी को भी मौका नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अध्यक्ष के कार्य में व्यवधान डालने की गलत आदत छोड़ें। कम से कम इस पद का तो सम्मान कीजिए। मैं इस गंभीर स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूं। और सदस्यों की इस मुद्दे को उठाने की उत्सुकता, चिंता उचित है। इसलिए मैं इस बाढ़ की समस्या पर जहां तक समय होगा मैं आप लोगों को समय देने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: अध्यक्ष महोदय, असम में बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। अब आप क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इससे आप मुझ पर कुछ करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। कृपया आश्वस्त रहिए।

श्री येरननायडु, चूंकि आप स्वस्थ नहीं हैं इसलिए मैंने आपको समय दिया है। कृपया संक्षिप्त समय में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री किरन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदस्य महोदय ने क्या कहा मैं सुन नहीं सका। कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में गंभीर स्थिति व्याप्त है। पानी के अभाव में 30 लाख एकड़ भूमि में खरीफ की फसल की बुआई नहीं हुई है। कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक सरकार से 30 टी.एम.सी. पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। अभी तक उन्होंने पानी नहीं छोड़ा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कर्नाटक सरकार को निर्देश दे कि 30 लाख एकड़ भूमि को बचाने के लिए 30 टी.एम.सी. पानी छोड़े।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। यह नोट कर लिया गया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: कांग्रेस के सांसद यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से यहां उपस्थित उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आंध्र प्रदेश को 30 टी.एम.सी. पानी छोड़ने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डाले ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आपने अपनी बात रख दी है। उन्होंने नोट भी कर लिया है।

डा. एम. जगन्नाथ (नगरकुरनूल): महोदय, आंध्र प्रदेश में स्थिति अत्यंत भयावह है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप एक सम्मानित सदस्य हैं। आपकी स्थिति के कारण मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है। यदि आप सदन में इस तरह व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो मुझे खेद है कि मैं आपको इस तरह कभी भी मौका नहीं दूंगा। वे लोग जो व्यवधान खड़ा करेंगे उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। कृपया संक्षेप में और विषय वस्तु पर बोलिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, आप हम से सहमत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं मामले की गंभीरता के बारे में आपसे सहमत हूं। इसलिए, मैं आपको मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण सीमावर्ती इलाकों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): हमें भी मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं मामले की गंभीरता के बारे में आप से सहमत हूं। इसलिए मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

अपराह्न 12.30 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार तथा असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): हम लोगों का जो इलाका है, अररिया, सुपोल, कटिहार, मधुबनी, भागलपुर, किशनगंज, सीतामढ़ी, सीवान इत्यादि पूरा भंयकर बाढ़ की चपेट में है। वहां नेशनल हाईवे टूट गया है, रेल यातायात ठप्प है। रेलों के पुल टूट गए हैं। लोग बांधों पर शरण लिए हुए हैं। वहां उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहां नावों की कोई व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से लोग भूखे-प्यासे पड़े हैं। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अविलम्ब केन्द्र से वहां अधिक से अधिक रुपया भेजा जाए, जो कि सीधे जिलों में भेजा जाए, ताकि लोगों को रहने की और खाने की व्यवस्था की जा सके। हम लोग बार-बार कहते हैं कि जिलों में कोई नाव नहीं है। लोग कई दिनों से एक ही स्थान पर भूखे-प्यासे पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए अविलम्ब केन्द्र से वहां एक टीम भेजी जाए, जो स्थिति की गम्भीरता को देखे इसके अलावा केन्द्र से वहां जो भी रुपया या खाद्य सामग्री आदि भेजनी है, वह सीधे जिलों को भेजी जाए। वहां हाहाकार मचा हुआ है। रेल सम्पर्क टूट गया है। कटिहार बंद है, फारबिसगंज से सहरसा बंद है, कोई रेल का आवागमन नहीं है और रोड यातायात भी बंद है। इसलिए हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि अधिक से अधिक सहायता वहां सीधे जिलों को भेजी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया सहयोग कीजिए, सुशील कुमार मोदी मैं आपको मौका दूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, विगत दो दिनों से नेपाल से निकलने वाली नदियां कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला बालान, बागमती और अधबाडा, लखनदेई, गंडक आदि सहायता नदियों में आई अप्रत्याशित बाढ़ के प्रकोप से उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, सुपौल, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया आदि दर्जनों जिलों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इन नदियों में प्रलयंकारी बाढ़ के कारण हजारों गांव बाढ़ के कारण तबाही में फंसे हुए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 1987 का जो लेवल था, वह भी पार हो गया है। वहां इस समय अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति है। प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय का सम्पर्क टूट चुका है। नेशनल हाईवे की सड़क टूट गई है और रेल यातायात बुरी तरह टूट चुका है। खासतौर से सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा और सीवान जिलों की स्थिति तो लगातार भयावह बनती जा रही झंझारपुर में कमला नदी का पूर्वी तटबंध छः जगहों से और पश्चिमी पटरी तटबंध तीन जगहों से टूट गया है। कुल मिलाकर नौ स्थानों पर तटबंध टूट गए हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर, छतों पर और वृक्षों पर बैठे हुए हैं। इन बाढ़ प्रभावित लोगों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। यहां तक कि प्राप्त सूचना के अनुसार दर्जनों लोगों की जानें जाने की सूचना भी मिली है। सम्पर्क टूट जाने से रेल यातायात भी बंद हो गया है। लोग चाह कर भी वहां नहीं जा सकते हैं। सभी बाढ़ प्रभावित लोग घिरे हुए हैं और ऊंचे टीलों पर शरण लिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्री जो डिसास्टर मैनेजमेंट भी देखते हैं, सदन में वक्तव्य देकर वहां तुरंत राहत कार्य शुरू कराएं और स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय टीम वहां भेजें। सेना के हेलीकाप्टर और नावों के द्वारा वहां युद्ध स्तर पर राहत सामग्री भेजी जाए। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि बाढ़ पीड़ितों के जान-माल की रक्षा हो सके। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार आज ही सदन में इस पर वक्तव्य दे, क्योंकि बाढ़ से घिरे हजारों लोगों की मौत होने की आशंका है। वहां लोगों को फूड पैकेट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हेलीकाप्टर का अभाव है। राज्य सरकार साधनहीन है, उसके पास हेलीकाप्टर नहीं है। इसलिए मिलिट्री के हेलीकाप्टर और बोट्स से वहां राहत सामग्री मुहैया कराई जाए। राज्य सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि विशेष ध्यान देकर वहां जल्द कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने अपनी बात रख दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं बाद में इस पर टिप्पणी करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इसका जवाब दें और आज ही सकारात्मक बात करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, कृपया अन्य लोगों की भी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः हमारा अनुरोध है कि मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदयः बोलेंगे, बोलेंगे। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्या आप भोजनावकाश को छोड़ने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं परन्तु मैं आपके अलावा किसी और को अनुमति नहीं दूंगा। सभी आरंभ में ही क्यों बोलना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष जी, बाढ़ का मुद्दा बहुत बड़ा है। हर साल हजारों घर बाढ़ में डूबते हैं और हर साल इस बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघरबार होकर ऊपर के स्थानों की ओर पुनर्वास के लिए जाते हैं। सरकार द्वारा हर साल करोड़ों रुपये इस पर खर्च किये जाते हैं लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती है कि इसका स्थाई निदान क्या है। आज बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई हुई है जिसमें से 12 जिले पूरी तरह से जलमग्न हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र निर्मली अनुमंडल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। नवहट्टा-सिमरी बख्तियारपुर बांध पर खतरा बढ़ चुका है। निर्मली-मरौना का पुराना बांध सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक स्थिति में है। सहरसा-फारबिसगंज रेल खंड पर रेल गाड़ियों का चलना बंद हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-106 पर कई जगह पानी का दबाव बढ़ चुका है और कभी भी एनएच-106 टूट सकता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि इनके लिए राहत कार्य तो चलने ही चाहिए लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जैसे प्लास्टिक पेपर, दवाइयां, शुद्ध पेयजल, मिट्टी का तेल, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था तो करे ही लेकिन कोसी का जो हाई-डेम है, उसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाए। हम उत्तर बिहार के जितने भी सांसद हैं कोसी बांध के लिए हर साल आवाज उठाते हैं लेकिन तब उठाते हैं जब कोसी की जनता उसकी विभिषिका को झेलती है। उसके बाद सभी सांसद चुप्पी साध लेते हैं। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगी कि इस हाई-डैम की ओर सरकार का ध्यान जाए और इस साल जरूर उस हाई-डेम को बजट में लिया जाए और उस हाई-डेम के लिए पूरा अनुदान जारी किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आपने मामला उठाया है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: हम इस मामले पर पूरे साल संसद में भी धरना देंगे और अपने क्षेत्र में भी धरना देंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके पहले भाषण पर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवसर दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि यह एक गंभीर मामला है। लोगों को परेशानी हो रही है। माननीय सदस्य उचित रूप से चिंतित हैं। मैं नोटिस देने वाले सभी सदस्यों, कम से कम बिहार के सभी सदस्यों को अवसर दे रहा हूं। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): परन्तु कृपया यह अवसर शीघ्र प्रदान कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: खड़े होकर आप ठीक नहीं कर रहे हैं।

मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर यह सम्पूर्ण वाद-विवाद नहीं है। आपको वाद-विवाद का अवसर मिलेगा, परन्तु कृपया आप मामले का उल्लेख करें। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। मैं भोजनावकाश में भी बैठने को तैयार हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, आप बड़े ही सक्षम वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): अध्यक्ष जी, सदन में बाढ़ की स्थिति के संबंध में जो वर्णन किया गया है उससे भी कहीं अधिक बाढ़ की स्थिति आज बिहार में है। बाढ़ की विभीषिका समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को ज्ञात हुई है और आज सदन भी अवगत हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार को भी इसकी पूरी जानकारी होगी। इसके दो पक्ष हैं। पहला तो आज की परिस्थिति में युद्ध-स्तर पर राहत कार्य चलाया जाना चाहिए ताकि पीड़ितों को सहायता मिल सके और वे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा सकें। उनके लिए भोजन, पानी, दवा का प्रबंध हो सके। दूसरा पक्ष यह है कि उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या नेपाल से निकलने वाली नदियों से पैदा होती है। जब तक उन बांधों को बांधने की योजना पर अमल नहीं होगा, तब तक जो त्रासदी है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। आजादी के बाद से इस बात के लिए प्रयत्न हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जब केन्द्र में एनडीए की सरकार थी और हम लोग उस समय सरकार में थे, केन्द्र में मंत्री रहते हुए भी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल में शामिल होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिले थे। हम लोग उस शिष्टमंडल में शामिल हुए थे और संसद सदस्य शामिल हुए थे। हम सभी ने मिलकर इस सवाल को उठाया था।

[श्री नीतीश कुमार]

उस समय की सरकार के ध्यान में, यह बात लाई गई थी और कुछ आश्वासन भी दिया गया था। बिहार सरकार ने कहा था कि कम से कम कोसी के मसले पर बात आगे बढ़नी चाहिए और इस संबंध में आश्वासन भी मिला था। सदन में जल संसाधन मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे इस बात से अवगत हैं और सारा सदन इस बात से अवगत है कि यह अन्तरराष्ट्रीय मसला है और नेपाल से बातचीत करके यह समस्या हल हो सकती है। हम आग्रह करेंगे कि इस समस्या का स्थाई समाधान निकले। सरकार अपनी समूची कूटनीतिक शक्ति और कौशल इस्तेमाल करे, ताकि बिहार को इस त्रासदी से छुटकारा दिलाया जा सके।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र और राज्य दोनों आपके हैं, इसलिए किसी को तकलीफ होती है, तो उसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। हम भी यह मांग कर रहे हैं कि वहां तत्काल केन्द्र की एक टीम जाए, एसैसमेंट करे और जो सहायता चाहिए, वह सीआरएफ से दी जाए। ...*(व्यवधान)* इसमें क्यों डिवाइड हो रहे हैं। श्री राम कृपाल जी इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी डिवाइड करने वाली चीज है, जो डिवाइड कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री नीतीश कुमार कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः आवश्यकता पड़े तो जरूर बोलिए। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है। सब अनावश्यक बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यहां हम सभी मित्र हैं। अनावश्यक न बोलें, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः कभी कोई मामला है, तो ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा क्या मामला है, ऐसा कौन सा मतभेद है। जब केन्द्र में हमारी सरकार थी, केन्द्र में मंत्री रहते हुए भी, बिहार सरकार के शिष्टमंडल में शामिल हुए थे। मंत्री रहते हुए भी शामिल हुए थे. इसमें ऐसा कौन सा मतभेद है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कैलेमिटी रिलीफ फन्ड से जो पैसा दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है, केन्द्रीय सरकार को अतिरिक्त पैसा देना चाहिए। यहां से तत्काल एक टीम भेजी जाए, जो एसैसमेंट करे। हम चाहेंगे कि जल संसाधन मंत्री जी सदन में वक्तव्य दें। केन्द्रीय सरकार नेपाल से इस प्रोजैक्ट के बारे में बातचीत करे। हम यह भी जानना चाहेंगे, केन्द्र में नई सरकार आई है, वह इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? हम यह भी चाहेंगे कि कृषि मंत्री जी बाढ़ के संबंध में सदन में विस्तृत विवरण दें और बतायें कि वे क्या कदम उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब सुशील कुमार मोदी बोलेंगे। लगभग सभी मुद्दे कवर हो गये हैं। इसलिए कृपया किसी मुद्दे को नहीं दोहराइएगा। कृपया संक्षिप्त भाषण दें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन में बिहार की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। दरभंगा और मधुबनी शहर में पानी प्रवेश कर गया है। सीएम के बंगले में, अस्पताल में, अररिया के शहर में भी पानी प्रवेश कर गया है। लेकिन दुःख की बात है कि राज्य सरकार राहत कार्य चलाने में पूरी तरह से विफल रही है। नाममात्र वहां पर राहत कार्य चल रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के जो 12 जिले प्रभावित हुए हैं, उनको तत्काल सेना के हवाले कर दिया जाए। सेना वहां पर राहत के कार्य चलाए। राहत कार्य प्रदान करना राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। वहां पर नावों की बहुत कमी हो गई है। कारण यह है कि नाव वालों की पिछले पांच साल की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। नाव वाले नाव देने से मना कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें ऊंचे दाम देकर फिलहाल काम को किया जाए। बिहार में जो तटबन्ध टूट गए हैं, उनको पुनः निर्मित करने का काम प्रारम्भ नहीं किया गया है। तटबन्धों को बनाने का काम बिहार सरकार शुरू करे। ...*(व्यवधान)* बिहार में जमींदारी तटबन्धों का कोई मां-बाप नहीं है। सरकार कहती है कि हम जमींदारी तटबन्धों की देखरेख नहीं करेंगे। पचासों जगहों पर तटबन्ध टूट गए हैं। ...*(व्यवधान)* बजट में केवल 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः बजट चर्चा में आप इसकी आलोचना कीजिए। अभी तो यह अर्जेन्ट मैटर है।

[अनुवाद]

यह एक तत्काल प्रकृति का मामला है। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: बजट में केवल 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को सेना के हवाले कर देना चाहिए, जिससे युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाए जा सकें। ...*(व्यवधान)* बिहार सरकार राहत कार्य चलाने में विफल रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आपने इस संबंध में नोटिस नहीं दिया है। कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी को अवसर प्रदान किया है। मैं मंत्री जी द्वारा आपको जवाब दिलाकर आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, सदन में बाढ़ से संबंधित विषय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका कोई नोटिस नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अलग से असम की बात करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, मैं अलग से असम की बात करूंगा। कृपया धैर्य रखिए। यदि आप माननीय मंत्री की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं अन्य विषय पर बात करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री प्रभुनाथ सिंह से बैठने का अनुरोध करूंगा। श्री प्रभुनाथ सिंह, आपने इस विषय पर कोई नोटिस नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस बारे में नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आपका नोटिस नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री से जवाब प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसका विरोध कर रहें हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, प्रतिष्ठित सदस्यों, श्री सुकदेव पासवान, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा व्यक्त की गई चिंता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मेरा नाम नहीं लिया।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि आदरणीय सुकदेव पासवान, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री नीतीष कुमार और श्री सुशील मोदी जी ने बिहार की बाढ़ के बारे में उल्लेख किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक गंभीर मामला है और आप इन सभी तुच्छ बातों में उलझ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्होंने जिस प्रकार की चिन्ता प्रकट की, उससे सरकार, पूरा सदन और मैं भी सहमत हूं। बिहार में बाढ़ की स्थिति गम्भीर ही नहीं, मैं कहूंगा कि भयानक है। इस आपदा का मुकाबला करने के लिए हम दृढ़संकल्प हैं। मैं इतनी बड़ी आपदा के साथ असम को भी जोड़ना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार इस बारे में कटिबद्ध है। हम मिल कर, लोगों को राहत पहुंचा कर, इस स्थिति का मुकाबला करेंगे, जहां तक बिहार सरकार का सवाल है, बिहार की मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और बिहार के चीफ सैक्रेटरी ने पिछले 48 घंटे से भारत सरकार के प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रालयों के

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

साथ सम्पर्क ही नहीं किया बल्कि वहां तुरन्त राहत कार्य पहुंचाने की और सेना को भेजने की मांग की। वहां तुरन्त राहत कार्य पहुंचाने के लिए चीफ सैक्रेटरी महोदय 9 आइटम्स हमारे सामने पेश कर चुके हैं। मैं अभी आपके सामने दो विषय रखना चाहता हूं। जैसा कि बहनजी रंजीत रंजन जी ने कोसी को लेकर अपनी बात प्रारम्भ की जिस पर नीतीश जी ने भी जिक्र किया। यह बात सही है कि हमारी इस संबंध में नेपाल सरकार के साथ पिछले बीस साल से बातचीत चल रही है। मैं सदन को खुशी की एक खबर देना चाहता हूं कि पिछले बीस साल से सनकोशी और सप्तकोशी के बारे में नेपाल के साथ जो बातचीत चल रही थी, मैंने मंत्री पद की शपथ के 15 दिन बाद ही इन परियोजनाओं की डीपीआर बनाने का सिगनल देकर 30 करोड़ रुपया दे दिया। डीपीआर बनते ही इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए हम प्लानिंग कमीशन के दरवाजे तक पहुंचेंगे। जहां तक कमला बालान और बागमती का सवाल है, उसके बारे में देवेन्द्र जी ने कहा कि उसके कारण भयंकर बाढ़ आई। कमला बालान और बागमती के ऊपर नेपाल सरकार अपना डैम बनाना चाहती है। अगर वह वहां डैम बनाती है तो हमारे यहां सूखाड़ आ जाएगा और यदि हम उन्हें डैम नहीं बनाने देत हैं तो उनको प्राबलम होगी। इसलिए इस बारे में बातचीत जाती है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इसके बारे में तुरन्त कदम उठाएंगे ताकि बात सकारात्मक रूप से सामने आए। बिहार सरकार की जो मांगें हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

1. ''जी आर उद्देश्यों हेतु 50,000 मीट्रिक टन चावल और 50,000 मीट्रिक टन गेहूं।
2. पोलिथीन—अस्थाई आश्रय उपलब्ध कराने हेतु 10 लाख (5×5 मीटर आयाम वाले) पीस
3. टेंट—5,000 पीस
4. चारा—पांच रैक (प्रत्येक प्रभावित जिले में एक)
5. एच.एस./बी.क्यू/एफ एम डी टीके—पशुओं के लिए प्रत्येक की पांच लाख यूनिटें।
6. सीतामढ़ी/शिवहर/तीन राज्य एच.क्यू. भंडार को जोड़ने हेतु पांच सेट सेटेलाइट फोन (हस्त धारिता)।
7. हेलोजन टैबलैट—50 लाख
8. मिट्टी का तेल-बाढ़ प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त आबंटन के रूप में दस लाख लीटर।
9. राहत शिविरों हेतु आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के साथ जेन सेट।
10. सैन्य नौका।''

[हिन्दी]

उन्होंने जो मांगें की हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर तुरन्त कदम उठाने जा रही है। जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, मैंने सैंट्रल वाटर कमीशन को सुबह निर्देश दिया कि वह तुरन्त टैक्निकल सहायता के लिए असम और पटना जाए। मैं आश्वासन देता हूं कि मैंने सीडब्ल्यूसी को 24 घंटे में 12 घंटे के हिसाब से मानिटरिंग करने के लिए निर्देश दिया है। हमारी हर 12 घंटे टैक्निकल मानिटरिंग चलेगी। हमारी सरकार बाकी दफ्तरों से जुड़ी हुई है। वे भी युद्ध-स्तर पर स्थिति का सामना करने के लिये एकजुट होकर काम करेंगे। हमारी सेना भी इस काम में लगी हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप श्री किरिप चालिहा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, पूरा जवाब दिया गया है। अब, श्री चालिहा बोलेंगे।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: असम भी प्रभावित है। कृपया असम के माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री किरिप चालिहा: असम की शिकायतों पर गौर करने पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया। उन्होंने हस्तक्षेप किया है। आप आंखों देखा हाल नहीं सुना सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री किरिप चालिहा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, पिछले सप्ताह से असम में बाढ़ की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: असम में भी एक गंभीर समस्या है। माननीय मित्रों, कृपया उन्हें बोलने दें। असम हमारे देश का एक हिस्सा है। मैंने बिहार के सभी लोगों को अनुमति दी है। अब श्री चालिहा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनके बोलने में व्यवधान न करें। यह ठीक नहीं है। श्री चालिहा आप अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री किरिप चालिहा: महोदय, यह क्या है? क्या वे हमें बोलने देना नहीं चाहते?

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री किरिप चालिहा: पिछले एक सप्ताह से असम में बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं सभी को अवसर दे रहा हूं। यह एक गंभीर मामला है। मैंने इसे स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री किरिप चालिहा: महोदय, इन वर्षों में, असम बार-बार प्रभावित हुआ है। ...*(व्यवधान)* असम में बार-बार बाढ़ आती रही है। बाढ़ हमारे लिए एक वार्षिक आपदा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री किरिप चालिहा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री हेम लाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र भी उसमें आ रहा है।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा: महोदय, असम के लोग बाढ़ के साथ रहना और लड़ना जानते हैं। यह नियमित विशेषता रही है। मुझे इस सभा में यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया और श्री राजीव गांधी, जिन्होंने वर्ष 1988 में व्यक्तिगत रूप से बाढ़ प्रभावित स्थानों का दौरा किया और स्वयं गम बूट पहन कर राहत शिविरों तक गए, के अलावा किसी अन्य प्रधानमंत्री ने असम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया वर्तमान स्थिति की बात कीजिए।

श्री किरिप चालिहा: इसी कारण से यहां बाढ़ की हर वर्ष की समस्या बन गई है और राज्य तबाह होने लगा है। कोई दीर्घावधि योजना नहीं बनाई गई है। किसी योजना के क्रियान्वित नहीं किया गया है। असम में बाढ़ नियंत्रण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक सफेद हाथी बन गया है। इसके परिणामस्वरूप, बाढ़ एक नियमित विशेषता बन गई है। गत दो माह में यहां निरंतर वर्षा हो रही थी और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा से लगभग तीन हजार गांवों को अपनी चपेट में ले लिया था। लगभग तीन मिलियन लोग असहाय स्थिति में हैं। राज्य सरकार आपात स्तर पर कार्य कर रही है। हमें तुरंत सहायता की आवश्यकता है। हवाई सर्वेक्षण का वचन दिया गया है। हमें सेना के सात हेलीकाप्टरों की तत्काल आवश्यकता है। असम सरकार ने इस हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है। हमें 300 रबड़ नौकाओं की तत्काल आवश्यकता है। हमें तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है। हमें चिकित्सा राहत की आवश्यकता है।

राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। परन्तु 30 करोड़ रुपए का आबंटन भी कुछ नहीं है। मरम्मत और पुनर्वास कार्य भी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपने आपकी बात कह दी है।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। वास्तव में हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी तत्काल असम का दौरा करें और स्थिति का जायजा लें। हम चाहते हैं कि स्थिति से निपटने हेतु और बाढ़ की स्थिति से हमेशा के लिए निपटने के लिए एक दीर्घावधि रणनीति बनाने हेतु तत्काल और शीघ्र कदम उठाए जाएं। कोई जबरदस्त पहल होनी चाहिए। हम आपसे कम से कम इस स्थिति पर पूरी चर्चा आरंभ करने का आग्रह करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी हां।

मैं माननीय सदस्य श्री किरिप चालिहा की चिंता का जवाब देना चाहता हूं। यह सत्य है कि असम के मुख्यमंत्री सरकार के संपर्क में हैं और हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अद्यतन हालात के संबंध में उनसे विचार-विमर्श किया है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर सकता हूं कि जैसे ही कल राज्य सभा में प्रश्नों का जवाब देने की मेरी संसदीय बाध्यता समाप्त होगी, मैं व्यक्तिगत रूप से तत्काल असम और बिहार हेतु अपने विभाग का तकनीकी अध्ययन और तकनीकी सहायता तथा सहायता कार्यक्रम आयोजित करूंगा। इसके अलावा, मैं रक्षा सहायता से संबंधित रक्षा मंत्रालय के उचित डेस्क पर उनके द्वारा रखे गए मुद्दों का बयान करूंगा। जहां तक राहत एवं अन्य सहायता का संबंध है, हमारी सरकार कल से ही मामले पर सक्रियता से प्रतिक्रिया कर रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैंने सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। मैं पहले ही काफी समय दे चुका हूं। श्री रामजीलाल, सुमन, आप कृपया विषय से भटके बिना संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: महोदय, मैंने भी सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ही की पार्टी के एक सम्मानित सदस्य ने यही मुद्दा उठाया है। आप कृपया स्वयं को संबद्ध कर लें। आपके नाम को रिकार्ड में शामिल कर लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, बराक घाटी का भी संपर्क टूट गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.आर. दासमुंशी, बराक को भी शामिल किया गया है। कृपया इसे नोट कर लें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: महोदय, मैंने नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री महोदय को निदेश दिया है। आप और क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो बिना नोटिस वाली सीट है। आप यहां रहते थे तो आपको बिना नोटिस के बोलने का मौका मिलता था। इसलिए हम वहां से उठकर यहां चले आए कि हमें मौका मिले।

अध्यक्ष महोदय: कल मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): महोदय, असम में बाढ़ और भू-कटाव की समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित किया जाना चाहिए। असम सरकार राज्य के लिए 1,200 करोड़ रु. के अनुदान की मांग कर रही है। भारत सरकार यह अनुदान देने के बारे में कल निर्णय लेगी? माननीय मंत्री द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने क्या वादा किया है। वे उस पर विचार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

...(व्यवधान)

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: अध्यक्ष महोदय, मैं असम की बाढ़ के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं। मैंने नोटिस भी दिया है। मेरा नाम रिकार्ड में शामिल किया जाना चाहिए। बराक घाटी की सप्लाई लाइन टूट गई है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बता रहा हूं कि आपका नाम पहले ही रिकार्ड में शामिल किया जा चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप एक-दूसरे को परेशान करते हैं तो, आप केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। पिछले शुक्रवार को मैंने 25 मामले उठाने की अनुमति दी थी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.57 बजे

(दो) मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में दलित महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की कई घटनाओं के समाचार अखबारों में छपे। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): इस तरह से मामले क्या इस सदन में उठाये जा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: क्या यह आप हमें समझाएंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): यह राज्य का मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज सिंह चौहान, आप इस मुद्दे को न उठाएं। आप एक जानकार सदस्य हैं। दलित मुद्दा एक केन्द्रीय मुद्दा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, एक लंबे अर्से से मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बलात्कार के समाचार की बाढ़ सी आई हुई है। अभी गुरुवार के दिन सिवनी जिले के प्राणीवाड़ा थाने में एक गांव भीमाटोला में तीन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विवरण की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मुद्दा उठाएं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: वे तीनों महिलाएं एक ही परिवार से संबंधित थीं। गोवर्धन का वह परिवार था और महिलाओं के नाम कौशल्याबाई, राधोबाई और महरीबाई हैं। वे सब अस्पताल में भर्ती हैं। अभी दूसरा वाकया दामोह जिले में हुआ। वहां के डंडूखेड़ा थाने में केवलादि गांव में 32 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हुआ। तीसरा मामला मध्य प्रदेश की राजधान भोपाल में सीहोर में* इस प्रकार के कई मामले बलात्कार के मध्य प्रदेश में हुए। अखबारों में जो बयान छपे हैं और जो सरकार के बयान हैं, वे कंट्रोवर्सियल हैं। मैं जानता हूं कि इसका संबंध राज्य से है और भारत सरकार जो रिपोर्ट मंगाएगी, वह राज्य से ही मंगाएगी। लेकिन जो तथ्य समाचार-पत्रों में छपे हैं, वे परस्पर विरोधी हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। गृह मंत्री यहां विराजमान हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इस पर वक्तव्य दे कि इस पर आखिर क्या कार्रवाई हो रही है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार जिन लोगों का जिम्मा था, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, वे इस पर बयान दें।

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं देंगे। बाद में देंगे।

श्री रामजीलाल सुमन: यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा और श्री अधीर चौधरी ने भी अपने को सम्बद्ध कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैंने आपको अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आप समय सीमा तय कर दीजिए कि दो दिन में मंत्री जी बयान दे दें। तब तक तथ्य इकट्ठा कर लें, राज्य सरकार से पूछ लें। उसमें क्या दिक्कत है? ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी पक्षों में जिम्मेदार सदस्य और जिम्मेदार मंत्री हैं। श्री पाटील, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

अपराह्न 1.00 बजे

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, यहां उठाए गए इस मुद्दे के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है, लेकिन वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। मैं इस मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा और इस माननीय सभा के सामने रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है। ये सभी बहुत सहयोग करने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं जो मुद्दा अब सभा में उठाना चाहता हूं, वह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। केरल में सैंकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मंत्री ने दिनांक 5 जुलाई को लिखित उत्तर में कहा कि केरल में किसानों की आत्महत्या संबंधी कोई समाचार नहीं है। कल का समाचारपत्र है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास, आप सभा में कोई समाचारपत्र न दिखाएं। आप केवल उसका हवाला दे सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, समाचारपत्र में खबर छपी है कि केरल में परसों तीन किसानों ने आत्महत्या की है। अब तक वायानाड़ जिले में 77 किसान और मेरे निर्वाचन क्षेत्र पालघाट में 21 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केरल में कुल आत्महत्या करने वाले किसानों की कुल संख्या 300 से उपर पहुंच गई है। अत: मैं सरकार से वहां तत्काल एक अध्ययन दल भेजने का अनुरोध करता हूं और यदि संभव हो तो मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं केरल जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। मैं सरकार से फिर अनुरोध करता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर केरल में तुरंत एक दल भेजा जाए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमें केन्द्र सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। बहुत से समाचारपत्र केरल के सांसदों की यह कहकर आलोचना कर रहे हैं कि वे संसद में इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। समाचारपत्रों में खबरें छप रही हैं कि सांसद, संबंधित व्यक्तियों तथा उचित स्तर पर इस मामले को नहीं उठा रहे, जिसके परिणामस्वरूप सरकार केरल की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है। ...*(व्यवधान)* सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए और इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को निकट से देखने के लिए केरल में एक अध्ययन दल भेजना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इस मुद्दे पर मुझे कुछ बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपने आपको सम्बद्ध कर लें।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें सदन में ऐसे ही सहयोग की आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया स्वयं को संबद्ध करें और आप उनका समर्थन करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं भी स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, जो बातें मैं यहां कहना चाहता था, वो सभी बातें श्री एन.एन. कृष्णदास पहले ही उठा चुके हैं। अत: मैं केवल श्री एन. एन. कृष्णदास द्वारा उठाई गई सभी बातों से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, हम सरकार का उत्तर चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया प्रतीक्षा कीजिए। श्री पी.सी. थामस—उपस्थित नहीं हैं। श्री पी. करुणाकरन।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं श्री एन. एन. कृष्णदास द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूरा समर्थन करता हूं। केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने उत्तर में कहा था कि पिछले एक वर्ष में ही लगभग 800 लोगों ने आत्महत्या की है। परन्तु उसके बारे में उत्तर में कोई जिक्र नहीं किया गया। यह सरकार की लापरवाही नहीं है, परन्तु केरल के लोगों के साथ नाइंसाफी है क्योंकि केन्द्र सरकार को राज्यों की सहायता करनी होती है।

प्रतिदिन, किसानों की आत्महत्या के समाचार आते हैं। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में, जैसा कि मैंने प्रश्नकाल के दौरान बताया था, कि पिछले छह महीने के दौरान छह लोगों ने आत्महत्या की है। श्री एन. एन. कृष्णदास ने कहा है कि वायानाड़ में बहुत से लोगों ने आत्महत्या की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सभी को जानकारी है कि मैंने पहले ही इस मुद्दे पर एक अल्पावधि प्रश्न को स्वीकृति प्रदान की है और उस पर चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने यहां उठाई गई बातों को नोट कर लिया है और उन सभी का उत्तर दिया जाएगा।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अन्यथा केरल के किसानों के सामने जीवित रहने से अच्छा विकल्प मर जाना है। आजकल यही स्थिति बनी हुई है और यही कारण है कि हम इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं।

श्री एन. एन. कृष्णदास: हम सरकार से उत्तर चाहते हैं क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, सरकार का उत्तर आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगले सप्ताह हम इस मामले पर चर्चा करेंगे तो इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास: सरकार इस मुद्दे पर उत्तर क्यों नहीं दे रही?

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, क्या आप इस मुद्दे पर अभी कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): अध्यक्ष महोदय, अगले हफ्ते जो डिसकशन हो रहा है उसमें सरकार अपनी बात रखेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ बात ही नहीं, बल्कि कोई कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात का भी समर्थन कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं एक मानवीय संवेदनशील मामला सदन में उठाना चाहती हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक कैंटोनमेंट एरिया आता है जिसका नाम महू कैंटोनमेंट एरिया है। महू कैंटोनमेंट एरिया के साथ-साथ कहीं न कहीं सिविल एरिया भी जुड़ा हुआ है। वहां हर समय एक समस्या आती है। जैसे ही कोई नया आफिसर आता है, इस कैंटोंनमेंट बोर्ड से लगे हुए सिविलयन एरिया को खाली करने का नोटिस लोगों को दिया जाता है। बंगला एरिया में जो लोग रहते हैं, उन्हें डिमोलिश करने का, खाली करने का नोटिस दिया जाता है। गए समय भी जब इसी प्रकार की कार्यवाही हुई थी तो मुझे याद है कि पहले की सरकार ने इस प्रकार के आर्डर्स निकाले थे। इस मामले की एक बार जांच करके, कि कितना सिविलियन एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड को चाहिए, यह पूरी जानकारी लेने के बाद ही कार्यवाही हो। इस प्रकार के आर्डर हुए थे। उसके बाद फिर परसों बगैर नोटिस देकर लोगों को बंगला एरिया खाली करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि रक्षा मंत्री जी इस मामले में दखल देकर, एक बार परीक्षण करवा कर, कि कितना एरिया कैंटोनमेंट को चाहिए और कितना सिविलियंस को खाली करना है, यह मामला कहीं न कहीं तय हो जाना चाहिए ताकि बार-बार क्षेत्र के नागरिक परेशान न हों। इस प्रकार का कोई निर्णय हो, इतनी ही मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सफदरजंग अस्पताल एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक माना जाता है। यह सरकारी अस्पताल है, जहां गरीब अपना और अपने बच्चों का इलाज कराने जाते हैं। महोदय, पिछले जून के महीने में लगभग एक हजार बच्चे इस अस्पताल में भर्ती हुए और उनमें से 142 बच्चे काल के गाल में समा गए। इन 142 बच्चों के मरने के बाद उस अस्पताल में अधीक्षक से बात की गई तो यह कहना था कि यह आंकड़े कोई बड़े नहीं हैं। इस

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

अस्पताल में जो बच्चे मरे हैं उससे ज्यादा मरने वाले बच्चों की संख्या दूसरे अस्पतालों में भी है।

अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह के बयान आएं तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सफदरजंग अस्पताल में 110 बिस्तर का जो बच्चों का वार्ड है, वहां आईसीयू एवं वेंटीलेटर नहीं है। जीवन रक्षक दवाइयों की कमी है और यह कमी बजट होने के बावजूद है। महोदय, कुल बजट का आबंटन इस अस्पताल पर 125 करोड़ रुपए का किया गया था, जिसमें से 15 करोड़ रुपए केवल उपकरणों के लिए थे। उसमें से आठ करोड़ 49 लाख रुपए खर्च ही नहीं किए गए। यह बड़ा संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से मांग करूंगा कि वे इस सवाल पर संसद में एक वक्तव्य दें। अस्पताल में जो बच्चे असमय काल के गाल में समा रहे हैं, ऐसे सारे सरकारी अस्पतालों की जांच कर, उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित करें। महोदय, इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक नया तरीका हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तुरंत प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर चाहना नई बात है, जो प्रत्येक मुद्दे के सम्बंध में हो रही है। कृपया ऐसा मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अविनाश राय खन्ना, कृपया आप सिर्फ अपने आपको सम्बद्ध करें।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं। महोदय, मैं सिर्फ बात कहना चाहता हूं कि जो उस अस्पताल की हालत है, एक-एक बिस्तर पर पांच-पांच बच्चों को लिटाया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, इस पर उत्तर दिलवाया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर और संवेदनशील मामला है, इस पर उत्तर दिलवाया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर चीज को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जा रहा है और संसदीय कार्य मंत्री सहित माननीय कैबिनेट मंत्रीगण भी यहां हैं। कोई भी मंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। श्री दासमुंशी स्वयं ऐसा करते हैं और आप इसे भलीभांति जानते हैं। फिर भी आप सभा का समय जाया कर रहे हैं, श्री अविनाश राय खन्ना कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें और अपने आपको सम्बद्ध करें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है, इतने बच्चे मर रहे हैं, कम से कम उस पर तो कुछ बोलें। *...(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े शहर में, जो देश का दिल दिल्ली है, अगर यहां अस्पतालों की हालत ऐसी है तो छोटे-छोटे गांवों की हालत क्या होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर बहुत जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, नये सदस्यों के नोटिस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में काम कर रहे करीब 2000 कामगारों को वेतन और अन्य बकाया राशि नहीं मिल रही है और इसी बात के चलते उनकी परेशानी काफी बढ़ गई है। इसलिए, मैं श्रम मंत्री सहित संबंधित मंत्री से इस बात पर ध्यान देने का निवेदन करता हूं कि उनके वेतन और उनकी अन्य बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए ताकि वे जिंदा रह सकें और इस बात पर भी ध्यान दिया जाये कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में उत्पादन शीघ्र शुरू हो।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन हममें धैर्य नहीं है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा था।

महोदय, बात यह थी कि कुछ ही दिन पहले गुजरात और राजस्थान की सीमा पर जो गोलाबारी हुई है और जिसमें राजस्थान पुलिस द्वारा गुजरात के आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई हैं। के सम्बंध में सभा का ध्यान आकृष्ट किया जाये। उस घटना में एक व्यक्ति मारा गया और सात-आठ आदिवासी घायल हो गए। मैं आपका ध्यान इस तथ्य् की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं प्राय: उदयपुर जिले की कोटरा तहसील की सीमा पर ही हो रही हैं जिसके परिणामस्वरूप गुजरात के आदिवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस संबंध में राजस्थान पुलिस से रिपोर्ट मांगे, घटना के शिकार लोगों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए राजस्थान सरकार को बाध्य करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दुबारा न हों।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

नियम 193 के अधीन चर्चा

चार राज्यों के राज्यपालों को उनकी विचारधारा के आधार पर हटाया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 193 के अधीन चर्चा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: किस बात पर?

श्री वरकला राधाकृष्णन: नियम 194 के उप खंड (1) के अनुसार:

> "यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो, तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा।"

यहां एक मामला है जहां, दिनांक 8 जुलाई, 2004 को सभा के समक्ष आम बजट प्रस्तुत किया गया था और आम बजट पर चर्चा के दौरान इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे पास अभी अवसर है। वह इसका लाभ उठा सकेंगे। जनतांत्रिक परंपराओं पर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि हम नियमों से बंधे हुए हैं अत: इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पहले से ही प्राप्त अवसर का लाभ उठाया जाए। यह नियम 193 के अधीन चर्चा से भी गहरा जुड़ा हुआ है।

इसके अतिरिक्त मेरा विनम्रता पूर्वक कहना है कि वे इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गए हैं। मामला उच्चतम न्यायालय के हाथों में चला गया है। हम सर्वोच्च हैं। हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, सर्वोच्च निकाय होने के नाते, हमें इन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है। यह एक संवैधानिक मामला है। हमें निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम इंतजार करें। यही मेरा कहना है ...*(व्यवधान)* सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इस पर चर्चा करने से उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा ...*(व्यवधान)* मेरा यही कहना है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मुझे अपना काम करने दें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: खैर, मैं यह अवश्य कहूंगा कि संसदीय जनतांत्रिक परंपराओं पर राजनीतिक कालोचितता हावी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं व्यवस्था का प्रश्न रखता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं ...*(व्यवधान)* लेकिन सिद्धांतत: मैं चर्चा से पूरी तरह सहमत हूं। मैं चर्चा में रोडा नहीं अटका रहा हूं। सिद्धांतिक रूप में, मैं सहमत हूं लेकिन ऐसा संसदीय जनतांत्रिक परंपराओं के जोखिम पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी के लिए यह कार्यवाही-वृत्तांत में जाएगा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि जब पहले ही मौका मिलता है तो किसी भी बात पर चर्चा हो सकती है। मैं नम्रतापूर्वक यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: पहला मौका तो बजट ही है। क्या ऐसा नहीं है? आपने स्वयं कहा कि हम सर्वोच्च हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: पहला मौका तो आम बजट पर चर्चा है।

अध्यक्ष महोदय: अब हम वित्तीय मामलों पर चर्चा करें।

नेता प्रतिपक्ष।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही वाजिब बात है लेकिन इसे उचित अवसर पर नहीं उठाया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन ऐसा जनतांत्रिक परंपराओं के जोखिम पर नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था के प्रश्न की बात न करें। यह आपके विरुद्ध एक उदाहरण बन जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह चर्चा शुरू की है। किसी राजनीतिक औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से यह एक ऐसा विषय है जिस पर वाद-विवाद होना चाहिए और माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील यहां हैं। मैं इन्हें लम्बे अर्से से जानता हूं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर खुले दिमाग से विचार करें। कुछ निर्णय लिए गए हैं और मैं विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना चाहूंगा कि इन निर्णयों के पूर्ण परिणामों पर विचार करके ये निर्णय नहीं लिए गए हैं। अतएव प्रस्ताव के शब्द 'चार राज्यों के राज्यपालों को उनकी विचारधारा के आधार पर हटाए जाने के बारे में' हैं।

महोदय, इस विषय पर मैं आऊं इससे पहले, मैं भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का जहां तक प्रश्न है, कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

संविधान सभा के विचार-विमर्श से पता चलता है कि कुछ सदस्यों ने इसे राज्यों का परिसंघ वर्णित करने का प्रयास किया किन्तु संविधान सभा ने इसका समर्थन नहीं किया। डा. अम्बेडकर ने व्यक्तिगत रूप से 'संघ' शब्द के प्रयोग को सहमति दी और अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया। मैं सोचता हूं कि संविधान सभा के विचार-विमर्श से यह बात उभरती है कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संघीय विशेषताएं हैं किन्तु यह शास्त्रीय अर्थों में एक संघ नहीं है। इसे एकात्मक संविधान नहीं कहा जा सकता है। यह ऐसा नहीं है।

संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. अम्बेडकर के अनुसार, ''असामान्य परिस्थितियों यथा युद्ध के समय यह एकात्मक है किन्तु सामान्य परिस्थितियों में यह संघीय है।'' अब, डा. अम्बेडकर ने स्वयं वर्णन किया कि उन्होंने क्या सोचा और क्यों सोचा कि संघ अधिक उचित था। उन्होंने लाजवाब ढंग से बताया, ''भारत के एक संघ होने के बारे में सोचा, यह संघ राज्यों के बीच इसमें शामिल होने के लिए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। यह परिसंघ एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है। यद्यपि प्रशासन की सुविधा के लिए देश व लोगों को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है तथापि देश एक अखण्ड इकाई है। इसके लोग, एक स्रोत से प्राप्त एक सर्वोच्चशक्ति के अन्तर्गत रह रहे हैं।''

संविधान निर्माताओं द्वारा स्वीकार डा. अम्बेडकर के ये विचार हैं। कुछ विचारधाराएं ऐसी हो सकती हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। कुछ विचारधाराएं हैं। यह समय उन बातों को करने का नहीं है। ऐसी विचारधाराएं हैं जो मानती हैं कि भारत एक बहुराज्यीय राज्य है। यह एकल राष्ट्र, राज्य नहीं है।

डा. अम्बेडकर ने कहा था कि अमरीकियों को गृह युद्ध करना पड़ा था ताकि यह बात स्थापित हो सके कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है और अतएव संघ अविनाशी है। प्रारूप समिति ने सोचा कि बाद में अंदाजा लगाने या विवाद के लिए इस विषय को छोड़ने से बेहतर होगा कि शुरू में ही इसे स्पष्ट कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले दो दशकों में, 1947 से 1967 तक स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो केन्द्र व राज्यों में एक ही दल का शासन था। स्वंतत्रता के बाद पहले दो दशकों के दौरान हमने एक ही दल के प्रभुत्ववाली राजनीति देखी और इसलिए राज्य और केन्द्र से संबंधित समस्याएं वैसे नहीं उठी जैसी बाद में उठी हैं। उन दो दशकों में, यदि कोई समस्या थी तो प्रभुत्व सम्पन्न दल के ढांचे के भीतर ही उसे सुलझा लिया जाता था। अत: मौरिस जैसे संविधान विशेषज्ञों ने कहा, 1967 के बाद ही भारत सच्चे अर्थों में एक संघ बन पाया।''

वस्तुत: मैं राज्यपालों के सम्मेलन में राष्ट्रपतियों के कुछ पुराने भाषणों को पढ़ रहा था, और मैंने पाया कि 1969 में राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी ने राज्यपालों के सम्मेलन में अपने भाषण की शुरूआत यह कहते हुए की, आज पहले से कहीं अधिक ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जिस किसी के पास यहां मोबाइल फोन हो, कृपया उसे बंद कर दें और भविष्य में सदन के भीतर उन्हें लेकर न आएं।

हां, आडवाणी जी, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: 12 दिसम्बर 1969 को राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी ने कहा था, "आज पहले से कहीं अधिक, राज्यपालों को उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी परिकल्पना उस समय नहीं की गयी थी जब हमारा संविधान बनाया गया था।"

मैं तिथि ठीक-ठीक नहीं बता सकता किन्तु शायद तमिलनाडु के सदस्य इस संबंध में मुझे बताएंगे क्योंकि उस समय के दौरान तमिलनाडु सरकार ने भी सोचा कि केन्द्र-राज्य संबंधों की इस समस्या की जांच आवश्यक है और उन्होंने राजामन्नार आयोग का गठन किया। बाद में, 1980 के दशक के प्रारम्भ में शिरोमणि अकाली दल द्वारा प्रस्तावित आनन्दपुर साहेब संकल्प के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र-राज्य संबंध का मुद्दा सामने आया और इस पर काफी चर्चा की गयी। उस समय श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने जो सर्वदलीय बैठक बुलायी थी, मुझे याद है। उस बैठक में मैं भी प्रतिभागी था; शिरोमणि अकाली दल भी इसमें शामिल था। वाद-विवाद दो या तीन दिन चला; केन्द्र-राज्य संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई थी। किस प्रकार केन्द्र सर्वशक्तिमान हो गया है, राज्य अपना अधिकार गवां बैठे हैं इत्यादि, इत्यादि। इसके परिणामत: श्रीमती गांधी ने निर्णय लिया कि इन सब पहलुओं की जांच और केन्द्र राज्य संबंधों की समस्याओं के व्यापक अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग नामक एक आयोग हम गठित करें।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): वह 1983 का साल था।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: इसकी घोषणा 1983 में की गयी थी, किन्तु चर्चा 1980 के दशक की शुरूआत में हुई; जैसाकि आपने सही कहा, 1983 में—24 मार्च 1983 को—संसद में श्रीमती गांधी ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने के इस प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की और मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "यह आयोग वर्षों के दौरान हुए सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा में लोगों के हितों के संवर्धन के लिए देश की एकता और अखण्डता के महत्व पर ध्यान दिया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि आयोग 'केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की जांच करेगा और उक्त व्यवस्थाओं में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करेगा जो वर्तमान सांविधानिक ढांचे के भीतर उपयुक्त हो'।

सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। इसने पांच वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। वर्ष 1988 में इसने अपना वृहद् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया; यह दो खण्डों में था, और यह लगभग 1600-1700 पृष्ठों का था। मेरे दल, भारतीय जनता पार्टी ने भी आयोग को एक ज्ञापन दिया था। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और इन दलों की विभिन्न इकाइयों ने भी आयोग को अपना ज्ञापन दिया था। इस परिश्रम के अन्त में, मेरा मानना है कि जहां तक केन्द्र-राज्य संबंध का प्रश्न है, यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया गया है, बहुत वजनदार दस्तावेज है, यद्यपि इस दस्तावेज के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें कोई कह सकता है कि ये पुराने हो गए हैं। किन्तु मोटेतौर पर कहा जाए तो यह भारी परिश्रम रहा है, यह वास्तव में असाधारण था।

भारतीय संविधान में भी प्रावधान है कि यदि आवश्यक हो, यदि राष्ट्रपति ऐसा महसूस करते है—जब यह कहा जाता है कि यदि राष्ट्रपति ऐसा महसूस करते हैं तो इसका अर्थ है यदि भारत सरकार ऐसा महसूस करती है—राज्यों के साझा हितों के मामलों या संघ और राज्यों के साझा हितों के मामलों की जांच करने के लिए वह एक अन्तर्राज्यीय परिषद गठित कर सकती है। मैं जानता हूं कि 1967 से या इससे पहले से ही, 1960 के दशक के आरंभ से ही मेरी पार्टी जो उस समय जनसंघ थी और कई अन्य विपक्षी पार्टियां एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की मांग करती रही थी।

ऐसा नहीं हुआ। परन्तु 1967 के पश्चात मांग धीरे-धीरे और आर्थिक तीव्र हो गई तथा 1990 में ही अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। यदि मैं सही हूं तो यह तब की बात है जब श्री वी.पी. सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। मैं जानता हूं कि यह अंतराज्यीय परिषद जिसमें देश के समस्त मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के अनेक प्रबुद्ध सदस्य शामिल हैं, पिछले लगभग 14-15 वर्षों से मुख्यत: सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। सैंकड़ों सिफारिशों में से अधिकांश पर चर्चा की जा चुकी है। विचार किया जा चुका है और इनका हल निकाला जा चुका है। उनमें से एक जो कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का एक प्रमुख अध्याय है वह राज्यपालों की भूमिका से संबंधित है। इस अध्ययन का सबसे पहला वाक्य है—राज्यपाल की भूमिका 'केन्द्र और राज्य के संबंधों में एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर कर आई है।' यह अध्याय-4 का पहला वाक्य है जो कि 'राज्यपाल

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

की भूमिका' है। इसलिए आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो यह केवल चार राज्यपालों को हटाने का प्रश्न नहीं है बल्कि हम राज्यपाल की भूमिका और प्रयोजन के संबंध में सम्पूर्ण अध्याय में जो कहा गया है, हम उसका उल्लेख कर रहे हैं।

इन दिनों इन चर्चाओं के संदर्भ में अथवा अरुणाचल प्रदेश की घटना के संदर्भ में मैंने सरकार को यह कहते हुए सुना है कि 'राज्यपाल का पद समाप्त करो'। इसे जाने दो। इसका कोई मतलब नहीं है।' जब हम आसानी से अथवा हल्के ढंग से इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं अथवा जब कोई भी ऐसी टिप्पणियां करता है तो मैं चाहता हूं कि उसे पहले संविधान सभा के वाद-विवाद का अध्ययन करना चाहिए। वहां पहले की अवधारणा यह थी कि राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल का भी निर्वाचन किया जाएगा। किंतु उसके पश्चात बहुत विचार-विमर्श के पश्चात डा. अम्बेडकर और पं. नेहरू सहित प्रत्येक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्वाचित राज्यपाल की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे यहां निर्वाचित राज्यपाल और निर्वाचित मुख्यमंत्री होगा तो निर्वाचित राज्यपाल संवैधानिक मुखिया नहीं होगा। यह केंद्र में स्थान प्राप्त करने से भिन्न होगा। इसलिए, यह वांछनीय है कि राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाए। हां, कतिपय प्रावधान अवश्य किए जाने चाहिएं।

अनुच्छेद 156 पर चर्चा की गई थी। अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा। मैंने कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। बहुत से सदस्यों ने पूछा कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने सोचा था कि यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करते हैं तब उनका कार्यकाल अनिश्चित हो जाएगा। उन्हें किसी भी समय पद से हटा दिया जाएगा। प्रो. के.टी. शाह ने कहा, ''मैं यह बिल्कुल भी नहीं समझ सकता।'' प्रो. शाह ने यह कहते हुए कि राज्यपाल को पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान पद से नहीं हटाया जाएगा एक संशोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने दलील दी थी कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उन्हें प्रांत का संवैधानिक प्रमुख बनना पड़ेगा, क्या वह अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य कर रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम जब वह ठीक ढंग से संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रपति, जो प्रांत से दूर हैं और जो स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राधिकारी हैं, की दया पर नहीं रहना चाहिए। इसी तरह का विचार चलता रहा और केवल प्रो. के.टी. शाह ही नहीं थे जिन्होंने ऐसा कहा था बल्कि और भी अन्य लोगों ने नियत कार्यकाल का समर्थन किया और कहा कि अन्यथा हम लिखित में दे सकते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है।

अंततोगत्वा, कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान है। हम राज्यपालों के मामले में भी यह व्यवस्था कर सकते हैं। डा. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 156(1) पर बहस का उत्तर दिया था और कहा था कि सामान्यत: हटाये जाने की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। प्रो. शाह चाहते थे कि राज्यपाल को हटाये जाने के बारे में संविधान में ही कुछ आधार बताये जाने चाहिएं। मुझे लगता है कि जब हमने नियुक्त करने की सामान्य शक्ति दी हुई है तो हमें राष्ट्रपति को राज्यपाल को भ्रष्टाचार, घूसखोरी, संविधान के उल्लंघन अथवा किसी और कारण, जिसे राष्ट्रपति उन्हें हटाये जाने के लिए नि:संदेह वैध आधार समझते हों, से हटाये जाने की शक्ति भी देनी चाहिए।

संविधान में सुस्पष्ट रूप में इन सीमाओं का बोझ डालना बिल्कुल अनावश्यक है। अब डा. अम्बेडकर ने जब यह व्यवस्था की थी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे तो उनके मस्तिष्क में था कि यदि राष्ट्रपति उसे वापस लेते हैं तो उन्होंने कहा था कि वह इसे सामान्यतौर पर नहीं करेंगे और रोजमर्रा के मामले के रूप में नहीं करेंगे, वह भ्रष्टाचार, घूसखोरी, संविधान के उल्लंघन के लिए अथवा किसी अन्य कारण, जिसे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाये जाने के लिए वैध आधार मानते हैं, ऐसा करेंगे। उस समय वह सब वाद-विवाद अब सुसंगत हो गए हैं। इसके बाद भी सरकारिया आयोग ने पुन: इस पर विचार किया; अंतराज्यीय परिषद ने इस पर विचार किया और बाद में श्री वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने संविधान की जांच करने के लिए वेंकटचलैया आयोग नियुक्त किया ...*(व्यवधान)* और उस आयोग ने भी इस पर विचार किया। यह सब निकाय क्या कहते हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): इनकी आंतरिक इच्छा है कि माननीय वाजपेयी जी प्रेसीडेंट हो जाएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सरकारिया आयोग ने इस पर विचार करने के लिए बहुत कोशिश की कि राज्यपाल का कार्यकाल सुरक्षित होना चाहिए। इसमें राज्यपाल के लिए कार्यकाल की सुरक्षा के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि इस पद के लिए पांच वर्ष की अवधि निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं की यह मंशा प्रतीत होती है कि राष्ट्रपति की इच्छा, जिस पर राज्यपाल का कार्यकाल निर्भर होता है, को कारण बताये बिना वापस नहीं लिया जाएगा। कोई अन्य अनुमति अनुच्छेद 156 का खण्ड (3) माना जाएगा जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है, जोकि निष्प्रभावी है। सिब्बल जी लीगल एक्सपर्ट यहां बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

यह सरकारिया आयोग की व्याख्या है।

[हिन्दी]

इरादा यह था कि कभी हटाना चाहें तो हटा दें, तो यहां काहे को लाते, फिर तो यह लिख देते

[अनुवाद]

-कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद पर रहेंगे। उन्होंने खण्ड (3) को बिल्कुल भी नहीं रखा होगा। यहां राज्यपाल को हटाना जाना उस प्रक्रिया पर आधारित है जो उन्हें अपने प्रश्नगत आचरण का स्पष्टीकरण देने का अवसर देती है और उनके स्पष्टीकरण यदि कोई है पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना सुनिश्चित करता है। जब अंतरराज्यीय परिषद ने इस मामले पर विचार किया तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंची और इसका अर्थ है कि केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि वास्तव में सभी राज्य सरकारें और केंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया कि बिरले ही और वह भी कुल बहुत अधिक बाध्यकारी कारणों को छोड़कर राज्यपाल के पांच वर्ष के कार्यकाल में बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। यह अंतरराज्यीय परिषद द्वारा स्वीकार की गई सरकारिया आयोग की सिफारिश है जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें।

महोदय, मुझे ध्यान है कि जब स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में सरकारिया आयोग के बारे में निर्णय लिया था तब उस समय उनके प्रधान सचिव और जो उस समय होने वाले सभी विचार-विमर्शों में प्रमुख भागीदार थे और जो राज्य सभा के माननीय सदस्य भी थे और जो एक समय राज्यपाल भी रहे थे—श्री पी.सी. अलेक्जेंडर।

श्री अलेक्जेंडर ने हाल ही में राज्यपालों को हटाये जाने के विषय पर एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि यह पहली बार नहीं है जब राज्यपालों को हटाया गया है। ऐसा पहले भी हुआ है। जब श्री वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी सभी राज्यपालों को हटाया गया था। उस समय गृहमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे और श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान था:

> "केंद्र में सरकार का परिवर्तन होने पर राज्यपालों का भी परिवर्तन होना चाहिए।"

अब श्री पी.सी. अलेक्जेंडर की टिप्पणी है कि यह औचित्य कि सरकार के परिवर्तन के साथ ही राज्यपालों का परिवर्तन होना चाहिए सरल परन्तु भ्रांतिपूर्ण हैं। कम से कम सरकारिया आयोग इससे सहमत नहीं है। सरकारिया आयोग का कहना है कि जहां मुख्यमंत्री परिवर्तित होते हैं वहीं राज्यपालों को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः इसमें कहा गया है कि वे निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के पैरा 5.04 में कहा गया है:

> "मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल से भिन्न राज्यपाल का कार्यकाल विधान सभा में बहुतम के समर्थन पर निर्भर नहीं होता। मुख्यमंत्री ऐसे समर्थन के होने पर अथवा उसके न होने पर समय-समय पर परिवर्तित होते हैं किंतु मंत्रियों के परिवर्तन अथवा विधान सभा भंग होने पर भी राज्यपाल लगातार बने रहते हैं। राज्यपाल अपना पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर भी पद पर और अपने उत्तराधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने तक, बने रहते हैं। इस तरह, राज्यपाल की संस्था सरकार की प्रक्रिया की निरंतरता निश्चित करती है।"

मैंने इस पहलू को केवल इन दिनों सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में रेखांकित होते हुए देखा है। पहले भी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राज्यपाल इस उद्देश्य को भी पूरा करता है कि वह उस सरकार के बराबर बने रहने को सुनिश्चित करे जिसे एक लोकतंत्र में मुख्यमंत्री नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): वहां भी कोई होना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह इसी संदर्भ में है, इसीलिए, यह इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख करता है कि हमारा यह दृढ़ मत क्यों है कि यह एक ऐसा कार्यालय है जिसके बिना काम नहीं चल सकता जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है।

अब, श्री एलैक्जेंडर ने एक तीखी टिप्पणी की है श्री वी.पी. सिंह के दिनों में श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत की तुलना श्री शिवराज वि. पाटील के इस सिद्धांत से की है कि सरकार के बदलने के साथ-साथ राज्यपाल भी बदलने चाहिए। लेकिन वह वही कह रहे हैं जो इस सरकार ने कहा है। वह वही कह रहे हैं जो वर्तमान गृह मंत्री जी ने कहा है:

> "हमने उन सभी को नहीं बदला है। हमने केवल चार राज्यपालों को बदला है। हमने केवल उन राज्यपालों को बदला है और हमने राज्यों में कार्यवाही की है जहां इन पदाधिकारियों की अलग-अलग विचारधाराएं हैं। किसी विशेष विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए किसी दूसरे के दृष्टिकोण को समझना कठिन होता है अथवा कई बार वह उस दृष्टिकोण को समझना ही नहीं चाहता। इससे विशेषकर उस समय कठिनाई उत्पन्न हो सकती है जब किसी एक विचारधारा वाली सरकार के स्थान पर दूसरी विचारधारा वाली सरकार आ जाये।"

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

मैं श्री शिवराज पाटील जी का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यदि श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का सिद्धांत भ्रांतिजनक था, तो श्री शिवराज पाटील का सिद्धान्त खतरनाक है। मैं इसे अशुभ मानता हूं। आज देश में हमारे यहां बड़े-बड़े राज्यों पर शासन करने वाले दल हैं, जिनकी विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह अनुच्छेद 356 को लगाने का औचित्य है। क्या औचित्य है? आज, इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य हमारे अध्यक्ष हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब वह इस सभा के अध्यक्ष बने थे, तो उन्हें बधाई देने वालों में मैं सबसे आगे था। यदि मैं विचारधाराओं के संबंध में सोचूं तो वह मेरी विचारधारा से सहमत नहीं होते और मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं होता। क्या ये विचारधाराएं इस प्रकार के संवैधानिक मामलों की कसौटी हो सकते हैं? और जब इस तरह का वक्तव्य दिया गया था, जिसे मैंने अपने प्रस्ताव में भी उजागर किया है तो मुझे उस स्थिति की याद दिलाई गई जिससे हमारा देश 1970 के दशक के दौरान गुजरा था।

जो कुछ वर्ष 1975-76 अथवा 1976-77 में हुआ वह भुलाया नहीं जाना चाहिए, इस अवधि के दौरान हमारे लोकतंत्र में एक प्रकार का ग्रहण लग गया था, वस्तुतः वह इसी प्रकार के खतरनाक सिद्धांत के साथ आरंभ हुआ था। इसे न्यायाधीशों के दमन को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस आधार पर न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया गया था कि हमारे देश में प्रतिबद्ध न्यायपालिका होनी चाहिए और हमारी न्यायपालिका ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी अपनी विचारधारा हो अथवा हमारे न्यायाधीशों की अपनी अलग विचारधारा हो। वह एक बहुत सीमित मामला था। यह एक प्रसिद्ध मामला था। अध्यक्ष इस विषय पर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं न्यायाधीशों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं न्यायाधीशों का नाम नहीं ले रहा हूं। उस समय एक मुद्दे पर विवाद चल रहा था। न्यायाधीशों में बीच मतभेद थे। कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश उस सिद्धांत के पक्ष में थे और कुछ अन्य न्यायाधीश थे जो उस सिद्धांत के पक्ष में नहीं थे।

मैं यह मानता हूं कि जो कुछ वर्ष 1975 में घटा उसके बीज वर्ष 1973 में ही बो दिए गए थे। प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा और सिद्धांत वर्ष 1973 में आरंभ हुआ था। इसी आधार पर न्यायाधीशों के दमन को उचित ठहराया गया था। ठीक इसी तरह, प्रतिबद्ध राज्यपालों के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्यपाल किसी विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। यदि वे किसी अन्य विचारधारा को नहीं मानते, तो वे बाहर चले जाते हैं। यदि उन्होंने उस विचारधारा के कारण कुछ किया है तो उन्हें हटाये जाने का समर्थन करने वाला मैं पहला व्यक्ति होता। लेकिन यदि वे किसी विचारधारा में अपने विश्वास के कारण कुछ करते हैं तो यह गलत है। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कुछ गलत किया है।

मैं रहस्यों में विश्वास नहीं करता। जब मुझे पहली बार यह पता चला कि गृह सचिव ने कुछ राज्यपालों को फोन करके यह कहा है कि सरकार उन्हें बदलना चाहती है और इसीलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि वे त्यागपत्र दे दें, तब हमने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। उन मुख्य मंत्रियों ने भी मुझे फोन किया था और मुझे बताया कि ऐसी बात हुई है। श्री जसवंत सिंह जी, राज्य सभा में विपक्ष के नेता के साथ प्रधानमंत्री के निवास पर उनसे मिलने गये थे। हमने उनसे यह पूछा कि यह क्या हो रहा है और इस मुद्दे पर सरकार की विचारधारा क्या है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं। इसीलिए, उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में ऐसा हुआ होगा, अन्य किसी संदर्भ में नहीं। फिर उन्होंने गृह मंत्री जी से पूछा और गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा सिर्फ हरियाणा के राज्यपाल के साथ नहीं हुआ है कि उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं वरन् गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के राज्यपालों के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने तीन अन्य राज्यपालों का भी जिक्र किया था। कुल मिलाकर चार राज्यपालों को उनके कार्यालय से हटा दिया गया था।

अब, इससे यह प्रकट होता है कि सरकार के स्तर पर इस प्रकार का निर्णय पर भली-भांति विचार करने के बाद नहीं लिया गया है। मैं पूरी तरह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। विचारधारा के संबंध में वक्तव्य आने के पश्चात् मैंने यह महसूस किया कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं गृह मंत्री जी द्वारा स्वयं पुनर्विचार करने के लिए कहूंगा और वह सोचे कि क्या वह उचित तरीका है।

इन दिनों, संयोगवश अरुणाचल प्रदेश का मामला भी उभर कर आया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यह आंदोलन चल रहा है कि सरकार को चले जाना चाहिए और अनुच्छेद 356 लागू किया जाना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब अनुच्छेद 356 को संविधान का अंग बनाया जा रहा था, तो संविधान सभा में बहुत शोर-शराबा हुआ था। बहुत से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का अंग नहीं बनना चाहिए। श्री कामत और ऐसे ही कई अन्य सदस्यों ने इसका बहुत विरोध किया था। अपने उत्तर में, डा. अम्बेडकर ने कहा था कि वह उनके इस दुःख-दर्द और भय को समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार का प्रावधान हो तो उससे केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के प्राधिकारों को निरस्त करने का बड़ा प्राधिकार मिल जाता है और दुरूपयोग की संभावना बन जाती है।

> ''दुरूपयोग की संभावना है। लेकिन मैं यह आशा करता हूं— क्योंकि मेरा यह विश्वास है—कि जो भी आपको भय है ऐसा कुछ नहीं घटेगा और अनुच्छेद 356 संविधान का अप्रचलित नियम बना रहेगा।''

''उन्होंने ''अप्रचलित नियम'' शब्दों का उपयोग किया है। हम यह जानते हैं कि यह अप्रचलित नियम भर नहीं रहा है। इसका परिणाम यह निकला है कि देश में कई दल हैं। इनमें कुछ दल वे भी हैं जो इस प्रकार का समर्थन कर रहे हैं। इनमें कुछ दल वे भी हैं जो रा.ज.ग. सरकार का भाग रहे हैं और जिनका यह दृढ़ मत है कि अनुच्छेद 356 को पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए और इसे हटा दिया जाना चाहिए। मेरी पार्टी का यह मत नहीं रहा है। मेरी पार्टी संभवत: अनुच्छेद 352 की सबसे बड़ी शिकार रही है जिसके कारण वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लग गया था। लेकिन तब भी मेरी पार्टी ने यही माना था कि जब संविधान निर्माताओं ने वर्ष 1950 में यह महसूस किया था कि देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां आपातकाल अनिवार्य होगा—इनमें से युद्ध एक ऐसी स्थिति थी—हमने केवल ''आंतरिक अशांति'' शब्दों को बदला और इसे एक प्रकार का पद विन्यास बनाया गया जिससे अनुच्छेद 352 का उपयोग—जैसा कि वर्ष 1975 में हुआ था—वास्तव में असंभव बनाया। लेकिन हमने सदैव राष्ट्रीय हित के बारे में सोचा। हमने महसूस किया कि यदि अनुच्छेद 356 की आवश्यकता होगी, तो होगी लेकिन इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 156(1) भी ...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): क्या आप कुछ देर चुप रहेंगे? मैं आपको सिर्फ यह याद दिलाना चाहूंगा कि जब 43वां संविधान संशोधन पुर:स्थापित किया गया था उस समय अनुच्छेद 356 को पूरी तरह से हटा दिया गया था। अतिसम्मानपूर्वक मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि आप सभा के नेता थे और मैं और श्री कमलपाति विपक्ष थे। हम आपसे मिले थे। आपने अनुच्छेद 356 को बनाए रखकर बहुत अच्छा काम किया और 43वां संशोधन बाद में और संशोधित हुआ था। तीन वर्षों की अवधि को घटाने के स्थान पर इसे केवल एक वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया गया। इसलिए संभवत: यह दावा करना ठीक नहीं होगा कि आपकी पार्टी अनुच्छेद 356 को संविधान से पूरी तरह से हटाने के प्रति असहमत नहीं हुई थी क्योंकि वर्ष 1977 में श्री वाजपेयी, आप और आपके बहुत से साथी तत्कालीन सरकार के अंग थे जो 43वां संविधान लेकर आए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक यही बात मैं भी कह रहा हूं। हमने कभी भी अनुच्छेद 352 को हटाने का समर्थन नहीं किया है जिसके कारण हम लोग ही सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: अनुच्छेद 356।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अनुच्छेद 356 भी। हमारा यह मत है कि यह होना चाहिए। अकाली दल का यह दृढ़ मत है—शिरोमणि अकाली दल ने बार-बार यह कहा है कि इसका निरसन कर दिया जाना चाहिए। किंतु हम अपनी बात पर कायम हैं। अत: इन मामलों में हमारा दृष्टिकोण यह है कि इसके दुरूपयोग से बचा जाना चाहिए। मूलत: यदि कोई कानून जरूरी है, यदि कोई उपबंध जरूरी है तो वह होना चाहिए। अत: हमने किसी भी मौके पर यह नहीं कहा है कि ''राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त तक पद धारण करना चाहिए'' को हटा दिया जाए, निरसन कर दिया जाए। हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने केवल यह कहा है कि इसमें ऐसे उपबंध का समाधान किया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए। सरकारिया आयोग ने भी इसी समाधान की सिफारिश की है और इसे अन्तर-राज्य परिषद जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार शामिल है द्वारा स्वीकार और पृष्ठांकित किया गया है। अत: मैं श्री शिवराज पाटील से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिश स्वीकार करें और राज्यपालों को न बदला जाए।

इसके अतिरिक्त, मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि राज्यपालों के बारे में दूसरी बात यह है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक व्यक्ति का चयन करते समय राज्य के मुख्यमंत्री के साथ प्रभावी परामर्श किया जाना चाहिए। यह परामर्श प्रभावी होना चाहिए न कि एक औपचारिक परामर्श। मैं यह कह सकता हूं कि श्री वाजपेयी का इस देश का 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहने के दौरान मुझे यह कार्य सौंपा गया था। पूरे देश में ऐसा एक भी मामला नहीं है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री से परामर्श किए बिना राज्य में कोई नया राज्यपाल नियुक्त किया गया हो—न केवल मुख्यमंत्री से परामर्श किए बिना अपितु यदि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी की हो। इसके बाद मैं उन्हें कुछ और नाम आगे रखने का सुझाव दूंगा और मुख्यमंत्री को जो भी नाम स्वीकार्य हो उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए।

अत: सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए किसी राज्यपाल को संबंधित मुख्यमंत्री की सहमति से नियुक्त किया जाना चाहिए इसे ही मैं ''प्रभावी परामर्श'' समझता हूं। बाद में न्यायमूर्ति वैंकटचलैय्या आयोग गठित किया गया और उस आयोग ने इन सभी बातों की आम पुष्टि की। उसने यह भी कहा कि सामान्यतया पांच वर्ष के कार्यकाल का पालन किया जाना चाहिए और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श करने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का अनुसरण करके ही राज्यपालों को पद से हटाया अथवा उनका स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। अत: किसी राज्यपाल को हटाने अथवा स्थानान्तरित करने के मामले में भी न्यायमूर्ति वैंकटचलैया ने यह कहा है कि ऐसा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से किया जाना चाहिए।

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

मैं यह नहीं जानता हूं कि वर्तमान मामले में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोई परामर्श किया गया है अथवा नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है, उन्हें केवल यह सूचित किया गया है कि ऐसा हो रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य यह कह सकते हैं कि ऐसा पहले भी होता रहा है। मैं केवल इस बात पर बल दे रहा हूं कि गत छह वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है और हमने एक अच्छी मिसाल कायम की है। वे इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे यह अपील करता हूं कि वे इसका उल्लंघन न करें।

महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि गत छह वर्षों में राजग सरकार ने देश की संघीय प्रणाली और केन्द्र-राज्य संबंधों को सुदृढ़ किया है। मुझे कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उनमें से अधिकांश बहुत ही सहायक और सहयोगी सिद्ध हुए। मेरा यह मानना है कि क्षे[illegible] को केन्द्र सरकार में लाने से उन्हें राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में कुछ पता चला है और हमें, जो अपने को राष्ट्रीय दल मानते हैं, उनकी क्षेत्रीय चिंताओं के बारे में काफी कुछ पता चला है। इससे देश और केन्द्र सरकार को सहायता मिली और देश में संघीय प्रणाली मजबूत हुई। मेरा यह मानना है कि इन चार राज्यपालों के मामले में अब जो कुछ भी किया गया है उससे देश का संघीय ढांचा कमजोर हुआ है। मैं प्रतिपादित की गई नीति या उस तर्क का आदर करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि उनकी विचारधारा हमारे से भिन्न है और इससे भारतीय संविधान में दिए गए बहु-दलीय प्रजातंत्र की अवधारणा पर मर्यादाहीन तरीके से हमला होने से समस्या पैदा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: गृह मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह सारे मामले की समीक्षा करें और खुले दिमाग से इस पर कार्यवाही करें।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री आडवाणी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपना रुख स्पष्ट किया है और मैं यह समझता हूं कि हमें सामान्य परिस्थितियों में भी इस महत्वपूर्ण विषय पर इसी प्रकार अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। किंतु मैं यह महसूस करता हूं कि उन्होंने चुनिंदा तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है। मैं इसे चुनिंदा उन्माद तो नहीं कहूंगा किंतु जिस उद्देश्य को वे प्राप्त करना और जो बात वे कहना चाहते थे उन्होंने केवल कुछ पहलुओं का ही उल्लेख किया है, स्पष्टतौर से सभी बातों का उल्लेख नहीं किया है।

किंतु इस बारे में बात करने से पहले मैं श्री आडवाणी द्वारा उल्लिखित उपबंधों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है:

"राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा।"

अनुच्छेद 156(3) में कहा गया है:

"इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच-वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा..."

उन्होंने यह बात नहीं कही।

महोदय, सरकारिया आयोग की सिफारिशें कई वर्षों से हमारे समक्ष विद्यमान हैं। संभवतया कांग्रेस सरकार ने समय-समय पर इन सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों पर विचार किया और कतिपय संशोधन किए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा करने के पर्याप्त अवसर थे किंतु उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय-चार में से एक सिफारिश का उल्लेख करना चाहता हूं, इसमें कहा गया है: "राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंड पूरा करना चाहिए" उनमें से एक मानदंड यह है कि वह एक निष्पक्ष व्यक्ति हो और वह राज्य की स्थानीय राजनीति से नजदीकी तौर पर जुड़ा हुआ न हो।" वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा उठाए गए कदम का आधार यही है। मैं समझता हूं कि हम लोग जब कहते हैं कि यह चार भद्र लोगों की विचारधारा थी जिसने उन्हें स्वयं पद छोड़ने पर मजबूर किया होगा तो हमारा विचार समान ही है। लेकिन चूंकि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया अत: सरकार को यह अरुचिकर निर्णय लेना पड़ा और राष्ट्रपति को अपना प्रसाद वापस देना पड़ा।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, इस बात की काफी संभावना है कि इस वाद-विवाद में इस 'विचारधारा' शब्द का इस्तेमाल बहुत से वक्ताओं द्वारा किया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया में जो कुछ छपता है आप उसी पर निर्भर कर रहे हैं। जब उन्होंने हमसे पूछा कि उन्हें क्यों हटाया गया तो हमें ऐसा कहना पड़ा जैसे हम सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और यदि कुछ लोग सभी को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं तो इसमें दृष्टिकोण में अन्तर था। इसलिए, हम सभी को उनके साथ लेकर चलना चाहेंगे। यही बात है। इस शब्द "विचारधारा" पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए। मैं अपने उत्तर में उन सभी बातों का विवरण दूंगा जो घटित हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय मंत्री महोदय ने "विचारधारा" शब्द का प्रयोग किया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: जब मैं उत्तर दूंगा तब इसकी व्याख्या करूंगा। इस समय मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर 'अनावश्यक' से जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वास्तव में मैं एक अति महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग की एक सिफारिश थी कि 'वह एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने सामान्यत: और खासकर निकट भूतकाल में राजनीति में बढ़-चढ़कर भाग न लिया हो'।

श्री शिवराज वि. पाटील: इसे बताने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसका कारण यह था कि इस मामले पर अंतर्राज्यीय परिषद से विचार हुआ था और अंतर्राज्यीय परिषद इस पर सहमत नहीं हुई थी। उनका कहना था कि इस प्रकार के दृष्टिकोण का मतलब होगा कि राजनीतिज्ञों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रयास का मतलब होगा कि केवल सेवानिवृत्त नौकरशाह या न्यायाधीश आदि की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। यही कारण था कि राज्यपालों के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों से अंतर्राज्यीय परिषद सहमत नहीं हुई। यह एक कारण था जिसके चलते उन्होंने औपचारिक रूप से कह दिया कि यह स्वीकार्य नहीं किया जाता है। उन्होंने 'स्वीकार्य नहीं' जो कहा है उससे मैं सहमत हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं। मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा गठित संविधान समीक्षा समिति ने वास्तव में यही सिफारिश की थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे इस बात की जानकारी है।

श्री कपिल सिब्बल: मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। "राज्यपाल को असम्बद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो उस राज्य की स्थानीय राजनीति में निकट भूतकाल में सक्रिय नहीं होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने राजनीति में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया हो।"

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: अब क्या हो रहा है? वे दोहरा मानदंड नहीं अपना सकते।

अध्यक्ष महोदय: हम बड़ी उच्च दर्जे की चर्चा कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं सरकारिया आयोग से शब्दश: उल्लेख कर रहा था तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर इस अंतर्राज्यीय परिषद में एक-एक करके विस्तार से चर्चा हुई है। जिसमें सभी राजनैतिक पार्टियां तथा देश के सभी मुख्यमंत्री तथा केन्द्र सरकार इसमें सम्मिलित हैं। मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूं कि इस राजनीतिज्ञ-विरोधी दृष्टिकोण से लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए राजनीतिज्ञों को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी सिफारिश है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद ने पहले ही अस्वीकृत कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत उच्च कोटि की चर्चा है। हम इसे जारी रखेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): वर्तमान मामले में राष्ट्रपति ने चारों राज्यपालों के मामले में अपनी स्वीकृति इस आधार पर वापस नहीं ली कि वे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी। यदि यही मानदंड थे तो और भी बहुत से व्यक्ति थे। निश्चित रूप से यह मानदंड नहीं था। मानदंड यह था, इन चार लोगों ने बार-बार यह कहने का जिम्मा ले रखा था और एक पूर्व माननीय राज्यपाल के मामले में तो उन्होंने मेरे से कहा कि "मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आर एस एस का सदस्य हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: इसमें बुराई क्या है?

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: मैं इस बात से सहमत हूं कि एक ऐसे संविधान के अंतर्गत जिसमें संघीय सहयोग की बात कही गई, पूर्व में ऐसे अवसर आए हैं, भविष्य में भी ऐसे अवसर आएंगे जिसमें अनेक राज्यों में राज्यपालों की सोच उस राजनैतिक सोच से भिन्न होगी जो केन्द्र की सरकार की हो।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन आर.एस.एस. के मामले में कृपया मुझे इतिहास का उल्लेख करने की अनुमति दें।

महोदय ऐसे बाध्यकारी कारण हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे वर्तमान सरकार को सावधान रहने की आवश्यकता है। महोदय, मुझे उम्मीद है कि वैसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी जिसमें राजभवन में, राज्यपाल के आवास में बैठा एक माननीय व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि चूंकि वह आर.एस.एस. का सदस्य है इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं है कि राष्ट्रपति केन्द्र सरकार क्या सोचती है। इस संबंध में महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नेता, विपक्ष की बात हमने बड़ी ध्यान से सुनी। हमने एक बहुत ही अच्छा भाषण सुना। मुझे विश्वास है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा यह चल रही है। हम इसे बिना हस्तक्षेप के इस वाद-विवाद को जारी रखें। तर्कसंगत हस्तक्षेप बिल्कुल सही है। कुछ हास्य होना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: इस मुद्दे पर आने से पहले जिससे मेरे माननीय मित्र उत्तेजित न हो जाएं, मैं सिर्फ एक पूर्व उदाहरण पेश करना चाहूंगा। यह 19 मार्च, 1998 का दिन था कि माननीय श्री वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलायी गई। 15 अप्रैल, 1998 के दिन 'द हिन्दू' में श्री के.पी. सिंह, गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल का बयान आया कि गृह सचिव ने उन्हें त्याग पत्र देने के लिए कहा है। सरकार ने इस बात का खंडन नहीं किया। श्री के.पी. सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं। दो अन्य सज्जन भी थे—दिल्ली के उप-राज्यपाल और मिजोरम के राज्यपाल। वे कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। विचारधारा की कोई बात नहीं थी। उनके विरुद्ध केवल एक ही बात थी कि वे कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और उनकी छुट्टी कर दी गई। ये वे ही बाध्यकारी परिस्थितियां थी जिसके तहत उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा।

महोदय, मैं यह कहते हुए शुरूआत की थी कि मुझे उम्मीद है कि सज्जन व्यक्ति जिसने सीधे तौर पर कहा कि वे आर.एस.एस. के प्रति वफादार हैं उन्हें बाहर काम करने के लिए उनका स्वागत है। भारतीय संविधान एसोसिएशन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। हम लोग अब वर्तमान में उससे इसे छीन नहीं रहे हैं। ऐसे तीन मौके आए है, जबकि तत्कालीन सरकार को भी ऐसा करना पड़ा। लेकिन आज एकमात्र जो कार्रवाई हुई है वह कि आपके विचारधारा के कारण हुई। मैंने कहा था कि क्योंकि कोई भी सदस्य उस शब्दावली का बार-बार प्रयोग करेगा—बहुत बार भी हो सकता है—और आपकी विचारधारा के कारण यह कार्रवाई हुई है। इससे कभी आपको परेशानी हो सकती है। इससे सरकार को भी परेशानी हो सकती है, इससे देश के सामने संकट आ सकता है जब एक खास स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आप अपनी विचारधारा से चिपके रहेंगे।

महोदय, मुझे पता है मैं उनका मार्ग-दर्शन नहीं कर रहा हूं लेकिन अपनी संतुष्टि तथा अपने पक्ष की पुष्टि के लिए मैं श्री एम.एस. गोलवालकर के विचारों को पढ़ना चाहूंगा और जिन शब्दों को मैं पढ़ने जा रहा हूं उन्हें आज भी छोड़ा नहीं गया है। इसमें कहा गया है:

> ''हिन्दुस्तान में विदेशी जातियों को हिन्दू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, उन्हें हिन्दू धर्म का सम्मान और आदर करना सीखना पड़ेगा। हिन्दू जाति और संस्कृति अर्थात् हिन्दू राष्ट्र का गुणगान करना ही उनकी धारणा होनी चाहिए और या तो हिन्दू जाति में विलय के लिए अपने अलग के अस्तित्व को छोड़ना होगा या उन्हें पूर्णतः हिन्दू राष्ट्र के अधीन रहना होगा जिसमें उनका कोई दावा नहीं होगा, किसी भी मामले में दूर-दूर तक उन्हें कोई वरीयता नहीं दी जाएगी न कोई विशेष अधिकार होगा यहां तक की नागरिकता का अधिकार भी नहीं होगा।''

यह विचारणीय है कि ''नागरिकता का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा'' यही आपकी विचाराधा है कि जो लोग आपके विचारों में योगदान नहीं करते। आपके विचारों का समर्थन नहीं करते उन्हें नागरिकता के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है।

अपराह्न 3.04 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, श्री गोलवलकर आगे कहते हैं:-

> ''उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा प्राचीन राष्ट्र है। हमें विदेशी मूल के उन लोगों के साथ प्राचीन राष्ट्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश में रहने का विकल्प चुना है।''

जैसा कि मैंने कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): क्या आप मुझे उस स्रोत के बारे में बता सकते हैं जहां से आप यह उद्धृत कर रहे हैं।

आप हमें बताएं। हमें आपके द्वारा जानकारी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, अनेक विचार ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप किस स्रोत से इसे उद्धृत कर रहे हैं। आप मात्र यह कह रहे हैं कि आप इसे एक समाचार-पत्र से उद्धृत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री बंसल, कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि श्री खारबेल स्वाईं खड़े होकर इस बात का खण्डन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हां। यह गलत हैं। किसी गुरु गोलवलकर ने ऐसा नहीं लिखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आर.एस.एस. की गतिविधियों की वजह से ही उसे तीन अलग-अलग अवसरों पर प्रतिबंधित किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कही गयी किसी की बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल: पहली बार, आर.एस.एस. को महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किया गया था। महोदय, गोडसे ने इस बात से इनकार किया था कि वह आर.एस.एस. का सदस्य है परन्तु उसके बाद उसके भाई गोपाल गोडसे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): यह गलत है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि यह बात गलत है तो आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, किस पर चर्चा हो रही है, हम आपको बताएंगे।

श्री थावरचंद गेहलोत: इनको पता नहीं है, इनके आका नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने आर.एस.एस. का उपयोग किया था, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसको याद है न? जब आर.एस.एस. ने जम्मू कश्मीर में रसद पहुंचाने का काम किया था और उनके प्रधानमंत्रियों ने उनका उपयोग किया था। इन्हें कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन से इनको निर्देश दीजिए। ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अगर आर.एस.एस. पर चर्चा करवानी हो तो फिर वह करवा लीजिए। यह आर.एस.एस. पर चर्चा नहीं है, हमारा आपसे यह निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, वह बिल्कुल अप्रासंगिक बातें कर रहे हैं। वह अप्रासंगिक बाते बोलकर इस वाद-विवाद का स्तर क्यों नीचे गिरा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: आडवाणी जी ने अपनी बात कहने में काफी इतिहास का इस्तेमाल किया था। मैं भी इतिहास की ही कुछ बात कहना चाहता हूं और वही आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी ही एक दुआ करता हूं कि इनको इतनी सद्बुद्धि मिले कि जो बात पहले, अतीत में कही गई है और जिस कोई दोहराना चाहता है, उसे इनको सुनने की शक्ति मिले। मैं कह रहा था कि गोपाल गोडसे जी ने कहा था:

[अनुवाद]

> "नाथू राम गोडसे के भाई और सह-षडयंत्रकारी ने वर्ष 1994 में फ्रंटलाइन को दिए गए एक साक्षात्कार में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा, यह विषय के अनुसार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, कोई सीमा भी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत: आप विषय पर आइये। आप आसन से निर्देश दीजिए, अगर वे विषय से संबंधित बात कहेंगे तो हमारी समझ में आएगी।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, यह बिल्कुल तर्कहीनता की स्थिति है। कोई तर्क नहीं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं उनसे कहूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: जब कभी पिछले चुनाव में रिजल्ट आया था तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि "भाजपा और

[श्री पवन कुमार बंसल]

उनके सहयोगी दलों को काफी नुकसान हुआ है।'' मैंने आगे कहने की जुर्रत की थी कि जो ग्रेस होता है, वह भी खो गया। यह असहिष्णुता थी ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: आप सबजैक्ट पर तो बोलें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, आपको विषय पर बोलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, वह कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रथम वक्ता हैं। वह इस प्रकार से बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे आपकी इस बात के बाद कहना पड़ा, मैं कहना नहीं चाह रहा था। एक कहावत है कि अरबा बोले ज्यूं का त्यूं, ससुरा कुनबा डूबा क्यूं। आज तक बेशक इनके कोन्क्लेव्स हो गये हैं, ये इसी चीज पर लगे हुए हैं कि क्या हो गया, क्या इसमें निकाल दें। पहले दिन सरकार को चलने नहीं देना, बात करते रहना है। अगर ऐसा ही रवैया है तो उसके लिए तो हम कुछ कहना नहीं चाहते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, आपकी बात विषय पर केन्द्रित होनी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा था और ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि मुझे विषय पर बिना किसी व्यवधान के बोलने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हां, आपको विषय केन्द्रित बोलना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैंने वक्तव्य को उद्धृत किया था और वह बिल्कुल विषय केन्द्रित है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब कोई व्यक्ति सभा में उपस्थित न हो तो आप उसके नाम का जिक्र नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: आप किस चीज के बारे में कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो आपने पहले कहा था।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: किस बात का दोषारोपण?

[हिन्दी]

अब कौन-कौन से नाम किस वक्त आते हैं, मेरे ख्याल से मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं। जो रूल है, शायद उसको आप आगे बढ़ाकर ले गये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं नियम पहले ही पढ़ चुका हूं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): जो इतिहास है, वह तो याद कराया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत: हमने यही तो पूछा था कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल: उन्होंने कहा था कि, ''आप कह सकते हैं कि आर.एस.एस. के सभी सदस्य अपने घरों के बजाय आर.एस.एस. में पले-बढ़े हैं। हम लोगों के लिए यह एक परिवार की तरह था।'' नाथू राम एक बौद्धिक कार्यवाहक बन चुका था। उनको जब याद कराया गया कि अववानी जी ने तो कहा था कि उनका आर.एस.एस. से कोई नाता नहीं था। ...*(व्यवधान)* उन्होंने जवाब दिया था कि यह कहना कायरपन है।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): वह क्या कहना चाहते हैं? वह व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप सीधा बोलिये कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इसी असहिष्णुता और अहंकार की वजह से इन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा है तथा ये इस परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। इतना ही नहीं ये एक कदम बढ़कर उन चार भद्र व्यक्तियों, राज्यपालों से कह डाला कि वे इस्तीफा न दें। क्या यह इनका काम था? यह निर्णय उन लोगों पर छोड़ देना चाहिए था। जब उन्होंने पाया कि वैसी सरकार ने जो उनके दृष्टिकोणों के अनुकूल नहीं है, जो उनके विचारों के साथ सहभागी नहीं हो रही है, जो उनके सिद्धांतों का समर्थन नहीं कर रही है, केन्द्र में सत्ता सम्हाली है तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए था। इन सज्जनों ने उन्हें उकसाया कि वे पद पर बने रहे और एक ऐसी परिस्थिति पैदा करें जहां देश में इस मामले को उठाया जा सके। मुझे इसी संदर्भ में आर.एस.एस. को उद्धृत करना पड़ा। मुझे उन विभिन्न परिस्थितियों को उद्धृत करना जब देश में आर.एस.एस. को प्रतिबंधित किया गया। पहली बार प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात्, श्री श्यामा प्रशाद मुखर्जी ने इस मामले पर सरदार पटेल से बात की। मैं सिर्फ इसे उद्धृत करूंगा। सरदार पटेल सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभा में उपस्थित नहीं हैं। महोदय, आप मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि ...*(व्यवधान)* सरदार पटेल ने 6 मई, 1948 को श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा कि हिन्दू महासभा के सदस्यों ने इस त्रासद घटना पर "खुशी मनायी" थी तथा मिठाइयां बांटी थी। यही बात आर.एस.एस. पर लागू होती है जिससे अतिरिक्त खतरा भी है जो सेना अथवा अर्द्ध सैनिक बलों के तर्ज पर गुप्त रूप से कार्य करने वाले संगठन में प्रकृतितः निहित होता है। उनके बारे में यही कहा गया था।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मेरा आर.एस.एस. के साथ कोई टकराव नहीं है। वे जो चाहते हैं करें तथा भारत के संविधान के अंतर्गत संगठन का अधिकार दिया गया है। हमारी आपत्ति महत्वपूर्ण पदों पर आसीन उन व्यक्तियों से है जो आर.एस.एस. के प्रति निष्ठा रखते हैं। जब वे सरकार में थे तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। यह इस सरकार का उत्तरदायित्व है। यदि कुछ गलत होता तो हम इस सभा में इस सरकार की खिंचाई कर सकते थे। यदि वे लोग विपक्ष में बैठे हैं तो इससे क्या हुआ? मैं व्यक्ति विशेष के रूप में उनका आदर करता हूं। यदि वे सज्जन व्यक्ति राज्यपाल होते तो क्या होता? यदि देश में कुछ गलत होता है तो उनके बदले कौन उत्तर देगा? यह कांग्रेस की सरकार है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का संसद के माध्यम से देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जवाबदेही की वजह से कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना है कि आर.एस.एस. की विचारधारा वाले राज्यपाल इन राजभवनों में न बने रहें। आज ऐसे भी राज्यपाल हैं जिनकी निष्ठा भाजपा के प्रति है। उन्हें नहीं हटाया गया। सिर्फ इन्हीं चार मामलों में कार्रवाई की गयी है।

यह अत्यंत सम्मानजनक होता यदि उन्होंने अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे दिया होता। यदि उन भद्र व्यक्तियों अथवा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए नहीं कहा होता, तो मामला इस स्थिति में नहीं पहुंचता। इसी संदर्भ में मैंने अनुच्छेद 156(3) का उल्लेख किया था और कहा था कि यह अनुच्छेद 156 के खण्ड (1) के अध्यधीन है तथा कार्यकाल पांच वर्षों का होता है।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें हैं। विभिन्न अन्य आयोगों की सिफारिशें हैं। हमने पिछले छः वर्षों से उन पर कहां चर्चा की है? हम किसी सर्वमान्य प्रस्ताव पर राजी हो गए होते कि राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार से संचालित हो। हमने ऐसा नहीं किया। भाजपा छः वर्षों तक सत्ता में थी और आज जब हमने यह कार्रवाई की है तो कांग्रेस ने पूरे उत्तरदायित्व के साथ ऐसा किया है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर है।

मैं आपको 1977 की याद दिलाना चाहता हूं। संबंधित राज्यों की जनता द्वारा विधिवत निर्वाचित नौ सरकारों को जिनका कार्यकाल अभी पर्याप्त रूप से बाकी था उस सरकार द्वारा मनमाने रूप से बर्खास्त कर दिया गया जिसका सबसे बड़ा घटक दल भाजपा था; यद्यपि हम इसका जिक्र करना नहीं चाहेंगे।

[हिन्दी]

सवाल क्यों उठा है? अगर आप उन बातों को भूलकर और बातों को आगे लाना चाहते हैं, तब यह सवाल उठता है। उस वक्त यही हुआ था। यही 1990 में हुआ था। सभी राज्यपालों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया और 1990 में, उस सरकार को भी लाल कृष्ण आडवाणी का समर्थन प्राप्त था। अब आप कहेंगे कि उस वक्त के लोग हमारे साथ थे। अगर उन्होंने किसी वक्त समझा है कि आज इस ऐलायंस की जगह उस ऐलायंस की जरूरत है तो क्या आप उनको यह बात याद कराएंगे। देखने की बात यह है कि उन्होंने अपने विचार, अपना रवैया बदला है या

[श्री पवन कुमार बंसल]

नहीं, या आप अपनी बात पर अड़ियल बन रहे हैं। इसी कारण मैंने यह कहा था-

अरबा बोले ज्यों का त्यों
सुसरा कुम्बा डूबा क्यों।

[अनुवाद]

मुझे भी याद आ रहा है किसी ने कहा था- "पहले हम मुखौटे पहनना सीखेंगे, उन मुखौटों को हमने इतना बदला कि हम दर्पण में अपने चेहरे भी पहचान नहीं पाए।

[हिन्दी]

यह हुआ आपके साथ। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि गवर्नर्स का मुद्दा, गवर्नर्स की नियुक्ति कैसे हो, उनका कार्यकाल कितना हो, वे कैसे रहें, सही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस वक्त सरकारिया कमीशन बनाया था। उन बातों पर बहस हो सकती है। जैसे इन्होंने कहा, हमारे गृह मंत्री भी बातों को करना चाहते हैं। लेकिन आज जो हालात पैदा हुए, उस हालात के मद्देनजर क्या आज यह अनिवार्य नहीं था कि वे चार महापुरुष वहां न रहते और कहां से क्या बात हो गई? क्या उसकी धज्जियां उड़ गईं जो पहले संविधान की नहीं उड़ाई गई? क्या कोई ऐसी इमप्रोप्रायटी हो गई जिसका जिक्र किया गया कि पता नहीं उसके बाद इस सरकार ने अपनी शुरूआत कैसे की।

अगर आप इजाजत दें, मैं फिर उसी बात का जिक्र करना चाहता हूं कि अलग-अलग समय में एक नहीं कुई ज्यूडीशियल कमिशन्स ने आर.एस.एस. के बारे में क्या टिप्पणी की है। आर.एस.एस. के साथ उनका ताल्लुक है और इस कारण वह टिप्पणी सामने आ जाती है। यह बात भी नहीं भूलनी होगी कि आर्टिकल 156(1) और (3) का जिक्र, 1982 में एक बार सवाल उठा था। आपने आज अपने एक एमपी से सुप्रीम कोर्ट में केस डलवा दिया। इंतजार करते जैसे राधाकृष्णन जी ने कहा। इंतजार करते कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन 1982 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ राष्ट्रपति का प्रैरोगेटिव है और इसे लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस पर आप कोई केस नहीं कर सकते, कचहरी से फैसला नहीं मांग सकते। मैं मानता हूं कि वह हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह दे। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, उसे हम सभी मानेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से कोई इंटरिम फैसला आपके हक में नहीं हुआ तो आप उसको फिर मुद्दा बनाए रखते हैं। आज से दो महीने पहले तक कितनी बार बात उठी कि *सब-जूडिस* मैटर है, हम इस पर नहीं बोल सकते। जब हम उधर से बोलना चाहते थे। हमने वह नहीं कहा। इस पर बहस कीजिए, लेकिन आज खुदा के वास्ते इस बात को इतना मत भड़काइए क्योंकि इसके बीच में नहीं जब आप बात को उठाएंगे तो फिर खोखलापन ही नजर आएगा कि अगर सही मायने में कोआपरेटिव फैडरेलिज्म के हिसाब से सरकार को देश का संचालन करना है। देश जिसमें इतनी भिन्नता है, उस अनेकता में एकता लानी है। वह यह जो मैंने पहले पढ़ा जिस पर एतराज किया गया। उस विचारधारा के साथ नहीं हो सकता। वह हो सकता है अगर आप आगे बढ़ें और उस विचारधारा के लोग इधर हैं। मैं उससे खुश नहीं हूं। मैं यह नहीं कहता कि हम उसको ज्यादा कर सकते हैं लेकिन अगर जिम्मेदारी लोगों ने आज आपका 6 वर्ष का काम देखकर डाली है, इनकी जवाबदेही कल को बहुत बातों पर होगी। जवाबदेही के लिए सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो कदम इन्होंने उठाया, वह उठाना चाहिए था। उसमें कोई गलती नहीं है और मैं सिर्फ यही कहते हुए कि जैसा आज कानून है, जैसा आज संविधान है, उसके तहत यह सरकार की जिम्मेदारी होती है।

[अनुवाद]

मैं 'एजेंट' शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि अक्सर इसे गलत समझा जाता है। लेकिन, राज्यपाल, केन्द्र के प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

[हिन्दी]

समय-समय पर ऐसा किया होगा। अगर ऐसा है तो यह बबाल किस बात पर? किस बात पर कि यह उन्होंने क्या कर दिया? हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमने किसी गवर्नर को हाथ लगाया है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बनाया था जब वह उनके सदस्य रहे हैं। पहले तो जैसा मैंने अभी कहा कि सिर्फ कांग्रेस के सदस्य ही नहीं। उच्च नौकरशाहों को राजभवन में उनके पदों से हटा दिया गया क्योंकि उन्हें कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया था। यह अन्तर दोनों में है और यह अंतर हम बनाकर रखना चाहेंगे। मुझे अधिकार तो नहीं है लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से जरूर कह सकता हूं कि हम इन चीजों की सटलटीज को समझते हैं।

[अनुवाद]

संविधान पर हमने उनसे ज्यादा समय तक कार्य किया, इसलिए हम जानते हैं कि संविधान में क्या है। लेकिन लोगों ने संविधान बनाया? संविधान की भावना क्या है? जिन उदात्त सिद्धान्तों पर कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस हमेशा उनका पालन करेगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, नेता विपक्ष ने इस डिसकशन को इनिशिएट करते हुए इसके दायरे को महदूद जगह पर काफी वसी किया है और इसमें मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सिर्फ रिमूवल आफ गवर्नर्स की बात नहीं, अपाइंटमेंट आफ गवर्नर्स की बात और कांस्टीट्यूटएंट असैम्बली की डिबेट से वहां से चलकर सरकारिया कमीशन से होकर आखिर में आकर अपने 6 साल का जो वक्त है, वहां उन्होंने किस तरह से काम किया, उस बारे में उन्होंने कहा। मैं बंसल जी की बात को दोहराना नहीं चाहता कि सलैक्टिव डीमेंशिया। जहां-जहां उनको जरूरत थी, वहां-वहां से उठा लिया और बाकी को छोड़ दिया। दायरा चूंकि बहुत बड़ा हो चुका है, मैं उस दायरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि शार्ट ड्यूरेशन डिसकशन में, रूल 193 में यह सवाल था कि रिमूवल आफ गवर्नर्स और फिर आइडियालाजी का सवाल है, सरकारिया कमीशन के बारे में बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा। पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार जब 1998 में आई, सरकारिया कमीशन की बात आज आडवाणी जी कह रहे हैं। 1993 में 24 मार्च को जो रिपोर्ट दाखिल की और फिर उसके 15 साल बाद 25 मार्च को 1998 में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण, एन.डी.ए. सरकार की कथनी कि क्या वहन करने जा रहे है, पैरा 25 को मैं कोट करूंगा।

[अनुवाद]

''मेरी सरकार सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर तुरन्त कार्रवाई करेगी।''

[हिन्दी]

उसके बाद दूसरी बात गवर्नर के बारे में है-

[अनुवाद]

''राज्यपाल का कार्यालय हमेशा से विवाद का केन्द्र रहा है। राजभवन को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।''

[हिन्दी]

पैरा 25 में ही है, फिर 1998 जहां चले थे, वह छोड़ दिया। कथनी और करनी में इतना फर्क है। आज सरकारिया आयोग की बात याद आ रही है। वह भी इसलिए याद आ रही है कि 1990 में वी.पी. सिंह के समय में इंटर स्टेट कौंसिल बनी थी, तो समझ लिया गया कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई। उसमें तो कई बातें थी, वे क्यों नहीं मानी गईं, फिर भी अगर वह लागू हो गया तो 1998 में आपका यह कहना कि इसको तत्काल लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने कोई कदम नहीं उठाया। जहां तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, हम शुरू से ही यह बात कह रहे हैं।

आडवाणी जी ने संघीय ढांचे के बारे में, फैडरल स्ट्रक्चर के बारे में कहा कि कहां तक हमारा संविधान यूनीटरी होगा, कहां तक उसमें फैडरल मामला ज्यादा रहेगा। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, वह मामला ही नहीं है। लेकिन उसके बाद 1998 में ही जो पहले की सरकारों द्वारा राज्यपाल बनाए गए थे, उनके साथ छेड़खानी शुरू हो गई। दोबारा टेन्योर नहीं दिया जा सकता, ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिमूवल होना चाहिए, रेजीग्नेशन होना चाहिए। कई तरह की बातें कही गई थीं. इसलिए कभी-कभार आइने के सामने भी खड़ा होना चाहिए।

आपने संविधान सभा की डिबेट की बात कही, जबकि एनडीए की सरकार इस संविधान को ही मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक नेशनल कमीशन फार दि रिव्यू आफ कांस्टीट्यूशन बनाया गया। उसको वे भूल गए। सिविल कोड की याद दिलाई। आपका ही बनाया हुआ कमीशन था। संविधान सभा, सरकारिया आयोग सब नाकाफी थे इसलिए वैंकटचलैया आयोग बनाया गया। आज वे इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं, इनीशिएट कर रहे हैं, तो वहां से चल रहे हैं। अच्छा हुआ यह नहीं कहा कि संविधान सभा की डिबेट में तिरू अलादि के. अय्यर ने कहा था, सब कमेटी की रिपोर्ट थी कि गवर्नर एलेक्टेड होना चाहिए। बाद में पंडित जी ने और अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं इलेक्टेड नहीं होना चाहिए। आज इसलिए यह कहा जा रहा है कि आइडियोलाजी का मामला है, उसको छिपाने जा रहे थे। इसलिए डिबेट वहां चली गई।

उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात पर आना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहस को इस तरह से उठाया गया जैसे राजनीति से पहले होकर काम करते हैं। राजनीति से परे होकर दिल्ली में कोई मुख्य मंत्री बन सकता है, मल्होत्रा जी नहीं है, साहिब सिंह जी खुराना जी बने, केदारनाथ साहनी जी भी बन सकते थे, लेकिन उनको नहीं बनाया और सिक्किम का राज्यपाल बना कर भेज दिया। बंसल जी ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बारे में ठीक कहा। मैं नटशैल में कहता हूं कि इंटर स्टेट कौंसिल को नहीं मांना, लेकिन सरकारिया आयोग की सिफारिश में यह कहा गया है कि

[अनुवाद]

''उसे जीवन के किसी क्षेत्र में प्रख्यात होना चाहिए, उसे राज्य से बाहर का होना चाहिए, उसे असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए...''

[मोहम्मद सलीम]

'असंबद्ध'-बाबू परमानन्द जी....

"...उसे राज्य की स्थानीय राजनीति से ज्यादा करीब से नहीं जुड़ा होना चाहिए और उसने आमतौर पर तथा विशेषकर हाल ही में राजनीति में ज्यादा भाग नहीं लिया हो।"

[हिन्दी]

अगर ब्यूरोक्रेट्स को, लीगल लुमीनरीज को, हाई कोर्ट के जज को भी बनाएं, तो इनकी पास्ट परफार्मेंस देखें, न कि रीसेंट परफार्मेंस देखें, अगर अयोध्या कांड के कंटेक्स्ट में है *...(व्यवधान)* मैं इनकी तरफ जा रहा हूं, आप धैर्य रखें। *...(व्यवधान)* लगता है इनको अच्छी बात सुनने की आदत नहीं है। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। कृपया इनको कम्प्लीट करने दें।

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): आडवाणी जी और अटल जी चले गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपका व्यवस्था का कोई प्रश्न है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आपका व्यवस्था का कोई प्रश्न है तो उसे पूछे, अन्यथा अपनी स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: जिन्होंने राज्यपाल बनाए, वे लोग ही चले गए, सत्ता से बाहर हो गए, तो उनको भी रखना अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मामला सिर्फ राजनैतिक नियुक्ति का नहीं है। जो सवाल यहां उठाया गया, अगर आप विषय पर ही रहेंगे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो विषय यह है कि "श्री एल.के. आडवाणी, चार राज्यों के राज्यपालों को उनकी विचारधारा के आधार पर हटाने के बारे में बहस कराने वाले हैं।" यह गृह मंत्री जी आइडियोलाजी लेकर ज्यादा बहस न हो इस पर जोर दे रहे थे लेकिन मामले की आइडियोलाजी है। जहां तक वामपंथ के लोगों का सवाल है, इस देश के लोगों ने उनको जनादेश दिया है कि इस देश में संघ-परिवार की राजनीति नहीं चलेगी। *...(व्यवधान)* इसलिए इनकी जहां-जहां घुसपैठ हुई है वहां-वहां से इनको हटाना पड़ेगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: *...(व्यवधान)* (कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय: इनका वर्सन रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

मोहम्मद सलीम: सिर्फ राजभवन में ही नहीं जहां-जहां इस प्रकार की घुसपैठ हुई है चाहे शिक्षा में, चाहे शोध-संस्थानों में, चाहे संवैधानिक संस्थाओं, जहां-जहां इस प्रकार की घुसपैठ हुई है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वही रिकार्ड किया जाए जो मेरी पर्मिशन से बोले।

*...(व्यवधान)**

मोहम्मद सलीम: इस देश के संघीय ढांचे को बचाकर रखना होगा। अगर राजभवन में ऐसे लोग बैठे रहेंगे जो दिल्ली सरकार से नहीं नागपुर से हिदायत लेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: *...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीमः खंडूरी जी, आप अपनी गेम खेल चुके हैं, लोगों ने आपसे पैवेलियन वापस जाने के लिए कह दिया है। *...(व्यवधान)* इस देश के संघीय ढांचे को, इस देश की एकता को अगर बरकरार रखना है, संवैधानिक दृष्टि से अगर शासन का परिचालन करना है तो जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के मूलभूत आधार को नहीं मानते हैं और जो खुलेआम कहते हैं कि *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): इटली से बढ़िया तो नागपुर से संदेश लेना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीमः राज्यपाल कानून का पालन करेंगे, वे सरकार के पास रिपोर्ट भेजेंगे। गुजरात में जब नस्लकुशी हो रही थी, उस समय राज्यपाल की जो जिम्मेदारी थी, वह उन्होंने नहीं निभाई, अपना काम उन्होंने नहीं किया। राजभवन में परिवार के लोग बैठे रहेंगे तो वही स्थिति होगी, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप का साथी बोल रहा है और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

मोहम्मद सलीमः जनता ने इम्फैटिकली कहा कि हम समर्थन नहीं करते हैं। इस सरकार को जनादेश भी मिला कि आप जनता के जनादेश के अनुसार काम कीजिए। नहीं करेंगे तो आप जनता की राय को नहीं मान रहे हैं। यही कारण है, ऐसे बहुत से मामले हैं, मैं इनको भी कहूंगा कि राजभवन को राजनीति के शार्टटर्म गेन के लिए इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। बाबू परमानन्द जी, जो हरियाणा के गवर्नर थे, ने वाजपेयी जी के नाम से वोट मांगे। आप मर्यादा की बात कह रहे है, आप संविधान की मर्यादा की बात कर रहे हैं, राजभवन की मर्यादा की बात कह रहे हैं। 15 अप्रैल को श्री अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर कहा कि वाजपेयी जी को वोट डालना।*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में एक कहावत है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह शब्द एक्सपंज कर दें।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडीः महोदय आज सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने विनिर्णय में कहा था कि "आपको ऐसे लोगों के विरुद्ध आरोप नहीं लगाना चाहिए, जो सभा में स्वयं अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं है" *...(व्यवधान)* आपको ऐसा नहीं करना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीमः महोदय, समय की कमी थी। आडवाणी जी ने बहुत के कोटेशन्स दिए हैं। बाबू परमानन्दजी जी, जो हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं, उनके भाषण को कोट कर रहा हूं। उन्होंने 15 तारीख को श्री अम्बेडकर जयन्ती के अवसर जो भाषण दिया, उन्हीं के कुछ सुनहरे शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं- 'अमन से विकास होता है.....' *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडीः उपाध्यक्ष महोदय, क्या ये ठीक है? *...(व्यवधान)* महोदय, क्या वे इसकी विश्वसनीयता को साबित करेंगे। *...(व्यवधान)* क्या वे इसे विश्वसनीय साबित कर सभा पटल पर रखकर कह सकते हैं कि यह श्री बापू परमानन्द का वास्तविक वक्तव्य है?

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है। यह ग्रन्थालय में उपलब्ध है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडीः यह समाचार पत्र की खबर है।

श्री एन.एस. कृष्णदासः यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है। यह ग्रंथालय में उपलब्ध है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: श्री मोहम्मद सलीम, आप समाचार-पत्र का हवाला दे रहे हैं या आप वहां उपस्थित थे? *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीमः महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, क्या ये वहां उपस्थित थे या वे समाचार पत्र का हवाला दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: महोदय, रिवाड़ी, हरियाणा में दलित समाज में अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर राज्यपाल महोदय ने जो कहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* दो लाइनें है, सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: अगर वे उसको आथैंटिकेट करते हैं, तो टेबल पर रख सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: बात थोड़ी सुननी पड़ती है और सुनने की आदत होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहम्मद सलीम, आप बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन लोगों ने इनका सारा समय ले लिया ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: श्री रामदास आठवले, कृपया मुझे बोलने दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहम्मद सलीम जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: हमारे गांव में एक कहावत है, जिसका एक कान कटा हुआ होता है ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. के लोग तो बात को सुनते हैं। आपकी बातों से लगता है कि आप आर.एस.एस. के नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में एक कहावत है-जिसका बायां कान कटा हुआ होता है, वह गांव से दाहिनी तरफ से जाता है और जिसका दायां कान कटा हुआ होता है, वह गांव से बायीं तरफ से जाता है और जिसके दोनों कान कटे हुए होते हैं, वह गांव के बीच से जाता है। ...*(व्यवधान)* आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और देखने के लिए भी तैयार नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके पास चार मिनट का समय है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों की बात सुनते हैं? पश्चिम बंगाल में जबरदस्ती करते हो ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, सदन की अपनी मर्यादा होती है। सदन में गवर्नर्स के विषय पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रैजीडेंट थे, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। अगर वे गर्व से यह कहें कि संघ परिवार के सदस्य है, तो दूसरे दिन हम कहेंगे कि हमें ऐसे गवर्नर नहीं चाहिए। हमारी भाजपा से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उनसे हैं, जो लोकतंत्र को नहीं मानेंगे, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को नहीं मानेंगे, धर्म-निरपेक्षता को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे और जो परम्परायें हमने बनाई हैं, उनको हटाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हम बोलते हैं, हम संघ परिवार से हैं, क्या आप हमारी सदस्यता खत्म कर देंगे? ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: मैं लोकतंत्र को मानता हूं। आप लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर आए हैं। आपको पूरा हक है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप संघ परिवार के नाम से वोट मांग सकें। ...*(व्यवधान)* मैं उन्हें चुनौती देता हूं ...*(व्यवधान)* हम कम्युनिस्ट हैं। हमें कम्युनिस्ट होने में कोई शर्म नहीं है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से वोट मांगते हैं। ...*(व्यवधान)* आपको शर्म है इसलिए सब चीजें झोली में छुपा कर रखते हैं और आर.एस.एस. के नाम से वोट नहीं मांगते हैं। ...*(व्यवधान)* क्या अभी भी आपको पछतावा नहीं है? रेणुका जी, हम चाहेंगे कि 5-10 करके इनको मनाली भेज दीजिए क्योंकि वहां सच्चाई मालूम हो जाती है। यह बात है कि वापस आने से सब भूल जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपसे कहा गया कि अध्यक्षपीठ को संबोधित करें, किसी और को नहीं। आपका समय बहुत हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: ये इस तरह से व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? वे उन्हें बोलने से इस तरह क्यों रोक रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: इन लोगों ने उनका अधिकतर समय नष्ट कर दिया।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: सरकारिया कमीशन ने भी यह बात कही है। आडवाणी जी ने उसे कोट किया। हम नार्मली उन्हें हटा नहीं सकते हैं। उनका टैन्योर पूरा होना चाहिए लेकिन सरकारिया कमीशन यह भी कह रहा है कि

[अनुवाद]

''शायद ही कभी और वो भी किसी बहुत ही विवशतापूर्ण कारण के लिए।''

[हिन्दी]

इसका प्रावधान किया है यदि आप सरकारिया कमीशन को मानते हैं। यह ऐसी स्थिति है। हम भी यह चाहते हैं कि गवर्नर का जल्दी तबादला नहीं होना चाहिए लेकिन जब ऐसी स्थिति आए कि देश बड़ा कि संघ बड़ा तो हम देश के पक्ष में हैं। संविधान बड़ा है या नागपुर बड़ा है तो हम संविधान के पक्ष में हैं। ...*(व्यवधान)* इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जनता के पास जाएंगे और आन्दोलन करेंगे। मैं इन सारे सवालों को लेकर चैलेंज करता हूं। यदि आपके पास हिम्मत है तो जनता के बीच जाइए। आपको पता चल जाएगा कि वह संघ परिवार के गवर्नर के पक्ष में रहती है या नहीं?

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमन्, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्यपाल का पद, उसकी नियुक्ति और रिमूवल दोनों संविधान के निर्माण से लेकर अब तक विवाद के बिन्दु रहे चाहे संविधान सभा में नियुक्ति और उसके टैन्योर या रिमूवल की बात रही या उसके बाद की, हमेशा विवाद रहा, एक आशंका संविधान निर्माताओं को थी कि इस पद पर बैठा व्यक्ति दिक्कत पैदा कर सकता। केन्द्र सरकार को तब एक्शन लेना होगा जब केन्द्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें हों। पहली बार 1960 में जब नान कांग्रेस गवर्नमैंट केरल में थी श्री ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद का जब डिसमिसल हुआ तब से लेकर अब तक राज्य में बैठे होते है, उनको यह आशंका होती है कि दिल्ली के लोग दूसरे तरीके से व्यवहार करेंगे। और दिल्ली में जो आ जाते हैं उन्हें लगता है कि राज्यपाल उनके हिसाब से काम करें। कई बार ऐसा हो सकता है क्योंकि वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने के नाते जब हम कहते हैं कि वह केन्द्र सरकार का ही एक प्रतिनिधि है, इसलिये समन्वय की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में 1977 के बाद का मामला हो या आज का हो, आप जानते हैं कि 1977 के बाद एंब्लाक उत्तर भारत में सभी राज्यपालों को हटाया गया और तर्क यह दिया गया कि सम्पूर्ण उत्तर भारत में कांग्रेस सरकार एक सीट को छोड़कर सारी सीटें हार गई थी, इसलिये जनादेश उनके साथ नहीं है। अगर वहां विधान सभा को भंग करके नये चुनाव कराने हैं तो गवर्नर ऐसा होना चाहिये जो केन्द्र सरकार की इच्छानुसार काम करे। यह स्वाभाविक सी बात है, इसे अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस बिन्दु पर श्री अटल जी या श्री आडवाणी को यह मामला उठाना चाहिये था। यह सच है कि उनके 6 साल के शासन के दौरान किसी गवर्नर को नहीं हटाया गया लेकिन यह भी सच है कि धारा 356 का प्रयोग करके बिहार सरकार को हटाने की कोशिश की गई। इसलिये गवर्नर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किये जाते हैं। लेकिन

[प्रो. राम गोपाल यादव]

राज्य सभा में एन.डी.ए. सरकार का बहुमत न होने के कारण बिहार सरकार को बहाल करना पड़ा। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: लेकिन बाद में नीयत बदल जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय: लालू जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मोस्ट रैस्पैक्टेबल हैं। नो रनिंग कमेंटरी।

प्रो. राम गोपाल यादव: यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। ऐसा लगातार होता रहा है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं थी। श्री आडवाणी जी ने आपत्तिजनक बात यह उठायी कि गृह मंत्री जी ने कहा कि आइडियोलौजी की वजह से गवर्नर हटाये गये। जब केन्द्र सरकार का गवर्नर प्रतिनिधि है तो यह अपेक्षा की जाती है कि केन्द्र सरकार और गवर्नर के बीच में समन्वय हो लेकिन केन्द्र सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि वह जनहित में काम करे, राज्य के हित में काम करे न कि किसी दल हित के लिये काम करे। वह राज्य हित में काम कर रहा है या नहीं, केन्द्र सरकार के साथ समन्वय बना है या नहीं, इस बात को देखने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारिया कमीशन का जिक्र किया गया। सरकारिया कमीशन ने बहुत सारी बातें कही हैं जिनसे सहमत भी हुआ जा सकता है और नहीं भी हुआ जा सकता। इंटर स्टेट कौंउसिल ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यपाल कोई राजनैतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिये, मैं कभी भी इस बात से असहमत नहीं हूं। केवल जिन्दगी भर नौकरी करके जनता के बीच में न रहकर यदि ब्यूरोक्रेट आयेगा, रिटायर होने के बाद सभी राज्यपाल बन जायेंगे, पौलिटकल लोग सारे बेईमान हैं जो सभी गड़बड़ियां करते हैं, इस सिद्धान्त से मैं कभी भी सहमत नहीं हो सकता, न मेरी पार्टी हो सकती, है, न कभी हुई है और न कभी होगी।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक धारा 356 का सवाल है, मैं उससे इसलिये सहमत हूं कि यह संविधान का अभिन्न अंग रहना चाहिये। इतना बड़ा देश है, कभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है। डा. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इस देश की जमीन अलोकतांत्रिक है। इसकी नींव ऐसी हो कि जिसने बालू पर महल खड़ा कर दिया, अगर रैस्ट्रिक्शन्स नहीं होंगी तो दिक्कतें हो सकती हैं, कभी भी यह व्यवस्था टूट सकती है। इसलिये संविधान में यह प्रोवीजन रखा गया जिसकी जरूरत है। इसलिये चाहे धारा 352 हो या धारा 356 हो, इनकी जरूरत है। लेकिन इसमें संयम की भी जरूरत है, चाहे गवर्नर हो, चाहे केन्द्र सरकार हो। हम देख चुके हैं और यह नहीं कहेंगे कि इसमें राजनीति होती है बल्कि एक कठोर शब्द है जिसे अदरवाइज न लिया जाये तो मैं कहूंगा कि आज राजभवन राज्य सरकारों के खिलाफ अड्डे बने हुये हैं। अतीत इस बात का गवाह है। इसलिये मैं कहता हूं कि गवर्नर और केन्द्र सरकार में समन्वय की जरूरत है क्योंकि वह उसका प्रतिनिधि है। वह औब्जर्वर होता है जो यह देखता है कि राज्य में ठीक प्रकार से काम हो रहा है या नहीं? लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर गवर्नर का प्रयोग होता है या उस दृष्टि से उसका अपाइंटमैन्ट होता है तो यह किसी के लिए चिंता की बात हो सकती है। इसलिए यह जो एक बात है कि गवर्नर्स की नियुक्ति जब हो तो राज्य के मुख्य मंत्रियों से कंसल्टेशन होना चाहिए, यह आवश्यक होता है। अतीत में भी कई बार ऐसा हुआ है और ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये जो तर्क हैं, चाहे सरकारिया कमीशन का तर्ज हो, चाहे इधर से दिया जाए या उधर से दिया जाए, वह सब पर लागू होता है, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई कहे राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए तो वह भी गलत बात है, राजनीतिक व्यक्तियों को इन्होंने भी अपाइंट किया है और यह भी अपाइंट कर रहे हैं। जो आर.एस.एस. की बात है, जो आइडियोलोजी की बात है, वह स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता की बात है। जब गुजरात में यह सब हो रहा था तो गुजरात के गवर्नर को केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी। गुजरात के गवर्नर का जो दायित्व और कर्त्तव्य था, उसका उन्होंने पाल नहीं किया। अगर वह निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष आइडियोलोजी से जुड़े हुए व्यक्ति होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। यह कोई भी आदमी देश में मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर इस रेफरेंस में कहा है तो उसे बहुत लम्बा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आडवाणी जी इसे अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। आप भी सहमत होंगे, जो गुजरात में हुआ, उसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और कोई उसकी कल्पना कर भी नहीं सकता था कि आजाद हिन्दुस्तान में एक पूरे वर्ग को राज्य के संरक्षण में, राज्य सरकार के निर्देश में हजारों लोगों की हत्याएं कर दी जाए, सामूहिक रूप से लोगों को जला दिया जाए और केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में जो गवर्नर वहां हैं, वह एक लाइन भी न लिखे, अगर लिखी होगी तो यह लोग जानते होंगे, फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं हुई। इस रेफरेंस में हो सकता है माननीय गृह मंत्री जी ने यह बात कही हो और वह जरूरी भी है, क्योंकि इस देश में विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताओं में एकता का प्रयास है। अगर ये चीजें ज्यादा चलने लगेंगी, फैलने लगेंगी तो देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की प्रस्तावना में पहले ही सैन्टैन्स में लिखा हुआ है-

[अनुवाद]

हम, भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं..."

[हिन्दी]

संविधान की प्रस्ताव जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पूरे संविधान के किसी भी आर्टिकल से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी प्रीएम्बल, उस प्रीएम्बल में पहले ही वाक्य में सारे देश की जनता की तरफ से जब संविधान को इनेक्ट और समर्पित करने की बात कही जाती है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: सर, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: किस नियम के अंतर्गत?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: इन्होंने कहा कि जिस समय दंगा हुआ, उस समय श्री कैलाशपति मिश्र राज्यपाल थे, उस समय श्री मिश्र राज्यपाल नहीं थे, बल्कि वहां भंडारी जी राज्यपाल थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मोदी जी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं किसी गवर्नर का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मैंने कोई नाम नहीं लिया और न मैं कोई नाम लूंगा। मैं ऐसा नहीं कहा है, मोदी जी, आपने सुना ही नहीं है, मैंने कोई नाम नहीं लिया है। मैं जाने-अनजाने में भी नाम नहीं लेता।

श्री लालू प्रसाद: यह मिश्रा जी के बहुत नजदीक हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: यह आपसी मामला है, बिहार के ही सब लोग हैं, मैं नहीं जानना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, आप समाप्त कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: प्रीएम्बल में जब सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द का प्रयोग हुआ है तो क्या यह सबका कर्त्तव्य नहीं है कि इस आइडियोलोजी से सहमत हों। क्या आप अपने को सोशलिस्ट और सेक्युलर मानने को तैयार हैं। सेक्युलर तो कह सकते हो, हम लोगों को छद्म सेक्युलर वाले, छद्म धर्मनिरपेक्षता वाले कहेंगे। लेकिन अगर संविधान को मानते हैं, संविधान की प्रस्तावना को मानते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसकी शपथ लेकर यहां बैठे हुए हैं, जिसकी शपथ लेकर मंत्री, गृह मंत्री और प्रधान मंत्री सब बनते हैं, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द भले ही 42वें अमैन्डमैन्ट के बाद जोड़ा गया हो, लेकिन वह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए अगर आइडियोलोजी की बात आ जाती है तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं इधर बैठे हुए लोगों, खास तौर से गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब आप लोगों को राज्यों में भेजते हैं और राज्य सरकार कोई गलत काम करे, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले दिन ही जाकर कोई गवर्नर कलक्टर को बुलाकर यह पूछने लगे कि साड़ी कांड में क्या हुआ, रायबरेली में क्या हो रहा है, यह गवर्नर का काम नहीं है। अगर कलक्टर और एस.पी. को बुलाकर ऐसा कहने लगे तो जो आरोप किसी और के ऊपर आप लगा रहे हैं, उससे ज्यादा गम्भीर आरोप इस हाउस में सहने के लिए आप तैयार रहिये।

इसलिए मैं कहता हूं कि ब्यूरोक्रैट्स को गवर्नर बनाकर भेजेंगे, वे डाटेड लाइन्स पर दस्तखत करने वाले होते हैं, वे अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा आप इशारा करेंगे, वे उसी हिसाब से करेंगे। इसलिए मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि ये चर्चाएं हमेशा होती रहेंगी, विवाद आते रहेंगे। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्पष्ट रूप से गवर्नर्स के रिमूवल का भी कोई प्रोविजन संविधान में संशोधन करके, बना दिया जाए। अन्यथा जब यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त रहेगा उसके साथ अगली लाइन जोड़ दीजिए कि पांच साल उसका टर्म हुआ- या तो पांच साल वाला हटा दो। यह इतना ही बना रहे, उतना ही पर्याप्त है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता आडवाणी जी ने नियम 193 के तहत राज्यपालों की बर्खास्तगी पर तर्क देते हुए जिन संवैधानिक प्रावधानों और सरकारिया आयोग, वेंकटचलैया आयोग के प्रावधानों का उल्लेख किया है, वह उस वक्त के लैटर में तो कुछ सही हो सकता है किन्तु आज जो परिस्थिति है, स्पिरिट में कहीं मूल भावना से मेल नहीं खाता है। इसलिए इस बार जो चुनाव था यह चुनाव नहीं था। देश के अंदर इस बार जो लोक सभा का चुनाव हुआ है, वह रेफरन्डम था धर्मनिरपेक्ष ताकतों और साम्प्रदायिक ताकतों के बीच। यह जनमत संग्रह था जो पूरे देश में हुआ है। अब ये जनादेश की बात कह रहे हैं। जनादेश तो मिल गया धर्मनिपेक्ष गठबंधन को लेकिन जनादेश के अनुकूल आर.एस.एस. पृष्ठभूमि वाले राज्यपाल

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]
क्यों हटाए गए। पांच साल तक उनकी अवधि ज्यों की त्यों रहती या निरंतरता बनी रहती। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग भगवाकरण में विश्वास करते हैं, जो लोग कट्टरपंथी विचारधारा में विश्वास करते हैं, वे क्यों संवैधानिक पदों पर बने रहना चाहते हैं? राज्यपाल केन्द्र और राज्य को जोड़ने वाली कड़ी होता है। केन्द्र सरकार की विचारधारा से, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की विचारधारा से राज्यपाल की विचारधारा जब मेल ही नहीं खाती, चूंकि उनकी पृष्ठभूमि आर.एस.एस. की है, आर.एस.एस. की विचारधारा में उनको भरोसा है और उनको गर्व भी है कि वे आर.एस.एस. के हैं, फिर यदि उनको केन्द्रीय सरकार ने बर्खास्त किया है तो मैं मानता हूं कि यह जनादेश का आदर किया है। ऐसा होना चाहिए था। इस बार जो रैफरैन्डम हुआ है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों बनाम सांप्रदायिक ताकतों के बीच में, उसके अनुकूल उन्होंने निर्णय लिया है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: जनादेश की बात हो रही है। केरल में जनादेश किसके पक्ष में था, किसके खिलाफ था? राजस्थान में क्या था, उड़ीसा में क्या था, छत्तीसगढ़ में क्या था? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: धैर्य रखिये। माननीय सदस्य नए हैं इसलिए मैंने उनको बीच में बोलने का मौका दिया। जनादेश को आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में पचा क्यों नहीं पाते हैं? क्या कारण है, क्या परेशानी हो गई है? यह सबसे बड़ी परेशानी हमें नजर आ रही है। जनादेश को डाइजैस्ट नहीं कर पा रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं तथा लंबे-लंबे ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रख रहे हैं कि संविधान का लैटर और स्पिरिट क्या था। स्पिरिट तो व्यावहारिकता है जो किया गया है और करने का अधिकार है अनुच्छेद 156 के तहत।

हम चाहते हैं कि संविधान के तहत राज्यपाल के पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का हो, जो संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हो तथा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। क्या भाजपा द्वारा नियुक्त सभी राज्यपाल इस कसौटी पर खरे उतर रहे थे? अभी हमारे एक मित्र ने कोट भी किया था कि हरियाणा के राज्यपाल ने क्या कहा और बिहार के राज्यपाल ने गांधी मैदान में जो कहा, उससे लगा कि वे कोई पाठ पढ़ रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी के अवसर पर समूचा देश देख रहा था और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने सांवैधानिक पद पर रहकर किया। कोई भी राज्यपाल इस तरह के शब्दों का, इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं है। उनके वाक्यों को सुनकर लग रहा था जैसे कोई आर.एस.एस. का बड़ा आदमी बोल रहा हो। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: जो राज्यपाल ने कहा, वही हाईकोर्ट ने कहा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मोदी जी, कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मोदी जी, पार्लियामेंट की गरिमा समझिए। जो हाईकोर्ट ने कहा, उसे यहां कोट नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने क्या कहा है, उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। जो न्यायालय ने कहा है वह उसका अधिकार है।

महोदय, जो राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से बिहार के गांधी मैदान में कहा, उन्होंने जिस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया, उससे लगता था कि जैसे कोई आर.एस.एस. का सरसंघ चालक बोल रहा हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह संविधान के विरुद्ध है। संविधान के तहत, राज्यपाल के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से इस तरह के शब्द निकलना, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना, क्या नई परम्परा डालने वाली बात नहीं है, क्या उनका यह आचरण संविधान के विपरीत नहीं है? जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: फिर से बोलिए। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: फिर से क्यों बोलूं, मोदी जी दुबारा क्यों कहूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मोदी जी, सदन का समय बर्बाद न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, मोदी जी को बिहार विधान सभा का अनुभव है। उन्हें पार्लियामेंट का अनुभव नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः मोदी जी, हमारे सैक्रेट्री थे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मोदी जी, कांग्रेस के समय में जब इमर्जेंसी लगी तब लालू जी आगे-आगे चलते और गिरफ्तार हो जाते और आप पीछे छूट जाते थे। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदीः मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि मैं छात्र संघ का सैक्रेट्री था, कोई प्राइवेट सैक्रेट्री नहीं था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैं तो यील्ड नहीं कर रहा हूं। वे बोले जा रहे हैं। यह विधान सभा नहीं है। यह संसद है। देश की सर्वोच्च संस्था है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि यहां गरिमा का पालन करना पड़ेगा। संसद की ऊंचाई समझने की कोशिश कीजिए।

सुशील मोदी जी नए सदस्य हैं। मैं उन्हें बता दूं कि यहां आसन सर्वोपरि है। ज्यादा हलचल में कहीं ज्यादा ऊंचे मत उठ जाइए। यहां आसन की अनुमति लेकर ही बोला जाता है। आप गरिमा और मर्यादा की बात बहुत बोलते हैं।

महोदय, अभी आडवाणी जी, बोल रहे थे। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उनके लैटर का जो कंटेंट था, उसे सुनने से लगा कि वे इतने इतिहास में चले गए, जबकि यह बहुत छोड़ा सा विषय राज्यपालों को बर्खास्त करने का था और वह बर्खास्तगी भी संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत की गई थी। इसमें इतना गहरे उतरने की जरूरत नहीं थी। केन्द्र सरकार को धर्मनिरपेक्षता के लिए जनादेश मिला और उसने कह दिया कि आप कम्युनल ताकत हैं, आप आराम करिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना, ऐसी रोगी मानसिकता वाले व्यक्ति को, जिसके चलते गुजरात में हजारों लोगों की हत्या हुआ, इंसानियत को कत्ल किया गया। बेगुनाह लोगों की मां-बहनें आज भी उनकी चिता पर रो रही हैं। वहां कैसे राज्यपाल को आपने नियुक्त किया। यदि राज्यपाल ने गुजरात में इस प्रकार की आशंका होने के बारे में केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट दी, तो वह बताइए। आप बिहार से हटाकर वहां पोस्ट कर दें। वे बड़े पीएच.डी. हैं, मानों आर.एस.एस. सरसंघ चालक हैं, उनको वहां भेज दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी पृष्ठभूमि वाले, आर.एस.एस. की पृष्ठभूमि वाले राज्यपाल को यदि नियुक्त किया जाएगा, तो उसका अंजाम बहुत खरतनाक होगा, न केवल राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, बल्कि ऐसे लोग, जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं, वे राष्ट्रीय सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता का जो ताना-बाना है, उसे तोड़ने का काम करेंगे और इन राज्यपालों ने ऐसा काम करने में अहम भूमिका निभाई।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल, केन्द्र और राज्य के बीच में एक सांवैधानिक कड़ी होती है। यह कोई आसान पद नहीं है। राज्यपाल पद की गरिमा बर्खास्तगी से उतनी नहीं घटी है, बल्कि राज्यपालों ने सांवैधानिक पद पर बने रहकर, जो संविधान के विपरीत आचरण किया, उनके उस आचरण से साम्प्रदायिकता की जो बू आ रही थी, उसने राज्यपाल के पद की गरिमा को गिराने का काम किया है।

महोदय, हरियाणा के जो राज्यपाल थे, बिहार के गांधी मैदान से जिस तरह से बातें उन्होंने कहीं, वे सबसे ज्यादा गरिमा को गिराने वाले थीं। उन्होंने इस पद की गरिमा और चेयर की मर्यादा को गिरा दया। इसीलिए राज्यपाल को गरिमामय पद से हटाना कहीं से असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पद की गरिमा को ही घटा दिया है। ...*(व्यवधान)* एक गवर्नर थे, वे पांच बजे के बाद बरौनी चले जाते थे। दिन में ही सूर्यास्त हो जाता था। ...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)* आर.एस.एस. और इनके बैकग्राउंड से लोग परिचित हैं। ...*(व्यवधान)* जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, आर.एस.एस. वालों का अपना अलग कल्चर है। उन्हें एक नये कल्चर का पाठ पढ़ाया गया है- लाठी वाले, सरसंघचालक, इन सब में क्या है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि इनके अंदर संकीर्ण मानसिकता कूट-कूट भरी रहती है। बंसल जी ने इनके बारे में ठीक ही कोट किया था, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पद पर उदार मानसिकता वाले व्यक्ति को पदस्थापित होना चाहिए, जिसे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास हो, जिनका संविधान के प्रिएम्बल में भरोसा हो, ऐसे लोग ही नियुक्त हो सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमेशा राज्य और केन्द्र के बीच में समस्या बनी

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

रहेगी, हमेशा स्टेट और सेंटर में तकरार चलता रहेगा, जो देश की एकता के लिए अच्छा नहीं होगा। यही कारण है कि हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में राज्यपाल की कड़ी ने ठीक से काम नहीं किया, जिसके कारण स्टेट और सेंटर में तनाव का माहौल बना रहा।

महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। आपकी घंटी बज रही है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः टाइम के लिए मेरी भी मजबूरी है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, माननीय आडवाणी जी छः साल तक शासन में रहे, लेकिन वे चाहते थे, चूंकि वे संवैधानिक पद पर बैठे थे, लेकिन कुछ लोग न न्यायालय को मानते थे, न प्रधानमंत्री जी और न गृह मंत्री जी को मानने के लिए तैयार थे। इस देश में ऐसी ताकतें हैं, हम लोग उग्रवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वे देश में कौमी एकता को नहीं बनने देना चाहती हैं, राष्ट्र को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं। जो फिरकापरस्त ताकतों पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों पर काबू पाने का काम छः साल में एनडीए नहीं कर पाया। हमें कई बार यहां अस्थिकलश से लेकर कई सवालों पर बोलना पड़ा। हमने एनडीए में रह कर भी आर.एस.एस. के दबाव के कारण, जिसके चलते देश का साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले जो राज्यपाल हैं, क्या वे त्याग कर पाएंगे कभी नहीं करेंगे। जिस तरह राजग सरकार गई, उसी तरह सभी राज्यपालों को जाना चाहिए-चाहे वह बिहार का हो, अन्य भी जो आर.एस.एस. पृष्ठभूमि वाले राज्यपाल हैं, उन सभी को हटा देना चाहिए, तभी हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना बनाए रख सकते हैं तथा केन्द्र और राज्य के संबंध को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आर.एस.एस. एक ऐसी संस्था है, जिसने अपनी अलग पहचान बना रखी है। धार्मिक और मजहबी मामलों में ठाठ और लाटसाहबी पोस्ट राज्यपाल का है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाना एनडीए सरकार की सैद्धांतिक भूल थी।

भाजपा ने एक बात और कही है कि तमाम रिटायर्ड लोगों को अशोक ओल्ड ऐज होम से उठा-उठा कर गवर्नर बना दिया था, जो शारीरिक और मानसिक रूप से राज्य के कुलाधिपति की भूमिका को निभाने में बिलकुल अक्षम हैं। ऐसे लोगों को आपने चुन-चुन कर बनाया था। *...(व्यवधान)* फिलामेंट लगा नजर आ रहा था, लेकिन उसमें कहीं रोशनी नहीं थी। ऐसे लोगों को आपने चुना। लोक सभा के चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई है, उन्हें 30 प्रतिशत भी वोट नहीं मिला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि रेफरेंडम हुआ था, धर्मनिरपेक्ष ताकत, कम्युनल ताकत के बीच में, और हमें आज 70 प्रतिशत वोट आपके विरुद्ध मिला। आर.एस.एस. विचारधारा वालों को स्वयं की राजभवन नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। अभी जो बचे हुए लोग हैं, *...(व्यवधान) जिन दिन संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन को जनादेश मिला था, उसी दिन राज्यपालों को राजभवन नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था। ...(व्यवधान)*

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): उनका माइंड काम नहीं करता क्या यह किस तरह की बात है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैं कार्यवाही-वृत्तांत की जांच करूंगा। अगर उसमें कोई अपमानजनक टिप्पणी होगी तो मैं उसे निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देवः महोदय, इस टिप्पणी को निकाल दिया जाना चाहिए। ये बहुत आपत्तिजनक हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि यह जो लाट का पद है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इस पर भी बहस कीजिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूं। संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को आम जनता राज में लाई है। आम जनता ने, लाखों-करोड़ों लोगों ने धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की सरकार बनाई है। आप लोग उस जनादेश का अनादर करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाएं। मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी होगी, तो मैं उसे निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः आपको यह जनादेश नहीं पचा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को और इस जनादेश को आपको स्वीकार करना चाहिए और आर.एस.एस. पृष्ठभूमि वाले राज्यपालों को हटाना चाहिए और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा को, जो

उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आये कि लाट और ठाठ का पद ही हटा दिया जाये। मैं चाहता हूं कि इस पर भी बहस चलाई जाये। अब से पहले भी 1977 में आप लोगों ने यह परम्परा अपनाई है। दो राज्यपालों को एन.डी.ए. ने हटाया था, यह कोई नई परम्परा नहीं है।

[illegible]]

[illegible] महोदय: श्री यादव, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[illegible] उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री यादव आपका समय पूरा हो चुका है, कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं इन्हीं शब्दों के साथ साफ बात कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथी, भगवाकरण में विश्वास करने वाले ऐसे लोगों को, आर.एस.एस. की पृष्ठभूमि वालों को कभी भी राज्यपाल के संवैधानिक पद पर नहीं बैठाना चाहिए। हम चाहते हैं, गृह मंत्री जी यहां हैं, आप जल्दी से इस पद को ही समाप्त करने पर बहस चलायें। *...(व्यवधान)* बिहार में भी और एक जगह और बैठे हैं, वहां जो आर.एस.एस. की पृष्ठभूमि वाले राज्यपाल हैं, खासकर बिहार वाले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको तुरन्त हटा दिया जाये।

श्री मोहन सिंह: आप दबाव में मत आइये, सही बात बोलिये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): मैं दबाव में कभी नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया है। आज जो डिस्कशन का विषय है, इस विषय पर पहले भी काफी डिस्कशन हुआ है, जिसको मैं समझता हूं कि जरूरत भी थी। यहां पर माननीय आडवाणी जी ने शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जो आनन्दपुर का रेजोल्यूशन था, उसका जिक्र किया। आनन्दपुर साहिब रेजोल्यूशन किस लिए लाया गया, उसके पीछे मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूं। जैसे केरल की बात की है, सबसे पहले 356 का कुल्हाड़ा पेप्सू में चला था। वहां जो अकाली दल की कोएलीशन सरकार थी, एक दफा नहीं, फिर 1967 में सरकार बनी, वह मिली जुली सरकार थी, वह तोड़ दी गई। 1969 में सरकार बनी, वह तोड़ दी गई। 1971 में बनी, वह तोड़ दी गई। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने यह सोचा कि क्योंकि गवर्नर का पद मैं कहता हूं कि आज से नहीं है, जिस दिन से है, उसका मिसयूज किया गया है। क्यों किया गया? उससे रिपोर्ट ली जाती और एक साल, 6 महीने के बाद सरकार तोड़ दी जाती और आर्टिकल 356 लगा दिया जाता। इसलिए शिरोमणि अकाली दल ने आनन्दपुर साहिब में यह फैसला किया कि जो हमारा संविधान है, उसको रियल फैडरल सिस्टम में चेंज होना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ बड़ा कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके खिलाफ बड़ा प्रोपेगंडा किया। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहन सिंह: इन्होने भी किया, जिनके साथ आप हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: इन्होंने भी किया, चलो मान लिया।

लेकिन उस समय क्या था कि चार सबजैक्ट्स हैं, डिफैंस, फारेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये चारों गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास रहने चाहिए और बाकी सभी सबजैक्ट्ट स्टेट्स को मिलने चाहिए। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि लालू जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि गवर्नर की जरूरत क्या है, इन्हें सिर्फ किसी की सरकार को तोड़ने को यूज किया जाता है। कांग्रेस ने कितने साल तक ऐसा किया है, हमारे साथ तो कितना दफा किया है।

मैं समझता हूं कि गवर्नर के पद की कोई जरूरत नहीं है। उसका यूज क्या है, यह मुझे समझ में नहीं आता। उससे केवल सरकार चलाने के लिए रिपोर्ट ली जाती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पहले दफा ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री की तारीफ प्रेजीडैंट ऐड्रैस में हुई कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है जितने अच्छे बरनाला जी हैं। लेकिन उसके तीन महीने बाद गवर्नर से रिपोर्ट लेकर यह कहकर उनको हटा दिया गया कि यह मुख्यमंत्री ठीक नहीं है और यह कंट्रोल नहीं कर सकता।

मैं यह कहता हूं कि इस पद का बहुत मिसयूज किया गया है। मैं इससे भी सहमत हूं कि इस पद की जरूरत ही क्या है और वह करता क्या है? वह केवल यही रिपोर्ट देता है। यादव जी और दूसरे सदस्य अभी गुजरात की बात कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 1984 में दिल्ली में तीन हजार से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान आदि सबका

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

तीन दिन तक कत्ल किया गया, उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां थे और उन्होंने उसकी क्या रिपोर्ट दी? ...*(व्यवधान)* गुजरात की ही बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* उस वक्त कोई नहीं बोला। मैं समझता हूं कि हम छोटे हैं। जब आप गुजरात की बात करते हैं तो दिल्ली की बात भी होनी चाहिए। उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां सोये हुए थे? ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर एक-दो दिन के अंदर बदल दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग आज नहीं हुआ बल्कि यह पहले से होता रहा है। यहां श्री आडवाणी जी बैठे हुए हैं। अगर इस पद का सबसे कम मिसयूज हुआ है तो वह एनडीए सरकार में हुआ है। ...*(व्यवधान)* पहले की सरकारों में इस पद का मिसयूज हर रोज होता था। हर दो-तीन महीने में उस पद का मिसयूज होता था। एनडीए का जो तजुर्बा है, आडवाणी जी ने जो कहा है, पहले कांग्रेस हमेशा यह कहती थी कि हमारी कभी कोलिएशन गवर्नमैंट नहीं हो सकती। हम अकेले ही सरकार बनायेंगे लेकिन आज वही कांग्रेस है जो कोलिएशन बना रही है और कोलिएशन की सरकार चला रही है। मुझे पता नहीं है कि यह सरकार कितने दिन चलेगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो छह साल तक कोलिएशन सरकार चलाई थी लेकिन इस सरकार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि यह कितने दिन चलेगी।

लालू जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गवर्नर का पद खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं। दूसरा आइडियोलाजी की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो गवर्नर्स नियुक्त किये गये हैं, वे किस आइडियोलाजी के हैं? वे आपकी आइडियोलाजी के हैं। वे अभी-अभी इलैक्शन हारे हैं। ...*(व्यवधान)* उनका इलैक्शन हारने के एक महीने के अंदर आपने उनको गवर्नर्स बना दिया। एनडीए सरकार ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि जो मैम्बर इलैक्शन हार गये हैं, हम उनको गवर्नर्स नहीं बनायेंगे और उन्होंने उनको बनाया भी नहीं। कम से कम यह तो आप देख लेते कि उनको इलैक्शन हारे हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था।

मैं कहना चाहता हूं कि अभी गवर्नर्स जैसे चैंज किये गये हैं, वैसे आपको उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लास फोर्थ के किसी कर्मचारी को भी जब कोई हटाता है तो पहले उसे नोटिस दिया जाता है और उसकी बात पूछता है। आपने उनको ऐसा उतार दिया जैसे कोई बात ही न हो। इस कांस्टीट्यूशनल पोस्ट का बहुत अनादर किया गया है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके मैं आपका बहुत आभारी हूं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियां एक कन्सेन्सस बनाये जिससे आगे ऐसी बात न हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गवर्नर का पद ही खत्म किया जाये।

श्री संतोष कुमार (बरेली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है परन्तु दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष द्वारा उस हिसाब से जवाब नहीं दिया गया जैसी उम्मीद की गयी थी। श्री पवन कुमार बंसल कानून के बहुत विद्वान हैं लेकिन उनसे हम इस प्रकार की बातों की उम्मीद नहीं करते थे। अगर हम पुराने विषयों पर जाएं तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार राज्यपाल के पद का दुरूपयोग हुआ और क्या बातें हुईं। श्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपालों को पत्र लिखा था कि आप ऐसा आचरण करें जो आईडियल आचरण होना चाहिए। हमको इसी हिसाब से काम करना चाहिए। हम सोच रहे थे कि यहां कुछ विषयों पर स्पष्ट जानकारी मिलेगी। अभी सरकारिया कमीशन और उसकी रिकमैंडेशन्स की बहुत सी बातें हुईं। उसमें लिखा है:-

[अनुवाद]

"भारत के राष्ट्रपति और लोक सभा अध्यक्ष द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री की सलाह से उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

हम नहीं समझते कि ऐसा हुआ या नहीं, यह माननीय गृह मंत्री जी बता पाएंगे।

[अनुवाद]

"उसका कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए और अत्यधिक बाध्यकारी कारणों के अलावा बाधित नहीं किया जाना चाहिए तथा यदि उसके विरुद्ध कोई बाधित नहीं किया जाना चाहिए तथा यदि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी हो, तो उसे बताए जाने के आधारों के विरुद्ध कारण बताने का औचित्यपूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए।"

मेरे विचार से ऐसा नहीं हुआ है। इसको आगे कहा गया है। "ऐसे पदच्युत अथवा राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र देने के मामले में, सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस प्रकार हटाए जाने अथवा त्यागपत्र देने, जैसा भी मामला हो की परिस्थितियों का वर्णन करने वाला विवरण रखना चाहिए।"

[हिन्दी]

चर्चा का विषय यह है। हमें मालूम है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। वहां एक दिन का मुख्य मंत्री भी बना दिया गया था। हमारे वामपंथी मित्रों की समझ में यह नहीं आ रहा कि केरल और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। आज वे कांग्रेस की इन बातों की ताईद कर रहे हैं। देवेन्द्र जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं कामना करता हूं कि जितने दिन भी सरकार चले, लालू जी को सिफारिश कर दें कि उन्हें मंत्री बना दें। लेकिन आप पिछली लोक सभा में क्या बोलते थे। अगर हम आपको उसका उदाहरण दें तो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। ...*(व्यवधान)* आप डिजर्व करते हैं। आपको पिछली बार ही बनना चाहिए था। आपने अच्छा किया कि आप उधर चले गए। शायद आपकी कुछ सुनवाई हो जाए, ऐसा हम महसूस करते हैं। ...*(व्यवधान)* वामपंथी मित्रों को भी हमारा सुझाव है कि यह सरकार चलती रहे और वे कांग्रेस के साथ आने वाले विधान सभा का चुनाव लड़ें। रैफरैंडम क्या है और क्या नहीं है, यह उनकी समझ में आएगा। यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद इस पर निरंतर चर्चा होती रही कि राज्यपाल का आचरण क्या हो और राज्यपाल को कैसे रखा जाए, कैसे न रखा जाए। यह बात भी सही है कि बहुत से ऐसे विषय आए।

मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक महामहिम अपने साथ 130 लोगों को यात्रा में ले गए जो चिन्ता की बात थी। हमारी भी समझ में आता है। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम बहुत सारी बातें देखते हैं कि गवर्नर की आचरण कैसा होना चाहिए। अभी प्रो. राम गोपाल यादव बोल रहे थे कि गुजरात में क्या हुआ। हमें मालूम है कुछ दिन पहले सब पुलिस वालों की मौजूदगी में, डिप्टी एसपी की मौजूदगी में एक आदमी का गला रेतकर काट दिया गया। क्या हर विषय पर गवर्नर रिपोर्ट देगा? अगर महामहिम राज्यपाल इन विषयों पर भी रिपोर्ट दें ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: एक आदमी का गला रेतकर काट दिया गया। ...*(व्यवधान)* गुजरात से इसकी तुलना करना बेईमानी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर कोई रूल हो तो मैं आपका प्वाइंट आफ आर्डर मानूं।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: गुजरात में कांग्रेस के शासन में महीनों तक कर्फ्यू लगा था। एक एसएसपी, एक डिप्टी एसपी, दर्जनों अधिकारियों को उसी दिन निलंबित कर दिया गया था। क्या किसी के खिलाफ कार्यवाही की गई, जरा बताएं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अन्य माननीय सदस्यों के व्यवधानों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। परन्तु फिर भी आप बोलने वाले अन्य माननीय सदस्य को बाधित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: श्री ढींडसा ने जो कुछ कहा, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। गुजरात में महीनों तक कर्फ्यू लगाया गया, यह सबकी जानकारी में है। सेना इतने कम समय में आई। यह सबकी जानकारी में है। ...*(व्यवधान)* जिसका वोट लिया है, वह जनता बता रही है और जनता की बात समझ में आ रही है। ...*(व्यवधान)* कुछ विषयों पर जो चर्चा हो रही है ...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य यह है कि बिल्ली के भाग से छींका टूटता है। जो लोग इस समय सत्ता पक्ष में है, उनको पता नहीं था कि वे सरकार में आ जाएंगे। सरकार में आने के बाद यह तय नहीं हो पाया कि कौन प्रधान मंत्री बने। प्रधान मंत्री बनने के बाद इनका एजेंडा तय नहीं हो पाया। जब एजेंडा तय नहीं हो पाया तो फिर क्या काम करें। कहीं से शुरूआत तो करें। अब कहीं से शुरूआत करें तो सबसे कमजोर गर्दन गवर्नर की लगी कि इसको हटाने का काम शुरू करें और वह जिस ढंग से किया, पूरे देश के अंदर आलोचना और विवाद का विषय हो गया। आपकी सरकार बन गई, आप सरकार चलाइए। अन्तर्विरोधी बयान मत दीजिए। सब लोग मिल-बैठकर काम करिए। देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करिए। ...*(व्यवधान)* सलाह तो हम दे देंगे। हम जो कुछ करके गये, जो विदेशी मुद्रा का भंडार इत्यादि सब कुछ छोड़कर गये और आज अगर उसका दुरूपयोग करेंगे तो आपकी आलोचना हम यहां पर करेंगे और हमें इसका पूरा हक है। जो आप गलत काम करेंगे, उसको हम इंगित करेंगे। अगर आपको लगता है कि 6 वर्ष में ऐसा हमने कुछ किया तो क्या आप नहीं कहते हैं? हम भी कहते हैं पिछले 45 साल का आपका क्या रिकार्ड है, यह सबकी समझ में आ रहा है और हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार बनाई है तो उसको ठीक ढंग से चलाने का काम करिए, यह हमारा आग्रह है। जिस प्रकार से आपने गवर्नर लोगों के साथ व्यवहार किया, वह आचरण से प्रतिकूल है। यहां पर आइडियोलोजी की बात नहीं है। आपने उस आधार पर उनको नहीं हटाया, यह बात सही है। जैसे अभी-अभी आपने जो गवर्नर रखे हैं, चुनाव

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री संतोष गंगवार]

लड़े और हारे। एक ही विचारधारा के लोग, आपने अपनी पार्टी के लोगों को चुनकर भेजा। न आपने मुख्य मंत्री से कंसल्ट किया, न जिसको आपने हटाया, उनको आपने पूरा समय दिया कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। यह बात समझ में नहीं आ रही है और आज इसीलिए इस विषय को लेकर हम देश के अंदर भी लोगों को बताने चाहते हैं कि वर्तमान सरकार का काम करने का तौर-तरीका कैसा है। लगता यह है कि राज्यपाल केवल केन्द्र की कठपुतली बनकर रह गया है। आप जैसी चाहें, राज्यपाल वैसी रिपोर्ट दें। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पुराने इतिहास में हम इन बातों को देख चुके हैं और समझ चुके हैं। हमें मालूम है कि आपने किस प्रकार से राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया और किस प्रकार से अपने हिसाब से रिपोर्ट ली और लेकर उन पर कार्रवाई की और सारी जनता मूकदर्शक बनी रही। हमें मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में एक दिन के गवर्नर ने मुख्य मंत्री बनाया और जिस प्रकार का माहौल हो गया था, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के यहां धरना दिया, सारी गलती को सुधारा गया, यह सारी बात समझ में आई परंतु इस विषय में एक पूरी चर्चा और बहस होनी चाहिए।

राज्यपालों के आचरण के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। वह ज्यादा चर्चा का विषय भी नहीं है। लेकिन यह जरूर होना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और यह समझ में नहीं आना चाहिए कि 10 जनपथ के डायरेक्शन से ही राज्यपाल बनाये जा रहे हैं और हटाये जा रहे हैं। यह बात हमारी समझ में भी आनी चाहिए। यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यह विषय देश के अंदर चर्चा का विषय होगा। इन लोगों को लग रहा है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और यह विषय अगर हमने चर्चा में नहीं लिया तो निश्चित रूप से आज जैसे अभी बात आ रही है कि गवर्नर के पद का औचित्य भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम लोग इसके ऊपर विचार करें और चर्चा करें कि कैसे रुगलेट करें। हम गवर्नर के पद को मखौल का स्थान बनाकर न रखें। उसके बारे में पूरी जानकारियां और पूरे सुझाव देकर चलने का काम करें। मैं मानता हूं कि महामहिम पद की जो गरिमा है, जो आजादी के बाद लोगों ने इसकी कल्पना की थी और जो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में गवर्नर लोगों को अपने सुझाव दिये थे, आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग इसके बारे में विचार करें। हम तय करें कि सत्ता पक्ष में या विपक्ष में जो लोग हैं, तालमेल करके गवर्नर्स इस हिसाब से नियुक्त होने चाहिए कि वास्तव में उनका कार्य बिल्कुल संवैधानिक हो और उसके ऊपर कोई उंगली न उठा सके। उसके साथ सब लोग मिलकर काम करें। यहां पर और ज्यादा न बोलते हुए मैं चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन के माध्यम से जिन बिन्दुओं पर विचार करके जिन बातों की अपेक्षा की गई थी क्योंकि यह बात समझ में आती है कि पांच वर्ष और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी की इच्छा पर निर्भर करता है। इस इच्छा को किस ढंग से हम लोग डिफाइन करेंगे। यह हम लोग मिलकर तय करें और हम लोग मिलकर फैसला करें कि इसकी डैफिनिशन यह होगी कि मनमाने तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि आज यह विषय महत्वपूर्ण है और सामयिक भी है। इसके बारे में उपयुक्त चर्चा के बाद हम लोग मिलकर फैसला लें।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। विपक्ष के नेता ने इस प्रस्ताव पर चर्चा को आरंभ करते हुए संविधान के संघीय पहलू पर व्यापक बल दिया गया है। महोदय, मैं उस पहलू पर थोड़ी देर में चर्चा करूंगा और मेरे विचार से हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने संविधान के मूल आधार को समझें।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तथ्य की प्रशंसा करेंगे कि हमारे राष्ट्र धर्म अथवा भाषा के आधार पर निर्मित नहीं है। हम भाषाई राष्ट्र नहीं है। हमारा राज्य धर्मतंत्रीय राज्य नहीं है, जैसाकि विपक्ष के नेता ने कहा है। हमारा राष्ट्र विभिन्न प्रकार की संस्कृति, भाषा और धर्म के राज्यों से बना राष्ट्र है। हम विभिन्न नस्लों के लोग यहां रहते हैं और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण संविधान पर आधारित है। यह एक ऐसी बात है, जिसे हमें अपने संविधान के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने के पूर्व अवश्य समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा इस कारण से है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। जब ऐसा समझा गया कि धर्म हमारी राष्ट्रीयता के अस्तित्व में इस देश के लिए एक विभाजक कारक हो सकता है और जब ऐसा लगा कि भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता के संरक्षण में बाधक हो सकता है, तब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना शुरू की गई थी।

धर्मनिरपेक्ष का अर्थ नास्तिकता नहीं है। इसी विषय पर चर्चा की गई है और निर्णय किया गया है। धर्मनिररपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता है। अतएव, हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यदि हमारे देश को एक राष्ट्र के रूप में बने रहना है, यदि हमारे गणतंत्र को बरकरार रखना है, जैसाकि हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे पूर्वजों ने अनेकता में एकता के सिद्धांत पर हमेशा कार्य किया है। यह एकता है एक समानता नहीं। मैं दोहराना चाहूंगा कि यह अनेकता में एकता ही है जिसके लिए

हमारी हमेशा से आकांक्षा रही है, जिसे हमारे संविधान निर्माता हासिल करना चाहते थे, एक समानता नहीं। जैसे ही आप एक समानता की बात करते हैं, विखंडनकारी शक्तियां आपका कार्य शुरू कर देंगी। इसलिए इस पृष्ठभूमि में, जहां तक हमारी राष्ट्रीयता का संबंध है। उक्त विचारधारा भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता, श्री आडवाणी जी को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि बहुत पहले वर्ष 1997 में जब मैं संसद के कनिष्ठ सदस्य के रूप में यहां आया था, तो मैं दूसरी तरफ बैठा था–जनता सरकार आरएसटी की दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर टूट गई थी। क्यों? क्योंकि यह इस देश के अस्तित्व, इस राष्ट्रीयता के आस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। मेरी दाहिनी तरफ बैठे हुए कई दोस्त जिनमें कई यहां मौजूद नहीं है- यह जानते होंगे कि आरएसएस की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर सरकार से त्यागपत्र देने वाले श्री बीजू पटनायक ही थे। आज बीजू जनता दल के नाम से उनकी बपौती से एक भी चल रहा है। बीजू बाबू की आत्मा आवश्य ही आज भी अपनी कब्र में व्याकुल होगी, परन्तु सत्य यह है कि यह वही थे जिन्होंने आरएसएस की दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता सरकार से सबसे पहले त्याग-पत्र दिया था। फिर, स्वर्गीय राजनारायण ने सरकार छोड़ी। मैं उस भाषण को अभी भी नहीं भुला सकता, जोकि अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है, जिसे इस पक्ष से मेरे वरिष्ठ मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जनता सरकार के बचाव में दिया था। यह सर्वोत्तम संसदीय भाषणों में से एक था और कुछ ही घंटों बाद, स्वर्गीय मधु लिमये ने देश के रूप में भारत के अस्तित्व के लिए धर्मनिरपेक्ष विषयवस्तु और आवश्यकता की अड़चनों को समझा। कुछ ही दिनों में यह सरकार चली गई। इसलिए, मैं, यह याद दिलाना चाहता हूं कि कम से कम वे लोग जो इसे समझने के लिए वहां मौजूद थे कि इसी आरएसएस मुद्दे ने न केवल जनता सरकार को परेशान किया था बल्कि यही मुद्दा वर्ष 1977 में जनता सरकार के गिरने का भी कारण बनाया।

इस प्रकार, यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हल्के रूप में लिया जाए। यह तो एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश की एकता और सम्प्रभुता जुड़ी है। वे नेतागण, जिन्होंने उस दिन ऐसा निर्णय लिया था, बिल्कुल सही थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे सत्ता पक्ष में बैठकर-सत्ता का उपभोग और अपने अधीनस्थ मंत्रालय पर आंखे सेंकने से ज्यादा देश से प्यार करते थे। इस प्रकार, इस पृष्ठभूमि में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

अपने संविधान के संघीय पहलू पर आते हुए जैसाकि विपक्ष के नेता ने ठीक ही कहा है कि हमारा परिसंघ उस प्रकार का नहीं है जो संघ की समाप्ति की भी अनुमति देता हो। सच्चा संघवाद इसकी अनुमति देता है। हमें इसे अर्द्ध-संघीय संविधान इत्यादि कहते हैं। परन्तु अनुभव ने ऐसा दर्शाया है और इन वर्षों में ऐसा हुआ है कि मेरी राय में हमारा संविधान अर्द्ध-एकात्मक अर्द्ध-संघीय प्रणाली की बजाए ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहां समवर्ती सूची है। केन्द्र ने राज्यों से संबंधित विषयों में हमेशा ही निर्णायक भूमिका निभायी है। इस प्रकार, यहां संघवाद है। पिछले 50 वर्षों में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न मुद्दों पर इसमें छेड़-छाड़ की गई है। अतएव, यह ऐसी ही संघीय प्रणाली है, जिसकी हमने अभिलाषा की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। जो मेरे मित्रों ने कही है। मैं कही गई बातों को दोहराकर इस सम्माननीय सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु विपक्ष के नेता सहित मेरे कई मित्रों ने व्यापक रूप से सरकारिया आयोग को उद्धृत किया है। महोदय, सरकारिया आयोग ने कहा है कि उन व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए जिन्होंने हाल में सामान्यतः और विशेषकर राजनीति में व्यापक रूप से भाग नहीं लिया है। अब इसका समर्थन राजग सरकार द्वारा गणित संविधान समीक्षा समिति ने भी किया है। परन्तु समाचारपत्रों में ऐसी खबरें छपी थी कि 4 मई, 1998 को गांधीनगर में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने संभवतः ऐसा कहा है कि उन्होंने शासकीय पदों पर राजनैतिक नियुक्तियों का सीधे-सीधे पक्ष लिया है।

मेरे विचार में यह दल कभी भी सरकारिया आयोग से सहमत नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा गलत। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं कि सरकारिया आयोग की सभी सिफारिशों पर एक-एक करके विस्तार से अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार कर लिया गया है जो सभी मुख्यमंत्रियों और केन्द्र सरकार वाला संवैधानिक निकाय है। उन्होंने राज्यपाल से संबंधित सभी सिफारिशों को मान लिया है सिवाय इस विशेष सिफारिश के जिसके अनुसार एक राजनैतिक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और जैसाकि अन्य व्यक्तियों ने भी यही कहा है और गैर-राजनैतिक व्यक्ति की नियुक्ति का दृष्टिकोण में स्वीकार नहीं करता हूं और न ही देश का कोई भी राजनैतिक दल बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इसे स्वीकार नहीं करती है। इसलिए, राज्यपाल से संबंधित सरकारिया आयोग की विशेष सिफारिश और वेंकटचैलेया आयोग की भी सिफारिश भी अन्तर्राज्यीय परिषद तथा सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: तब तो मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राज्यपालों की नियुक्ति राजनैतिक है। वे राजनैतिक रूप से नियुक्त हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: इनमें से कई ऐसे भी हैं जो राजनैतिक दृष्टि से नियुक्त नहीं हैं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: व्यक्ति राजनैतिक न भी हो किन्तु उनकी नियुक्ति राजनैतिक होती है ...*(व्यवधान)* हम राजनीतिज्ञ हैं। कम से कम मैं तो किसी भी धार्मिक संगठन अथवा सामाजिक संगठन से संबंध नहीं रखता हूं। मेरा संबंध एक राजनैतिक दल से है मेरा दल नियुक्ति करता है। मैं इसे राजनैतिक नियुक्ति ही मानूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न सरकारों द्वारा अन्य विभिन्न स्थानों पर ऐसी ही नियुक्तियां जैसे राजदूत, उच्चायुक्त आदि की जाती हैं। किन्तु ऐसे मामलों में उन लोगों द्वारा अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करते ही सरकार के कार्यकलाप अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त यही होगा कि जो राज्यपाल राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, वे अपना त्यागपत्र दे दें और पदस्थ सरकार से पूछे कि वे अपना कार्य जारी रखें अथवा नहीं।

किन्तु भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से, कई वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है और जो चल रहा था वही चलता जा रहा है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का सम्बन्ध है उसमें प्रतिबद्ध विचारधारा का सिद्धांत अति उत्तम नहीं हो सकता किन्तु जहां तक राज्यपालों की नियुक्ति का संबंध है, निश चय ही विचारधारा की अपनी भूमिका होती है विशेषत: तब जब कोई विचारधारा विशेष संविधान और इसके अस्तित्व के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इसलिए, सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के पीछे यह पृष्ठभूमि भी थी।

अब जहां तक अनुच्छेद 156 का संबंध है, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय इच्छा होगी तब तक राज्यपाल कार्य करेंगे, उपखंड (3) के अनुसार इसके तत्काल पश्चात् पांच वर्ष के कार्यकाल का भी उपबंध है। इस उपबन्ध के अनुसार राज्यपाल अपना कार्य तब तक जारी रखेंगे जब तक नव पदस्थ राज्यपाल उनके स्थान पर न आ जाए। शायद केवल मात्र यही संवैधानिक प्राधिकारी हैं जिनका कोई भी स्थायी कार्यकाल नहीं है। कोई संसद सदस्य अथवा राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अथवा कोई मुख्यमंत्री सात वर्षों तक लगातार कार्यरत नहीं रह सकता है। कोई मुख्यमंत्री केवल इसलिए सात वर्षों तक कार्य नहीं कर सकता कि नया मुख्यमंत्री नहीं चुना गया है। कल यदि संसद का पांच वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और अगले दो वर्षों तक चुनाव नहीं होते हैं तो भी हम संसद सदस्य नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार, केवल राज्यपाल का पद ऐसा है जिसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे महाभियोग अथवा अन्य किसी पद्धति से किस प्रकार पदमुक्त किया जाए। स्वभावत: जो उसे नियुक्त करता है अथवा जिसकी इच्छानुसार वह कार्य करता है। जिस भी क्षण वह उसे वापस ले लेता है, तत्क्षण राज्यपाल की नियुक्ति समाप्त हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने संघीयकरण के सशक्तिकरण के छह वर्षों के बारे में बताया है। मैं उन्हें यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1998 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही, श्री के.पी. सिंह को छोड़कर जिनके बारे में मेरे साथी श्री बंसल ने पहले ही उल्लेख कर दिया है, तीन अन्य राज्यपालों को अपना त्यागपत्र देने को कहा गया। श्री टी.आर. चन्द्रा, भा.प्र. सेवा के अधिकारी, श्री ए.पी. मुखर्जी, भा.पु. सेवा के अधिकारी जो तत्कालीन गृह मंत्री, स्व. श्री इन्द्रजीत गुप्ता के सचिव थे, श्री तेजिन्दर खन्ना जो वाणिज्य सचिव थे, और श्री प्रबोध कुमार को भी त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। इसलिए, यह पहली घटना नहीं है। मैं कोई आरोप या उल्लेख अथवा इस तथ्य की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं कि यह सही था अथवा गलत किन्तु सच यह है कि सरकार ने अब जो किया है वह एकदम सही है और सरकार के क्षेत्राधिकार में है। मैं नहीं समझता कि यह खतरनाक प्रवृत्ति है जो आरम्भ हो गई है अथवा इससे कोई गलत परम्परा आरंभ होगी। मैं इसे न्यायोचित सिद्ध करने के लिए पूर्वोदाहरण नहीं देना चाहता हूं। किन्तु, जिन परिस्थितियों में यह किया गया यह पूर्णत: न्यायोचित था और वास्तव में इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री ने यह माना है-मैंने ये समाचार-पत्र में पढ़ा है और मैं यह भी नहीं जानता कि यह सही है अथवा गलत-कि गुजरात की घटनायें राजग के हारने के कारणों में एक है। मूलत: लोगों का यह जनादेश साम्प्रदायिक उन्माद के विरुद्ध जनादेश था। यह जनादेश राष्ट्रीय एकीकरण के लिए था। यह जनादेश देश की एकता के लिए था। इसको बनाये रखने के लिए, लोगों के इस जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और सरकार ने नये जनादेश की इच्छानुसार कार्य ही किया है।

महोदय, जो भी किया गया वह निश्चय ही दैनिक प्रक्रिया नहीं है। यह दैनिक प्रक्रिया नहीं है क्योंकि इस निर्णय को लेने के लिए बहुत विचार-विमर्श किया गया और अन्त में सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में राज्यपाल की भूमिका और उनकी नियुक्ति एक ऐसा क्षेत्र है जो अपरिभाषित है। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। विपक्ष के माननीय नेता ने कहा है कि यदि यह चुनावी पद बन जाता है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल में विवाद हो सकता है और इसलिए संविधान के निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी।

परन्तु मेरा अपना एक सुझाव गृह मंत्री जी भी यहीं बैठे हैं। महोदय, हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है तब राष्ट्रीय और प्रधानमंत्री के बीच अथवा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अथवा कार्यपालक शक्तियों के बीच विवाद नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी पद्धति अथवा मार्ग पर विचार कर सकते हैं। मेरी इच्छा है यदि सम्भव हो तो राज्यपालों का चुनाव एकल संक्रमण मत द्वारा संसद की दोनों सभाओं द्वारा किया जाए जैसेकि विधानमण्डल के सदस्यों द्वारा राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। यह मेरे दल का दृष्टिकोण नहीं है। शायद, हम इस पर विचार कर सकते हैं। किन्तु जब तक इसका सरलीकरण नहीं किया जाता अथवा कुछ विशिष्ट पद्धति नहीं अपनाई जाती है अथवा संविधान में जोड़ी नहीं जाती है तब तक यह दुविधा बनी रहेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। विपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने नियम 193 के अंतर्गत जो चर्चा के लिए विषय रखा है। मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चार राज्यों के राज्यपालों को हटाने के निर्णय की निन्दा करता हूं। उन राज्यपालों को अपमानित करके हटाया गया है। मैं शिवसेना की ओर से इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात और हरियाणा के महामहिम राज्यपालों को हटाया गया। उनको हटाने के पीछे यह कारण बताया गया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के हैं। इस बात का कई माननीय सदस्यों ने यहां जिक्र करते हुए उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सभी की भूमिका एक ही रही। राज्यों में राज्यपाल प्रमुख व्यक्ति होता है और वहां का प्रथम नागरिक होता है। राज्यों में राज्यपाल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को शपथ दिलायी जाती है। एक प्रकार से सरकार की स्थापना करने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। राज्यपालों को हटाने के बाद अब केन्द्र सरकार वहां की सरकारों को भी भंग करने की साजिश करेगी, मुझे ऐसी भूमिका दिखायी दे रही है। यूपीए सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इससे पहले एनडीए सरकार 6 साल से केन्द्र में थी। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस के राज में जिस राज्यपाल की नियुक्ति हुई, उनमें से किसी को हटाया नहीं गया। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खास तौर से दिलाना चाहूंगा। उस समय महाराष्ट्र में श्री पी.सी. एलैग्जैंडर राज्यपाल थे। उनका टैन्योर खत्म हो गया। मैं उस समय वहां मंत्री था। वहां की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके कहा और माननीय ठाकरे जी ने भी कहा कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको राज्यपाल के रूप में एक्सैटंशन मिलना चाहिए। ऐसे कई राज्यों के राज्यपालों को एक्सटैंशन मिली।

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): महाराष्ट्र के राज्यपाल को अभी भी नहीं हटाया गया जबकि उन्हें आपकी सरकार ने नियुक्त किया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास बंडु आठवले, आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं। मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: शिवसेना और भाजपा की सरकार ने उन्हें एक्सटैंशन देने की सिफारिश की थी। आप बदले की भावना से उन्हें अपमनित करके हटा रहे हैं जो ठीक नहीं है। आपके कई मंत्रियों ने राज्यपाल जी को हटाने के बारे में अलग-अलग बयान दिये हैं जो बहुत विचित्र हैं। यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं। किसी ने कहा कि सरकार राज्यपालों को निकाल सकती है, किसी ने कहा कि राज्यपाल बूढ़े हो जाते हैं, उनको कोई कुछ समझता नहीं है। उनको लिखना और चलना नहीं आता है, मैं इसकी निन्दा करता हूं। उनको पांच साल तक पद पर बनाए रखने का राष्ट्रपति को अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं एक रिकवैस्ट करना चाहता हूं। अभी पांच स्पीकार बाकी हैं। होम मिनिस्टर साहब ने सवा पांच बजे मीटिंग में जाना है। उनका वहां जाना जरूरी है। जिन पांच मैम्बर्स ने बोलना है यदि वे दो-तीन मिनट बोलें तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे अपराह्न 5.15 पर सभा छोड़ने और अपराह्न 5.30 पुनः वापस आने की अनुमति दें जिससे कि मैं बैठक में भी भाग ले सकूं और सभा में भी उपस्थित कर सकूं। उन्हें बोलने दीजिए। यदि आप अनुमति दे तो मैं अपराह्न 5.30 के बाद वाद-विवाद का उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। ठीक है आप जा सकते हैं और पुनः वापस आ सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष जी, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सरकारिया कमीशन ने अपनी सिफारिशें 1987-88 में दी थी। सभी दल उन सिफारिशों से सहमत थे कि किसी पौलिटिकल व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसकी विश्वसनीयता असंदिग्ध न हो, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बात को मान्यता दी जानी चाहिए। यह महामहिम राष्ट्रपति जी के आधिपत्य में होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी और केन्द्र सरकार के बीच में को-आर्डिनेशन होता है जिसके कारण धारा 156 के अनुसार राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है। यह कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। लेकिन आज यू.पी.ए. सरकार उन राज्यपालों को हटाने का काम कर रही है। मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उनके ही लोगों ने कहा है कि उन्हें इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उन लोगों की विचारधारा अलग है। ऐसा वक्तव्य अखबारों में आया है कि उन राज्यपालों को खुद इस्तीफा देकर एक स्वस्थ परम्परा कायम रखनी चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन महामहिम राज्यपालों को हटाया गया, उनका कोई दोष नहीं था लेकिन यह कहा गया कि उनका संबंध चूंकि आर.एस.एस. से था, इसलिए हटाया गया। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मंत्री, जो अभी बैठे हुये थे, उठकर चले गये हैं। इस सरकार ने उन क्रिमीनल बैकग्राउंड के लोगों को मंत्री बना रखा है लेकिन राज्यपालों में से तो कोई ऐसा नहीं था। वे मंत्री, जिन्हें हम 'दागी मंत्री' कहते हैं, उनकी संख्या 5-6 है। ऐसे 'टेंटेड मिनिस्टर्स' को मेनटेन करके रखा हुआ है। लेकिन राज्यपालों के पदों पर बैठे हुये होशियार लोग थे, जिन्हें हटा दिया गया। इस तरह कई अच्छे अच्छे लोगों को हटाने की साजिश की जा रही है। मैं इस प्रकरण की निन्दा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यू.पी.ए. सरकार ने श्री बलराम जाखड़, श्री आर.एल. भाटिया, श्री नवल किशोर शर्मा जैसे पौलिटिकल लोगों को विभिन्न राज्यों का राज्यपाल बनाया है और सरकार ने ऐसी परम्परा कायम की है। यदि अगले 14 महीने के अंदर एन.डी.ए., सरकार आयेगी, क्या हम लोगों को ऐसे करना होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। एन.डी.ए. सरकार भले बदलाव के जरिये आये या चुनाव के जरिये आये, हम बदले की भावना से काम नहीं करने वाले हैं। इसलिए हम इस बात की निन्दा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, संघ परिवार का सी.पी.एम. विरोध करता रहा है और यहां तक कि वह शिवसेना का भी विरोध करता रहा है लेकिन वे सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इस सरकार में संघ परिवार से संबंधित एक कपड़ा मंत्री हैं, जिन्होंने राज्यपाल को हटाने में सपोर्ट किया है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी परम्परा मत पैदा करें। इससे सरकार की बदनामी हो रही है। मैं इस कार्य के लिए सरकार की निन्दा करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या चार राज्यपालों को हटाये जाने का केन्द्र सरकार का निर्णय उचित तथा तर्कसंगत है अथवा नहीं।

हमें इस विषय का संवैधानिक नजरिये से विश्लेषण करना पड़ेगा। अब, जब हम इस पृष्ठभूमि से इस विषय का विश्लेषण करते हैं तो मेरे विचार से चार राज्यपालों को हटाने के लिए पर्याप्त औचित्य है। इसलिए, भारत सरकार की कार्यवाही संविधान के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही है।

विपक्ष के माननीय नेता ने विभिन्न दस्तावेजों यथा डा. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा के भाषणों से विस्तार पूर्वक उद्धरण दिए हैं। डा. अम्बेडकर पददलितों के मसीहा रहे हैं। इस देश की संघीय प्रकृति के मसीहा रहे थे और उन्होंने अनेकों समाज सुधारों की वकालत की थी। मुझे पता नहीं है कि क्या दूसरे पक्ष के लोगों को डा. अम्बेडकर का गुणगान करने अथवा उनके शब्दों के बारे में बोलने का कोई औचित्य है।

उस दिन जब हम निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस पक्ष के समर्थक ने कहा था कि योग्यता महत्वपूर्ण है और हमें इसे और अधिक समय तक जारी नहीं रहना चाहिए। इसलिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों का यह रवैया था जो अब डा. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं और संदर्भ से हटकर उन्हें उद्धृत कर रहे हैं।

विपक्ष के माननीय नेता ने भी सरकारिया आयोग, अंतरराज्यीय परिषद और वेंकटचलैया समिति के बारे में बात की। यह सच है कि इन आयोगों ने राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यपालों को हटाये जाने तथा विभिन्न सम्बद्ध मामलों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। किंतु दुर्भाग्य से हमने इन सिफारिशों को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है। वेंकटचलैया समिति संविधान निर्माण

के संबंध में एक सबसे अच्छी सिफारिशें दी है। किन्तु भाजपा सरकार को इसे संवैधानिक दर्जा देने से किसने रोका? क्या हम आज वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं? वे सब इस देश के शासन में अच्छे निर्णय हैं किंतु उन्हें कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए, मेरे विचार में किसी कार्य का औचित्य सिद्ध करने अथवा न करने के लिए इन दस्तावेजों पर भरोसा करना तर्कसंगत और उचित नहीं है।

प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने इस देश के संघीय चरित्र की भी बात की है। यह सच है कि यह संघीय है परन्तु हमें राज्य स्तर पर किस प्रकार का शासन है यह देखना होगा। संविधान में स्पष्ट रूप से उपबंध है कि राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और सरकार का प्रमुख मुख्य मंत्री होता है। मुख्य मंत्री जनता द्वारा चुना जाता है जबकि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति के मामले में संविधान बहुत स्पष्ट है और इसमें कहा गया है कि केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अथवा हटाया जाता है।

अनुच्छेद 156 को उद्धृत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता ने केवल दो खंडों का उल्लेख किया और वह तीसरे खंड की भूल गए जो कि उस अनुच्छेद का ही हिस्सा था। पहले खंड में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर रहेंगे। दूसरे खंड में राज्यपाल के त्यागपत्र का प्रावधान है। तीसरे खंड में कहा गया है कि पूर्वोक्त प्रावधानों के अध्यधीन राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश की तारीख से पांच वर्ष तक पद पर रहेंगे। हालांकि यह तीन प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होते हैं फिर भी हमें इन तीन प्रावधानों की संवैधानिक भावना को स्वीकार करना पड़ेगा। नियत कार्यकाल संबंधी तीसरा प्रावधान सम्पूर्ण नहीं है बल्कि यह निबन्धनकारी है और यह है कि यदि पहला खंड पूरा होता है तो तीसरा खंड अनावश्यक हो। जाता है और यदि दूसरा खंड विद्यमान रहता है तो तीसरा खंड अनावश्यक हो जाता है।

इसलिए, इस मामले में राष्ट्रपति की प्रसाद कपस ले लिया गया है और यह क्यों वापस लिया गया और यह कैसे वापस लिया गया यह अलग प्रश्न है।

अपराह्न 5.00 बजे

संवैधानिक दृष्टिकोण से भी आज की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति की इच्छा इन चार राज्यपालों को अपने-अपने राज्यों में शासन करने की अनुमति देने की नहीं है। इसलिए, जब पहला प्रावधान पूरा हो जाता है तो तीसरा प्रावधान स्वत: समाप्त हो जाता है। इसलिए जब पहला प्रावधान लागू किया जाता है तो यह तर्क कि उन्हें पांच वर्षों के लिए सत्ता में अथवा पद पर रहना चाहिए निरर्थक है। इस मामले में राज्यपाल का कार्यकाल निबंधित है। इसलिए, राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के केवल प्रतिसंहार्य शक्ति एजेंट होते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त ही पद पर रहना होता है।

मैं प्रतिपक्ष से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस निबंधित प्रावधान के आलोक में कोई अनुचित कार्य किया है? यह भारत सरकार यह ससंद आज भारत के संविधान के आधार पर चलाई जाती है और राज्यपालों की बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार होनी चाहिए और जहां तक अनुच्छेद 156 का संबंध है तो किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया गया है। अत: कोई अनौचित्य नहीं है और इन चार राज्यपालों की बर्खास्तगी में कोई तर्कहीनता नहीं है। यदि ऐसा है तो केवल उच्चतम न्यायालय ही निर्णय करेगा और बतायेगा कि उल्लंघन हुआ है। हमें इस मुद्दे पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसे बाहर विधिक रूप से हल करना पड़ेगा।

दूसरे, राजनैतिक रूप से परिवर्तित परिदृश्य है। बहुत से माननीय सदस्यों जो पहले बोले हैं उन्होंने कहा है कि हमें लोगों से नया जनादेश मिला है और नए जनादेश के आधार पर नई सरकार का गठन हुआ है और एक मंत्रीपरिषद गठित हुआ है तथा मंत्रिपरिषद को अपने द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार किसी को नियुक्त करने अथवा बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है। यह मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी में कहा गया है कि हमारी इन चार राज्यपालों को रखने की इच्छा नहीं है और इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। अत: मंत्रिमंडल की इच्छा राष्ट्रपति की इच्छा बन जाती है और इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया है। इसलिए, राजनीतिक तौर पर भी इन राज्यपालों की बर्खास्तगी में कुछ भी गलत अथवा अनुचित नहीं किया गया है।

राजनीतिक रूप से हमने पूर्व में देखा है और जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि 1977 में राज्यपालों की बर्खास्तगी नहीं थी बल्कि नौ निर्वाचित विधान सभाओं की बर्खास्तगी थी जिन्हें जनता सरकार द्वारा भंग किया गया था और जिसमें विपक्ष के माननीय नेता और देश के माननीय पूर्व प्रधान मंत्री उच्च पदों पर आसीन थे। 1998 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने मिजोरम, गुजरात, गोवा और उ.प्र. के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया था। इसलिए, अनेक पूर्वोदाहरण हैं। जब भी एक सरकार बदलती होती है तो विचारधारा स्वत: ही परिवर्तित होती है और इसलिए, उसके कारण राज्यपाल ही नहीं बल्कि विभिन्न

[प्रो. एम. रामदास]

लोगों की नियुक्ति होती है। योजना आयोग के सदस्य परिवर्तित होते हैं और वे स्वत: ही परिवर्तित होते हैं। अन्यथा सरकार इन सदस्यों को बदलने और ऐसा व्यक्ति नियुक्त करने, जो उस विशेष दर्शन और नीति इत्यादि के प्रति वचनबद्ध हो, हेतु प्रवृत्त होती है। आप योजना आयोग का उपाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को नहीं बना सकते जो सरकार के आर्थिक सुधारों में विश्वास न करता हो। आर्थिक सुधारों की विचारधारा वाले व्यक्ति को ही योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए, हमें ऐसे लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है जो भारत सरकार के शासनादेश को लागू कर सकें।

आज सरकार ने अपनी विचारधारा के रूप में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें ऐसे लोग रखने चाहिएं जो इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू कर सकें और जो उस कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हो। यदि आप ऐसा व्यक्ति नियुक्त करते हैं जिसकी प्रतिबद्धता नहीं है तो सारी सरकार हंसी का पात्र बन जायेगी और उन्हें पुन: चुनाव में लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा इसलिए इस मामले में राजनीतिक तर्कहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता।

विचारधारा के संबंध में इस देश में 1980 के पश्चात यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने राजनेताओं को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। जब राजनेताओं को नियुक्त किया जाता है तो वे किसी न किसी दर्शन और किसी न किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं। परन्तु कुछ ने राज्यपाल का पद ग्रहण करने के पश्चात और राज्यपाल के सरकारी बंगले में प्रवेश करने के पश्चात अपने को उस विचारधारा से अलग कर लेते हैं जिससे उन्हें लाया गया था। यदि कांग्रेसी हैं तो उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा का गुणगान करना छोड़ दिया और वे वास्तविक संवैधानिक प्रमुख बन गए।

इसी बात पर संविधान में विचार किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने राज्यपाल का पद ग्रहण करने के पश्चात् भी यह शिक्षा दी कि यह मेरी विचारधारा है और मुझे यहां इस विचारधारा को बनाये रखने, इस विचारधारा को पोषित करने और विकसित करने के लिए यहां भेजा गया है। फिर सरकार के संवैधानिक कार्यों का क्या होगा?

मेरे अपने राज्य में मैंने भाजपा द्वारा भेजे गए दो राज्यपालों को देखा है। पहला राज्यपाल बेहतरीन व्यक्ति थे यद्यपि वह स्वयं को रा.स्व.स. का आदमी कहते थे। हम सब उन्हें पसंद करते थे क्योंकि लोगों से प्रेम और स्नेह करते थे और उन्होंने एक राज्यपाल की भांति नीतियों को लागू किया। यद्यपि वह विशेष विचारधारा से संबंधित थे फिर भी हम सबने उनकी प्रशंसा की। उनके उत्तराधिकारी भी राज्यपाल के पद पर रहे। वह एक भाजपा उम्मीदवार को अपने दल के उम्मीदवार के रूप में उनके चयन के पश्चात उन्हें रात्रि भोज दे रहे थे और उन्होंने अपने कार्य को यह कहकर तर्कसंगत ठहराया कि वह उन्हें जानते थे अथवा वह उन्हें जानती थीं। बाद में राज्यपाल के सचिव ने यह कहकर एक बयान दिया कि उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था परन्तु उन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं भरा। इस मामले को निर्वाचन आयोग के साथ उठाया गया था। निर्वाचन आयोग ने तत्काल राज्यपाल के सचिव को हटा दिया परन्तु चूंकि वह व्यक्ति के राज्यपाल को दर्जे का सम्मान करते थे इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं हटाया। अन्यथा उन्हें उसी दिन हटा दिया गया होता जैसे कि राज्यपाल के सचिव को हटाया गया था।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की विचारधारा रखता है लेकिन जब वह राज्यपाल के पद पर आसीन होता है तो वह किसी विचारधारा से बंधा नहीं होता। इसलिए जब सरकार ने इन चार राज्यपालों को हटाया है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार ने राज्यपाल की संस्था को हटा दिया है। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने केवल गलत राज्यपालों को हटाया है। यह सरकार का निर्णय है चाहे उन्होंने गलती की हो या न की है। इसके लिए हर किसी को विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं है और यह कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि अमुक राज्यपाल को इस गलती के कारण हटाया गया है। यह सरकार और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक समझ और परिपक्वता होती है जिसके आधार पर वे यह निर्धारित करते हैं कि इन लोगों ने किस सीमा तक त्रुटि या गलती की है। इसलिए हमें इसे एक अपराध नहीं समझना चाहिए। राज्यपालों को विशेष सिद्धांतों का पालन करना होगा। यह न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की तरह नहीं होता। इसलिए हमें वास्तविक संवैधानिक प्रमुखों की आवश्यकता है और सरकार को जैसा किसी ने कहा है प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यदि सरकार प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करती तो उसे सभी राज्यों के सभी राज्यपालों को हटाना चाहिए। सरकार ने उन चार चुनिंदा लोगों को हटाया है जो अलग विचारधारा रखने के कारण इस देश की संवैधानिक प्रक्रिया में असंगत हो गया है।

इसलिए नैतिक आधारों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक आधारों को ध्यान में रखते हुए और सांविधानिक आधारों को ध्यान में रखते हुए, राज्यपालों का हटाया जाना न्यायसंगत है और सांविधानिक रूप से गलत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक

मुझे स्मरण है, सब्सटेंटिव मोशन के जरिए संभवतः यह सदन पहली बार राज्यपालों के हटाए जाने के विषय पर चर्चा कर रहा है। इस सदन में जब धारा 356 के अंतर्गत स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन्स आते थे, तो राज्यपालों के आचरण पर बहस करने की परम्परा रही है।

महोदय, आडवाणी जी जिस समय की याद दिला रहे थे, 1967 और 1971 के बीच में, जब राज्य और केन्द्र के संबंध विवाद के विषय इस देश में बने और डी.एम.के. का राजमन्नार कमीशन बना, उस दौर में राज्यपाल के आचरण के बारे में बहुत से सवाल इस संसद में उठाए गए, लेकिन चूंकि राज्यपाल का आचरण ससंद में बहस का विषय नहीं बन सकता, इसलिए भारत सरकार और यह सदन किसी मोशन के जरिए बहस करने को तैयार थे। लेकिन पहली बार 1969 में सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी जी का एक प्रस्ताव यहां आया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मपाल को रीकॉल किया जाए। इस रूप में उनका प्रस्ताव इस सदन में बहस के लिए आया और उस दौर में बहुत सारे दलों ने अपनी राय रखी। भारतीय जनसंघ की विचारधारा यूनिटरी सिस्टम आफ कांस्टीट्यूशन की, उस जमाने में थी। संघीय प्रणाली में इनका यकीन नहीं था। इसलिए जो लोग भी राज्यों की स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वायत्ता की अन्य रूपों में मांग करते थे, उनका सदैव इन्होंने विरोध किया और इसी धारा के चलते आनन्दपुर साहिब का भी विरोध भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से किया था। आज यह बात चर्चा में आई कि राज्यपालों को हटाया जाना, हटाने की प्रथा जो हमारे देश में है, वह हमारे संविधान की धाराओं के अनुकूल या उन धाराओं की विवेचना करने के लिए जो समय-समय पर कमीशन बने, उनकी संस्तुतियों के अनुकूल है या नहीं। बार-बार कहा गया कि सरकारिया कमीशन ने पांच वर्ष का समय किसी भी राज्यपाल को एक राज्य में काम करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ऐसा दिशानिर्देश दिया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन 6 वर्षों की तारीफ आडवाणी जी ने स्वयं की तो क्या इन्होंने अपनी ही पार्टी के अपने ही राज्यपालों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में नहीं स्थानान्तरित किया। सरकारिया कमीशन की ओर से कहा गया है कि यदि राज्यपाल का स्थानान्तरण एक राज्य से दूसरे राज्य में करना है तो उनके स्थानान्तरण का भी उनको नोटिस शो काज के तौर पर दिया जाना चाहिए, उनका जवाबतलब होना चाहिए और उसके संबंध में लोक सभा के अन्दर एक वक्तव्य गृह मंत्री को देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल का स्थानान्तरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया गया। उत्तर प्रदेश के एक दलित परिवार के राज्यपाल को हटाकर हिमाचल प्रदेश में रखा गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश में रखा गया।

सरकारिया कमीशन कहता है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि जिन राज्यपाल को आज उत्तर प्रदेश में हटाया गया है, क्या दो वर्ष पहले वहां राज्यपाल होने से पूर्व उसी राज्य से वे राज्य सभा के सदस्य नहीं थे? क्या उन्होंने शपथ देकर के वे लखनऊ के ही स्थायी निवासी हैं, यह हलफनामा देकर उत्तर प्रदेश की विधान सभा से भारत की राज्य सभा के सदस्य नियुक्त नहीं हुए? यदि वे उस राज्य के निवासी थे तो उसी राज्य के वे राज्यपाल कैसे हुए। यदि उस राज्य के वे निवासी नहीं थे तो दो साल पहले एक असत्य हलफनामा रिटर्निंग आफिसर के सामने उन्होंने कैसे दिया? मेरी समझ में ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य सभा का मैम्बर होने के लिए असत्य शपथ-पत्र दाखिल करे, वह भारतीय जनता पार्टी के नैतिक पुरुष के रूप में गिने जाते हैं, यह बड़ी विडम्बना है, बड़ी विचित्रता की बात है।

इसी के साथ अब मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल की प्रतिबद्धता संविधान की धाराओं के अनुरूप भारत के संविधान के हिसाब से किसी राज्य में कानून व्यवस्था या उस राज्य का संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देख-रेख के लिए होता है। भारत सरकार ने निदेश दिया, एक संकेत दिया कि अब भारत सरकार की व्यवस्था बदल गई है, राज्यपालों को अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ कि आप भारत सरकार के आदेश को न मानें। हमारा आदेश है कि आप अपने पद पर बने रहें, त्याग-पत्र न दें। इन राज्यपालों ने भारत सरकार के निर्देश को न मानकर भारतीय जनता पार्टी के आदेश को माना, क्या यह स्वतः अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि इन राज्यपालों की जो प्रतिबद्धता थी, वह भारतीय जनता पार्टी के निर्देश को मानने की ज्यादा थी, भारत के संविधान और भारत के राष्ट्रपति के आदेश को मानने की कम थी। ऐसी परिस्थिति में क्या यह स्वतः इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है कि उनकी भावनाएं भारत सरकार के अपने दृष्टिकोण के हिसाब से काम करने की नहीं थी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में इन राज्यपालों को हटा दिये जाने का किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।

लेकिन उसके साथ मैं भारत सरकार को कुछ संकेत देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार अपने स्वयं के भी इतिहास से कुछ नसीहत लेने का काम करे। 1977 की आंधी में भी कांग्रेस पार्टी का किला आंध्र प्रदेश में ढह नहीं सका। लेकिन 1984 में जो कांग्रेस पार्टी के हक में आंधी चली, उस आंधी में भी आंध्र प्रदेश के किले की रक्षा कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हुआ, कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए। क्या यह बात सही है कि उस जमाने के कांग्रेस के जो उभरते हुए युवराज

[श्री मोहन सिंह]

थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे पर वहां के मुख्यमंत्री के साथ जो व्यवहार किया, उस व्यवहार का संदेश आंध्र प्रदेश के हर घर में गया।

एन.टी. रामाराव को तेलगु गौरव का संदेश आंध्र प्रदेश के हर नागरिक के जनमानस में फैलाने का अवसर मिल गया। इन राज्यपालों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, जो संदेश भारत सरकार देना चाहती है, उसे इस बात पर सावधानी से कदम उठाना चाहिए। इसे क्या उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है? भारत सरकार के मंत्री, इसका गैर-जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, उसकी गैर-प्रणाली के खिलाफ दे रहे हैं, उसका क्या उत्तर प्रदेश में स्वागत हो रहा है? इसलिए हम यह चेतावनी भी भारत सरकार को देना चाहते हैं, जहां आपने राज्यपाल को हटाया, उसका समर्थन करते हुए यदि आपकी मंशा, आपका भाव, जैसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहा है इसके पीछे राजनैतिक भावना है और उत्तर प्रदेश सरकार को, जो एक चुनी हुई बहुमत वाली सरकार है, जिसके पूर्ण नियंत्रण में वहां की सारी व्यवस्था है, यदि उसे अस्थिर करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, इसे भारत सरकार को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, राज्यपालों की स्थिरता पांच साल की होनी चाहिए। पांच साल की उनकी पूरी अवधि, उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जगह जब तक वैकल्पिक राज्यपाल की नियुक्ति न हो तब तक वे लोग अपने पद पर बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही राज में उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस के महान नेता के पिताजी इसी धारा का उपयोग करते हुए कर्नाटक राज्य के राजभवन में सात वर्षों तक सुख-सुविधा का अनुपालन करते रहे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह जो राजनीति है, राज्यपाल को बनाना, उन्हें बैठाना और हटाना, इसके बारे में जो हमारे संविधान के संचालन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हम और आप आ-जा सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन परम्पराएं अपनी जगह स्थायी होती हैं। संविधान की मर्यादा की और संविधान की वर्किंग की रक्षा के लिए भारत सरकार को राज्यपाल जैसे पद के साथ, जैसे कहा गया कि सरकारिया कमीशन द्वारा, कि यह आम प्रेक्टीस, दैनिक अभ्यास नहीं होना चाहिए कि जब रात को किसी को याद आए तो राज्यपाल को हटा दिया और जब रात को उसे पूरी तरह नींद न आए तो उसे पांच साल की जगह सात साल तक उपभोग करने के लिए बैठाए रखा, यह प्रथा नहीं होनी चाहिए। संविधान, संविधान है, उसका पालन सब को करना चाहिए। यही आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं समझता हूं कि सदस्यों का चयन करने और बुलाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए और अन्य दलों से संबंधित सदस्यों को अब तक नहीं बुलाया गया है या अब तक मौका भी नहीं मिला है। बहरहाल, मुझे यहां पर अपनी विचारधारा के आधार पर हटाया गया है जिन्हें चार राज्यों के राज्यपालों, से संबंधित नियम 193 के अधीन लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। इस समय इस प्रस्ताव पर चर्चा में 180 मिनट व्यतीत हो चुके हैं।

संविधान के अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपालों को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संघ के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद संवैधानिक रूप से शीर्ष पद है जो राज्य और केन्द्र के बीच आवश्यक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। जैसाकि विपक्ष के माननीय नेता ने बताया है वास्तव में 1967 के आम चुनावों के बाद वास्तव में इसका विगलन हुआ जब कांग्रेस ने केन्द्र में अपनी सत्ता को बरकरार रखा, लेकिन अनेक राज्यों में चुनाव हार गई। यद्यपि राज्यपाल का पद केन्द्र और राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करता था लेकिन कई राज्यपाल प्रधानमंत्री के कहे अनुसार षडयंत्र रचने वाले व्यक्ति बन गए थे।

वाम मोर्चे की तरफ से श्री सलेम ही ऐसे सदस्य है जो अभी तक इस मुद्दे पर बोले हैं। मुझे बहुत खुशी होती, यदि इस विषय पर केरल के वाम मोर्चे के किसी सदस्य को सुनता। क्योंकि केरल में 1959 में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का प्रयोग किया गया था। वे श्री नम्बूदिरीपाद थे, जिन्हें 1959 में अमर्यादित तरीके से हटाया गया था। 1967 के बाद से इस तरह हटाये जाने की घटनाओं में वृद्धि होती गई जो 1987 तक जारी रही। 1977 में धड़ल्ले से ऐसा किया गया। 1980 में कांग्रेस ने जनता पार्टी के राज्यपालों को हटाया था।

व्यापक स्तर पर राज्यपालों को हटाया जाना एक प्रकार का कुशासन है। मैं इसे पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये कुशासन है। यह संघवाद का मजाक है। मैं सभा को एस.आर. बोम्मई के मामले की याद दिलाना चाहूंगा। जिसमें उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि हमारे संविधान की मूल विशेषता उसका संघीय चरित्र है। इसलिए कुछ सदस्यों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन नहीं है, यह जस्टिस वेंकटचेलैया आयोग का प्रतिवेदन नहीं है, अन्ततोगत्वा अंतर-राज्य परिषद ही यह निर्धारित करती है कि सरकार को कैसे चलाया जाए।

मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि ऐसी क्या जल्दी थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को, यदि वह हटाये गये राज्यपालों की कार्यशैली से असंतुष्ट थी, तो उन्हें अपनी कार्यशैली को सुधारने और अपने कार्य से अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कुछ समय देना चाहिए था। इन्हें थोड़ा और समय दिये जाने में क्या हर्ज था? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से कम से कम इतनी आशा तो की जा सकती थी। इस पर मैं सरकार से उत्तर चाहूंगा? यदि इन राज्यपालों को कार्य करने की अनुमति दी जाती तो कोई आसमान नहीं फट जाता। हटाये गये राज्यपालों के स्थान पर नए राज्यपालों की नियुक्ति को लगभग एक सप्ताह ही हुआ है।

इसके पीछे क्या कारण है? आज हमने सभा में माननीय गृह मंत्री से सुना कि सिर्फ विचारधारा के कारण ही ऐसा नहीं किया गया। वह इसकी अलग तरह से व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सारी सूचनाएं मीडिया से ही प्राप्त हुई है। हमने आज ही सुना है कि मंत्री जी ने कहा है कि वे हमें उन कारणों को बताएंगे कि इन्होंने उन्हें क्यों हटाया है। इसकी जल्दी क्या थी? सभा यह जानना चाहती है और देश जानना चाहता है ऐसी क्या जल्दी थी? इन्हें यह बताने दीजिए। केन्द्र में सरकार बदल जाने के परिणामस्वरूप राज्यों में राज्यपालों को बदलने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किस राज्य में कितने राज्यपालों को बदला गया है और कितने राज्यपालों ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और कितने राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने क्रमानुसार इस व्यवस्था को विकसित किया है जो कि विचलित करने वाली और विरोधाभासी है। इससे दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्यपालों को बार-बार हटाया जाना वैध नहीं हो जाता। लेकिन वैधता की परवाह कौन करता है।

मैं गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल और कांग्रेस के प्रवक्ता श्री आनंद शर्मा का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है इन राज्यपालों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकटता के कारण ही इन्हें पद से हटाया गया है। यदि यही कारण है तो यही सरकार को कहने दे।

आखिरकार गृह मंत्री श्री पाटील ने प्रेस को बयान दिया। मैं एक समाचार पत्र के संपादकीय से इसका उल्लेख करूंगा। आज, जहां तक मुझे जानकारी है सरकार ने इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं कहा है। मैं संपादकीय से उल्लेख कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है:

> "नई सरकार ने मीडिया में समाचार का प्रसार कर और शायद अन्य माध्यमों से दबाव डालकर त्यागपत्र दिये जाने को सुनिश्चित करने का प्रयास किया था। परन्तु जब राज्यपालों ने त्यागपत्र नहीं दिया, स्पष्ट रूप से जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था उनके निर्देशों के अनुपालन में तो उन्हें हटाया जाना राजनीतिक रूप से अपरिहार्य हो गया।"

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा है। इसका संबंध इस बात से है कि राज्यपालों के चयन के संबंध में इन परम्पराओं और प्रथाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसके साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दो मूल योग्यताएं हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त करें। मेरे पास बहुत कम समय रह गया है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, इन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिए। यह बहुत वैध बातें कह रहे हैं। यह बातों को नहीं दोहरा रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें। समय बहुत कम है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा *...(व्यवधान)* यदि मुझे अनुमति नहीं मिलेगी तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, इनका दल 11 सदस्यीय दल है। इस वाद-विवाद के दौरान 5 सदस्यीय दल के सदस्य पहले ही 15 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। यह उड़ीसा के प्रथम वक्ता है। इसलिए इन्हें कुछ देर और बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी भी यहां नहीं है और वे भी कुछ देर बाद आएंगे *...(व्यवधान)* इसलिए इन्हें बोलने दें, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं, और समय बहुत कम है। मुझे उन्हें भी मौका देना है। कृपया जल्द ही अपनी बात पूरी करें।

श्री भर्तृहरि महताब: जी हां, महोदय।

राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्य योग्यता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष

[श्री भर्तृहरि महताब]

होनी चाहिए। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 158 के अनुसार कुछ तकनीकी शर्तें भी है। इनमें से एक शर्त यह है कि 'राज्यपाल किसी भी संसद की किसी भी सभा या विधान सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से संविधान में एक राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई भी गुणात्मक मानदंड निर्धारित नहीं किए गए।

सरकारिया आयोग, जिसकी यहां बार-बार चर्चा की जा चुकी है, ने केन्द्र और राज्य संबंधों पर विचार किया था। इसी अध्याय में राज्यपाल की भूमिका भी हैं। लेकिन कांग्रेस दल ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वर्तमान सरकार ने पिछले माह राज्यपालों को दी रिक्तियों को कांग्रेस के ऐसे सदस्यों से भरने में जरा भी देर नहीं की जो हाल ही में लोकसभा के चुनावों में हारे हैं।

मैं यहां पर दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। जिनमें एक 1990 के दौरान की है जिसका उल्लेख भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखित पुस्तक 'माई प्रेसीडेन्सियल ईयर्स' में किया गया है। उन्होंने इस घटना का सामना 14 जनवरी 1990 को किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि:

> ''गृह मंत्री मुफ्ती मौहम्मद सईद मुझसे मिलने आए और उन राज्यपालों की सूची दिखाई जिन्हें वे हटाना चाहते थे उन्होंने संकेत दिया कि मैं उन्हें इसकी सूचना दूं। मैंने महसूस किया कि यदि मैं कुछ राज्यपालों से ऐसा कहता हूं तो इससे यह संदेश जाएगा कि मैं कुछ राज्यपालों को पद पर बनाए रखना चाहता हूं और कुछ को हटाना चाहता हूं। तब हमने इस मुद्दे पर विचार किया और प्रधान मंत्री की सलाह से यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्यपालों से त्यागपत्र लिए जाए और उन राज्यपालों के त्यागपत्र स्वीकार किये जाए, जिन्हें सरकार हटाना चाहती है। निर्णय के अनुसार, मैंने सभी राज्यपालों को यह कहते हुए पत्र लिखा कि मुझे आपको यह बताने के लिए कहा गया है कि सरकार आपके राज्य के राज्यपाल को बदलना चाहती है। इसलिए आप अपना त्यागपत्र अपनी सुविधानुसार शीघ्र प्रेषित करें।''

उपाध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। तो, क्या सरकार ने राष्ट्रपति को इसी प्रकार के पत्र भेजने की सलाह दी थी? इसका उत्तर अभी दिया जाना है। देश को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या सरकार ने तो राष्ट्रपति को ऐसे पत्र भेजने की सलाह दी थी और न ही उन पर ऐसा दबाव डाला था। हमें भलीभांति पता है कि राष्ट्रपति महोदय ने ऐसे पत्र नहीं लिखे हैं। सभा में किसी ने कहा है कि किसी ने किसी को टेलीफोन किया है यह किसी माध्यम से पता चला है। क्या उन्हें अपने राज्यपालों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए? क्या राष्ट्रपति के कार्यालय का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए? ये संवैधानिक पद हैं। इन संवैधानिक पदों का आप कितना आदर करते हैं? यह एक गंभीर खतरा है जिसके विषय में आपको बताना चाहिए।

महोदय, आपने मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहा है। आपके माध्यम से मैं सभा को संविधान की मूल क्रियाकलापों का स्मरण कराना चाहता हूं। मैं ज्यादा चीजें उद्धृत करने नहीं जा रहा हूं, यद्यपि मेरे पास दूसरी सूचनाएं भी है कि पंडित नेहरू ने संविधान सभा आदि सभाओं में क्या कहा था।

मैं समाप्त कर रहा हूं लेकिन उससे पहले मैं केवल एक चीज उद्धृत करना चाहूंगा। केन्द्र द्वारा चार राज्यपालों की बर्खास्तगी ने इनकी नियुक्ति, कार्य और प्रतिस्थापन में लम्बे समय से आए हुए विकार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यपाल के पद को क्यों बनाया गया था यह पद इस विचार से बनाया गया था जिससे सहकारी-संघवाद में केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध और सौहार्द बनाए रखा जा सके। लेकिन यह विवाद का केन्द्र बन गया है। आज हम क्यों सभा में इस पर चर्चा कर रहे हैं? यही वह प्रश्न है जिसका समाधान दिया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताबः मैं यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने क्या कहा था *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आपने ज्यादा समय लिया है। कृपया बैठ जाइए। अब श्री चन्द्रप्पन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताबः न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर का मत 5 जुलाई को आया। यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसकी ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ताकि *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है जो आवश्यकता से अधिक है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, वी.आर. कृष्ण अय्यर इस देश के प्रख्यात व्यक्ति है *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे अब भाग लेने की अनुमति दे दी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अगले माननीय सदस्य को बुला चुका हूं। श्री महताब, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, एक मिनट ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आप कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मैं उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा:

"भारत मूलतः संघीय राज्य है यद्यपि इसमें कुछ ऐसी मुख्य विशेषताएं हैं जिससे संघवाद कमजोर और अर्द्धसंघीय ढांचा फीका पड़ता जाता है और संघीय ढांचे को निष्प्रभावी करना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और उसके पास मुख्य कार्यपालिका शक्तियां होती हैं उसके कद और हैसियत को कम करना, संविधान की राजनैतिक प्रकृति को हतोत्साहित करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब: इन शब्दों के साथ, मैं यह कहना चाहूंगा, कि

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। कृपया बैठ जाइए।

श्री भर्तृहरि महताब: आप क्यों संविधान के प्रति लोगों के विश्वास को दांव पर लगा रहे हैं। आप संविधान के प्रति लोगों की आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से इन्होंने समाप्त किया है। इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि क्यों, राज्यपाल का पद अपनी स्थापना के बाद से हमेशा विवादों में घिर रहा है। यह आवश्यक रूप से राजनीतिक प्रश्न है। भले ही संविधान राज्यपाल की भूमिका के बारे में कुछ भी कहे, जैसे केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना, इत्यादि, लेकिन हमारा अनुभव क्या है?

उन्होंने कहा 1959 में केरल में क्या हुआ था। 1959 में, केरल में पहली बार, एक गैर-कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई-जो मार्क्सवादी सरकार थी-इनका बहुमत था। दल-बदल के सभी प्रयास और अन्य चीजों से सफलता नहीं मिली। इसलिए इसे राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया।

सभी राज्यपालों से यह बुरा काम कराया गया है। चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार रही हो-इन सभी ने यह चाहा है कि राज्यपाल इनका पिट्ठू बना रहे। राज्यपालों ने भी यही भूमिका निभाई है।

यहां प्रश्न यह है कि क्या हमें राज्यपालों को विचारधारा के आधार पर हटाये जाने के संबंध में चर्चा करनी चाहिए जैसाकि कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि राज्यपालों को इस आधार पर हटाया गया है या क्या हमें चर्चा करनी चाहिए कि संविधान में राज्यपाल के पद आवश्यक है क्योंकि हम संविधान में इनके लिए कोई अच्छी भूमिका नहीं पाते या राज्यपालों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। इसलिए, मैं सोचता हूं कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद होना चाहिए।

अब विपक्ष के नेता समस्या उठा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इनके द्वारा इस सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि वे चुनावों में हार चुके हैं। यह एक विचारधारा का प्रश्न नहीं है। यह एक राजनीतिक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव हार गया था। भारत के लोगों द्वारा इनकी विचारधारा, राजनीति और आर्थिक नीतियों को पूरी तरह नकार दिया गया, एक नई सच्चाई एक नई सरकार अपने कार्यक्रम के साथ अस्तित्व में आई है।

जब ऐसा होता है, जैसाकि हमारे देश में परंपरा रही है, संविधान में जो कुछ भी कहा गया है, पर क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाले राज्यपाल हैं, वे अपने पद पर नहीं रह सकते। लोगों का जनादेश निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ था। इसलिए, स्वाभाविक है कि जिन राज्यपालों का किसी विचारधारा से जुड़ाव और राजनीतिक संबंध या लगाव है, उन्हें यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वे अपने पद पर बने रहेंगे। मैं उद्धृत नहीं करना चाहता लेकिन यहां कई उद्धरण उद्धृत किये गये थे। एक राज्यपाल अति उत्साह में बोल रहे थे कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। वे राज्यपाल राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी हो सकते हैं कि वे यह भी नहीं समझ सकते कि एक दिन आएगा जब यह सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता से बाहर हो जाएंगे उन्होंने अंत तक किस तरह का बर्ताव किया? अंत समय तक वे राष्ट्रपति से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से निर्देश लेते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, "त्याग पत्र नहीं दे, अपने पद पर बने रहें।" इसलिए, वे अपने पद पर बने रहे। आप कैसे आशा कर सकते हैं कि ऐसे

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]
राज्यपालों को अपने पद पर बने रहने दिया जाएगा जब भिन्न राजनीतिक विचार वाली नई सरकार सत्ता में आए, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राजनीति और विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हो तो ऐसे राज्यपाल अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं? ऐसी आशा ही नहीं रखनी चाहिए।

अब प्रश्न है कि यदि ये सभी राज्यपाल भविष्य में अपने पद पर हैं तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मेरी राय में, यह अनावश्यक है, शोभा का पद है और इसके बिना भी देश अच्छी तरह से चल सकता है। यदि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो मैं यह अवश्य कहूंगा कि राज्यपालों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाए वरन् संस्तुति इस संसद द्वारा की जाए ताकि लोगों के प्रति कुछ जवाबदेही हो और उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता आए।

हम राज्यपालों के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कह सकते हैं लेकिन सभी जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। जो राजनीतिज्ञ सक्रिय नहीं है, वृद्ध हैं और रुग्ण रहते हैं और जो राजनीतिक रूप से कम ताकतवर हैं उन्हें राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। यही वास्तविकता है और फिर नौकरशाह, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए मंत्रियों की इच्छानुसार कुछ काम किया है। उन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। क्या यही सच्चाई नहीं है? यदि यही सच्चाई है तो आप उन राज्यपालों को उच्च संवैधानिक पदों पर प्रोन्नत नहीं कर सकते और यह कहें कि वे संविधान के प्रतिरूप हैं, वे ऐसे नहीं है हम इस तरह से सोचें कि क्या हम राज्यपालों के बिना भी काम चला सकते हैं। यह बहुत आवश्यक पद नहीं है।

दूसरी बात है, जो मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि सरकार राज्यपाल का पद रखना ही चाहती है, तो नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। हम, संसद सदस्य जन प्रतिनिधि हैं और राज्यपाल की नियुक्ति की संस्तुति संसद द्वारा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

महोदय, श्री आडवाणी और उनके ही दल के सदस्यों ने सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया जबकि यह संकेत थे कि कुछ राज्यपालों को हटाया जा सकता है। संसद के पहले सत्र का उन्होने बहिष्कार किया था और आने वाले समय में संसद में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। संसद में पहले दिन ही बड़ा शोर शराबा हुआ। तब उन्होंने धमकी दी कि वह जनता के पास जाएंगे और यह देखेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, मैंने सिर्फ इतना ही कहना चाहा कि लोगों के पास उनके जाने के बाद भी, लोग यह नहीं कहेंगे कि राज्यपालों को पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए। हमें लोगों तक जाना चाहिए। यहां, इस मामले में, यदि संसद की सहमति से नियुक्ति की जाती है, तो एक तरह से सरकार लोगों की सहमति ले रही है। नियुक्ति की इस प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए। श्री आडवाणी द्वारा सिर्फ विचारधारा की बात करना तो पर्दा डालने जैसा ही है। निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा भाषण दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे इस कठोर वास्तविक तथ्य को मानने में समर्थ नहीं है कि वे अब विपक्ष में हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लोगों ने नकार दिया है। यदि वे इस तथ्य को स्वीकार कर सकेंगे, तो विशेष रूप से इस सभा और देश दोनों को चलाना आसान हो जाएगा।

मैं बस यही कहना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर दो और सदस्यों को बोलना है। उन्हें प्रत्येक को दो-तीन मिनट बोलने की अनुमति है।

डा. एम जगन्नाथ।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में क्या कह सकता हूं? इससे तो अच्छा है बिल्कुल ही न बोलूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपनी बात कहें।

डा. एम. जगन्नाथ: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा उठाए गए नियम 193 के अधीन अंतर्गत हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल का पद राजनीतिक नहीं है। यह राज्य और केन्द्र के बीच पुल का काम करता है। राज्य के मामलों का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, यही देखने के लिए राज्य स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति का प्रतिनिधि नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल का पद ऐसा है जिसकी अवधि निश्चित है और उनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सदीच्छा से अपने पद पर बना रह सकता है। श्री आडवाणी ने राज्यपालों की नियुक्ति और उनके हटाये जाने से उत्पन्न प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं फिर वही बात दोहराकर सभा का समय बर्बाद नहीं करूंगा। हाल ही में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सत्ता संभालने के ठीक बाद उन्होंने चार राज्यपालों को हटा दिया जो कि मनमाना, अवांछित, असंवैधानिक और राजनीति से प्रेरित कार्य है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कृपया टोकाटाकी मत कीजिए।

डा. एम. जगन्नाथ: माननीय गृह मंत्री ने कहा कि यह विचारधारा पर आधारित था। मैं गृह मंत्री से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसा इसलिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य में जनतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को बर्खास्त नहीं किया, जैसाकि आंध्र प्रदेश में हुआ था, जब स्वर्गीय एन.टी. रामाराव सत्ता में थे। मैं सिर्फ उद्धृत कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. एम. जगन्नाथ: आप अपनी बारी आने पर अपनी बात कहें ...*(व्यवधान)* ऐसा इसलिए किया गया था कि उस समय की राज्य सरकार केन्द्र सरकार की इच्छानुसार नहीं चल रही थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, काफी धरने प्रदर्शन और हंगामे के बाद सरकार को पुन: बहाल किया गया था। क्या यह जनतांत्रिक कार्रवाई थी? जनतंत्र के बारे में बोलने का उनका क्या नैतिक अधिकार है? राज्यपालों को हटाया गया लेकिन उन्हें कितना समय दिया गया था? उन्हें सिर्फ 10 या 15 दिन दिए गए थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हो सकते हैं लेकिन क्या वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल थे?

क्या वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल थे या खुले रूप में उनसे जुड़े थे? क्या यह जनतंत्र की हत्या नहीं है? चाहे जो भी दल सत्ता में आए, राज्यपालों को नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल का पद एक सम्मानजनक पद है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सदीच्छा से होती है जिससे आप सब भी सहमत होंगे। जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है, यह बहुत गलत काम है चाहे राज्यपाल को बदलना हो या उनकी इच्छा-अनिच्छा पर निर्भर रखना हो। इसे इसलिए नहीं समाप्त किया जाना चाहिए कि यह उनके अनुरूप नहीं है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन लाए जाने का आवश्यकता है।

कई बातें कही गईं। माननीय आडवाणी जी ने संविधान सभा के वाद-विवाद को और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को उद्धृत किया। उन्होंने कई मार्गनिर्देशों का उल्लेख किया। सरकार से मेरा निवेदन है कि जब भी सरकार बदले, राज्यपालों को हटाने का काम असंवैधानिक है। सत्ता में जो भी दल आए, उसे राज्यपाल को अपना कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए। मार्गनिर्देश में कहा गया है कि इस पद पर किसी राजनीतिज्ञ को नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। श्री बलराम जाखड़ को क्यों नियुक्त किया गया जबकि वह राजनीति से जुड़े हैं? यह संवैधानिक प्रावधान का घोर उल्लंघन है।

मेरा अनुरोध है कि जब भी सरकार बदले, राज्यपाल के संस्थान को पतित करना या उसे हटाना नहीं चाहिए। नहीं तो, राज्यपाल के संस्थान को समाप्त कर किया जाना चाहिए जो कि अच्छे कार्यों में उपयोग किये जाने के बजाए उसका अधिक दुरुपयोग होता है।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय,

"भारत सरकार का जो खाएगा, वह आरएसएस का गीत नहीं गाएगा।

ऐसा व्यक्ति जरूर वहां से जाएगा, और दूसरा हम वहां लाएगा।"

इस बात से हम सहमत हैं कि राज्यपालों को हटाना नहीं चाहिए। छ: साल आपकी सरकार रही, उस समय आपने बहुत से लोगों को हटाने का काम किया था। इस देश के राज्यपाल हों, मुख्य मंत्री हों, प्रधान मंत्री हो, संसद सदस्य हों या एमएलए हों या 102 करोड़ नागरिक हों, सभी को भारत के संविधान को मानना चाहिए। डा. अम्बेडकर जी ने सैक्युलरिज्म को संविधान में निहित किया था, इसलिए संविधान को मानने की सभी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। डिसिप्लिन के लिए आरएसएस का काम अच्छा है। हम भी मानते हैं कि डिसिप्लिन के लिए आरएसएस का काम अच्छा है। मैं भी सोचता हूं थोड़ा डिसिप्लिन सीखते, तो मजबूत हो जाते। लेकिन यहां डिसिप्लिन की बात नहीं है, भारत की नेशनल इंटिग्रिटी को मजबूत करने की बात है। यहां कोई भी जाति के लोग हों, सिक्ख हों, बुद्धिस्ट हों, जैन हों या लिंगायत हों ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: हिन्दी तो है ही। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले: कोई भी धर्म का आदमी हो, वे सब इंडियन लोग हैं। परिस्थितियों के मुताबिक धर्म बदला है। जिनको आप हिन्दू समझते हैं, दूसरी शताब्दी में अपना भारत पाकिस्तान-बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान-बुद्धिस्ट था। आप लोग हिन्दू हैं, हम भी हिन्दू ही थे, मगर आप लोगों ने हमको एक्सैप्ट नहीं किया, इसलिए हम बाहर निकले। कहने का मतलब है कि आप लोग आरएसएस का प्रचार करो, मगर आरएसएस के प्रचार में बदलाव करने की आवश्यकता है। आडवाणी जी, आपसे हमारी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामदास बंडु आठवले]

इतनी ही रिक्वैस्ट है कि आपको आरएसएस की विचारधारा में बदलाव करना चाहिए और आरएसएस को सैक्युलरिज्म को स्वीकार करना चाहिए। हिन्दू धर्म की बात करो, लेकिन हिन्दुत्व की बात मत करो। हिन्दूत्व की बात करेंगे, तो आप उधर और हम इधर रहेंगे। इस तरह का काम हमेशा होने वाला है। हिन्दुत्व की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो चुनाव हुए थे, उसमें आपने हिन्दुत्व का मुद्दा जोड़ा था और आप लोग कहते थे कि विकास का मुद्दा लेकर आगे जा रहे हैं। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा मुद्दा सैक्युलरिज्म था। इसलिए आप सत्ता में नहीं आए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह आर्डर राष्ट्रपति जी का आर्डर है। आप लोग इधर क्यों दोष देते हैं। राष्ट्रपति जी ने एपाइंट किया था और राष्ट्रपति जी ने हटा दिया। ...*(व्यवधान)* कानूनी तौर पर हटाया है। कहने का मतलब है, कानूनी तौर पर एपाइंट किया था और हटाने की जो बात है, वह कानूनी तौर पर हुई है।

मैं कहना चाहता हूं कि केवल आरएसएस का होने पर उन्हें नहीं हटाया गया। उन्हें भारतीय संविधान को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए था। अगर आप यह बोलेंगे कि हम राष्ट्रपति का आदेश नहीं मानेंगे, हम भाजपा का आदेश मानेंगे, आरएसएस का मानेंगे तो हम यह बात नहीं मानेंगे। यदि आप उनका आदेश मानते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल को भाजपा ने नियुक्त किया था। हमने उन्हें हटाया नहीं है। अभी चार राज्यपालों को हटाया है। बाकी बहुत कुछ करना बाकी है। आपने श्री मदन लाल खुराना को नियुक्त किया। हमने उनको नहीं हटाया क्योंकि वह दूसरे आरएसएस की विचारधारा को मानने वालों से अच्छे हैं जो अच्छे हैं हम उनको हटाने वाले नहीं हैं। जो कोरे आरएसएस वाले हैं और कहते हैं कि हम आरएसएस के मैम्बर हैं लेकिन आरएसएस से पहले भारतीय हैं, भारतीय संविधान को मानेंगे, भारतीय संविधान के लिए काम करेंगे, उनका हम आदर करेंगे। यही बात राज्यपालों को कहनी चाहिए। जो राज्यपाल ऐसा नहीं बोलेंगे, गृह मंत्री को चाहिए कि उन्हें हटा दें। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ आन्दोलन चालू करेंगे। आपने यह सवाल उठा कर अच्छा किया। अगर उन्हें ज्यादा दिन तक रखा जाता तो राज्यों में गड़बड़ी हो सकती थी। उनको हटाने का काम कानूनी तौर पर किया गया है। मैं 6 साल से इस हाउस में हूं। ...*(व्यवधान)* आप इस बारे में बात करने के लिए प्रधान मंत्री से मिले थे। ...*(व्यवधान)* बिहार के राज्यपाल को हटाने की लालू जी की जो मांग है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी उनके पास बैठे हैं। वह उनसे कहें कि उन्हें हटाया जाए। सरकार अपनी है। जिन को हटाना है, उनको हटाइए।

खैरे जी 14 महीने की बात कर रहे थे। उन्होंने 14 महीने कहां से निकाले हैं? आप सब 14 साल राह देखो। आप सब को अभी यहां आने का मौका मिलने वाला नहीं है। हम अभी एक साथ आए हैं। इतने लोग हमारे साथ हैं। हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अटल जी ने पहले 13 दिन सरकार चलायी, फिर 13 महीने सरकार चलायी। उन्हें बाद में ऐसा लगा कि 13 साल सरकार चलाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम राज करते रहेंगे।

अपराह्न 5.53 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अब आप आए हैं। आप भी हमारे साथ हैं। हमें कोई चिन्ता नहीं है। जब आप थोड़ा पीछे थे तो हमें थोड़ी चिन्ता थी। अब आप सामने आ गए हैं तो हमें कोई चिन्ता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बल्कि मैं यहां उपस्थित सब लोगों के साथ हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: हम राज करते रहेंगे और देश को मजबूत करने का काम करेंगे तथा गरीब लोगों को न्याय देने का प्रयत्न करेंगे। देश से गरीबी हटा कर देश को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। इस काम को करने के लिए हमारी सरकार आई है। इतना ही मुझे कहना है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, मैं अपनी बात को ठीक कर लेता हूं, ने जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था:

> "हमने उन जहां भिन्न विचारधारा वाले दल सत्ता में हैं। राज्यों में कार्यवाही की है। किसी विशिष्ट विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए किसी दूसरे के दृष्टिकोण को समझना कठिन होता है अथवा कई बार वह उस दृष्टिकोण को समझना ही नहीं चाहता। इससे विशेषकर उस समय समस्या उत्पन्न हो सकती है जब किसी एक विचारधारा वाली सरकार के स्थान पर दूसरी विचारधारा वाली कोई अन्य सरकार आ जाए।"

विपक्ष के नेता ने, अपने भाषण के दौरान इसे भ्रांतिजनक, भयानक और अशुभ बताया था। मैं यह नहीं जानता कि इसमें भयानक क्या है। यह सच है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उस विचारधारा में विश्वास नहीं करते अतवा उससे सहमत नहीं होते जिसमें पूर्व गृह मंत्री जी करते हैं। विपक्ष के नेता ने सरकारिया आयोग के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। मैं यह

जानना चाहता हूं कि सरकारिया आयोग की यह सिफारिश है कि वर्तमान सरकार को उस विशेष राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेनी चाहिए। क्या तत्कालीन रा.ज.ग. सरकार ने वर्तमान राज्यपाल की नियुक्ति करते समय बिहार के मुख्यमंत्री की सहमति ली थी? ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): जी हां।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: संभवत: रेल मंत्री आपको इस बारे में अधिक बता सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि हम कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: हम राज्यपालों को उस प्रकार के कार्यकाल की निश्चितता नहीं दे सकते जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को दी जाती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने एक विशेष महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्री महोदय, मैं तो यह भी कहूंगा कि आपने कुछ कठोर निर्णय लिया है। अब आप इसका पालन करें और ऐसे व्यक्तियों को हटा दें क्योंकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को उन सभी संवैधानिक और राजनैतिक प्रणालियों की सफाई करने का जनादेश मिला है जहां इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है ...*(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त, जब आपने विचारधारा की बात की, एक मुसलमान होने के नाते, मैं गुजरात में घटी घटनाओं के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे समुदाय के हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया। वहां यह हुआ ...*(व्यवधान)* यह आपकी विचारधारा है। हम कैसे चुप्पी साधे रह सकते हैं जब इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति राज्यपाल के संवैधानिक पद धारण करने के बावजूद चुप बैठे रहे? यह कहते हुए सरकार को एक भी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी कि वर्तमान गुजरात सरकार लोगों के जान और माल की सुरक्षा करने के अपने कर्त्तव्य को निभाने में विफल रही। मैं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी से, वह भी कार्य कर रहे हैं, उसे जारी रखने का आग्रह करूंगा। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जहां भी संभव हो, जहां भी ऐसे लोग हों, जो ऐसी विचारधारा में विश्वास करते हैं, उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि मैं इस वाद-विवाद का स्वागत करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी बातों में हमेशा खलल डालते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: कुछ समय पश्चात् मैं आपके सुझाव को भी स्वीकार करूंगा।

महोदय, वाद-विवाद सभा में हो-हल्ला अथवा वाद-विवाद का बहिष्कार करने से बेहतर है। विपक्ष में बैठे हम अपने सभी मित्रों के इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं कि वे सभा का बहिष्कार करने के बजाय चर्चा करेंगे।

विपक्ष के नेता श्री आडवाणी और उनके साथ के उनके कुछ सदस्यों ने कई मुद्दों पर बातें कीं। इस ओर बैठे हुए मित्रों ने एक-एक करके अधिकांश मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास किया है। अत: मेरा कार्य अपेक्षाकृत आसान हुआ है। अब मेरे लिए इन सभी मुद्दों में से प्रत्येक मुद्दे का विस्तारपूर्वक उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

मैंने समग्र वाद-विवाद का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस वाद-विवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं इस वाद-विवाद के अधिकांश विषयों पर सरकार की ओर से उत्तर दे सकता हूं।

तर्कों के आदान-प्रदान के दौरान, श्री आडवाणी जी ने संविधान सभा में हुए वाद-विवाद का उल्लेख किया है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया है, अन्तर्राज्यीय परिषद के निर्णयों और भारतीय संविधान के कार्यकरण संबंधी समीक्षा समिति द्वारा की गयी रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान सभा के वाद-विवाद, सरकारिया आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशें, अन्तर्राज्यीय परिषद के निर्णय और समीक्षा समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट अपने आप में परामर्श देने वाली हैं। वे हमें एक विशेष रुख अपनाने के लिए मना सकती हैं और वे अभी हम पर बाध्यकारी नहीं बनी है।

सायं 6.00 बजे

अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा लिये गये निर्णय तक सरकार, संसद और इस देश के लोगों पर तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक उन्हें कानून नहीं बना दिया जाता। महोदय, जो कुछ उन्होंने अभिव्यक्त किया है उसके प्रति हम सम्मान व्यक्त करेंगे और जो कुछ उन्होंने कहा है, सरकार, संसद और आपकी भारतीय संसद पर क्या बाध्यकारी है, जब तक इसे बदल नहीं दिया जाता, जब तक इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता, हम सभी बातों पर विचार करेंगे, जो कुछ उन्होंने कही है।

अध्यक्ष महोदयः अब 6.00 बज गये हैं। हम इस बहस के समाप्त होने तक बैठ सकते हैं। इसके पश्चात्, आप रेल बजट संबंधी सामान्य चर्चा के लिए कितनी देर बैठना चाहेंगे?

अनेक माननीय सदस्यः हम इस पर कल विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः क्या आप आज देर तक बैठने के लिए तैयार नहीं है?

अनेक माननीय सदस्यः नहीं, आज नहीं। हम इस पर कल विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। मैं इसे सभा का विचार मानता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ब्रिटिश संविधान लिखित तौर पर नहीं है। इसका कोई लिखित उपबंध नहीं है। यह केवल परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर कार्य करता है। क्या माननीय मंत्री जी यह सोचते हैं कि प्रत्येक बात लिखित में आनी चाहिए और किसी भी सरकार द्वारा कोई भी परंपरा स्थापित नहीं की जानी चाहिए मेरा यही प्रश्न है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं उनके प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर के अंत में दूंगा क्योंकि मेरे भाषण समय में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए।

आज का संविधान क्या है? मैं सभा से संविधान के महत्वपूर्ण भागों को पढ़ने के लिए कहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार:

"राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करेगा।"

सभा में कई बार इसे उद्धृत किया गया है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार:

"इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक पद धारण करेगा।"

इसका अर्थ है कि राज्यपाल 'राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त' पद धारण करेगा। उसे पांच वर्ष का कार्यकाल दिया गया है किन्तु यह 'राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त' के अध्यधीन है। राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने में यही प्रासंगिक कानून है।

मैं बताना चाहूंगा कि अनेक लोग संवैधानिक पदों पर आसीन हैं यथा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक इत्यादि। इन सभी संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है और यदि हम संविधान के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इन पदों पर आसीन व्यक्तियों को संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करके ही हटाया जा सकता है।

यह सदन को पता है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए जब प्रस्ताव आया था तब क्या हुआ था। अध्यक्ष को नोटिस दिया गया, उस नोटिस में लगाए गए आरोपों की जांच एक समिति द्वारा की गयी थी, इस सदन में रिपोर्ट आई, सदन ने उस पर चर्चा की और चूंकि सदन उस रिपोर्ट पर दो-तिहाई बहुमत से सहमत नहीं हुआ अतः निर्णय उस व्यक्ति के पक्ष में गया जिसके विरुद्ध नोटिस दिया गया था। अतः उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने हेतु से प्रक्रिया निर्धारित है। अन्य संविधानिक पदधारकों को पदच्युत करने के लिए भी संविधान में ही प्रावधान किये गये हैं। उन सांविधानिक विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध क्या किया जा सकता है इसका इस संविधान में विशेष उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 156(1), सुस्पष्ट शब्दों में कहता है, 'राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करेगा।'

यही कहा गया था। यह सदन कानून बना सकता है किन्तु कानून की व्याख्या नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय इस सदन पर भी बाध्यकारी हैं, यद्यपि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में यह सदन जो कानून अस्तित्व में है उसे बदल सकता है और उस कानून की व्याख्या सदन को अस्वीकार्य हो सकती है।

यह सदन परिवर्तन कर सकता है किन्तु जब तक यह नहीं किया जाता। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी है। मैं इस संविधान के उपबंधों की अपनी ओर से व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मैं 1982 में दिए गए निर्णय को उद्धृत कर रहा हूं और इस निर्णय का समर्थन, उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों द्वारा भी किया गया है। यह निर्णय इस सदन में जो चर्चा हो रही है उसी परिस्थिति के माकूल है।

मैं इस संविधान के कुछ उपबंधों को पढ़ने की अनुमति मांग रहा हूं। यह निर्णय हमारे लिए कानून है। यह निर्णय सरकार, गृह मंत्रालय, यहां बैठे सदस्यों, यहां बैठे सभी लोगों के लिए कानून

है और यही निर्णय है। मेरी समझ से इस निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था नहीं दी गयी है। यह निर्णय अभी भी अस्तित्व में है। यह राष्ट्रपति की शक्तियों के भीतर है कि स्वप्रसाद से राज्यपाल के कार्यकाल को समाप्त कर दे। इस अनुच्छेद में विचरित राष्ट्रपति के प्रसाद पर न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। यह सिविल प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 311 के अंतर्गत दिये गये किसी उपबंध के समान विनियमित या नियंत्रित नहीं है।

अनुच्छेद 311 में प्रावधान है कि, ''किसी भी सिविल सेवक को बिना जांच के उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। मैं इसकी राज्यपाल की स्थिति से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी तुलना अन्य सांविधानिक पदधारकों से कर रहा हूं। राज्यपाल को हटाने या पदच्युत करने हेतु उपबंध राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त संबंधी अविनियमित और अनियंत्रित स्पष्ट शर्तें हैं जिसका प्रयोग किसी भी समय बिना कारण के अथवा बिना कारण बताए किया जा सकता है। इस निर्णय के अनुसार, यदि ऐसा नहीं होता, तो राज्यपाल का सबसे सुरक्षित कार्यकाल होता, जो सिविल सेवा के किसी सदस्य द्वारा धारण पद से भी अधिक सुरक्षित होता। उसे हटाया नहीं जा सकेगा, यद्यपि लम्बे समय तक पदधारण करने वाले न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(4) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकेगा। राज्यपाल के कार्यकाल, उसे हटाये जाने के लिए संविधान में प्रदत्त कोई प्रावधान अथवा प्रक्रिया के प्रसाद पर्यन्त होने की शर्त अनावश्यक और अर्थहीन हो जाएगी। उसका कार्यकाल सुरक्षित और निर्धारित नहीं होता है। उसे राष्ट्रपति की अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त से उसे हटाये जाने पर किसी कार्यवाही का कोई कारण नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश को न तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न ही इसे राज्य विधान सभा अथवा संसद के किसी सदन में अस्वीकार किया जा सकता है। कानूनी तौर पर, राष्ट्रपति का आदेश निर्णयात्मक होता है।'' मैं अब भी पढ़ना चाहूंगा, 'निर्धारित अनिवार्य कार्यकाल का विचार या पद से नहीं हटाये जाने वाले राज्यपाल का विचार संविधान द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत नहीं था।

हमने संविधान पर वाद-विवाद का उल्लेख किया है-एक सदस्य श्री शाह ने उस समय क्या कहा था और उसका जवाब डा. अम्बेडकर ने क्या दिया। हमें उस वाद-विवाद पर निर्भर नहीं रहना है कि भाषण देते समय उन्होंने क्या कहा। हमें संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय को देखना है, और ठीक यही यह निर्णय कह रहा है, एक निर्वाचित तथा बाद में नहीं हटाये जा सकने वाले राज्यपाल की पद्धति संविधान निर्माताओं द्वारा जान बूझकर नहीं स्वीकार की गयी।

> ''.... यह सोचा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करने वाला एक नियुक्त या मनोनीत राज्यपाल संभावित पृथकतावादी मनोवृत्ति के स्रोत को समाप्त करेगा।''

महोदय, यह न्यायाधीश पृथकतावादी मनोवृत्तियों की बात कर रहे हैं। यदि आप उन्हें नहीं हटाये जा सकने वाला बनाते हैं तो इससे पृथकतावाद पैदा होगा जो भारत की संघीयता या संघ की जड़ों पर कुठाराघात करेगा।

सभी उपबंधों पर विचार करने के बाद न्यायाधीशों ने यह कहा:

> ''राज्यपाल के कार्यकाल संबंधी प्रसाद पर्यन्त शर्त उसे हटाए जाने के लिए किसी भी कार्यवाही या प्रक्रिया या नियमों या प्राकृतिक न्याय को अनावश्यक बना देती है। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों सहित उच्च पदाधिकारियों को हटाने के लिए उपबंध मौजूद हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्यभार सम्भालने वाले पदाधिकारियों के मामले में ऐसे उपबंध नहीं है।''

महोदय, यह अत्यन्त प्रासंगिक है। आडवाणी जी ने संघवाद, संघीय ढांचा और विशेषताएं तथा इसका असर कहां पड़ता है, इन बातों पर बल दिया। मैं श्री आडवाणी जी जैसे व्यक्ति द्वारा देश की एकता और संघीयता या संघीय ढांचे के बारे में महसूस की गयी चिन्ता को समझ सकता हूं।

न्यायधीशों का किन्तु यह कहना है:

> ''राज्यपाल को उसने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान नहीं हटाया जा सकता है जबकि संसद में महाभियोग के बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और राज्य में पदासीन राज्यपाल जिसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त हटाया ही नहीं जा सके-एक विसंगति होगी। वह कार्यकारी कुशलता, केन्द्र राज्य संबंध को खतरे में डाल सकती है और पृथकतावादी मनोवृत्तियों का जिम्मेदार केन्द्र बिन्दु हो सकता है। उपर्युक्त कारणों से इस तर्क में कोई जान नहीं है कि यदि राज्यपाल के कार्यकाल की न्यूनतम अवधि पांच वर्ष करना अनिवार्य नहीं बनाया जाता तो इससे संविधान का मूल ढांचा नष्ट होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन हो जाएगा और उसके माध्यम से भारत सरकार के अधीन होगा।''

दूसरी तरफ बैठे माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए तर्कों को उच्च न्यायालय के एक निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

> ''न तो अनुच्छेद 156 और न ही अनुच्छेद 160 में इनके अंतर्गत आदेश जारी करते समय राष्ट्रपति को स्पष्ट कारण देने को कहा गया है। राज्य के वर्तमान राज्यपाल के कार्यकाल

[श्री शिवराज वि. पाटील]

को कब और किन परिस्थितियों में कम किया जाएगा, या पद छोड़ने को कहा जाएगा, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जायेगा-इस संबंध में निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 156 के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करने वाले व्यक्ति को कारण सहित आदेश से हटाया जाए। कारण बताना आवश्यक नहीं है।"

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने जो कुछ कहा कि संविधानिक उपबंध स्पष्ट हैं, कानूनी नहीं है जो उच्चतम न्यायालय ने तय किया है-मैं इससे पूर्णत: सहमत हूं। सरकारिया आयोग ने जो कहा है, अन्तर्राज्यीय परिषद ने जो कहा है या जो समीक्षा समिति ने कहा है-ये सब परामर्शी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय 1982 का है। सरकारिया समिति की सिफारिशें, अन्तर्राज्यीय परिषद, समीक्षा समिति के निर्णय ये सब बाद के हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार को कानून और संविधान का अनुपालन करना है किन्तु मेरा तर्क यह नहीं है कि राज्यपाल का पद नहीं हटाये जाने योग्य होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए, मैंने सरकारिया आयोग की उन सिफारिशों का उल्लेख नहीं किया है जो अनेक राजनैतिक पार्टियों, अनेक राज्यों द्वारा इस संबंध में की गई थी कि राज्यपाल को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कैसे हटाया जाए। कुछ ने कहा कि इन्हें महाभियोग लगाकर हटाया जाए जबकि कुछ लोगों ने अन्य सुझाव दिए। मैं कह रहा हूं सरकार के लिए भी कानून बाध्यकारी होना चाहिए।

लेकिन सलाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह सरकार को तय करना है कि सलाह को माने या न माने। मैं समझता हूं कि हमने जो किया वह कर दिया, हमने जो कुछ किया उसके लिए कानून का कोई बंधन नहीं था लेकिन हमने सरकारिया आयोग की सिफारिशों का पालन किया। कुछ सदस्यों ने यह बताया है कि कोई तीन राज्यपाल हटाए गए हैं। जी हां, उनमें से दो की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद की गई थी और अन्य गुजरात के राज्यपाल थे जिनसे संबंधित विवाद के बारे में सभी को पता है। इसलिए, मैं यह नहीं कहता कि राज्यपाल को हटाया ही नहीं जा सकता, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है, और राष्ट्रपति को भी किसी राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो है लेकिन अनेक निकायों द्वारा दी गई सलाह की भी हल्के ढंग उपेक्षा नहीं की जा सकती। आखिरकार, यदि मैं उन राज्यपालों के बारे में पढ़कर सुनाऊं जब हमने पद भार ग्रहण किया उस समय 25 राज्यपाल थे। उनमें से अधिकांश कांग्रेस के लोग थे और कुछ मुख्यमंत्री जो हमारे राज्यों में थे वे यह कहते रहे कि उनको उन राज्यपालों से समस्या है। लेकिन हमने कहा, "कुछ नहीं होगा। आपको उनसे समस्या हो सकती है, लेकिन हम सरकारिया आयोग की सिफारिश का पालन करेंगे।" मुझे नहीं पता आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सके। यही कारण है कि ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह सरकार के लिए बाध्यकारी है। तथा यह विश्वास करने योग्य एवं सलाहकारी स्वरूप का है। मैंने यह नहीं कहा कि देर है हम उनकी इन सिफारिशों और परामर्शों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहां तक कि अन्तर्राज्यीय परिषद, जिसका गठन तथा जिसकी अध्यक्षता आडवाणी जी ने की थी, सरकारिया आयोग के संबंध में मैंने उसकी रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। सरकारिया आयोग द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशें अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी यह सिफारिश भी अस्वीकृत कर दी गई थी। लेकिन क्या हम इस तर्क को मान सकते हैं कि कानून के अनुसार सरकार द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा इससे संघीय ढांचे की जड़ पर ही आघात होगा। अब यह निर्णय संघवाद के लिए ज्यादा समीचीन है। वह कह रहे हैं कि यदि आप राज्यपाल के पद को हटाने योग्य नहीं बनाया जा सकता है तो इससे संघीय ढाचें को और अधिक नुकसान होगा जितना आज हो रहा है ...*(व्यवधान)* कुछ लोग इससे सहमत हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए, जैसाकि कई सदस्यों द्वारा सभा में कहा गया कि क्या इस सरकार को प्राप्त जनादेश इस सभा में उपस्थित 325 सदस्यों की बैठक में परिलक्षित होता है और ये सभी इस बात के पक्षधर हैं कि सरकार सभी को साथ लेकर चले। यदि कोई नीति उन्हें मान्य नहीं है, और देखिए हुए निर्देशों का पालन नहीं करते तथा इस मुद्दे पर अपेक्षित रूप से वे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या इस जनादेश के क्रियान्वयन के संदर्भ में राज्य, केन्द्र सरकार के लिए एक तरह की कठिनाई पैदा नहीं होगी? इस समय यही स्थिति है। लेकिन मैं इस बिंदु पर बाद में आऊंगा। इस समय मैं कह रहा था कि हम इस कानून से बंधे हैं और हमने उसके अनुरूप कार्य किया।

यह कहने के लिए कि जहां तक कानून का संबंध है सरकार की कार्रवाई पर हमें कोई विवाद नहीं है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने राष्ट्रपति के इस प्रसाद पर्यन्त के मुद्दे पर निर्णय को पढ़ा है और उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह अभी भी सर्वविदित सवाल है। मैं कहना चाहूंगा कि संघवाद की भावना का यहां उल्लंघन हुआ है, पत्र का भी उल्लंघन हुआ है या नहीं यह अभी तय किया जाना है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या हम लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था संविधान की शब्दावली और भावना के अनुरूप कार्य किया है। मैं समझता हूं कि आपने उस बिंदु पर बहस नहीं की है और मैंने सोचा था कि आपने उस बिंदु पर समझौता कर लिया है।

जहां तक इस सभा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सांविधानिकता का संबंध है, आप उस पर विवाद करना नहीं चाहते। अन्यथा, योग्यता के अनुरूप और समझाने वाली भाषा में आप बता सकते थे कि यहां आपने गलती की है। संवैधानिक रूप से आप गलत है। कानूनी तौर पर आप विफल हैं। यह बात हमसे कही जा सकती थी लेकिन ऐसा हमसे नहीं कहा गया। यही कारण है कि मैं मानता हूं कि यह गलत है और यदि आप कहते हैं कि यदि आप इसकी सांविधानिकता को ही चुनौती देते हैं, तो मैं इस विषय पर और चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन मेरा मानना है कि जहां तक इस कार्रवाई का संवैधानिकता का प्रश्न है तो आपके मन में इसके बारे में बहुत कम संदेह है क्योंकि शब्दावली और भावना और दिए गए निर्णय इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। मैं इसी बिंदु को स्पष्ट करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह पूर्व के उदाहरण के बारे में है। अब, श्री आडवाणी जी, न सिर्फ एक बार बल्कि दो बार अथवा तीन बार कह चुके हैं कि "हमने एक परंपरा डाली है, एक सिद्धांत बना है जिसका अनुपालन दूसरे लोगों द्वारा भी किया जाना चाहिए।"

श्री आडवाणी जी, आपकी बात के विरुद्ध मैं कुछ भी कहने में मुझे दुःख हो रहा है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मिजोरम, गुजरात और गोवा के राज्यपाल क्रमशः डा. अरुण प्रसाद मुखर्जी, श्री कृष्ण पाल सिंह और श्री सतीश चन्द्र को त्याग पत्र देने को कहा गया और उन्होंने एक ही दिन, 13.4.1998 को अपना-अपना त्याग पत्र सौंप दिया। उन्हें त्याग पत्र देने को कहा गया और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यदि आप इस तर्क को मान रहे हैं कि उनकी नियुक्ति एक काम चलाऊ सरकार द्वारा की गई थी और इसलिए आपने उन्हें हटा दिया। तब यह एक अच्छा तर्क रहा होगा। लेकिन यह सिद्धांतों पर आधारित तर्क नहीं होगा। चाहे वह काम चलाऊ सरकार द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों, इस मामले में आपकी सरकार ने ही इस्तीफा मांगा था। आप और आपकी सरकार ने इस्तीफा लिया था। अब आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने किसी राज्यपाल को नहीं हटाया? यह महत्वपूर्ण बात है। तब मैं दूसरे विषय पर चर्चा करूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने कांग्रेस के सभी लोगों की सूची पढ़ कर सुना दी है *...(व्यवधान)* वे लोग कांग्रेस पार्टी के आदमी नहीं हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं कह रहा हूं कि मैंने आपकी पार्टी के किसी भी सदस्य को नहीं हटाया। सदस्यों में से एक, श्री पवन कुमार बंसल ने बड़ी शीघ्रता से इसके बारे में बताया *...(व्यवधान)* विचारधारा के संबंध में आप अपने तर्क को किसी एक विचारधारा के साथ जोड़ना नहीं चाहते।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: इस प्रस्ताव में उसी का उल्लेख है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उस विषय की चर्चा करूंगा। मैं उसे छोड़ नहीं रहा हूं। मुझे एक-एक करके प्रत्येक विषय पर बोलने दीजिए। मैं संवैधानिकता के बारे में बोल रहा हूं।

श्री आडवाणी जी, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि आपने अपनी चर्चा के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि आपने अपवादस्वरूप कार्य किया है। आपने किसी को छुआ तक नहीं। क्या यह सत्य है। तीन राज्यपालों को हटाया गया। इस सभा में मैं इस बात का साक्षी हूं। एक राज्यपाल अर्थात् उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का सचमुच में पीछा किया गया। उनके विरुद्ध क्या कहा गया था। उनके लिए पद पर बने रहना असहनीय हो गया था। हम जानते हैं कि हमने राज्यपाल के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। नियमों और कानूनों में एक प्रावधान है। किसी राज्यपाल के विरुद्ध जब तक आप तथ्यपरक प्रस्ताव नहीं लाते हैं, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन राज्यपाल जो उत्तरदायी नहीं था, जो उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं था, उस पर चर्चा की गई। उन पर इस तरह चर्चा हुई कि उन्होंने कहा, "मैं पद छोड़ता हूं, मैं जा रहा हूं और वे चले गए। क्या यह आपवादिक रूप में अच्छा था *...(व्यवधान)*

तत्पश्चात्, महोदय, मैं आपको यह सूचना दूंगा। 1990 में केवल एक नहीं बल्कि सभी राज्यपालों को इस्तीफा देने को कहा गया। राष्ट्रपति ने क्या तय किया है मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं *...(व्यवधान)* हां, आप यह सब जानते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप उस सरकार का समर्थन कर रहे थे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने किसी को नहीं हटाया। *...(व्यवधान)* मैंने राजग सरकार के लिए श्रेय का दावा किया है न कि उस सरकार के लिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: इसे बाद में गिरा दिया गया। आप इसका समर्थन कर रहे थे *...(व्यवधान)* श्री आडवाणी को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वे अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप उस सरकार का समर्थन कर रहे थे और जब आपने रथ यात्रा शुरू की तो उस सरकार को गिरा दिया। क्या विचारधारा के कारण ऐसा नहीं हुआ था *...(व्यवधान)* मैं उसकी चर्चा करूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने इसकी तुलना की है और मैंने वही कहा है जो श्री मुफ्ती जी ने कहा है। यह पार्टी बदलने की बात है ...*(व्यवधान)*। इसलिए, मैंने कहा है कि वह भी गलत था ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: श्री मुफ्ती सभा में मौजूद नहीं है। मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। अन्य लोगों ने उनका नाम लिया है, परन्तु मैंने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है। आप यहां मौजूद हैं। इसलिए मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। आप उस सरकार का समर्थन कर रहे थे। यही नहीं, मुझे एक और प्रश्न पूछना है। मेरे पास उसकी कोई पक्की सूचना नहीं है। जब राज्यपालों को बदलने के सिद्धांत को सरकार द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो मुझे कहा गया कि आपके साथ बैठे हुए नेताओं ने कहा था कि यह एक अच्छा सिद्धांत है।

मैं इसके बारे में नहीं जानता। आप कहते हैं कि यह सही नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा कहा है या नहीं। आपने और आपके नेताओं ने कहा था कि जब सरकार बदले तो राज्यपाल को भी बदलना चाहिए। जब सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो, तो आपने न केवल उस सरकार का समर्थन किया बल्कि आपने उस सिद्धांत का भी समर्थन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं। यदि मैं गलत हूं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): संभवतः माननीय अध्यक्ष इस संबंध में मार्गदर्शन कर सकें। आप कुछ ऐसी बातों को उद्घाटित कर रहे हैं जिन्हें मैं वास्तव में नहीं जानता। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इसे नहीं सुनूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: वह ऐसी सरकार थी जिसे उनके दल के साथ-साथ मेरे दल का भी समर्थन था।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपका कहना मेरे लिए पर्याप्त है। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ पूर्वोदाहरण रहे हैं। आपने इसका उल्लेख किया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उन व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं जो सभा में मौजूद नहीं हैं। मैं केवल उनका उल्लेख कर रहा हूं जो आज यहां वाद-विवाद का जवाब दे सकते हैं।

आपने कहा है कि हमारे पास यह सूचना उपलब्ध है। एक नहीं बल्कि 17 राज्यपालों को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। आप उस सरकार का एक हिस्सा थे। कम से कम, आप उस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। स्वाभाविक रूप से, आप बाद में सर्वज्ञात कारणों से उक्त सरकार से अलग हो गए थे और यही बात मैं कह रहा हूं। क्या आप सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध अब शिकायत कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि आपने जिस सिद्धांत को रखा, जोकि दिव्य, पूर्ण और भव्य था? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उनका अनुसरण करना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उनका अनुसरण नहीं करना चाहता। हमारे पास ऐसा करने के अपने तरीके हैं और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं।

कुछ राज्यपालों को 1991 और 1992 में भी हटाया गया है। मैं उन सब बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि पहले भी राज्यपालों को हटाया गया था। ऐसे पूर्वोदाहरण थे और यदि हमने ऐसा कानून और पूर्वोदाहरण का अनुसरण करते हुए किया था, तो हमें ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि हम फासिस्ट है, हमें यह नहीं कहा जाना चाहिए कि यह तो आपातकाल को निमंत्रण है, और हमें यह नहीं कहा जाना चाहिए कि हमने भयंकर गलती की है। इसमें मत-भिन्नता हो सकती है। आप इस पर दूसरे ढंग से सोच सकते हैं परन्तु हमारे विरुद्ध इस प्रकार का अतिरंजित आरोप का, मेरे विचार से ठोस आधार नहीं है।

जो कारण व्यक्त किया गया है वह विचारधारा से संबंधित है। मेरे विचार से, इस मुद्दे पर पूरा तर्क दिया गया है। इस मुद्दे पर, माननीय सदस्यों द्वारा निवेदन किया गया है परन्तु आप इस मुद्दे को फिर से क्यों ताजा कर रहे हैं? मैं अब यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आप कानून और पूर्वोदाहरणों के आधार पर अशक्त हैं तो आपको कोई नया आधार तैयार नहीं करना है। जब मुझसे पूछा गया कि उनको क्यों हटाया जा रहा था, मैंने कहा, "यदि हम सभी लोगों को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं परन्तु कुछ लोग अपने साथ सबको लेकर चलने में विश्वास नहीं करते और फिर भी हमें उनके साथ काम करना होता है और मतभेद उपजते हैं और अंततः लोग पीड़ित होंगे।" मैंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। मैंने विचारधारा की बात नहीं की। यदि मैं किसी विचारधारा की बात करता हूं तो मैं संविधान

प्रस्तावना और राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित विचारधारा के बारे में बात करूंगा। यदि कोई राज्यपाल इस विचारधारा, अर्थात् धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की विचारधारा जिसका कि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है और संविधान के विभिन्न खंडों में दृष्टिगोचर है, तो मेरे लिए जनादेश के अनुसार परिणाम देना अत्यधिक कठिन होगा। मैं इस मुद्दे पर और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मेरे विचार से संभवतः कुछ रिपोर्टों और कुछ शीर्षकों ने लोगों के मनोमस्तिष्क में यह छाप छोड़ी है कि ऐसा इन कारणों से किया गया था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इसके साथ-साथ मैंने अभी वही कहा है जो मैंने कहा था और मैं अब इस पर दृढ़ हूं।

गुजरात में जो कुछ हुआ, उस पर नजर डाले। यदि भविष्य में इस प्रकृति का अथवा इस प्रकृति की कुछ परिस्थितियों जैसा कुछ घटित होता है और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के मन में कोई विरोध होता है, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ?

उस ढाचें को आप उसे मंदिर कहें या मस्जिद-को गिरा दिया गया और तत्कालीन भारत की सरकार को इसका उत्तरदायी ठहराया गया। परन्तु ऐसी परिस्थितियों में हम जो करते हैं, यही प्रश्न है। इसलिए, मैंने कहा है कि यह विचारधारा नहीं है, यह तो उत्तर प्रदेश और गुजरात में घटित घटनाओं का हाल का इतिहास है जो हमें यह बताता है कि हमें सावधान रहना होगा। ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार से घटनाएं होंगी परन्तु यदि आप शासन कर रहे हैं, तो हम यह प्रत्याशा कर सकते हैं और हमें सावधान होना होगा और यदि आप वैसा करते हैं, तो हमने कोई गलती नहीं की है।

मैं राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। कई बार मुझसे यह पूछा गया था कि आप उन्हें क्यों हटा रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ गलत है? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वे असहाय होंगे और वे जनता से बात करने में समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए, मैंने राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं की। ऐसा नहीं है कि मैं चर्चा नहीं कर सकता था। मैंने राज्यपाल के आचरण पर चर्चा क्यों नहीं की? हमने बस यही किया कि हमने उनसे बात की। परन्तु मैं विनम्रता से यह निवेदन करता हूं कि यदि कोई राजनीतिक दल यह निदेश जारी करती है कि राज्यपाल को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए तो क्या हम राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इन व्यक्तियों के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं। हमें केवल यही चिंता थी कि यह कार्य मर्यादापूर्ण तरीके से किया जाए। मैं राजनीतिक दलों, व्यक्तियों की कठिनाईयों और उन सभी बातों को समझ सकता हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु फिर, यदि निर्देश दिये जाते हैं और यदि कोई कहता है कि मुझे इस विचारधारा का अनुसरण करने पर गर्व है और मैं आलाकमान द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चलूंगा, तो आप मुझसे क्या करने की अपेक्षा रखते हैं? इसलिए मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं इस मुद्दे पर बहस करना नहीं चाहता हूं।

संघवाद पर आपने बहुत सही कहा है कि इस देश के संघीय ढांचे को अक्षुण्ण रखा जाना है। यदि हम संविधान सभा में हुए वाद-विवाद का अध्ययन करें और संविधान सभा के अस्तित्व में आने से पहले क्या हुआ, क्या यह सब संघवाद के लिए था? परन्तु विभाजन के पश्चात्, मेरे विचार से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को संघीय सरकार कहने के बजाय राज्यों का संघ कहने लगे। यहां, अमरीकी और भारतीय संघवाद में अंतर है। अमरीका में, राज्य अस्तित्व में थे और फिर संघ का सृजन किया गया था, परन्तु भारत में संघ अस्तित्व में आया और फिर राज्यों का सृजन किया गया था और जब भी उन्होंने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे इसके प्रति सावधान थे कि इस संघीय ढांचे को अक्षुण्ण रखा जाए और यह नष्ट न हो। मैं विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल एक नामनिर्देशित व्यक्ति होता है, परन्तु निर्वाचित विधान सभा का एक प्रातिनिधिक स्वरूप होता है। क्या मैं तर्क के लिए और किसी के विरुद्ध लाभ नहीं उठाते हुए यह कह सकता हूं कि यह सत्य नहीं है कि नौ राज्यों की विधानसभाओं को एक ही झटके में भंग कर दिया गया था? क्या यह चार राज्यपालों को इस प्रकार हटाये जाने से ज्यादा खतरनाक नहीं था? जब ऐसा किया गया, तो कृपया मुझे यह कहने दीजिए कि आप उस सरकार का एक हिस्सा थे। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने इसका समर्थन नहीं किया होता। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हो सकता है आपने समर्थन नहीं किया हो। ...*(व्यवधान)* परन्तु नामनिर्देशित व्यक्तियों के बजाय निर्वाचित व्यक्तियों को हटाना खतरनाक है। ...*(व्यवधान)* बिहार विधान सभा का उदाहरण लें। आप निर्वाचित सभा को भंग करना और निर्वाचित सदस्यों से बनी सरकार को हटाना चाहते थे। क्या यह संघवाद के लिए आदर्श है? यह संघवाद के लिए आदर्श नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आपके नेता ने क्या कहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, वे नहीं मान रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्रीजी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इन्हें बोलने की परमीशन दी है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): वे पूर्वोदाहरण कांग्रेस की ही देन है। इसीलिए नौ राज्य विधानसभाओं को भंग किया गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कोई टीका-टिप्पणी नहीं होगी। आइये अब चर्चा करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम वास्तव में चिन्तित हैं और हम यह चाहते हैं कि देश की एकता और अखण्डता अक्षुण्ण रहे। यदि इसे क्षतिग्रस्त किया जा सकता है तो यह क्षति नामांकित तौर पर नियुक्त हुए व्यक्तियों को हटाने से नहीं, अपितु चुनी हुई निकायों को हटाने से, सरकार को भंग करके और विधानसभाओं को भंग करके ही इसे क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। अब, मैं इसी बात को कह रहा हूं इसलिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

जहां तक परामर्श का संबंध है तो वह मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैने उन व्यक्तियों से सलाह की है अथवा नहीं। हमने अपने तरीके से परामर्श किया है। परामर्श सहमति नहीं है। परामर्श सम्मति नहीं है। परामर्श परामर्श ही है। हमने कुछ किया। मैं इस बारे में इससे अधिक कुछ भी नहीं कहूंगा। मैंने सोचा कि लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपने विचार अभिव्यक्त किये जो भी वे व्यक्त करना चाहते थे। कुछ जल्द ही सहमत हो गए, कुछ ने कहा बहुत अच्छा, यह भी हो सकता था और वह भी हो सकता था और यही है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि परामर्श नहीं किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, कोई टिप्पणी न करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, एक अंतिम बात और फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं उस स्थिति पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं परन्तु केवल एक बात कहना चाहता हूं। आप अरुणाचल के बारे में जानते हैं। हमने क्या किया है? मैं इस बारे में इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। हमारे पास अलग-अलग प्रकार की रिपोर्टें हैं-ऐसी रिपोर्टें क्यों भेजी गई। हमने क्या किया और ऐसी ही सब बातें। हमसे आश्वासन देने को कहा गया। हमने कोई आश्वासन नहीं दिया किन्तु हमने जल्दबाजी अथवा क्रोध में भी कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं अरुणाचल की स्थिति के बारे में भी चर्चा नहीं करूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: चुनाव सितम्बर में होने हैं। चुनाव ही हो जाने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रस्ताव से पृथक मुद्दा है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, इसे आडवाणी जी ने उठाया है।

हम कोई भी आश्वासन नहीं देंगे। हम कुछ भी यह सोचकर नहीं करेंगे कि यह ऐसा है और वह वैसा है और हमें यह करना चाहिए इत्यादि। जो भी किया जायेगा वह सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करके ही किया जायेगा। किन्तु जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम क्या कर सकते हैं जब हमें विरोधाभासी रिपोर्टें मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें?

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब सभा कल 13 जुलाई, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 जुलाई, 2004/22 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधीर चौधरी श्री हन्नान मोल्लाह	81
2.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री निखिल कुमार चौधरी	82
3.	श्री वाई.जी. महाजन श्री प्रदीप गांधी	83
4.	श्री सुरेश चन्देल	84
5.	श्री दलपत सिंह परस्ते	85
6.	श्री विजय कृष्ण श्रीमती निवेदिता माने	86
7.	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	87
8.	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री किन्जरपु येरननायडु	88
9.	श्री सुरेश कुरूप	89
10.	श्री पी.सी. थामस	90
11.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री पंकज चौधरी	91
12.	श्री कैलाश मेघवाल	92
13.	श्री निहाल चन्द डा. एम. जगन्नाथ	93
14.	श्री रामजी लाल सुमन श्री नीतीश कुमार	94
15.	श्री किरिप चालिहा	95
16.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री कीर्तिवर्धन सिंह	96
17.	श्री रामदास बंडु आठवले श्री रवि प्रकाश वर्मा	97
18.	श्री तथागत सत्पथी श्री हरिकेवल प्रसाद	98
19.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी	99
20.	श्रीमती जयाप्रदा	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आचार्य, श्री बसुदेव	683
अधीर, श्री हंसराज जी.	692
आठवले, श्री रामदास बंडु	736, 773, 795, 808
आदित्यनाथ, योगी	700, 743, 747, 782
बब्बर, श्री राज	685
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	697, 746, 781, 801
बुधौलिया, श्री राजनरायन	696
चक्रवर्ती, श्री अजय	681, 741, 777, 798
चालिहा, श्री किरिप	735, 785, 803
चन्देल, श्री सुरेश	717, 768, 789
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	673, 696
चौधरी, श्री निखिल कुमार	734, 772
चौहान, श्री शिवराज सिंह	729, 769, 790
चौधरी, श्री अधीर	724, 764, 788, 805
चौधरी, श्री विकास	672
चर्चील, श्री अलीमाऊ	707, 755
डेलकर, श्री मोहन एस.	677
देवरा, श्री मिलिन्द	712, 751, 784
डोम, डा. राम चन्द्र	672
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	654, 809

1	2
गढ़वी, श्री पी.एस.	678, 686
गांधी, श्रीमती मेनका	705
गांधी, श्री प्रदीप	730
हसन, श्री मुनव्वर	682
जगन्नाथ, डा. एम.	713, 767, 794, 807
जटिया, डा. सत्यनारायन	667
झा, श्री रघुनाथ	656
कलमाडी, श्री सुरेश	704, 752, 783, 802
कनोडिया, श्री महेश	665
खां, श्री सुनील	659, 727
कृष्ण, श्री विजय	750
कुरुप, श्री सुरेश	748
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	810
महाजन, श्री वाई.जी.	716
महतो, श्री बीर सिंह	676, 688, 690
महताब, श्री भर्तृहरि	678, 737, 774, 812
माझी, श्री परसुराम	696, 745
माकन, श्री अजय	675
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	758
माने, श्रीमती निवेदिता	758
मरांडी, श्री बाबू लाल	687
मनोज कुमार, श्री	668, 759
मेघवाल, श्री कैलाश	713, 732, 770, 792
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	678
मूर्ति, श्री ए.के.	657, 663, 720, 763
नायक, श्री अनंत	664, 733, 771, 793
निखिल कुमार, श्री	767, 811
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	658, 715, 761
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	721, 780
पाण्डा, श्री प्रबोध	666, 742
परस्ते, श्री दलपत सिंह	718, 762, 790
पाठक, श्री ब्रजेश	709
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	694, 757, 786, 804
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	657, 743, 779, 800, 809
पाटील, श्री श्रीनिवास	660, 731
प्रधान, श्री धमेन्द्र	676
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	670
राजेन्द्रन, श्री पी.	669, 722
राणा, श्री काशीराम	695, 744
रंजन, श्रीमती रंजीत	699, 734, 749
राव, श्री के.एस.	684
राव, श्री रायापति सांबासिवा	725, 765, 791, 806
रावले, श्री मोहन	752
रावत, श्री अशोक कुमार	678, 710
रेड्डी, श्री मधुसूदन	708
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	702
रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	671
शर्मा, डा. अरूण कुमार	711
सतीदेवी, श्रीमती पी.	661
सत्पथी, श्री तथागत	678, 740
सेठी, श्री अर्जुन	706
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	689, 690, 744
शाहिद, मोहम्मद	682, 693
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	726

1	2
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	679, 738, 775, 796
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	680, 739, 752, 776, 797
सिंह, चौधरी लाल	703, 751
सिंह, श्री दुष्यंत	655, 714, 760, 787
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	758
सिंह, श्री मोहन	693, 698
सिंह, श्री प्रभुनाथ	701, 756
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	719

1	2
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	653, 712, 778
थामस, श्री पी.सी.	754
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	652, 673
वीरेन्द्र कुमार, श्री	674
विनोद कुमार, श्री बी.	662, 728
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	688
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	7753, 784
यादव, श्री गिरधारी	691
यादव, श्री राम कृपाल	689
येरननायडु, श्री किन्जरपु	673, 723, 766, 799

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	82, 90, 94
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	92, 95, 97
पर्यावरण और वन	:	81, 85, 87, 98
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	83
श्रम और रोजगार	:	86, 99, 100
पर्यटन	:	91
जल संसाधन	:	84, 89, 93, 96
युवक कार्यक्रम और खेल	:	88

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	654, 662, 666, 668, 670, 676, 678, 683, 692, 694, 695, 699, 703, 706, 710, 712, 717, 718, 722, 723, 726, 738, 739, 745, 752, 757, 760, 762, 771, 772, 774, 775, 786, 787, 791, 793, 795, 796, 799, 800, 804, 810, 811
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	652, 653, 660, 665, 669, 671, 673, 681, 688, 690, 693, 696, 697, 698, 700, 719, 735, 736, 741, 750, 753, 756, 770, 773, 777, 778, 779, 782, 790, 806, 808, 809
पर्यावरण और वन	:	657, 659, 663, 672, 677, 680, 684, 691, 701, 705, 709, 715, 724, 733, 744, 747, 748, 758, 761, 763, 768, 776, 785, 788, 801, 803, 805, 807
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	658, 734, 751
श्रम और रोजगार	:	679, 689, 702, 713, 728, 732, 740, 746, 766, 767, 781, 789, 812
पर्यटन	:	687, 721, 730, 780, 792, 794
जल संसाधन	:	655, 656, 661, 664, 667, 674, 685, 686, 704, 711, 714, 725, 731, 737, 754, 759, 765, 783, 784, 797, 798
युवक कार्यक्रम और खेल	:	675, 682, 707, 708, 716, 720, 727, 729, 742, 743, 749, 755, 769, 802.

पी.एल.एस.–48.2.6/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. श्री एन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।